अष्टम माला, खंड 8, अंक 15

सोमवार, 12 अगस्त, 1985
21 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 8 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी । इनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा ।)

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 8, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 15, सोमवार, 12 अगस्त, 1985/21 श्रावण, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 284 से 286, 288, 291, 294 और 295	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	24—251
तारांकित प्रश्न संख्या : 287, 289, 290, 292, 293 और 296 से 303	24—37
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2971 से 3042, 3044 से 3074, 3076 से 3113, 3115 से 3142, 3144 से 3184 और 3186 से 3203	37—249
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	251—254
प्राक्कलन समिति	254
दूसरा प्रतिवेदन	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	254—280
गैर सरकारी स्वामित्व वाले दो मालवाहक जहाजों के बंगाल की खाड़ी में लापता होने का समाचार	
श्री राम स्वरूप राम	254
श्री जियाउर्रहमान अंसारी	255
श्री कमल नाथ	263
श्री सैफुद्दीन चौधरी	269
श्रीमती जयन्ती पटनायक	272
श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव	275

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
आवश्यक सेवा (संशोधन) विधेयक, 1985	280—290
पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री आरिफ मोहम्मद खां	281
श्री इन्द्रजीत गुप्त	281
श्री अजय विश्वास	283
प्रो० मधु दण्डवते	284
श्री बसुदेव आचार्य	286
श्री सैफुद्दीन चौधरी	286
श्री एस० बी० चव्हाण	287
नियम 377 के अधीन मामले	290—296
(एक) आजाद हिन्द फौज और भारतीय स्वतंत्रता लीग (इंडिया इंडिपेंडेंस लीग) के भूतपूर्व कर्मियों के लाभार्थ स्वतंत्रता सेनानी पेंशन नियमों में आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता	
श्री जैनुल बशर	290
(दो) उड़ीसा के बालासोर और मयूरभंज जिलों के सूखा प्रभावित किसानों को केन्द्रीय सहायता देना	
श्री चिंतामणि जेना	291
(तीन) सातवीं योजना के दौरान केरल के क्विलोन नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रस्तावित उप मार्ग का काम पूरा करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री एस० कृष्ण कुमार	292
(चार) उड़ीसा स्थित वीर सुरेन्द्र साई मेडिकल कालेज बुरला को केन्द्रीय आयुर्विज्ञान अध्ययन और चिकित्सा संस्थान के रूप में विकसित करना	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	293
(पांच) आन्ध्र प्रदेश में काकिनाडा में एक उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाने की मांग	
श्री गोपाल कृष्ण थोटा	293
(छः) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अप्रकाशित भाषणों के प्रकाशन का कार्य भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् को सौंपने की आवश्यकता	
श्री सैफुद्दीन चौधरी	294
(सात) सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर्नाटक को केन्द्रीय सहायता	
डा० बी० वेंकटेश	294

विषय	पृष्ठ
(आठ) महाराष्ट्र में अहमदनगर स्थित अपर प्रावरा परियोजना के कार्य की गति तेज करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री बाला साहेब विखे पाटिल	295
(नौ) उत्तर बिहार को प्रति वर्ष बाढ़ की विनाश लीला से बचाने के लिए स्थायी आधार पर निवारक उपाय करने की आवश्यकता	
डा० शौरी शंकर राजहंस	295
बालक नियोजन (संशोधन) विधेयक	296—322
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	296
श्रीमती प्रभावती गुप्ता	298
श्री सी० जंगा रेड्डी	300
श्रीमती जयन्ती पटनायक	304
श्री राम भगत पासवान	306
श्रीमती गीता मुखर्जी	308
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	309
श्री हरीश रावत	311
श्री गोपाल कृष्ण थोटा	312
श्री एन० डेनिस	313
श्री रामेश्वर नीखरा	316
श्री गिरधारी लाल व्यास	317
श्री कादम्बुर जनार्दनन	319
डा० प्रभात कुमार मिश्र	320
डा० गौरी शंकर राजहंस	321
आधे घंटे की चर्चा	323—338
रुग्ण औद्योगिक कारखानों की संख्या में वृद्धि	
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	323
श्री आरिफ मोहम्मद खां	327
श्री अजय बिश्वास	329
श्री हरीश रावत	331
श्री प्रकाश चन्द्र	332
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	332

लोक सभा

सोमवार, 12 अगस्त, 1985/21 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का कार्यान्वयन

*284. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए दिए गए दिशानिदेशों का पालन किया गया है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मूल्यांकन में कोई दिशातर या कमियां पाई गई हैं और यदि हां, तो उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं, जहां ऐसा हुआ है; और

(घ) इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) केन्द्रीय सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए कई अध्ययन शुरू किए हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर दो अध्ययन पूरे हो गए हैं :

(1) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली द्वारा केरल राज्य के अलेप्पी और उड़ीसा राज्य के सम्बलपुर जिलों का एक मूल्यांकन अध्ययन।

(2) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर मूल्यांकन रिपोर्ट।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर अभी तक कोई भी अध्ययन पूरा नहीं हुआ है और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्य अध्ययनों का कार्य प्रगति पर है। जहां तक ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का सम्बन्ध है, योजना आयोग के कहने पर पंजाब स्टेट इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक अध्ययन किया गया था जिसकी जांच योजना आयोग कर रहा है।

(ख) और (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली द्वारा किए गए अध्ययन में दो जिलों—केरल के अलेप्पी और उड़ीसा के सम्बलपुर को शामिल किया गया था। यह अध्ययन 1982 में किया गया था। अध्ययन के परिणामों से पता चला है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के परिवारों को इन दो जिलों की कुल आबादी में उनके अनुपात की तुलना में पर्याप्त रूप में शामिल किया गया है।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने हाल ही में अध्ययन पूरा किया है। यह अध्ययन 16 राज्यों के 33 जिलों के खण्डों में किया गया है। राज्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. बिहार
3. गुजरात
4. हरियाणा
5. हिमाचल प्रदेश
6. जम्मू तथा कश्मीर
7. कर्नाटक
8. केरल
9. मध्य प्रदेश
10. महाराष्ट्र
11. उड़ीसा
12. पंजाब
13. राजस्थान
14. तमिलनाडु
15. उत्तर प्रदेश
16. पश्चिम बंगाल

अध्ययन के निष्कर्षों से यह पता चलता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सर्वेक्षण किए गए लाभार्थी परिवारों की आय और जीवन-स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

मूल्यांकन रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि 868 नमूना लाभार्थी परिवारों, जिनकी वार्षिक आय शुरू में 3,500 रुपए से कम थी, में से 49.42 प्रतिशत परिवार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित होने के बाद 3,500 रुपए और इससे अधिक वार्षिक आय-स्तर को प्राप्त कर सके थे। इससे यह भी पता चलता है कि जनता में इस कार्यक्रम के प्रति आम जागृत काफी ज्यादा थी। लगभग 90 प्रतिशत चुनिंदा नमूना लाभार्थियों ने महसूस किया कि उन्हें इस कार्यक्रम से लाभ पहुंचा है। 88 प्रतिशत से कुछ ज्यादा लाभार्थियों ने सूचित किया था कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके शामिल किए जाने के परिणाम-स्वरूप उनकी आयु बढ़ी है तथा उनमें से लगभग 90 प्रतिशत का विचार था कि इस कार्यक्रम से उनका पारिवारिक रोजगार बढ़ा है। लगभग 77 प्रतिशत चुनिंदा नमूना परिवारों का कहना था कि उनके उपभोग-स्तर में वृद्धि हुई है और 64 प्रतिशत ने महसूस किया कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके शामिल किए जाने के परिणामस्वअप गांव में उनका समग्र रूप से सामाजिक स्तर

ऊंचा उठा है। मूल्यांकन अध्ययन का दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि 40 प्रतिशत नमूना लाभार्थी परिवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त निर्धनता की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये उपलब्धियां ठोस हैं, यद्यपि निर्धनता अब भी एक प्रमुख समस्या है जिसका समाधान किया जाना है।

रिपोर्ट में कुछेक खामियां भी बताई गई हैं। ये खामियां मुख्य रूप से प्रशासनिक और संगठनात्मक ढांचे; जैसे कर्मचारियों का बारम्बार स्थानान्तरण और अन्तर-क्षेत्रीय सम्बन्धों की कमी, प्रतिव्यक्ति निवेश की कमी, परिप्रेक्ष्य योजनाओं का तैयार न किया जाना और कुछ लाभार्थियों का गलत तरीके से चयन आदि से सम्बन्धित हैं।

(घ) सातवीं योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) प्रति परिवार और अधिक निवेश की व्यवस्था करना जिसमें एक-मुश्त सहायता भी शामिल है, ताकि लगाए गए निवेश पर उचित लाभ प्राप्त हो सके।

(2) छठी योजना के दौरान सहायता-प्राप्त उन परिवारों को पूरक सहायता प्रदान करना जो बिना अपनी गलती के गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ सके हैं।

(3) भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों के निर्धारण के लिए समानता की पद्धति को बदल करके विविधता की पद्धति को रखा गया है।

(4) मार्गदर्शिकाओं के अनुसार लाभार्थियों के चयन का ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए।

(5) जिला स्तरों पर ऐसी संस्थाओं का चयन करके अथवा जिला आपूर्ति और विपणन केन्द्रों की स्थापना करके तालमेल की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रयास करना।

(6) ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण के कार्यक्रमों की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गई है।

(7) वर्तमान और दो वर्ष पुराने लाभार्थियों के समवर्ती मूल्यांकन की एक नई प्रणाली आरम्भ की जा रही है।

इस बारे में राज्य सरकारों को भी लिखा गया है कि वे रिपोर्ट में बताई गई खामियों की जांच कर उनको दूर करने के उपाय करें। इस प्रकार कार्यान्वयन को सरल बनाया जा रहा है तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है ताकि इन खामियों को दूर किया जा सके।

श्री बृज मोहन महन्ती : महोदय, मुझे खेद है कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं माननीय मन्त्री और इस सभा का ध्यान अपने प्रश्न के भाग (ख) की ओर दिलाता हूं। मैं इसे पुनः पढ़ रहा हूं :—

"(ख) यदि हां, हो क्या उक्त कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए दिए गए दिशनिदेशों का पालन किया गया है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?"

अतः प्रश्न के इस भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। इस विवरण में कहीं भी इस प्रश्न विशेष का उत्तर नहीं दिया गया है। मुझे इसके लिए खेद है ! मैं यह जानना चाहता हूं कि इन कार्यक्रमों से जिन लोगों को लाभ पहुंचा है, उनकी कुल संख्या कितनी है। विवरण में यह बताया गया है कि कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा 16 राज्यों में अध्ययन पूरा कर लिया गया है और इसके उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं। लेकिन, समाचार पत्रों में कुछ और छपा है। क्या मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि 868 नमूना लाभार्थी परिवारों में से कितने प्रतिशत की सिफारिश की गई थी तथा कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने इन समस्त कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त करने वाले लोगों की कुल संख्या का पता लगाया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि राज्य-वार कितने लोगों को इसका लाभ मिला है। मैं यह भी निवेदन कर रहा हूं कि क्या यह रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी। इसमें गोपनीयता की तो कोई बात ही नहीं है। क्या इसे सभा पटल पर रखा जाएगा ? एक कार्यक्रम के लिए केवल एक अध्ययन किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अन्य कार्यक्रमों के लिए भी कोई अन्य अध्ययन किया गया है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : पहली बात आपने यह पूछी है कि : क्या इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए दिए गए दिशानिर्देशों का पालन किया गया है तथा इनको किस तरह से अपनाया गया है।

श्री बृज मोहन महन्ती : दिशा-निर्देश तो कुल मिलाकर दिए ही गए हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से राज्यों ने इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है और उन द्वारा किन-किन मार्ग-निर्देशो का अनुसरण नहीं किया जा रहा। हम यह भी जानना चाहते हैं कि सरकार के कौन-कौन से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : वास्तव में, हम सभी जानते हैं कि लाभभोगियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाना चाहिए। नौ अथवा दस राज्यों में बहुत सालों से ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं हुए। हमें प्रत्येक गांव से रिपोर्ट प्राप्त होती है। लेकिन हम इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते कि ग्राम सभा द्वारा ऐसा किया जा रहा है अथवा नहीं। अतः हमने हाल ही में उन्हें एक पत्र लिखा है कि इसे ग्राम सभा द्वारा स्वीकृति दी जानी चाहिए तथा जब तक ग्राम सभा इसे अन्तिम रूप से स्वीकृति प्रदान न कर दे, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इस सम्बन्ध में हमें इस कमी का पता चला है तथा हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इसे पूरी तरह ग्राम सभा द्वारा स्वीकृति दी जानी चाहिए। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा हमें जो भी रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, वह 1980-81 और 1981-82 अर्थात् इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पहले दो वर्षों की हैं तथा पहले के दो वर्षों में कुछ कमियां रही हैं। उदाहरण के लिए आधारभूत सुविधाएं तैयार नहीं थीं, पूरी तरह से तैयारी नहीं की गई, प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह उपयुक्त नहीं बनाया गया था एवं कई अन्य स्थानों पर जहां कुछ राशि दी गई थी, वहां इस प्रकार की कमी रह गई कि पैसा देरी से दिया गया अथवा कभी-कभी यह शिकायत भी थी कि पूरा पैसा नहीं दिया गया। पहले दो वर्षों में यह सब कमियां रह गई थीं। माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इससे कितने लोगों को लाभ पहुंचा है। छठी योजना के दौरान इससे 165 लाख लोगों को लाभ मिला है।

एक माननीय सदस्य : क्या केवल समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इतने लोगों को लाभ मिला है ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : जी हां और इसके अन्तर्गत 5.86 लाख गांव लाए जा सके हैं।

अध्यक्ष महोदय : भारत के कुल कितने गांव हैं ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : लगभग छः लाख और इसे ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत लाभा होगा। ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 2.25 लाख है—कुछ जगह चुनाव नहीं हुए हैं। ग्राम स्तर के पचास हजार कार्यकर्त्ता, ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाएं इसमें कार्य कर रहे हैं। यह कार्य कितना बड़ा है आप इसका अन्दाज लगा सकते हैं। यह कितनी बड़ी बात है कि हर किसी के पास जाकर यह पता किया जाए कि उसे इसका लाभ मिला है अथवा नहीं। लेकिन, जैसा कि मैंने बताया है 165 लाख परिवारों को फायदा हुआ है तथा अगर आप एक परिवार के पांच सदस्यों के औसत के हिसाब से एक पांच से गुणा करें तो इससे कुल 8 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा है।

एक माननीय सदस्य : हमें इस बात पर विश्वास नहीं होता है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : कोई बात नहीं।

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : रिपोर्ट में यही बताया गया है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकार : आप चाहे विश्वास करें अथवा न करें वस्तुतः सच्चाई यही है कि इस कार्यक्रम से लगभग 8 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा है। यह जनसंख्या फ्रांस की जनसंख्या से बड़ी अथवा जर्मनी की जनसंख्या के बराबर है। लेकिन, मैं इससे भी सहमत हूं कि कुछ कमियां रह गई हैं। मैं इसे नकार नहीं रहा।

परन्तु पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1983, 1984 और 1985 के दौरान काफी सुधार किए गए हैं, इसलिए किसी भी रिपोर्ट से मूल्यांकन रिपोर्ट, निगरानी रिपोर्ट अथवा कार्यान्वयन रिपोर्ट, जो 1980, 1981 और 1982 के पहले के वर्षों की है और जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सही तस्वीर स्पष्ट नहीं होगी। जो रिपोर्टें हमें बाद में प्राप्त होंगी—जोकि बाद के वर्षों की होंगी उन से हमें सही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

जो मूल्यांकन रिपार्ट उपलब्ध है, उसके अनुसार 49.48 प्रतिशत व्यक्ति गरीबी की रेखा से ऊपर आ चुके हैं।

श्री बृज मोहन महन्ती : आपकी रिपोर्ट के अनुसार 50.42 प्रतिशत को लाभ नहीं पहुंचा है।

क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई टिप्पणियों को नोट किया है ? रिजर्व बैंक ने यह टिप्पणी की है कि इससे लाभ प्राप्त करने वालों का ठीक से पता नहीं लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने यह कहा है कि इस कार्यक्रम में भ्रष्टाचार अपनी जगह बनाता जा रहा है एवं अधिकारियों को रिश्वत देना आम बात हो गई है। यह टिप्पणी उन्होंने की है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि आपने जिस पुनरीक्षा समिति का गठन किया है अथवा जिसका गठन आप करने जा रहे हैं, वह इस कार्यक्रम की निगरानी कर सकेगी और क्या वह इस कार्यक्रम की इन कमियों अथवा सीमाओं, जिनका जिक्र भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है,

को देख सकेगी ? मैं यह भी जानना चाहता हूं, कि कौन-कौन से राज्य इन कार्यक्रमों को ईमानदारी से कार्यान्वयन कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं ? इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी संसद के समक्ष रखी जानी चाहिए। राष्ट्र को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मन्त्री महोदय एक अच्छे आदमी हैं लेकिन जिस नीति को वे लागू कर रहे हैं वह अच्छी नहीं है।

श्री चम्पूलाल चन्द्राकर : रिजर्व बैंक ने इस कार्यक्रम में कुछ कमियों के बारे में बताया है। हम भी इस बात से इंकार नहीं कर रहे कि यह पैसा जिस व्यक्ति को मिलना चाहिए था, उसे पूरी तरह नहीं मिला। अगर किसी व्यक्ति को 3,000 रुपये आबंटित किए गए हैं तो उसे 3,000 रुपये ही मिलने चाहिए। यह खबरें भी मिली है कि उन्हें जितनी राशि आबंटित की गई थी, सारी नहीं दी गई। लेकिन, साथ ही हमें यह भी नहीं कहना चाहिए कि प्रत्येक लाभभोगी को पूरा पैसा नहीं मिल रहा। प्रत्येक मामले में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा केवल कुछेक मामलों में ही हुआ है और उसका भी प्रतिशत राज्यवार अलग-अलग है। कुछ क्षेत्रों में यह राशि बेहतर रूप से खर्च की गई और इसका सही तरह से उपयोग किया गया। यह सब लाभभोगी पर निर्भर करता है। आखिरकार, अगर एक व्यक्ति को अचानक 3,000 रुपये अथवा 4,000 रुपये मिल जाते हैं तो वह तुरन्त ही उद्यमी तो हो नहीं जाएगा। उसे इसको सही तरह से और पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए ट्राइसेम के माध्यम से लोगों को कुछ कम धन्धे के लिए प्रशिक्षित करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन साथ ही पैसा अन्य कार्यों पर खर्च किया जा रहा है और इससे कमियां रह गई हैं। यह बात सच है एवं कार्यान्वयन के स्तर पर इसके बारे में कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि इस प्रकार की कमियां और कमजोरियां भविष्य में न रह जाएं।

श्री पी० कुलसईबेलू : क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जो राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है ? जब जनता सरकार सत्ता में थी तो यह पूरी तरह केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना थी और इसका नाम वास्तव में था "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम। बाद में, जब श्रीमती गांधी सत्ता में आईं तो इसका नाम बदल कर "राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार कार्यक्रम" कर दिया गया। 1980 में नकेवल नाम बदला अपितु इसका अनुपात भी 75:25 कर दिया गया। वर्ष 1981 के पश्चात् इसे पुन: बदल कर 50:50 किया गया अर्थात 50 प्रतिशत राज्य देगा और 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार देगी। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से कितने मानव दिवसों का सृजन हुआ है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, हमारे पुन: सत्ता में लाने के लिए इन्होंने अच्छी बना दी है।

श्री पी० कुलसईबेलू : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने मानव दिवसों का सृजन हुआ ? इस कार्यक्रम के लिए आपका मानदण्ड है 60:40 अर्थात् 60 प्रतिशत श्रम का भाग होगा एवं 40 प्रतिशत सामग्री। राज्य वैकल्पिक प्रबन्ध करना चाहते हैं अर्थात 50:50 का, 50 श्रम के लिए और 50 सामग्री के लिए। क्या सरकार इसे बदल कर 50:50 करने के बारे में कदम उठा रही है, जैसा कि राज्य वास्तव में चाहते हैं ?

श्री चम्पूलाल चन्द्राकर : सबसे पहले, जहां तक उन्हें अनाज दिए जाने का सम्बन्ध है हमने देखा है कि परिस्थितियों बदल रही हैं तथा पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न राज्यों को

जो अनाज दिया गया है, उसे भी उठाया नहीं गया है। यह हमने अनुभवसे जाना है। अब इसे बढ़ा कर 2 किलो ग्राम प्रति व्यक्ति कर दिया गया है, फिर भी इसे उठाया नहीं जा रहा है। फिर भी यदि वह चाहें तो उन्हें हम इससे अधिक भी दे सकते हैं। अतः जहां तक खाद्यान्न की सप्लाई का सम्बन्ध है इस बारे में कोई शिकायत नहीं है। यदि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई राज्य और अधिक अनाज मांगेगा तो उसे दिया जाएगा।

दूसरी बात यह है कि जहां तक 60:40 अनुपात का सम्बन्ध है इसे कम करके 50:50 कर दिया गया है। 50 प्रतिशत सामग्री के लिए तथा 50 प्रतिशत श्रम के लिए। मुख्यतया स्थिति यह है। हमारे विचार से यह कार्यक्रम मुख्यतः गरीब व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए है। सामग्री सम्बन्धी संघटनों पर औसत व्यय कम होकर 60 हो गया है। परन्तु अब हमें पता चला है कि कुछ सड़कें बना दी गई हैं परन्तु छोटी-छोटी पुलियां नहीं बनाई गई हैं। इसलिए ये सड़कें बेकार हैं। उस दृष्टिकोण से हमने 50-50 अनुपात स्वीकार कर लिया है। यह कार्यक्रम है तथा मेरे विचार से इससे लगभग 18,000 लाख अपना 17,790 लाख मानव दिवसों का सृजन हुआ है।

श्री अतीश चन्द्र सिंह : क्या मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि क्या अब कोई परिपत्र निकाला गया है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इस तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। मेरे क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग 1000 लाभभोगी होने चाहिए जिसमें से 750 पुराने तथा 250 नए लाभभोगी हैं। लाभ को ध्यान में रखते हुए हर व्यक्ति इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आना चाहता है। यह आंकड़े बहुत कम लगते हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार का कोई परिपत्र केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को भिजवाया गया है या फिर वह अपने आप ही ऐसा कर रहे हैं ?

श्री चम्पूलाल चन्द्राकर : हमने यह सोचा था कि जिन व्यक्तियों को यह राशि दी गयी है उनमें से पुराने लाभभोगियों ने गरीबी की रेखा पार नहीं की है परन्तु इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। वस्तुतः काफी व्यक्तियों को शुरू में काफी कम राशि दी गई थी; किसी को 1500 रुपये या 1000 रुपये या 2000 रुपये दिए गए थे जो कि गरीबी की रेखा से ऊपर आने के लिए काफी नहीं थे। इसलिए हमने सोचा कि जिन व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठने के लिए वित्तीय सहायता नहीं मिली थी उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए चालू वर्ष में हम उनकी सहायता कर रहे हैं। हमने सभी राज्यों को परिपत्र अथवा पत्र भेजा है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985-86 में 40 लाख लाभभोगियों में से 30 लाख पुराने लाभभोगी होंगे तथा 10 लाख लाभभोगी नए होंगे ताकि उनकी गणना उन पुराने लाभभोगियों में न की जाए जो गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ सके हैं। यह हमारा दृष्टिकोण है तथा हमने सभी राज्य सरकारों से ऐसा करने के लिए कहा है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्रीमती गीता मुखर्जी खड़ी हुईं।

अध्यक्ष महोदय : मैं 15 मिनट का समय दे चुका हूं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं। या तो आप इस बारे में चर्चा करें या फिर···मैं इस बारे में न्याय कैसे करूं ?

क्या यह मेरे बस की बात है ?

एक माननीय सदस्य : महोदय, आप आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दे सकते हैं ?··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक प्रश्न पर एक घण्टे की बहस की अनुमति नहीं दे सकता। अब बहुत हो गया···बाद में इस पर चर्चा किए जाने के लिए मैं विचार कर सकता हूं परन्तु इस तरह नहीं···अब श्रीमती किशोरी सिंहा अपना प्रश्न पूछेंगी।

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि और उपदान योजना को जीवनपर्यन्त पेंशन योजना में परिवर्तित करना

*285. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि और उपदान योजना को स्वैच्छिक आधार पर जीवनपर्यन्त पेंशन योजना में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक श्रमिकों के लिए पेंशन योजना शुरू करने के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों की जांच की जा रही है। तथापि इस सम्बन्ध में योजना बनने का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब इन प्रस्तावों की जांच हो जाएगी और इन पर त्रिपक्षीय परामर्श करने के बाद कार्यान्वयन के लिए इन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा।

श्रीमती किशोरी सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताएंगे कि यह सुझाव कहां से प्राप्त हुए हैं तथा क्या वे इन सुझावों का कुछ ब्यौरा देंगे ?

श्री टी० अंजैया : सुझाव मजदूर संघों से भी प्राप्त हुए हैं।

श्रीमती किशोरी सिंह : मंत्री महोदय ने जो कहा वह मैंने सुना नहीं·····(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या मन्त्री महोदय और माननीय सदस्या के बीच यह कोई निजी बातचीत चल रही है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा ही लगता है।

श्रीमती किशोरी सिंह : अब मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि त्रिपक्षीय बैठक कब हो रही है तथा इस योजना को अंतिम रूप दिए जाने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री टी० अंजैया : हम यह बता चुके हैं कि अक्तूबर अथवा नवम्बर के महीने में हम भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा सभी श्रम सम्बन्धी कानूनों में संशोधन करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, ये स्कीम तो बना रहे हैं मगर प्रोवीडेंट फण्ड के लाखों केस पड़े हुए हैं और आज तक समीकरण नहीं हुआ है, वैरीफिकेशन नहीं हुआ है कि कितना पैसा जमा है और ये जितने पूंजीपति हैं और सेठ लोग हैं, वे लाखों, करोड़ों रुपया खा गए और जमा नहीं कराया। इस तरीके से कैसे इसका कन्वर्शन करेंगे जब तक कि आपके पास पूरी डिटेल्स नहीं होंगी और आपके यहां पूरा पैसा जमा नहीं होगा।

श्री टी० अंजैया : यह कहना गलत है कि करोड़ों रुपया जो है, वह लोगों ने जमा नहीं किया है। सिर्फ 100 करोड़ रुपये एरियर्स के हमको मैनेजमेंट से निकालने हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : 100 करोड़ रुपए तो एक अरब रुपया हो गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ये कहते हैं कि 100 करोड़ रुपए बाकी है।.....(व्यवधान)

श्री टी० अंजैया : इनमें से 50 करोड़ रुपया तो आपके पास है, आपकी स्टेट में है।

अध्यक्ष महोदय : इनके पास नहीं है बल्कि उनके पास है, जिनसे लेना है।

श्री टी० अंजैया : 11,612 करोड़ रुपया जमा हुआ है, जिसके अन्दर 1 परसेन्ट बाकी है जो लोगों को देना है। मैनेजमेंट ने फैक्टरीज क्लोज कर दी हैं और उनसे जो पैसा वसूल करना है, उसके लिए वे कोर्ट्स में जाकर स्टे आर्डर्स ले लेते हैं। बहरहाल इसके बारे में जो एक्शन लेना है, वह हम ले रहे हैं और हो सकता है कि कुछ एमेंडमेंट भी लाएं और पनिशमेंट ज्यादा बढ़ाने की हम सोचेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मजदूरों का ये कन्ट्रीब्यूशन खा गए। इनके खिलाफ तो क्रिमिनल केसेज चलने चाहिए।.....(व्यवधान)

श्री टी० अंजैया : मजदूरों का भी पैसा है और मालिकों का भी है...(व्यवधान)...केसेज लगा रहे हैं।...(व्यवधान).....

[अनुवाद]

नार्वे की सरकार की सहायता से उड़ीसा में मत्स्य पालन योजना

*286. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे की सरकार के सहयोग से उड़ीसा के बालासोर जिले में "कासाफल" में कार्यान्वित की जाने वाली मत्स्य पालन योजना को रक्षा मंत्रालय द्वारा अभी स्वीकृति दी जानी बाकी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसे रक्षा मंत्रालय से स्वीकृत कराने के लिए मंत्रालय ने क्या प्रयास किए हैं; और

(ग) इस योजना के कब तक आरम्भ/कार्यान्वित होने की आशा है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं। रक्षा मंत्रालय ने पहले ही योजना को मंजूरी दे दी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नार्वे अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (नोराड) और वित्त मन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के बीच करार पर हस्ताक्षर होते ही योजना को शुरू कर दिया जाएगा।

श्री चिन्तामणि जेना : मैं माननीय मंत्री का आभारी हूं कि रक्षा मन्त्रालय से योजना की स्वीकृति दिलाने में उन्होंने बहुत शीघ्रता से काम किया। मैं यह जानना चाहूंगा कि योजना की अनुमानित लागत क्या है; रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति के लिए यह योजना कब भेजी गई थी, तथा उन्होंने कब इसे स्वीकृति दी ?

क्या यह भी जान सकता हूं कि इस परियोजना के निष्पादन में विलम्ब होने के कारण क्या इसकी अनुमानित लागत में काफी वृद्धि हो गई है ? यदि हां, तो नोराड द्वारा समझौता कराने तथा उसके शीघ्र कार्य-निष्पादन में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सरदार बूटा सिंह : परियोजना चार वर्षों में क्रियान्वित की जाएगी तथा परियोजना की अनुमानित लागत 206 लाख नार्वे क्रोनर्स अर्थात् 300 लाख रु० होगी। इस चरण पर हमने नार्वे को प्रारूप समझौता भेजा है, जैसे ही प्रारूप समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, परियोजना का क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुछ विलम्ब हुआ है क्योंकि यह बातचीत 1980 में शुरू हुई थी किन्तु तब इसमें कुछ मतभेद था। भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों को यह मामला भेजा गया था। उस समय इसमें कुछ शर्तें और लगाई गई थीं। अब सब कुछ ठीक हो गया है तथा हमें आशा है कि परियोजना का शीघ्र कार्यान्वयन आरम्भ हो जाएगा।

श्री चिन्तामणि जेना : क्या मन्त्री महोदय यह बताएंगे कि यह सही है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद समाज के सबसे गरीब वर्ग अर्थात् मछुआरों को सबसे अधिक लाभ होगा ? यदि हां, तो इस परियोजना से इस क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को लाभ होगा ? क्या यह सही है कि इस परियोजना से विदेशी मुद्रा आएगी ? यदि हां तो परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे तथा इस परियोजना से कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की आशा है ?

सरदार बूटा सिंह : इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि होने से लाभ होगा। आस-पास के विभिन्न गांवों को जोड़ने के लिए कई सड़कें बनाई जाएंगी। पारम्परिक ढंग से मछली पकड़ने वाले मछुआरों को मदद मिलेगी। इससे प्रशीतन संयंत्र, कोल्ड स्टोरेज लगाने तथा विपणन की स्थिति सुधारने, पीने का पानी उपलब्ध करने, मछली संसाधन सैण्टर मछली पकड़ने के घाटों के निर्माण में मदद मिलेगी तथा मछुआरों की स्थानीय जनसंख्या को मकानों तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं मिलेंगी। इससे इस क्षेत्र के मछुआरों को काफी मदद मिलेगी। जैसे ही इस समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। हम इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर गम्भीरतापूर्वक काम करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : देश में मात्स्यिकी उद्योग की सबसे बड़ी कमजोरी है एक किस्म अर्थात् झींगों का जरूरत से ज्यादा शोषण । बाड़ा बनाकर झींगों के विकास की परियोजना देश में है जो कि असफल रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस परियोजना (नार्वे) के अन्तर्गत ऐसी कोई प्रणाली अपनाई जाएगी जिससे कि बाड़े में झींगों का विकास हो सके ।

सरदार बूटा सिंह : यह मुख्यतः पारम्परिक ढंग से मछली पकड़ने वाले मछुआरों, जिनकी संख्या बहुत अधिक है, के लिए होगी। इनके मछली पकड़ने के लिए उपकरण बहुत मामूली हैं तथा कोई विपणन व्यवस्था नहीं है । जो भी मछली वह पकड़ते हैं, उसे उसी दिन बाजार ले जाने के लिए मीलों दूर ले जाते हैं । यह छोटे मछुआरों के लिए है तथा झींगा मछली भी पारम्परिक मछुआरों द्वारा पकड़ी जाती है पर अधिकतर झींगा मछली गहरे समुद्र से पकड़ी जाती हैं । इसलिए इतना तो नहीं हो पायेगा परन्तु साथ ही साथ हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि इस क्षेत्र के खारे पानी में टैंकों में झींगा मछली उत्पादन किया जाये तथा यह योजना तैयार होने वाली है ।

डा० वी० वेंकटेश : इस देश में आम आदमी को प्रोटीन नहीं मिलता है । मछली प्रोटीन का प्रमुख साधन है, परन्तु दुर्भाग्यवश इस देश में मात्स्यिकी विकसित नहीं है इसलिए भारत जैसे विकासशील देश के लिए इसका उत्पादन व उत्पाद पर्याप्त नहीं है । प्रोटीन का सबसे अच्छा साधन होने के नाते देश के आम आदमी को मछली सप्लाई पहुंचाने के लिए मंत्री महोदय क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

सरदार बूटा सिंह : यद्यपि यह प्रश्न से संबंधित नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले से ताल्लुक रखता है, फिर भी मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि संतुलित आहार, जिसमें मछली व दूध भी शामिल है, प्रदान करने की आवश्यकता है । हम कृषि संबंधी नीति के द्वारा इस समस्या को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम यह बताएंगे कि देश में दूध और मछली खपत बढ़ाने के लिए हम क्या प्रयत्न कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप हमें आमिष-भोजी बनाना चाहते हैं ?

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बस्तर के लोगों के लिए ऋण तथा अन्य सुविधाएं

*288. **श्री कमल नाथ**† :
श्रीमती उषा चौधरी :

क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बस्तर के अत्यधिक निर्धन लोगों के लाभार्थ एक विशेष योजना तैयार की जा रही है, जिससे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें ऋण और अन्य सुविधायें मिल सकें;

(ख) यदि हां, तो इस नई योजना की रूपरेखा क्या है; और

(ग) योजना को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) बस्तर के निर्धन व्यक्तियों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण तथा अन्य सुविधाएं पहले से ही दी जा रही हैं। समन्वित ग्रामीण विकास के अन्तर्गत कोई विशेष योजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री कमल नाथ : 15 जुलाई को प्रधान मन्त्री ने, जब वे बस्तर में थे, कहा था कि जन-जातियों के लिए एक विशेष योजना बनाई जा रही है। उसी के आधार पर मैंने यह प्रश्न उठाया है। मेरे पास सभी प्रेस कतरनें हैं जिनसे यह पता चलता है कि प्रधान मन्त्री ने सार्वजनिक सभा में ये वक्तव्य दिया था, यह बात संवाददाता सम्मेलन में नहीं कही गई, न यह ये निजी वक्तव्य था। इस बात का भली प्रकार प्रचार किया गया था कि जन-जातियों के लिए विशेषकर बस्तर में एक विशेष योजना बनाई जा रही है। संभवतः माननीय मन्त्री महोदय को प्रधानमंत्री के वक्तव्य के विषय में मालूम नहीं है क्योंकि वे बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि इस प्रकार की कोई विशेष योजना नहीं है और अगर दूसरे प्रश्न के लिए उनका कहना है इसका प्रश्न ही नहीं उठता'। अतः मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान प्रधान मंत्री के वक्तव्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और जो मैंने उन्हें बताया है उसके आधार पर उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई योजना बनाई जाएगी ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की सूचना सर्वथा गलत है और मैं नहीं जानता कि वे क्या पढ़ रहे हैं। उन्होंने जानबूझकर या अनजाने ही माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर को समझा नहीं है। मंत्री महोदय ने बड़े ही स्पष्ट रूप से कहा है, "समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बस्तर के लिए कोई विशेष योजना नहीं है, और वे बिल्कुल सही कह रहे हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई विशेष योजना नहीं है। बस्तर में मैंने जो कुछ कहा, वह बस्तर के लिए एक विशेष योजना के विषय में था जो कि राज्य योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा आरंभ की जानी है और वह आरम्भ की जा रही है।

श्री कमल नाथ : मेरा प्रश्न केवल बस्तर से सम्बन्धित है। मेरे विचार से माननीय मंत्री जी ने मेरा प्रश्न नहीं पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि मैंने उनका उत्तर जाने अथवा अनजाने नहीं समझा है। मेरा प्रश्न विशेष रूप से बस्तर से सम्बन्धित है और यदि वे प्रश्न को पुनः पढ़ेंगे तो देखेंगे :—

> "क्या मध्य प्रदेश में बस्तर के अत्यधिक निर्धन लोगों के लाभार्थ एक विशेष योजना तैयार की जा रही है, जिससे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें ऋण और अन्य सुविधाएं मिल सकें"

प्रैस में जो प्रचार हो रहा है वह वही है जो प्रधान मंत्री ने कहा था कि ये भी समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत है। यदि विशेष योजना में से समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सम्मिलित नहीं तो क्या इसका अर्थ यह है कि योजना में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शामिल नहीं किया गया। इस योजना के अन्तर्गत विकास के कुछ अन्य पहलुओं पर विचार किया गया है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : जो कुछ माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है वह समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अतिरिक्त होगा। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम वही रहेगा और बस्तर में इसका सक्रिय रूप से कार्यान्वयन किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती उषा चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि यह सवाल केवल बस्तर के लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी जगह समस्याएं हैं। राजीव जी ने जो उस क्षेत्र का दौरा किया, उससे प्रशासन को और हम सब लोगों को एक संकेत मिला है कि हम दिल से अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे हैं।

अध्यक्ष महोदय : काम नहीं करोगे तो पकड़े जाओगे।

श्रीमती उषा चौधरी : मेरी कांस्टीट्वेंसी में नेलघाट क्षेत्र है जो बस्तर जैसा पिछड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में इनके लिए जो दो परसेंट रिजर्वेशन रहता है, वहां तक भी ये लोग नहीं पहुंच पाते। नेशनलाइज्ड बैंक भी दिल से ट्राइबल एरियाज में नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मैं समझती हूं कि आई० आर० डी० पी० प्रोग्राम में और सुविधाएं देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की रिपोर्ट है 1983-84 की, उसमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के बारे में जो अध्ययन और सर्वेक्षण किया है, उसमें भी उन लोगों ने कई सुझाव दिए हैं कि वहां पर सुविधाओं का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं छोटा-सा सवाल पूछना चाहती हूं कि आदिवासियों को यह भी मालूम नहीं रहता कि उन पर कितना लोन बकाया है। कई बार तो 5-10 रुपए उकाया होता है और बनको लोन नहीं मिल पाता। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि पुराने कर्ज होने के बावजूद लम्बी अवधि का कर्जा आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत उनको सरकार द्वारा दिया जाएगा या नहीं। इस बारे में मैं माननीय मन्त्री महोदय की राय जानना चाहती हूं।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : जहां तक आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत पैसा देने का सवाल है, इसमें कई लोग पावर्टी लाइन को क्रास नहीं कर सके हैं, इसलिए उनको फिर से कर्ज देने का तय किया है। दूसरी बात यह है कि पहले जो पैसा दिया जाता था वह कम था और उससे पावर्टी लाइन को क्रास करने में लोगों को कठिनाई होती थी। अब उसको तीन हजार से बढ़ाकर 6 हजार कर दिया गया है। आपने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनको ध्यान में रखकर तीन हजार से 6 हजार कर दिया गया है और जो पुराने बेनीफिशरीज हैं, उनको भी पैसा दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यपु रेड्डी : क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री ने हाल ही के अपने राजस्थान दौरे के समय कहा था कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और एम० आर० ई० पी० कार्यक्रमों को पुनः बनाया जा रहा है ताकि निर्धन लोगों में से निर्धनतम व्यक्तियों को सहायता दी जा सके और यदि ऐसा है तो किस आधार पर उन्हें पुनः बनाया जा रहा है अथवा क्या मन्त्री महोदय प्रधान मन्त्री के निदेशों के अनुसार इन कार्यक्रमों में प्रस्तावित परिवर्तनों के सम्बन्ध में इस सत्र को समाप्ति से पहले एक वक्तव्य देंगे ?

सरदार बूटा सिंह : आई० आर० डी० पी० और एन० आर० ई० पी० को एक नया आकार दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् हमने कार्यक्रमों में कुछ नए विशेष आकर्षण जोड़ दिए हैं और वे इस प्रकार हैं—

1. हम प्रत्येक परिवार पर अपेक्षाकृत उच्च निवेश का प्रयास करेंगे, जिसमें एकमुश्त सहायता शामिल है जिससे कि निवेश की उचित वापसी सुनिश्चित हो सके।

2. छठी योजना के दौरान जिन परिवारों को सहायता दी गई थी और जो बिना किसी अपने दोष के गरीबी रेखा पार नहीं कर सके, इन्हें अनुपूरक सहायता देना।

3. गरीबी समरूपता सिद्धान्त के स्थान पर आपतन पर आधारित चयनात्मकता का सिद्धान्त अपनाया गया है।

4. लाभभोगियों की पहचान करने के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों को और अधिक सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

5. इस कार्य के लिए जिला स्तर पर निकायों की पहचान अथवा जिला आपूर्ति और बाजार केन्द्रों की स्थापना द्वारा सम्पर्कों में सुधार का प्रयास।

6. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक महिला लाभभोगियों को लाना। इस समय महिलाओं के लिए कोई विशेष आबंटन नहीं है। हमारा प्रस्ताव यह है कि लाभभोगियों में से 30% महिलाएं होनी चाहिए।

7. संयुक्त ग्रामीण प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से प्रशिक्षण प्रयासों में उचित समन्वय होना चाहिए।

8. प्रशासनिक व्यवस्था की देखभाल के लिए जिला स्तर और खण्ड स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की गई है। यह इस पर ध्यान देगी।

9. बैंकों के कार्यकरण में विशेष रूप से निचले स्तर पर सुधार।

10. लाभभोगियों में जागरूकता के लिए बेहतर वातावरण बनाना और प्रचार अथवा शैक्षणिक उपायों द्वारा उनका उचित संगठन।

ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी दूर करने के लिए इन अत्यन्त प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए यही मुख्य मुद्दे हैं।

यह सभा वास्तव में प्रधान मन्त्री महोदय की बहुत आभारी है क्योंकि वे ऐसे लाभभोगियों से मिले जिनकी ओर गांव स्तर के कार्यकर्त्ताओं का अभी ध्यान भी नहीं गया था और इस तरह उन्होंने कार्यक्रम को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : क्या आप इस सत्र की समाप्ति से पहले इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही वक्तव्य दे दिया है। आप और अधिक क्या चाहते हैं ? यह लिखित रूप में है।

श्री जी० जी० स्वैल : मन्त्री महोदय को निश्चित रूप से इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि विभिन्न राज्यों में दूरदराज के स्थानों की यात्रा करते समय प्रधान मन्त्री ने विचार व्यक्त किया था कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच सके जो वास्तव में इसके अधिकारी थे···

श्री राजीव गांधी : ऐसा मैंने कहीं पर भी नहीं कहा है।

श्री जी० जी० स्वैल : ठीक है, मैं जानकारी सही कर लेता हूं। मन्त्री जी को, प्रधान मन्त्री द्वारा कुछ दिन पहले की गई नीति सम्बन्धी घोषणा के विषय में मालूम होगा कि उन्होंने कहा था कि संसद सदस्यों और केन्द्रीय एजेन्सियों को विभिन्न राज्यों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कार्यान्वयन एवं निगरानी रखने के बारे में सम्बद्ध किया जाएगा। प्रधान मन्त्री के इस नीति सम्बन्धी वक्तव्य को ठोस आकार देने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं ? दूसरे, आपके लिखित वक्तव्य में यह कहा गया है कि विभिन्न राज्यों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के निष्पादन में सम्पूर्ण रूप से तो नहीं किन्तु बहुत से अध्ययन किए गए हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मेघालय में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन बहुत ही कम हुआ है। क्या आप इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन करने जा रहे हैं ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : अन्तिम प्रश्न का पहले उत्तर देते हुए, मैं कहना चाहूंगा कि मेघालय में वास्तव में इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन उतना अच्छा नहीं रहा जितना हम चाहते थे।

प्रधान मन्त्री लाभभोगियों से सीधे ही मिलते रहे हैं और बातचीत करते रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमने यह भी सोचा है यह हम सभी की जिम्मेदारी है ताकि निगरानी रखने की एक बेहतर पद्धति होनी चाहिए और हम एक बहुत ही प्रभावकारी निगरानी पद्धति बना रहे हैं ?

श्री जी० जी० स्वैल : क्या आप इसमें संसद सदस्यों को शामिल कर रहे हैं।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकार : हम विभिन्न समूहों को सम्बद्ध करेंगे।

श्री राजीव गांधी : मैं उस टिप्पणी को स्पष्ट करूंगा। मैंने यह कहा था कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से निर्धनतम लाभभोगियों को पर्याप्त फायदा नहीं पहुंचा और यह बात हमें अनुभव से मालूम पड़ी है। उन लाभभोगियों ने, जो बहुत अधिक निर्धन नहीं हैं, लाभ प्राप्त किया है और गरीबी रेखा से ऊपर उठने के काबिल हो सके हैं, किन्तु जैसा कि अभी-अभी मन्त्री महोदय ने कहा है, कि जो निर्धनतम हैं वे केवल कार्यक्रम की एक ही किस्त से ही गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ सकते, और इसीलिए हमने कार्यक्रम में संशोधन किया है ताकि निर्धनतम लोग कार्यक्रम की केवल एक किस्त से ही गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० के प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं। इनमें प्रत्येक मजदूर को प्रतिदिन एक किलो अनाज देने का प्रावधान है। पांच-पांच या छह-छह महीने हो गए अभी तक मध्य प्रदेश में उनको गल्ला नहीं मिल पाया है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस अव्यवस्था को कैसे दूर करेंगे। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एफ० सी० आई० में भी गल्ला रहता है। लेकिन वहां पर लैम्प्स के माध्यम से भी गल्ला वितरण का प्रावधान है। कभी-कभी एफ० सी० आई० वाले यह कह देते हैं कि हमारे पास गल्ला नहीं है, लेकिन लैम्प्स भी यहां पर ठीक से वितरण नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में इन दोनों प्रोग्रामों के अन्तर्गत अभी तक गल्ला वितरित नहीं हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसको आप कब तक दिलवा देंगे।

श्री चन्दूलाल चंद्राकर : जहां तक आर० एल० ई० जी० पी० और एन० आर० ई० पी० के जरिए से जो अनाज दिया जाता है उसमें फूड कारपोरेशन का कोई ऐसा दोष नहीं है। हम डाइरेक्टली हरेक स्टेट को अनाज अलाट करते हैं कि इन दोनों प्रोग्रामों के अन्तर्गत राज्यों में जितना अनाज जा रहा है, उसका उपयोग कीजिए। जैसा आपका ख्याल है कि पहले एक किलो दिया जाता था, अब उसको दो किलो कर दिया गया है। यदि उन्हें आवश्यकता हो तो इन दोनों प्रोग्रामों के अन्तर्गत राज्यों को और भी अनाज दिया जा सकता है। इसलिए अनाज की उनको कमी नहीं होगी। जहां तक वितरण व्यवस्था की बात है, मुझे सदस्य महोदय स्पेसिफिक रूप से कोई गांव या ब्लाक बता दें जहां पर पांच-पांच या छह-छह महीने से गल्ला नहीं मिला है तो निश्चित रूप से पूरी जानकारी प्राप्त करूंगा और इंक्वायरी कराकर आपको स्वयं जानकारी दे दूंगा।.....(व्यवधान)

[हिन्दी]

पत्रकारों द्वारा विशेष सुविधाएं

*291. श्री राम प्यारे सुमन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पत्रकारों को कुछ विशेष सुविधाएं देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा पत्रकारों को गत तीन वर्षों के दौरान क्या सुविधाएं दी गई हैं और क्या ये सुविधाएं उनको पूरी तरह दी जा रही हैं और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकार प्रत्यायित प्रेस संवाददाताओं को उनके कामकाज में सहायता करने के लिए निम्नलिखित सुविधायें दे रही है :

1. पत्र सूचना कार्यालय की प्रेस सामग्री की सप्लाई।
2. प्राधिकृत नीति स्रोतों के साथ भेंटवार्ताओं की व्यवस्था।
3. प्रेस सम्मेलनों/ब्रीफिंगों में आमंत्रण।
4. सन्दर्भ पुस्तकों तथा समाचार-पत्रों को देखने के लिए प्रेस बांच तथा पुस्तकालय का उपयोग।
5. प्रेस प्रायोजित यात्राओं में शामिल करना तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत पत्रकारों का आदान-प्रदान।

6. राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री की विदेश यात्राओं में संवाददाताओं को शामिल करना ।

7. अति विशिष्ट व्यक्तियों/अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, व्यापार मेलों आदि के अवसर पर स्थापित प्रेस कक्षों का उपयोग ।

8. शपथ ग्रहण समारोह, गणतंत्र दिवस/स्वाधीनता दिवस जैसे महत्वपूर्ण समारोहों तथा अन्य उन महत्वपूर्ण घटनाओं, जिनमें राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री उपस्थित हों, के दौरान सुविधाएं ।

9. प्रत्यायन कार्ड जारी करना।

10. टेली फोनों के प्राथमिकता आधार पर आबंटन के लिए आवेदन पत्रों का अग्रेषण ।

11. सरकारी प्रेस पूल आवास, यदि उपलब्ध हों, से आवास का प्रावधान (केवल भारतीयों के लिए) ।

12. व्यावसायिक दौरों के लिए रेलवे रियायती कूपन दिए जाने के लिए प्रमाण-पत्र जारी करना ।

13. बहु-यात्रा बीजों सहित बीजों को जारी करने, पत्रकारिता कार्य के लिए यात्रा करने वाले संवाददाताओं के मामले में विदेशी मुद्रा जारी करने से सम्बन्धित प्रक्रियाओं को जल्दी पूरा करवाने में सहायता ।

14. पत्र सूचना कार्यालय के शाखा कार्यालयों और/या राज्य सरकारों के माध्यम से विभिन्न राज्यों की परियोजनाओं की यात्राओं की व्यवस्था करना ।

15. अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्राओं के दौरान संवाददाताओं तथा कैमरामैनों के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रबन्ध ।

16. कैमरामैनों के बारे में कोरी फिल्मों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने तथा कस्टम निकासी में सहायता करना ।

17. प्रेस दीर्घा संसद की कार्यवाहियों को देखने की सुविधायें ।

18. उन विदेशी संवाददाताओं, जो भारत सरकार के मुख्यालय में प्रत्यायित हैं, के लिए विदेशी कारों का आयात ।

19. सदस्यता के लिए केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय को आवेदन पत्रों का अग्रेषण ।

20. केन्द्रीय सरकार ने 4-3-85 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से प्रत्यायित प्रेस कैमरामैनों को फोटोग्राफिक कैमरों और सिनेमाटोग्राफिक कैमरों तथा इस प्रकार के कैमरों के साथ उपयोग होने वाले लैंसों, फिल्टरों, फ्लैश लाइट उपकरणों तथा एक्सपोजर मीटरों को भारत में आयात करने पर उन पर लगने वाले सम्पूर्ण सीमा शुल्क से छूट देने की सुविधा दी है, बशर्ते कि उक्त अधिसूचना की वैधता की अवधि के दौरान अर्थात् 31-3-88 तक कुल मूल्य 30,000 से अधिक हो ।

सरकार को कोई नई सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में इस समय विचार नहीं कर रही है ।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन : अध्यक्ष महोदय, स्वस्थ समाज की संरचना में और उपलब्धियों की जानकारी जनमानस तक कराने में पत्रकार साथियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। माननीय मन्त्री जी ने जो विवरण सभा पटल पर रखा है, उसको देखने से ज्ञात होता है कि इसमें से 95 फीसदी सुविधाएं जो बड़े शहरों में हमारे पत्रकार साथी हैं, वे ही इसका लाभ उठा रहे हैं। जो तहसील, ब्लाक और जिला स्तर पर गांव के अंचलों में फैले हुए पत्रकार हैं, वे इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि गांव के अंचलों में जो पत्रकार हैं उन तक इन सुविधाओं को आप पहुंचायेंगे या नहीं और पहुंचायेंगे तो कब तक और किस प्रकार। तहसील, ब्लाक और जिला स्तर पर जो पत्रकार हैं उनको सुविधाएं किस प्रकार पहुंचायी जायेंगी, मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, कुछ सुविधायें जो बड़े शहरों में पत्रकारों या प्रेस संवाददाताओं को उपलब्ध कराई गई हैं, वह ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में भी उपलब्ध हैं। यह सच है कि आवासीय प्लाट जैसी सुविधायें केवल बड़े नगरों में, जहां आवास समस्या है, उपलब्ध कराई गई हैं, लेकिन सामग्री, फोटोग्राफ, ब्लाकों और विभिन्न अन्य वस्तुओं की सप्लाई की सुविधा इस समय छोटे स्थानों, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे समाचारपत्रों को भी उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक यह है कि पत्रकार का कार्य बहुत ही जिम्मेदारी का है और इस जिम्मेदारी के कार्य के उचित निर्वहन में चाहे अनचाहे कभी-कभी ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे बार-बार यह बात उठती है कि इसके लिए कोई न कोई आचार-संहिता बननी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसी किसी आचार-संहिता पर विचार कर रही है, या कोई सुझाव पत्रकार साथियों को ऐसा करने को दे रही है, अगर हां, तो उसका विवरण क्या है और उस पर कब तक कार्यान्वयन किया जाएगा ?

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : मैं माननीय सदस्य का इस मामले को उठाने के लिए अत्यन्त आभारी हूं क्योंकि इसमें कुछ गलतफहमी थी। राज्यों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन से पहले विभिन्न राज्य सरकारों के सूचना विभागों के सचिवों तथा प्रचार निदेशकों की एक बैठक हुई थी। उन्होंने मन्त्रियों के सामने एक यह सिफारिश भी की थी कि सरकार को राज्य सरकारों से परामर्श करके एक प्रारूप संहिता तैयार करनी चाहिए। मैंने स्वयं सुझाव को अस्वीकार किया है और मैंने कहा है न तो राज्य सरकार को और न ही केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में पहल करनी चाहिए। मेरा कहना यह था कि संहिता के लिए पहल प्रेस से की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रेस परिषद् संभव मंच हो सकता है क्योंकि प्रेस परिषद् अधिनियम में लगभग एक आदेशात्मक उपबंध है कि प्रेस परिषद् को संहिता तैयार करने में सहायता करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गांवों में या तहसीलों में जो पत्रकार हैं और भारत सरकार या राज्य सरकारों ने उनके लिए जो सुविधाएं समारोहों में आने के लिए दे रखी हैं, उसके अन्तर्गत जो पत्रकार भाई देखने आना चाहते हैं, उसके लिए इस मन्त्रालय ने क्या सुविधाएं दी हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा लगता है कि उसके लिए कोई खास सुविधाएं नहीं हैं, देहात के लोगों को कुछ मालूम नहीं होता जब वे पत्रकार बन जाते हैं, तब उन्हें मालूम होता है, तो उसके लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : कुछ परिस्थितियों एवं स्थितियों में रेल मन्त्रालय द्वारा सुविधाएं दी गई हैं जिन्हें पत्रकारों को भी दिया गया है और वे पहले ही विद्यमान हैं। मैं पहले ही इनका विवरण दे चुका हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बैरागी होने के बाद भी आप कुछ चाहते हैं ?

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सूचना मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो आप सुविधाएं देने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप हिन्दी की दो समाचार एजेंसियों को पूरी तरह से बन्द करने जा रहे हैं, समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार, तो इनके बारे में ताजातम और परिवर्तित निर्णय क्या हैं और दूसरा प्रश्न यह है कि इन सब सुविधाओं के बावजूद गांवों में पत्रकारों की पिटाई हो रही है, इसमें केन्द्रीय सरकार कुछ हस्तक्षेप कर सकती है, इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : जहां तक इस प्रश्न के बाद के भाग का संबंध है वह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। हम केवल उन्हें सलाह दे सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं और उनसे सूचना ले सकते हैं कि क्या किसी पक्षकार को सम्बद्ध किया गया है और उन्हें क्या संरक्षण दिया गया है। जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, प्रश्न ही नहीं उठता। मैं इस अवसर पर सभा को यह बताना चाहता हूं कि हिन्दी समाचार एजेंसी का प्रश्न बहुत जटिल है। एक तरफ तो सरकार यह स्पष्ट रूप से समझती है कि सरकार कोई एजेंसी आरम्भ करना नहीं चाहती और न ही अपने आपको किसी प्रबन्धमंडल अथवा हिन्दी या अन्य किसी एजेंसी में शामिल करना चाहती है। साथ ही राष्ट्र की अपनी कोई हिन्दी अथवा भाषा एजेंसी होनी चाहिए। इसलिए इस सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहिए ? द्वितीय प्रेस आयोग ने सिफारिश की है कि वी० टी० आई० की तरह हिन्दी के दैनिकों, साप्ताहिकों और अन्य प्रकाशनों के मालिकों और संपादकों को आगे आना चाहिए और एक संगठन बनाना चाहिए। इससे संकेत लेकर मैंने कुछ थोड़ी-सी पहल की है, हिन्दी और अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों के सभी प्रमुख मालिकों और संपादकों को बुलाया है; मैंने उनके साथ एक बैठक का आयोजन किया था। उन्होंने श्री रामनाथ गोयन का की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और उस समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मैं उस रिपोर्ट के विस्तार में नहीं जाऊंगा। इसमें संक्षेप में बताया गया है कि नई

एजेंसी शुरू करने के लिए उन्हें 3 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी और वह उस राशि की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं हैं। मैं उस रिपोर्ट पर विचार कर रहा हूं। यदि ऐसी स्थिति हो तो अगला विकल्प क्या हो। इस पर हम बाद में विचार करेंगे लेकिन इस समय स्थिति यह है कि वे राशि बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मंत्री महोदय ने पत्रकारों की आचार-संहिता के बारे में चर्चा की है। यह मामला बहुत रोचक बन गया है। इस विषय से प्रेस और साथ ही जनता का मानस विक्षुब्ध होना रहा है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा; क्या वह पत्रकारों के लिए आचार-संहिता का समर्थन करते हैं? क्या इस आचार-संहिता को शामिल करने के लिए स्वयं पत्रकारों और प्रेस परिषद् की ओर से कुछ किया गया है?

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, इस सम्बन्ध में मेरी राय की कोई अधिक संगति नहीं है। इस गौरवमयी सभा ने एक अधिनियम पास किया है जिसे प्रेस परिषद् अधिनियम कहा जाता है, जिसके अन्तर्गत संहिता तैयार करने की जिम्मेदारी प्रेस परिषद् पर डाली गई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि सरकार को संहिता के निर्माण में पहल नहीं करनी चाहिए।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि कर्नाटक जैसी कुछ राज्य सरकारें सेवानिवृत्त पत्रकारों को पेंशन दे रही हैं क्योंकि हम पत्रकारों से बहुत अधिक आशा करते हैं लेकिन जब वह वृद्ध हो जाते हैं और सेवानिवृत्त हो जाते हैं उन्हें अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ती है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार सेवानिवृत्ति के बाद पत्रकारों को पेंशन देने पर विचार करेगी और यदि नहीं तो क्या सरकार उन राज्य सरकारों की सहायता करेगी जो पत्रकारों को पेंशन देने के लिए आगे आएंगी।

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, इस समय मैं केवल यह कह सकता हूं कि मुझे केरल सरकार से कुछ सामग्री प्राप्त हुई है और प्रथम वाचन से यह पता चलता है कि जो योजना उन्होंने अपनाई है वह बहुत अच्छी है। इस योजना और अन्य राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं का अध्ययन करने के बाद संभवतः मैं सभी राज्य सरकारों को पत्रकारों के लिए पेंशन की इस योजना को अपनाने का सुझाव दे सकता हूं।

पश्चिम बंगाल में दूरदर्शन व्यवस्था का विस्तार

*294. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पश्चिम बंगाल में दूरदर्शन व्यवस्था का विस्तार करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन की सातवीं योजना स्कीमों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में टी० वी० नेटवर्क के विस्तार के लिए कौन से प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : स्टेटवाइज बता दीजिए।

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, मेरी समस्या यह है कि मुझे यह ज्ञात नहीं है कि सातवीं योजना में कितनी धनराशि स्वीकृत की जाएगी। यह मानकर कि हमें अमुक राशि स्वीकृत की जाएगी। हम लगभग 64 कम शक्ति वाले तथा लगभग 10 उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाना चाहते हैं। हम अपनी आशा के अनुसार राशि प्राप्त करेंगे। यदि हमें अधिक राशि प्राप्त हुई, संभवतः इन्हें बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस समय मेरे लिए यह कहना संभव नहीं होगा कि हम 'क' स्थान पर कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर और 'ख' स्थान पर उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगा रहे हैं क्योंकि यदि आज मैं भुगतान कर देता हूं और कल को धनराशि की स्वीकृति नहीं मिलती तो यह सभा को गुमराह करने वाली बात होगी। इसलिए, इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि संभवतः पश्चिम बंगाल सबसे अधिक भाग्यशाली राज्य है जिसकी जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत दूरदर्शन में कार्यक्रमों के अन्तर्गत आता है।

(व्यवधान)

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, बेहरानपुर, आसनसोल और बोलापुर जैसे कुछ दूरदर्शन केन्द्र केवल दिल्ली केन्द्र द्वारा प्रसारित कार्यक्रम रिले कर सकते हैं। लेकिन वह अपने कलकत्ता केन्द्र से प्रसारित कार्यक्रम प्रसारित नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह क्या कदम उठाने जा रहे हैं जिससे पश्चिम बंगाल के सभी टी० वी० केन्द्र कलकत्ता टी० वी० केन्द्र से कार्यक्रम रिले कर सकें।

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, जैसा कि मैंने सभा में पहले एक अवसर पर बताया था कि इस प्रकार के कार्यक्रम जैसे कलकत्ता से पूरे बंगाल में अथवा बंगलौर से पूरे कर्नाटक अथवा बम्बई से पूरे महाराष्ट्र को केवल तभी प्रसारित किए जा सकते हैं यदि हमारे पास दो विकल्पों में से एक हो जिसे तकनीकी भाषा में अगले उपग्रह में अतिरिक्त ट्रांसपाउंडर कहा जाता है, अथवा इन स्टेशनों के बीच माइक्रोवेव संयोजन। सातवीं योजना में हम जो प्रस्ताव रख रहे हैं वह यह है कि कुछ राज्यों में माइक्रोवेव संयोजन स्थापित किए जाने चाहिए और कुछ राज्यों को ट्रांसपाउंडर के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। अब, क्या हम यह कर पाने में समर्थ होंगे यह इस पर निर्भर करता है कि दूरसंचार मंत्रालय के लिए कितनी राशि उपलब्ध होगी। यदि यह मंत्रालय कुछ स्थानों पर माइक्रोवेव संयोजन उपलब्ध कराने की स्थिति में है—उदाहरण के लिए, अब कलकत्ता से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली और बम्बई से दिल्ली के लिए माइक्रोवेव संयोजन उपलब्ध है। लेकिन अन्य स्थानों के सम्बन्ध में, मद्रास से कोदाईकनाल स्वीकृत किया गया है, यह स्थापित किया जा रहा है। अतः, यह सब हमें उपलब्ध एक या दोनों विकल्पों पर निर्भर होंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां : अध्यक्ष महोदय, क्या राजस्थान के झुंझुनू इलाके में कभी

टी० वी० सेंटर खुलेगा या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : हर्ष के पहाड़ से कभी टी० वी० सेंटर लगेगा या नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तसल्ली के लिए हां तो कह दो।

[अनुवाद]

श्री वी० एन० गाडगिल : संसाधनों और उपकरणों की उपलब्धता के अध्याधीन होकर ही मेरा उत्तर 'हां' होगा।

राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता निधिकरण निगम

*295. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 में आयोजित राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में "हुडको" की तरह एक राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता निधिकरण निगम स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस प्रकार का कोई अभिकरण गठित किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए सातवीं योजना में कितनी धनराशि आबंटित करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 20 जुलाई, 1984 को नई दिल्ली में आयोजित जलपूर्ति तथा स्वच्छता के प्रसारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन ने शहरी स्वच्छता के लिए अलग से किसी वित्तीय संस्था की सिफारिश नहीं की है। तथापि, सम्मेलन ने जलपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए हुडको के प्रतिमान (पैटर्न) पर एक वित्तीय संगठन की स्थापना की सिफारिश की है।

(ख) और (ग) अभी तक ऐसी कोई एजेंसी स्थापित नहीं की गई है। तथापि, जलपूर्ति तथा स्वच्छता सेवाओं सहित शहरी अधःसंरचनात्मक विकास के लिए वित्तीय संस्था की स्थापना का प्रश्न जांच की प्राथमिक अवस्था में है। इसलिए सातवीं योजना में इस प्रयोजनार्थ किए जाने वाले प्रावधान को अभी निश्चित नहीं किया गया है।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, दुर्भाग्यवश, सम्बद्ध माननीय मन्त्री महोदय उपस्थित नहीं हैं। क्या मैं अब निर्माण और आवास मन्त्री से एक बार फिर अधिकारी वर्ग के साथ तथ्य को जांचने का अनुरोध कर सकता हूं क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी मिली है कि 20 जुलाई, 1984 को तीन प्रस्ताव रखे गए थे ? इनमें से एक जल आपूर्ति के लिए अलग बजट शीर्ष और स्वच्छता के लिए अलग बजट शीर्ष बनाना था। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इस समय जल आपूर्ति और सफाई प्रबन्ध के लिए धनराशि इकट्ठी दी जाती है और यह सारी धनराशि सप्लाई पर खर्च हो जाती है और समाप्त कर दी जाती है और स्वच्छता के लिए कोई धनराशि शेष नहीं बचती। अतः आप कोई सफाई कार्यक्रम नहीं कर सकते। इसलिए, एक प्रस्ताव रखा गया था और 20 जुलाई को हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि सफाई प्रबन्ध के लिए जल

आपूर्ति से भिन्न बजट शीर्ष बनाया जाएगा।

दूसरा, एक प्रस्ताव मेरे सुझाव के अनुसार एक निगम स्थापित भी करने के लिए बनाया गया था। पहले उत्तर मिला था कि ऐसा निगम स्थापित किया जाएगा। अब इसके उत्तर में कहा गया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है।

तीसरे, नगर निगमों के मल व्यवस्था कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता देने के लिए अलग-अलग नगर निगमों को कुछ आर्थिक सहायता देने का सुझाव दिया गया था। लेकिन अन्य दो के लिए वचन दिया गया था। मैं समझता हूं कि उत्तर बेकार-सा दिया गया है। उन्होंने कहा था कि जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए वित्तीय संगठन गठित करने का प्रस्ताव था। लेकिन यह दोनों सप्लाई और स्वच्छता के लिए गठित नही किया जा सकता। यह एक अन्य के लिए होगा। इसलिए, यदि सफाई प्रबन्ध के लिए निगम बनाया जाता है, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में निगम स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव क्यों नहीं लिया गया है ?

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय माननीय सदस्य ने अधिकारी वर्ग के साथ पुनः स्थिति की जांच करने का सुझाव दिया है। मैंने आज प्रातः स्थिति की जांच की है। आपको मुझसे प्रश्न पूछने में कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि विषय मेरे लिए नया नहीं है। संयोगवश मैं इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं क्योंकि श्री गफूर उपस्थित नहीं हैं। आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं मैं सभी सम्भव जानकारी दूंगा। मैं निर्माण और आवास मंत्री के रूप में निर्माण और आवास मंत्रालय के इस विषय पर प्रश्नों का उत्तर देता रहा हूं।

मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह संकल्प, जिसे मंत्रियों के सम्मेलन में पारित किया गया था, मेरे पास है और इसमें यह बात कही गई है। मैं आपको संकल्प की सही-सही भाषा बता सकता हूं। लेकिन जब मामला योजना आयोग के पास पहुंचा तो योजना आयोग ने कहा कि मंत्रालय केवल जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए ही निगम नहीं बनाना चाहिए बल्कि शहरी विकास के लिए भी निगम बनाना चाहिए जिसे कुछ सहायता अथवा सहयोग दिया जाना चाहिए। अध्ययन दल द्वारा कुछ प्रस्ताव रखे गए थे। अपेक्षित धन के सम्बन्ध में भी सुझाव दिए गए थे और अध्ययन दल ने कहा था कि ऐसा किया जाना चाहिए। निर्माण और आवास मंत्रालय ने इसका समर्थन किया था। किन्तु योजना आयोग ने कहा था कि शहरी विकास के लिए एक निगम होना चाहिए जिसमें स्वच्छता और अन्य चीजें शामिल होंगी। इसलिए मंत्रियों के सम्मेलन में यह सुझाव दिया गया था। निर्माण और आवास मंत्रालय ने इसका समर्थन किया था। अध्ययन दल ने इसका अध्ययन किया है लेकिन योजना आयोग सिद्धांत रूप से शहरी विकास निगम स्थापित करने के लिए सहमत हो गया है जिसमें जल आपूर्ति और स्वच्छता की आधारभूत व्यवस्थाएं और सुविधाएं भी शामिल होंगी। उसी सीमा तक मेरा उत्तर सही है। यह अभी ज्ञात नहीं हो सका है कि कितनी धनराशि दी जानी चाहिए। यही कारण है कि मैंने कहा है कि योजना आयोग में चर्चा चल रही है।

जहां तक शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता का संबंध है मैं यह नहीं कहता कि वह पर्याप्त है। इस संबंध में कोई निगम नहीं है। लेकिन छः या सात अन्य स्रोत हैं।

यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इससे व्यवस्था कहां से की गई है तो मैं उन्हें विस्तार से बता सकता हूं। मेरे पास पूर्व विवरण और आंकड़े उपलब्ध हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मानव स्वास्थ्य पर कीटनाशकों का प्रतिकूल प्रभाव

*287. श्री मोहन भाई पटेल :
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के प्रयास किए हैं कि कृषि प्रयोजनों के लिए कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) कीटनाशकों का प्रयोग करने से पहले सावधानियां बरतने के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) भारत में कृषि कीटनाशी दवाओं का अत्यधिक प्रयोग नहीं किया जाता है। देश में इस समय बहुत से अन्य देशों की तुलना में कीटनाशी दवाओं की बहुत कम खपत है। नीचे दी गई सारिणी में कुछ देशों में होने वाली खपत के उपलब्ध आंकड़े दिए गए हैं :—

देश	1982 में खपत का स्तर कि० ग्रा०/हैक्टार
भारत	0.295
इण्डोनेशिया	0.575
जापान	9.180
कोरिया गणराज्य	6.55
हंगरी	12.573
इटली	13.335
अमेरिका	0.615

2. भारत सरकार में भारतीय औषध अनुसंधान परिषद के तहत राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ जैसे विभिन्न संगठनों ने कीटनाशी दवाओं के विभिन्न विष विज्ञान पहलुओं के संबंध में अध्ययन किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ इन दवाओं का मनुष्य पर पड़ने वाला प्रभाव भी शामिल है। मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कीटनाशी दवाओं के सामान्य प्रयोग के प्रतिमान के अन्तर्गत अध्ययन किये जाते हैं और उनके अत्यधिक

प्रयोग के अन्तर्गत अध्ययन नहीं किये जाते ।

3. यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि यद्यपि सभी कीटनाशी अपनी प्रकृति से जहरीले होते हैं किन्तु यदि इनका युक्तिसंगत तरीके से तथा विस्तार से बताए गए निर्धारित अनुदेशों के अनुसार प्रयोग किए जाएं तो उसका कोई हानिकार प्रभाव नहीं होता है । कीटनाशियों का पंजीकरण करते समय सांविधिक पंजीकरण समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि सुरक्षा संबंधी पर्याप्त निर्देश निर्धारित किए जाएं तथा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि अपशिष्ट पदार्थों का स्तर सहनशीलता की निर्धारित सीमा के भीतर हो । कृषि में प्रयोग की जाने वाली कीटनाशियों की मात्रा, उनके उपयोग का तरीका, इस संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है । कीटनाशियों के डिब्बों के साथ सप्लाई किए जाने वाले पत्रकों और लेबुलों में छपे हुए अनुदेश इन अपेक्षाओं के भाग के रूप में होते हैं । किसानों में कीटनाशियों के उपयुक्त तौर पर तथा युक्तियुक्त तरीके से उपयोग किए जाने के संबंध में लाई गई सजगता से यह पाया गया है कि कुल मिलाकर कीटनाशियों का उपयोग निर्धारित अनुदेशों के अनुरूप किया गया है ।

4. कीटनाशी अधिनियम के तहत गठित की गई पंजीकरण समिति पंजीकरण कराने वाली कम्पनियों पर इस बात का जोर देती है कि वे कृषि संबंधी सामान्य पद्धति के अन्तर्गत कीटनाशियों के छिड़काव कार्यों में लगे कार्मिकों के स्वास्थ्य की जांच के संबंध में आंकड़े तैयार करें और उनको पंजीकरण समिति को प्रस्तुत करें । आंकड़ों की आवश्यकता पर काफी सख्ती से जोर दिया गया है तथा पंजीकरण समिति द्वारा इसकी ध्यानपूर्वक छानबीन की जाती है । ऐसे मौके आए हैं कि पंजीकरण समिति उसे प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से सन्तुष्ट नहीं हुई तथा उसने और अधिक भरोसेमन्द आंकड़े एकत्र करने की कोशिश करने पर जोर दिया । इस प्रकार से अपेक्षित आंकड़ों में कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा अन्य सरकारी/ख्यातिप्राप्त संस्थानों के माध्यम से भारत की विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों के अंतर्गत भिन्न-भिन्न प्राचलों से संबंधित हैं । यदि कोई विशेष कीटनाशी वनस्पति के लिए जहरीला पाया जाता है अथवा जिन कीटों अथवा रोगों के लिए इसका उपयोग किया जाना है, उसके लिए प्रभावी नहीं पाया जाता अथवा मानव और पशुओं के लिए सुरक्षित नहीं पाया जाता है तो पंजीकरण समिति ऐसे कीटनाशी का पंजीकरण करने से मना कर देती है । इसके अलावा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनों के आधार यदि किसी कीटनाशी दवा मानव, पशुओं अथवा पर्यावरण के किसी अन्य घटक पर अवांछनीय प्रभाव पाया जाता है तो पंजीकरण समिति उस विशेष कीटनाशी दवा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने अथवा अपनी सूची से बाहर निकालने का निर्णय ले सकती है । पंजीकरण समिति ने अभी तक 18 कीटनाशी दवाओं का पंजीकरण करने से इन्कार किया है अथवा पंजीकरण स्थगित किया है, दो को सूची से बाहर निकाल दिया है, अन्य दो के आयात की अनुमति नहीं दी है और दो कीटनाशी दवाओं के केवल सीमित उपयोग की अनुमति दी है ।

(ग) निम्नलिखित सावधानी और शैक्षिक कदम उठाए गए हैं :—

(1) कीटनाशी नियम 1971 के प्रावधानों के अन्तर्गत कीटनाशी दवाओं के निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे लेबल और पत्रक सुलभ कराएं जिनमें

निर्धारित सुरक्षा सावधानियां, विष फैलने के लक्षण, प्रथमोपचार तथा आपातकालीन उपचार इत्यादि के लिए अनुदेश दिए गए हों। अनुदेशों का अनुकरण करने में किसानों की सहायता करने हेतु इन्हें हिन्दी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा में मुद्रित किया जाता है कीटनाशी दवाओं के गलत प्रयोग करने के कारण होने वाले किसी संभव स्वास्थ्य संकट से बचने के लिए इन पत्रकों में उपयोग की अनुशसित मात्रा और पद्धति लिखी होती है।

(2) उपर्युक्त नियमों में यह प्रावधान भी किया गया है कि कीटनाशी दवाओं के निर्माण, मिश्रण, परिवहन, वितरण अथवा उपयोग के समय संबंधित व्यक्तियों की उचित सुरक्षात्मक वस्त्र अथवा श्वांस संबंधी यंत्रों इत्यादि से समुचित रूप से सुरक्षा की जाएगी।

(3) उपर्युक्त के अलावा, लेबल विभिन्न रंगों अर्थात् लाल, पीले, नीले और हरे जो विष की डिग्री दर्शाते हैं, में महत्वपूर्ण कोड त्रिकोण प्रदर्शित करते हैं। इससे अनपढ़ किसान को भी विशेष कीटनाशी दवा के संभावित संकट और उसके द्वारा अपनाई जाने वाले सुरक्षा के उपाय समझ में आ जाते हैं।

(4) हैदराबाद स्थित केन्द्रीय वनस्पति संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान वनस्पति संरक्षण के क्षेत्र में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के कार्मिकों को प्रशिक्षण दे रहा है। आगे ये प्रशिक्षार्थी किसानों को इसकी जानकारी देते हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कीटनाशी दवाओं के सुरक्षित उपयोग पर पर्याप्त बल दिया जाता है।

(5) कृषि विमानन के चालकों के लिए उन्हें कीटनाशी दवाओं की सुरक्षित संभाल मानव, पशुओं और पर्यावरण इत्यादि पर पड़ने वाले उसके दुष्प्रभाव के संबंध में शिक्षित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

(6) केन्द्रीय विस्तार निदेशालय अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कीटनाशी दवाओं की सुरक्षित संभाल के बारे में किसानों को शिक्षित करता है।

(7) राज्यों के कृषि विभाग प्रत्येक प्रमुख फसल मौसम से पूर्व "कृषि मेलों" और "शिविरों" का आयोजन करते हैं। कीटनाशी दवाओं का सुरक्षित उपयोग इनका एक महत्वपूर्ण विषय रहता है। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य किसानों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

(8) समेकित कीट प्रबंध की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए वनस्पति संरक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय के केन्द्रीय निगरानी केन्द्रों ने देश के विभिन्न भागों में कई गांवों को अपनाया है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों को कीटनाशी दवाओं के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग के बारे में विशेष तौर से बताया जाता है।

(9) इसके अतिरिक्त, अन्य राष्ट्रीय संस्थान जैसे राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान भी किसानों तथा विनिर्माताओं को कीटनाशी दवाओं के सुरक्षित उपयोग के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

जवाहर लाल नेहरू सामूहिक आवास सहकारी समिति को भूमि का आबंटन

*289. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों और भूतपूर्व संसद सदस्यों की जवाहर लाल नेहरू सामूहिक आवास सहकारी समिति ने भूमि आबंटन हेतु औपचारिक रूप से कोई आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) भूमि के आबंटन की स्थिति क्या है और भूमि किस स्थान पर है; और

(घ) यदि भूमि आबंटित नहीं की जा रही है, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां। सहकारी समितियों के पंजीकार के पास इस समिति का 22 दिसम्बर, 1983 को पंजीकरण किया गया था और बाद में इसने पश्चिमी या दक्षिणी दिल्ली में भूमि के आबंटन पर विचार के लिए सरकार से सम्पर्क किया था।

(ग) और (घ) इस मामले पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

बेरोजगारी भत्ता

*290. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बेरोजगार युवक स्नातकों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में बेरोजगारी की गम्भीर समस्या को ध्यान में रखते हुए बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार का बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने से अनेक वित्तीय समस्याएं उत्पन्न होंगी। केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि उपलब्ध संसाधनों को ऐसी योजनाओं जैसे कि बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने सम्बन्धी योजनाओं पर खर्च करने के बजाय, उनका ऐसी योजनाओं के लिए उपयोग किया जाना चाहिए जिससे उत्पादी तथा स्थायी रोजगार अवसर सृजित हो सकें।

[हिन्दी]

कृषि श्रमिकों के लिए कानून

*292. श्री विजय कुमार यादव : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अखिल भारतीय स्तर पर कृषि श्रमिकों के लिए कानून बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के कानून बनाने की मांग पिछले कुछ समय से पुनः जोर पकड़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) कृषि श्रमिकों के बारे में केन्द्रीय कानून बनाने के मामले पर विभिन्न मंचों पर विचार किया गया था और यह निर्णय लिया गया कि कृषि श्रमिकों के काम-काज की शर्तों को विनियमित करने और उनके कल्याण के लिए राज्य सरकारें स्वयं उपयुक्त कानून बनाएं। राज्य सरकारों को तद्नुसार सलाह दे दी गई है। इस मामले पर भारतीय श्रम सम्मेलन में, जिसे इस वर्ष आयोजित किया जाना है, पुनः विचार-विमर्श किया जाए।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

दूरदर्शन की व्यवस्था का विस्तार

*293. श्री राजेश पाइलट : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूरदर्शन की व्यवस्था में हाल ही में किए गए विस्तार का सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूर्ण उपयोग करने में सफल रहे हैं; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की संख्या और टी० वी० सैटों की संख्या का अनुपात क्या है और सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में टी० वी० सैटों की अधिकतम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) संसाधनों की उपलब्धता पर मौजूदा दबाव के अन्दर देश के दूरदर्शन संजाल का लोगों को शिक्षित करने, सूचना देने तथा मनोरंजन प्रदान करने के लिए पूर्णतया उपयोग किया जा रहा है।

(ख) इस प्रकार की सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने चुनींदा गांवों में सामुदायिक अवलोकन के लिए सीमित संख्या में टी० वी० सैट उपलब्ध करने की एक स्कीम शुरू की है। इसके अतिरिक्त, अनेक राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों ने भी अपने संसाधनों के अन्दर इसी प्रकार की सुविधाएं दी हैं।

गन्ने का चीनी की जगह खांडसारी उत्पादन हेतु उपयोग

*296. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर गन्ने का अधिकतर उपयोग चीनी की जगह गुड़ तथा खण्डसारी उत्पादन के लिए किया जाता है क्योंकि उनसे अधिक धन

मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो चीनी के उत्पादन में हुई पर्याप्त कमी को देखते हुए इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य से चीनी मौसम 1984-85 में, गन्ने का उपयोग चीनी की जगह गुड़ तथा खंडसारी का उत्पादन करने के बारे में कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(ख) जब गन्ने का कम उत्पादन होता है, तब भी चीनी के स्थान पर गुड़ तथा खण्डसारी का उत्पादन करने के लिए गन्ने का उपयोग करने की प्रवृत्ति के बारे में केन्द्रीय सरकार पूरी तरह से सचेत है। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए, चालू मौसम के आरम्भ होने से पहले केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए कुछेक उपाय करने के बारे में सलाह दी थी। इन उपायों में चीनी फैक्ट्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए आरक्षित क्षेत्रों का सीमांकन करना। चीनी मिलों और अन्य स्वीटनिंग एजेन्टों के बीच गन्ने का उचित वितरण करना ताकि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को रोका जा सके; आरक्षित क्षेत्रों में क्रेसरों को नए लाइसेंस जारी न करना, आरक्षित क्षेत्र के अन्दर सभी अनधिकृत क्रेसरों के कार्यचालनों पर रोक लगाना, गन्ने के मूल्य का समय पर भुगतान करना, आदि शामिल हैं। तथापि, इन उपायों को कार्यान्वित करने का कार्य राज्य सरकारों के कार्यक्रम में आता है जिनके पास इन्हें लागू करने के लिए अपेक्षित शक्तियां और फील्ड संगठन हैं। गुड़ और खण्डसारी असंगठित सेक्टर में हैं और इन्हें कुटीर उद्योग माना गया है। इसलिए इन सेक्टरों को विनियमित करना पूरी तरह से व्यवहार्य नहीं होता है तथा कुछ पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण लागू करने की जिम्मेदारी केवल संबंधित राज्य सरकार की है ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में परिवर्तन

*297. **श्री बी० बी० देसाई :**
श्री के० प्रधानी :

क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में उन कमजोर वर्गों को, जिन्हें अभी तक इसका लाभ नहीं पहुंचा है, लाभ पहुंचाने के लिए उस योजना की क्रियान्विति के तरीके में भारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या परिवर्तन किए जाने की संभावना है;

(ग) ये परिवर्तन कब तक किए जाएंगे; और

(घ) क्या ये परिवर्तन चालू वर्ष से लागू होंगे ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) से (घ) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में हाल की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का, सर्वेक्षण किए गए लाभार्थी

परिवारों की आय और जीवन-स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

मूल्यांकन रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि 868 नमूना लाभार्थी परिवारों, जिनकी वार्षिक आय शुरू में 3,500 रुपये से कम थी, में से 49.42 प्रतिशत परिवार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित होने के बाद 3,500 रुपये और इससे अधिक वार्षिक आय-स्तर को प्राप्त कर सके थे। इससे यह भी पता चलता है कि जनता में इस कार्यक्रम के प्रति आम जागृति काफी ज्यादा थी। लगभग 90 प्रतिशत चुनिंदा नमूना लाभार्थियों ने महसूस किया कि उन्हें इस कार्यक्रम से लाभ पहुंचा है। 88 प्रतिशत से कुछ ज्यादा लाभार्थियों ने सूचित किया था कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके शामिल किए जाने के परिणाम-स्वरूप उनकी आय बढ़ी है तथा उनमें से लगभग 90 प्रतिशत का विचार था कि इस कार्यक्रम से उनका पारिवारिक रोजगार बढ़ा है। लगभग 77 प्रतिशत चुनिंदा नमूना परिवारों का कहना था कि उनके उपभोग स्तर में वृद्धि हुई है और 64 प्रतिशत ने महसूस किया कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप गांव में उनका समग्र रूप से सामाजिक-स्तर ऊंचा उठा है। मूल्यांकन अध्ययन का दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि 40 प्रतिशत नमूना लाभार्थी परिवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त निर्धनता की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये उपलब्धियां ठोस हैं यद्यपि निर्धनता अब भी एक प्रमुख समस्या है जिसका समाधान किया जाना है।

रिपोर्ट में कुछेक खामियां भी बताई गई हैं। ये खामियां मुख्य रूप से प्रशासनिक और संगठनात्मक ढांचे; जैसे कर्मचारियों का जल्दी-जल्दी स्थानान्तरण और अंतर-क्षेत्रीय समन्वय की कमी, प्रति व्यक्ति निवेश की कमी, परिप्रेक्ष्य योजनाओं का तैयार न किया जाना और कुछ लाभार्थियों का गलत तरीके से चयन आदि से संबंधित हैं।

सातवीं योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) प्रति परिवार और अधिक निवेश की व्यवस्था करना जिसमें एकमुश्त सहायता भी शामिल है, ताकि लगाये गए निवेश पर उचित लाभ प्राप्त हो सके।

(2) छठी योजना के दौरान सहायता-प्राप्त उन परिवारों को पूरक सहायता प्रदान करना जो बिना अपनी गलती के गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ सके हैं।

(3) भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों के निर्धारण के लिए समानता की पद्धति को बदल करके विविधता की पद्धति को रखा गया है।

(4) मार्गदर्शिकाओं के अनुसार लाभार्थियों के चयन का ग्राम सभाओं द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए।

(5) जिला स्तरों पर ऐसी संस्थाओं का चयन करके अथवा जिला आपूर्ति और विपणन केन्द्रों की स्थापना करके तालमेल की व्यवस्था में सुधार लाने के प्रयास करना।

(6) ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण के कार्यक्रमों की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गई है।

(7) वर्तमान और दो वर्ष पुराने लाभार्थियों के समवर्ती मूल्यांकन की एक नई प्रणाली आरम्भ की जा रही है।

इस बारे में राज्य सरकारों को भी लिखा गया है कि वे रिपोर्ट में बताई गई खामियों की जांच कर उनको दूर करने के उपाय करें। इस प्रकार कार्यान्वयन को सरल बनाया जा रहा है तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है ताकि इन खामियों को दूर किया जा सके।

भण्डारण की क्षमता

*298. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भण्डारण की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) देश में कुल कितनी भण्डारण क्षमता की आवश्यकता है;

(ग) भण्डारण क्षमता कम होने के कारण प्रति वर्ष कितनी क्षति होती है; और

(घ) भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) 1-7-1985 तक की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की एजेंसियों के पास खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए लगभग 238 लाख मीटरी टन की ढकी हुई भण्डारण क्षमता होने का अनुमान है। 291.7 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के वर्तमान स्टाक के आधार पर, खाद्यान्नों के लिए भण्डारण क्षमता की कुल आवश्यकता लगभग 340.0 लाख मीटरी टन बैठती है।

ढके हुई भण्डारण स्थान की कमी होने के कारण खाद्यान्नों की कुछ मात्रा क्षतिग्रस्त हो ही जाती है। तथापि, भण्डारण क्षमता की कमी होने के कारण खाद्यान्नों को हुई क्षति के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

ढकी हुई भण्डारण क्षमता की उपलब्धता में वृद्धि करने के उद्देश्य से निम्नलिखित पग उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं :—

(1) भारतीय खाद्य निगम, सेण्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और राज्य भण्डागार निगमों के माध्यम से अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। आशा है कि ये तीनों एजेंसियां 1985-86 के दौरान 22.8 लाख मीटरी टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण कर लेंगी;

(2) भारतीय खाद्य निगम विभिन्न स्रोतों से अतिरिक्त भण्डारण क्षमता को किराए पर लेने के भी प्रयास कर रहा है;

(3) चट्टों की ऊंचाई को बढ़ाने, गलियों को कम करने, आदि द्वारा उपलब्ध भण्डारण क्षमता के इस्तेमाल में वृद्धि करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

दूरदर्शन और आकाशवाणी पर कानूनी सहायता योजना का प्रचार

*299. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि महाराष्ट्र सरकार ने गरीबों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए कानूनी सहायता योजना लागू की है, परन्तु इसके सम्बन्ध में जानकारी न होने के कारण इस योजना का शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों द्वारा पूरी तरह से लाभ नहीं उठाया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों पर इस योजना का व्यापक प्रचार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) माध्यम से कई कार्यक्रम प्रसारित और टेलीकास्ट कर रहे हैं जिनमें जरूरतमंद तथा गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता की स्कीम के बारे में सूचना तथा उसका ब्यौरा होता है। अधिक से अधिक लोगों को इस स्कीम के बारे में जानकारी देने तथा लाभ उठाने के लिए, आकाशवाणी और दूरदर्शन से अनुरोध किया गया है कि वे वार्ताओं, भेंटवार्ताओं, परिचर्चाओं आदि जैसे विभिन्न फार्मेटों में उपयुक्त अतिरिक्त कार्यक्रम प्रस्तुत करें।

फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन

*300. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले बजट में घोषित की गई फसल बीमा योजना कार्यान्वित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं, जहां यह योजना कार्यान्वित की जा रही है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां। फसल बीमे की एक विस्तृत योजना खरीफ, 1985 से कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई है।

(ख) इस योजना का ब्यौरा इस प्रकार है—

(1) यह योजना राज्य सरकारों के सहयोग से भारतीय सामान्य बीमा निगम द्वारा चलाई जाती है। इस योजना में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(क) चावल, गेहूं तथा कदन्न, और

(ख) दलहन तथा तिलहन।

(2) उपर्युक्त फसलों के उत्पादन के लिए सहकारी ऋण संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण ले रहे सभी किसानों को इस योजना में शामिल किया जाता है।

(3) ऐसे क्षेत्रों में, जहां योजना का विस्तार किया जाता है, फसलों को उगाने के लिए फसल ऋण के एक भाग के रूप में बीमा चलाई जाती है। बीमा सेवा शुल्क (प्रीमियम) धान्य फसलों के लिए बीमाकृत राशि का 2 प्रतिशत और दलहनों तथा तिलहनों के लिए एक प्रतिशत है।

(4) प्रति किसान बीमे की राशि, उसे उपर्युक्त फसलों को उगाने के लिए दिए गए फसल ऋण का 150 प्रतिशत होता है।

(5) छोटे और सीमान्त किसानों द्वारा देय बीमा सेवा शुल्क (प्रीमियम) पर 50 प्रतिशत तक सहायता दी जाती है, जिसे केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर वहन किया जाता है।

(6) भारतीय सामान्य बीमा निगम मुख्य बीमाकर्ता है और राज्य सरकारें सह-बीमाकर्ता हैं। और प्रीमियम से हुई आय व हानि में इनकी हिस्सेदारी का अनुपात 2 : 1 है?

(7) प्रत्येक राज्य में, योजना को चलाने के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए (धनराशि का निर्धारण कृषि प्रचालनों के पैमाने के अनुसार किया जाएगा) के संचय से एक सफल बीमा निधि बनाई जाएगी, जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारें बराबर-बराबर अंशदान देंगी।

राज्य निधि के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :—

(क) प्रीमियम आय के जरिए अन्तर्वाह और दावों के जरिए बहिर्वाह का प्रशासन करना।

(ख) भारतीय सामान्य बीमा निगम को प्रत्यक फसल के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े भेजना, और

(ग) फसल बीमा योजना आदि के अधीन विभिन्न फसलों के सम्बन्ध में फसल कटाई प्रयोगों को समुचित और पर्याप्त संख्या में सुनिश्चित करना।

(8) योजना के अन्तर्गत युद्ध और आणविक जोखिमों को छोड़कर सभी जोखिम आते हैं।

(9) योजना क्षेत्र के आधार पर है और यदि बीमाकृत मौसम में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर निर्धारित "परिभाषित क्षेत्र" के लिए बीमाकृत फसल की प्रति हेक्टेयर वास्तविक औसत उपज गारंटी उपज से कम होती है तो उस क्षेत्र में फसल को पैदा करने वाले सभी बीमाकृत किसानों को उपज में कमी से ग्रस्त समझा जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति होगी।

(ङ) निम्नलिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खरीफ 1985 से इस योजना को कार्यान्वित कर रहे हैं :—

राज्य		संघ राज्य क्षेत्र
1. असम	9. केरल	1. अरुणाचल प्रदेश
2. आन्ध्र प्रदेश	10. मध्य प्रदेश	2. गोवा, दमन और दीव
3. बिहार	11. महाराष्ट्र	3. पांडिचेरी
4. हरियाणा	12. उड़ीसा	
5. हिमाचल प्रदेश	13. तमिलनाडु	
6. गुजरात	14. उत्तर प्रदेश	
7. जम्मू और कश्मीर	15. त्रिपुरा	
8. कर्नाटक	16. पश्चिम बंगाल	

[हिन्दी]

वनस्पति तेल के मूल्य में वृद्धि

*301. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति तेल के मूल्य में हाल ही में 1 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या यह वृद्धि उचित है; और

(ग) इस समय सरसों के तेल और वनस्पति के मूल्यों में कितना अन्तर है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) 7 मार्च, 1985 से उत्पाद शुल्क को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत यथामूल्य किए जाने के परिणामस्वरूप, वनस्पति घी की अधिकतम फुटकर कीमत में लगभग 70 पैसे कि० ग्रा० की वृद्धि करनी पड़ी थी।

(ग) दिल्ली में सरसों का तेल इस समय 13-14 रुपए प्रति कि० ग्रा० की दर पर उपलब्ध है, जबकि खुले वनस्पति घी की कीमतें, स्थानीय करों सहित, 17.20 रुपये प्रति कि० ग्रा० है। तथापि वास्तव में यह और भी कम मूल्य पर बेचा जा रहा है।

[अनुवाद]

राज्यों के लिए खाद्यान्न जारी करना

*302. **श्री राम भगत पासवान** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों को खाद्यान्न जारी किये हैं;

(ख) क्या सरकार आदिवासी क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर खाद्यान्न जारी करेगी; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन राज्यों को वर्ष 1985-86 के लिए खाद्यान्न दिए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ग) जी, हां, सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल के आबंटन किए जाते हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा समूचे राज्य/संघ शासित प्रदेश के लिए आबंटन किए जाते हैं और जितने क्षेत्र में वितरण किया जाना है और जितनी मात्रा उपभोक्ताओं को दी जानी है, उनके समेत राज्य/संघ शासित प्रदेश के अन्दर वितरण करने के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकार/प्रशासन द्वारा निर्णय किया जाता है।

नारियल और काली मिर्च की फसलों को बीमारी के कारण हुआ नुकसान

*303. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल और काली मिर्च की फसलों को विभिन्न बीमारियों के कारण कुल कितना वार्षिक नुकसान हुआ है;

(ख) क्या अब तक कोई प्रभावी उपचारात्मक उपाय का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौर क्या है; और

(घ) बीमारी को दूर करने पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च हुई ?

कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) नारियल और काली मिर्च की फसलों की विभिन्न बीमारियों के कारण होने वाली कुल वार्षिक क्षति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी, नारियल के केवल जड़ मुरझान नामक बीमारी के कारण उसकी गिरि को बहुत क्षति पहुंचती है। यह बीमारी केरल में बड़े पैमाने पर पाई गई है। ऐसा अनुमान है कि इससे 1984 में 901 मिलियन नारियल की गिरि को नुकसान पहुंचा था।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) नारियल और काली मिर्च की बीमारियों के नियन्त्रण के लिए सभी केन्द्रों में किए गए अनुसंधान कार्य पर होने वाले वार्षिक व्यय का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। फिर भी, इस कार्य के लिए केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया कुल व्यय करीब 51.04 लाख है।

विवरण

नारियल और काली मिर्च की प्रमुख बीमारियां और उनके नियंत्रण के उपाय निम्न प्रकार हैं।

(क) नारियल

(1) जड़ मुरझान रोग —ऐसा समझा जाता है कि इस बीमारी का कारण **गाइकोप्लाज्मा** है।

इसके नियन्त्रण के लिए सुझाए गये उपाय ये हैं :

(i) सीमावर्ती क्षेत्रों के रोगग्रसित नारियल के पेड़ों को समाप्त करना जिससे कि यह बीमारी स्वस्थ वृक्षों में न लगने पाये।

(ii) रोगी वृक्षों की जगह संकर प्रजाति के स्वस्थ पौधों की रोपाई करके रोग-ग्रसित बगीचों में सुधार लाना।

(iii) उर्वरक प्रयोग, ग्रीष्मकालीन सिंचाई और पलवार बिछाना आदि जैसे प्रबन्ध विधियों का प्रयोग।

(2) पत्ती गलन रोग —यह रोग फंगस **बिपोलेरिस डालोडिस** के कारण पैदा होता है।

(3) कलि गलन रोग —यह बीमारी **फाइटोफथोरा** एस० पी० के कारण पैदा होती है। इस बीमारी को नियन्त्रण करने के लिए एक प्रतिशत बोर्डोऑक्स का मिश्रण कलि गलन तथा पत्ती गलन के लिए प्रयोग करें।

(4) तंजावूर मुरझना रोग —यह बीमारी फंगस **गेनोडरमा** एस० पी० से पैदा होती है।

इसके नियन्त्रण के उपाय ये हैं :

(1) फाइटोसेनीटरी उपाय को अपनाना;

(2) नारियल के प्रति वृक्ष पर प्रतिवर्ष 5 किलोग्राम की दर से नीम की खली का प्रयोग।

(3) जैविक पदार्थों को मिलाना तथा निजी माध्यमों से सिंचाई का प्रावधान।

(5) तना रिसाव : आकस्मिक एजेन्ट एक फफूंद **सेराटोस्टोमेल्ला पैराडोक्सा** है। क्षतिग्रस्त ऊतकों को निकालकर परीक्षण किया जा सकता है तथा उस पर गर्म कोलतार या बोर्डेक्स पेस्ट लगाकर इस क्षति को रोका जा सकता है।

(ख) काली मिर्च

(1) फाइटोफ्थोरा स्प० द्वारा तीव्र मुर्झान रोग पैदा होता है। इसके नियन्त्रण के उपाय इस प्रकार हैं :

मानसून से पहले रोग निरोधक छिड़काव और एक प्रतिशत बौर्डोक्स मिश्रण के साथ बेसिन में डुबोकर ऊपरी हिस्से से बौटोर्डोक्स का प्रयोग करना व इसके बाद अगस्त के महीने में दूसरी बार इसका प्रयोग करना चाहिए।

(2) धीमा मुर्झान : यह रोग मौलकुमि अर्थात् रैडोकौलस सिमिलिस, मेलोइडोगाइन इन्कोगिनटा ट्रोफोटाइलेन्चलस पाइपेरिस से उत्पन्न होता है।

नियन्त्रण के उपाय :

काली मिर्च की बेल के आधार में 3 ग्राम/बेल के हिसाब से फोरेट (थिमेट) का प्रयोग।

[अनुवाद]

घरेलू विद्युत उपकरण आदेश को लागू करना

2971. श्री मानिक रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता सुरक्षा संगठन ने सरकार का ध्यान घरेलू विद्युत उपकरण आदेश को लागू करने की शीघ्र आवश्यकता की ओर आकर्षित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा दिए गए सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां। बम्बई के एक स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

(ख) उपभोक्ता सरक्षण संगठित द्वारा दिए गए सुझावों में ये शामिल हैं—(1) उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा बाजार से खतरनाक उत्पादों को हटाने के लिए शक्तियों का प्रयोग; (2) एक योजना तैयार करना, जिसके अनुसार यह अनिवार्य कर दिया जाए कि बनाये जाने वाले किन्हीं भी बिजली के उपकरणों के डिजाइन तथा निर्माण के लिए उपयुक्त प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाए; और (3) उपभोक्ता उत्पादों द्वारा हुई दुर्घटनाओं के बारे में आंकड़े एकत्र करना। स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन के सुझावों को सरकार द्वारा गठित सलाहकार उपभोक्ता संरक्षण परिषद की शीघ्र ही होने वाली बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

उपभोक्ता हितों के संरक्षण के बारे में मध्य प्रदेश और दिल्ली के लम्बित शिकायतें

2972. डा० ए० के० पटेल :
श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश विधान सभा और दिल्ली महानगर परिषद द्वारा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण देने के लिए पारित विधेयकों को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी है और यदि हां, तो ये विधेयक कब पारित किए गए थे; और

(ख) क्या इन विधेयकों को रोके रखने का कारण यह है कि सरकार इस सम्बन्ध में स्वयं एक व्यापक कानून बनाने का विचार कर रही है और यदि नहीं, तो इन विधेयकों की स्वीकृति रोकने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश विधि आयोग ने मध्य प्रदेश उपभोक्ता सुरक्षा विधेयक नाम से एक विधेयक तैयार किया था। उक्त विधेयक 23 अप्रैल, 1985 को मध्य प्रदेश विधान सभा में प्रस्तुत किया गया और इसे रिपोर्ट हेतु प्रवर समिति को भेज दिया गया था। वर्तमान सूचना के अनुसार प्रवर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

दिल्ली महानगर परिषद ने दिल्ली उपभोक्ता (क्रय) विवाद परिषद विधेयक नाम से एक विधेयक तैयार किया था। इस समय इस विधेयक पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन

2973. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामीण विकास के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ख) अनुसूचित जातियों और जन-जातियों को कितना ऋण तथा सहायता दी गई है;

(ग) क्या यह सच है कि समाज के कमजोर वर्गों को ग्रामीण विकास योजनाओं के पूरे लाभ नहीं मिले हैं और यह अधिकतर लाभ समृद्ध लोगों को ही प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के बजट में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं हेतु 1032.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार से आर्थिक सहायता तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋणों की मंजूरी प्राप्त करके गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले चयनित परिवारों को उत्पादक परिसम्पत्तियां उपलबन्ध कराई जाती हैं। ऋण की सीमा लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई योजना की लागत पर निर्भर करती है। लघु कृषकों को ऋण की 25 प्रतिशत, सीमान्त कृषकों अनुसूचित जाति समेत भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों को 33⅓ प्रतिशत की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है जो गैर-सूखा संभावित क्षेत्रों में अधिकतम 3,000 रुपये तथा सूखा संभावित क्षेत्रों में 4,000 रुपये तक की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी को 5,000 रुपये की अधिकतम सीमा के अनुसार मंजूर किए गए ऋण की

50 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता दी जाती है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्य ऋणों पर ब्याज की विभेदक दरों के भी पात्र होते हैं, बशर्ते कि वे ब्याज की विभेदक दरों की शर्तें पूरी करते हों।

(ग) व (घ) सभी मूल्यांकन अध्ययनों से यही पता चलता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधिकतर लाभ ग्रामीण निर्धनों को ही मिल रहे हैं। छठी योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को शामिल करने के 30 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 39 प्रतिशत रहा था।

छठी योजना में बेरोजगारी का समाप्त किया जाना

2974. **श्री रेणुपद दास** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बेरोजगारी समाप्त करने के सम्बन्ध में छठी योजना की उपलब्धि क्या है; और

(ख) वर्ष 1980 और 1984 में कितने बेरोजगार लोगों ने पंजीकरण करवाया और वृद्धि प्रतिशतता कितनी है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार, वर्ष 1980-85 के दौरान 32.44 मिलियन मानक व्यक्ति वर्ष का रोजगार सृजित किया जाना था। लाभानुभोगियों की वास्तविक संख्या इससे भी अधिक हो सकती है क्योंकि श्रम बल का प्रत्येक सदस्य सम्पूर्ण वर्ष के दौरानपूर्णकालिक कर्मकार नहीं हो सकता। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अपरोक्ष पेपर में यह कहा गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार में वृद्धि सामान्यत: छठी योजना में की गई परिकल्पनाओं ने अनुरूप रही है।

(ख) रोजगार कार्यालयों के पास पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या (यह आवश्यक नहीं कि उनमें से सभी बेरोजगार हों) 1980 में 162.0 लाख से बढ़कर 1984 में 235.5 लाख हो गई और इस तरह इसमें 45.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम की वित्तीय आत्मनिर्भरता

2975. **श्री सी० अंगा रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली में कूड़ा करकट डालने के लिए पोलिथीन के थैलों की सप्लाई

2976. **श्री आर० एस० भोये** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहर को साफ सुथरा रखने के लिए बंगलौर नगर निगम की तरह दिल्ली के नागरिकों को कूड़ा करकट डालने के लिए पोलिथीन के थैले सप्लाई करने और उन्हें सप्ताह में एक बार एकत्र भी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम कालोनी एसोसियेशनों के माध्यम से पालीथीन थैलों के जरिए कूड़ा करकट हटाने की पद्धति को आरम्भ करने की संभाव्यताओं का पता लगा रहा है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रशासनिक कर्मचारियों की काडर पुनरीक्षण संबंधी अध्ययन दल

2977. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रशासनिक कर्मचारियों की काडर पुनरीक्षा के सम्बन्ध में जून, 1981 में कोई अध्ययन दल नियुक्त किया था;

(ख) अध्ययन दल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब दी जानी थी और यह वस्तुतः कब प्रस्तुत की गई तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को कार्यान्वयन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन दल द्वारा अपनी रिपोर्ट 30 सितम्बर, 1981 तक दी जानी थी, लेकिन इसने रिपोर्ट 10 दिसम्बर, 1982 को प्रस्तुत की। यह दल अपनी रिपोर्ट समय पर इसलिए प्रस्तुत नहीं कर सका क्योंकि देश भर के आकाशवाणी केन्द्रों/दूरदर्शन केन्द्रों से जो आंकड़े एकत्रित किए जाने थे, उनकी मात्रा काफी थी और कर्मचारियों की जिन श्रेणियों का अध्ययन किया जाना था उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा थी।

(ग) दल द्वारा की गई 28 सिफारिशों में से, सात को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। पांच सिफारिशों, जो भर्ती नियमों में संशोधन करने से संबंधित हैं, के बारे में आवश्यक कार्रवाई चल रही है। शेष सिफारिशें दर्जा बढ़ाने, ढांचे को युक्तिसंगत बनाने, वेतनमानों में संशोधन करने, आदि से संबंधित हैं। क्योंकि ये ऐसे मामले हैं, जिन पर चौथा वेतन आयोग

सिफारिशें करेगा इसलिए इन सिफारिशों पर अभी तक कार्रवाई करना संभव नहीं हुआ ।

मकान बनाने वाली एजेंसियों को वित्तीय सहायता

2978. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवास और शहरी विकास निगम जैसी मकान बनाने वाली किन्हीं एजेंसियों को शहरी/ग्रामीण आवास कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान पर्याप्त सहायता दी थी;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा खर्च की गई धनराशि का कोई लेखा जोखा लिया गया है और उनके द्वारा सही रूप से राज्यवार कितने आवासीय एकक अपनाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक एजेंसी को राज्यवार कितनी धनराशि दी गई; और

(घ) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायता राशि में पर्याप्त वृद्धि करने का विचार है और इस प्रकार की और कितनी वृद्धि करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) हुडको आवास निर्माण अभिकरण नहीं है । यह एक तकनीकी वित्त अभिकरण है । गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने हुडको को 47.75 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की—32.00 करोड़ रुपए इसकी साम्य पूंजी में निवेश के रूप में तथा 15.75 करोड़ रुपए उपदान के रूप में ।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान हुडको द्वारा दिए गए ऋण की राज्यवार राशि तथा स्वीकृत रिहायशी एककों की संख्या का विवरण संलग्न है ।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1982-83		1983-84		1984-85	
		रिलीज किए गए ऋण की राशि	स्वीकृत रिहायशी एककों की संख्या	रिलीज किए गए ऋण की राशि (करोड़ रुपयों में)	स्वीकृत रिहायशी एककों की संख्या	रिलीज किए गए ऋण की राशि (करोड़ रुपयों में)	स्वीकृत रिहायशी एककों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	15.84	61358	13.99	62093	33.62	37176
2.	असम	0.19	—	0.27	293	0.38	48
3.	बिहार	3.95	15240	0.70	2192	1.77	1442

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	गुजरात	15.59	54241	14.88	32277	21.92	60618
5.	हरियाणा	4.46	1702	6.15	6320	10.02	3842
6.	हिमाचल प्रदेश	0.99	210	0.90	598	0.60	626
7.	जम्मू तथा कश्मीर	0.19	54	0.27	48	—	—
8.	कर्नाटक	4.32	34610	12.00	48191	9.98	32994
9.	केरल	4.33	15144	5.97	31310	11.82	27630
10.	मध्य प्रदेश	4.37	9953	2.98	18739	6.36	1588
11.	महाराष्ट्र	19.99	14828	20.14	32238	23.21	36073
12.	मणिपुर	—	144	0.29	—	0.25	—
13.	मेघालय	—	—	—	—	—	115
14.	उड़ीसा	3.09	4235	7.44	2629	5.00	10594
15.	पंजाब	7.33	5871	8.65	3646	7.60	2108
16.	राजस्थान	17.85	36269	19.77	32119	19.78	22270
17.	सिक्किम	—	—	—	—	—	76
18.	तमिलनाडु	10.17	11806	16.08	23218	23.22	33389
19.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	290
20.	उत्तर प्रदेश	10.51	17288	14.96	17791	18.82	2679
21.	पश्चिमी बंगाल	2.69	196	1.28	823	1.42	443
22.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	15	—	—
23.	चण्डीगढ़	3.83	1730	2.12	1296	2.79	1141
24.	दिल्ली	—	—	1.12	333	1.16	24615
25.	गोवा दमन तथा द्वीप	—	—	—	—	—	80
26.	पाण्डिचेरी	0.43	—	0.21	180	0.09	—
	*योग :	130.72	284879	*150.17	316349	199.81	318837

*लम्बित पड़े लेखा परीक्षा समंजन तक 1.06 करोड़ रुपए का समंजन शामिल है।

चीनी से नियंत्रण हटाना

2979. **श्री बी० बी० रामैय्या** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चीनी का मूल्य कम करने के लिए इस पर नियंत्रण समाप्त करने की योजना बना रही है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि चीनी का लेवी मूल्य लगभग 400 रु० प्रति क्विंटल है जबकि खुले बाजार में लगभग 600 रु० से 650 रु० प्रति क्विंटल के बीच है;

(ग) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि चीनी पर नियंत्रण हटाने की स्थिति में उपभोक्ता को व्यापारियों की दया पर निर्भर रहना होगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार चीनी का मूल्य कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) लेवी चीनी का अखिल भारत औसत निकासी मूल्य 351.21 रु० प्रति क्विंटल है। विभिन्न प्रमुख मंडियों में 7 अगस्त, 1985 को खुली बिक्री की चीनी के साधारण ग्रेड के थोक मूल्य 740 रु० से 765 प्रति क्विंटल की रेंज में थे।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कृषि क्षेत्र में मुक्त व्यापार जोनों की स्थापना

2980. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि औद्योगिक क्षेत्र के निर्यात प्रयासों के पूरक के रूप में कृषि क्षेत्र में मुक्त व्यापार जोन स्थापित किए जाने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) कृषि क्षेत्र में मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित करने का कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी विभागों में लेखन सामग्री की सप्लाई और प्रयोग सम्बन्धी नियम

2981. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा सरकारी विभागों को लेखन सामग्री की सप्लाई और उसके प्रयोग सम्बन्धी नियमों की जांच की जा रही थी;

(ख) क्या नियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो क्या उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां । नियमों को अन्तिम रूप से दिया गया है । चूंकि वे कार्यालय प्रयोग के लिए प्रशासनिक निर्देशों की प्रकृति के हैं न कि संसद के किसी अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए सांविधिक नियम, अतः उन्हें सभा पटल पर नहीं रखा जा रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में चीनी की कमी

2982. **श्री जैनुल बशर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी से अप्रैल, 1985 तक महीने-वार कितनी चीनी की मांग की;

(ख) उक्त प्रत्येक महीने में उत्तर प्रदेश को कितनी चीनी सप्लाई की गई; और

(ग) यदि आवश्यकतानुसार चीनी सप्लाई कर दी गई थी तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में चीनी की कमी के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) चीनी के राज्य-वार मासिक लेवी कोटे राज्य सरकार की आवश्यकता अथवा मांग पर आधारित नहीं होते हैं । ये आबंटन सभी राज्य सरकारों को आबंटित करने के लिए कुल उपलब्ध लेवी चीनी में से कुछेक एक-समान मानदण्डों के आधार पर किए जाते हैं । उत्तर प्रदेश सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करने के जनवरी से अप्रैल, 1985 तक प्रत्येक मास के लिए 50,466 मीटरी टन लेवी चीनी का कोटा आबंटित किया गया था ।

(ग) मासिक लेवी चीनी के कोटे के आबंटन के प्रति सप्लाई प्राप्त करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, क्योंकि आबंटित लेवी चीनी को फैक्ट्रियों से उठाने और इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित करने का प्रबन्ध राज्य सरकार स्वयं कर रही है ।

[अनुवाद]

स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित ग्रामीण युवक

2983. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के कितने युवक लाभान्वित हुए हैं और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) इस अवधि में स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री जन्नूलाल बन्नाकर) : (क) छठी योजना के दौरान ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम) के अन्तर्गत लाभान्वित ग्रामीण युवकों की संख्या :

(1) प्रशिक्षित ग्रामीण युवकों की संख्या		1,04,700
(2) रोजगार में लगे हुए प्रशिक्षित युवकों की संख्या		66,264
(3) छठी योजना के दौरान ग्रामीण युवकों पर खर्च की गई धनराशि		
—प्रशिक्षण हेतु		7.40 करोड़ रु०
—आर्थिक सहायता हेतु		2.58 करोड़ रु०
	कुल	9.98 करोड़ रु०

(ख) छठी योजना के दौरान लाभान्वित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या :

(4) प्रशिक्षित युवक	
—अनुसूचित जाति	28,743
—अनुसूचित जनजाति	11,934
(5) प्रशिक्षित युवको को रोजगार	
—अनुसूचित जाति	18,089
—अनुसूचित जनजाति	9,750

प्लाट पर मकान बनाना

2984. श्री शांति धारीवाल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रोहिणी में आवंटियों को हजारों प्लाटों का कब्जा सौंप दिया है:

(ख) क्या प्लाटधारियों को कब्जा लेने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के अन्दर प्लाट पर मकान का निर्माण करना होगा;

(ग) क्या सरकारी कर्मचारी धन की कमी की वजह से निर्माण कार्य शुरू नहीं कर सकते जो कि वह सरकार से केवल विधिवत पट्टा नामा पेश करने पर ही ले सकते हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार पट्टा बीमा निष्पादन के कार्य को तेजी से निपटाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को आदेश देने का है जिससे कि सरकारी कर्मचारी ऋण ले सकें और दो वर्षों की निर्धारित अवधि के अन्दर निर्माण कार्य शुरू कर सकें; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार से उधार लेना भी उन स्रोतों में से एक है जिसका सरकारी कर्मचारी फायदा उठा सकते हैं।

(घ) और (ङ) पट्टा विलेखों को शीघ्रता से निपटाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन परिवारों को भूमि का आबंटन

2985. **श्री लालाराम केन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित भूमिहीन परिवारों को भूमि का आबंटन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी किए गए दिशा निर्देश का ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या राजस्थान में दिशानिर्देशों के अन्तर्गत आबंटित भूमि का वास्तविक कब्जा अभी तक नहीं दिया गया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) और (ख) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण के लिए राष्ट्रीय मार्गदर्शिकाओं में यह व्यवस्था है कि फालतू भूमि के वितरण में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राजस्थान सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संशोधन से पूर्व और संशोधित कानूनों के अन्तर्गत कुल 3,89,978 एकड़ भूमि 71,169 लाभार्थियों को वितरित की गई है जिसमें 26,274 अनुसूचित जाति के और 10,155 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी शामिल हैं।

[अनुवाद]

गन्ने की अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास

2986. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने की अधिक उपज देने और जल्दी तैयार होने वाली किस्में विकसित करने के लिए, जो गन्ने की सामान्य फसल के तैयार होने में 12 से 18 महीने का समय लगने की तुलना में आठ महीनों में तैयार हो सके, अनुसंधान प्रयास किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए अध्ययन का ब्योरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री बदूलाल चंद्राकर) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) गन्ने की छः किस्में यानी "सी० ओ० सी० 671", "सी० ओ० जे० 64", "सी० ओ० 6907", " सी० ओ० ए०7701", "सी. ओ. 7219,, तथा "सी. ओ.7704" का पता लगाया गया है जोकि 8 से 10 महीने में पक सकती है तथा इसमें चीनी की अधिक मात्रा तथा रस में शुद्धता होती है। इन किस्मों में अधिकांश को पहले से ही खेती के लिए रिलीज किया गया है तथा कुछ गन्ने उगाने वाले राज्यों तथा क्षेत्रों में यह बहुत लोकप्रिय हो रही हैं। इनकी खेती करने के परिणामस्वरूप चीनी फैक्ट्रियों की औसत चीनी प्राप्ति 2 से 3 यूनिट होती है। पौध फसल के अतिरिक्त उनमें से कुछ पेड़ी फसल अच्छी होती है। इन किस्मों में से कुछ की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

किस्म का नाम	उपज (टन/हैक्टर)	व्यापारी गन्ना (टन/हैक्टर)	क्षेत्र
सी० ओ० सी० 671	90	12.5	तमिलनाडु
सी० ओ० जे० 64	85	9.9	पंजाब
सी० ओ० 6907	115	10.7	आंध्र प्रदेश
सी० ओ० ए० 7701	94	10.6	—वही—
सी० ओ० 7219	159	13.7	महाराष्ट्र
सी० ओ० 7704	92	12.6	तमिलनाडु

अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा आवासीय योजनाओं के लिए सहायता

2987. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रत्येक योजना के दौरान आवासीय योजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा भारत को दी गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का स्वरूप क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इस प्रकार की सहायता का उपयोग करने के लिए संस्थान संबंधी क्या व्यवस्था की गई थी;

(ग) लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए मिलने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सहायता का उपयोग करने हेतु इस समय क्या व्यवस्था है; और

(घ) शहरी आवास और ग्रामीण आवास का इस प्रकार की सहायता में कितना हिस्सा है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से कोई वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्त नहीं हुई है। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से प्राप्त वित्तीय सहायता आवास तथा नगर विकास निगम को दे दी गई थी जिसने आगे राज्य आवास बोर्डों, विकास प्राधिकरणों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अन्य पात्र अधिकरणों को ऋण सहायता दी थी। ऐसे अभिकरणों से प्राप्त सहायता के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

I. नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आवास योजनाओं के लिए ब्रिटेन (आर० टी० ए०) से सहायता

आर० टी० ए० प्रोजेक्ट नामक परियोजना दो चरणों में है। ब्रिटेन सरकार ने चरण-I और II के तहत क्रमशः 14.75 मिलियन पौण्ड और 24 मिलियन पौण्ड का वित्तीय अनुदान दिया है। ये निधियां ग्रामीण एव शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आवास योजनाओं के लिए हैं और इस सहायता के 50 प्रतिशत से अधिक धनराशि का उपयोग ग्रामीण निर्धनों को बसाने के लिए किया जाता है।

II. विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनायें :

(क) मध्य प्रदेश नगर विकास परियोजना :

विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश में एकीकृत नगर विकास परियोजना के लिए 24.1 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण मंजूर किया है, जिसमें आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा सह-वित्त की व्यवस्था की जा रही है।

इस परियोजना से मध्य प्रदेश के लगभग 3.5 लाख शहरी निर्धनों को उन्नत सेवायें एवं आश्रय उपलब्ध होंगे।

(ख) कलकत्ता नगर विकास परियोजना-III :

परियोजना की कुल लागत 288 करोड़ रुपए है, इसमें जल आपूर्ति, जल-निर्यास, सफाई, आश्रय क्षेत्र का विकास आदि का प्रावधान शामिल है।

(ग) मद्रास नगर विकास परियोजना-III :

परियोजना की कुल लागत 42.00 मिलियन अमरीकी डालर है और इससे स्थल तथा सेवाओं का विकास और लगभग 15,000 निम्न आय वाले परिवारों को आश्रय ऋण सहित अन्य सुविधायें, मलिन बस्ती सुधार, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध आदि की व्यवस्था होगी।

(घ) कानपुर नगर विकास परियोजना :

परियोजना की कुल लागत 20.77 करोड़ रुपए है। इन परियोजना में स्थल तथा सेवाओं के अन्तर्गत 14,800 रिहायशी प्लाटों का विकास एवं 2,000 परिवारों की मलिन बस्ती का सुधार करने की व्यवस्था है।

(ङ) बम्बई नगर विकास परियोजना :

कुल परियोजना लागत 105 मिलियन अमरीकी डालर है और इससे स्थल तथा आवासों (85,000 स्थलों) का विकास होगा और मलिन बस्तियों (1,00,000 परिवारों) का उन्नयन होगा।

III. यू० एस० एड की आश्रय अभिकल्प (शेल्टर डिजाइन) तथा विश्लेषण परियोजना :

यू० एस० एड प्राधिकारियों ने आश्रय अभिकल्प तथा विश्लेषण के लिए अनुसंधान परियोजना के लिए 2.5 लाख अमरीकी डालर की राशि का अंशदान किया है। इस परियोजना के तहत, आश्रय परियोजनाओं, वित्तीय आयोजना, मूल्यांकन आदि के अभिकल्प तथा विश्लेषण के लिए कम्प्यूटर आधारित माडलों का विकास किया गया है। आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) ने इस परियोजना के अन्तर्गत एक लघु कम्प्यूटर भी प्राप्त किया है और आवास तथा नगर विकास निगम में पहले ही किए गए अनुसंधान को इस मशीन पर रूपान्तरित किया जा रहा है।

अनुसंधान और विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एकक

2988. श्री बाजू बन रियान : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों के लिए विभिन्न राज्यों में कार्यरत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एककों को ब्यौरा क्या है;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये एकक अनुसंधान कार्यक्रम चला रहे हैं;

(ग) इन एककों द्वारा किस प्रकार का अनुसंधान किया जा रहा है;

(घ) क्या इन प्रकार के कुछ और अनुसंधान एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और ये एकक किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपने केन्द्रीय संस्थानों, प्रायोजना निदेशालयों, राष्ट्रीय ब्यूरो तथा राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से कृषि अनुसंधान का कार्य प्रत्यक्ष रूप से कर रहा है। विभिन्न राज्यों में एककों के कार्य के संबंध में सूचना संलग्न विवरण-एक में दर्शायी गई है। स्थानों के नाम जहां ये एकक कार्य कर रहे हैं उसे वक्तव्य (विवरण-1) के कालम 3 तथा 5 में दर्शाया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान संस्थान तथा इसके क्षेत्रीय केन्द्र तथा उप केन्द्र फसल/पशु/शाखा पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों तरह के मूल तथा व्यावहारिक अनुसंधान कार्य कर रहे हैं जिसके लिए इन्हें आदेश प्राप्त है। प्रत्येक संस्थान का आदेश इसके नाम द्वारा दर्शाया गया है।

(घ) जी हां, श्रीमान, सातवीं योजना में परिषद का नये संस्थान, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र तथा प्रायोजना निदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। उनके नाम विवरण-दो में दिए गये हैं।

(ङ) इन संस्थानों को शुरू करने की तिथि तथा सम्बन्धित स्थानों का निर्णय अभी तक नहीं हुआ है।

विवरण-एक

विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यरत भा० कृ० अ० प० के संस्थान/राष्ट्रीय ब्यूरो/प्रायोजना निदेशालय/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	संस्थान/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों के नाम	स्थान	अलग-अलग राज्यों में स्थित क्षेत्रीय केन्द्र/ उपकेन्द्र	स्थान
1	2	3	4	5
		कृषि		
आन्ध्र प्रदेश	1. केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	राजमुन्द्री	1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	हैदराबाद
	2. चावल प्रायोजना निदेशालय	हैदराबाद	2. केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	गुन्टूर
			3. केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	कन्डूकर
	3. तिलहन प्रायोजना निदेशालय	—वही—	4. केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	देवरापल्ली
			5. केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	चिन्तपल्ली
			6. कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला	गुन्टूर
		मात्स्यिकी		
	*4. बारानी कृषि प्रायोजना निदेशालय	हैदराबाद	1. केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मछली पालन अनुसंधान संस्थान	काकिनाडा
			2. —वही—	टेडपल्लिगुडम
	5. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी	हैदराबाद	3. —वही—	नागार्जुनसागर बांध

*इस प्रायोजना निदेशालय का दूसरा नाम केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान रखा गया। सातवीं योजना में यह भा० कृ० अ० प० का पूर्ण सक्षम संस्थान होगा।

1	2	3	4	5
			4. केन्द्रीय समुद्री मछलीपालन अनुसंधान संस्थान	वाल्टेयर
			5. —वही—	काकिनाडा
			6. केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान	हैदराबाद
			7. केन्द्रीय मछलीपालन प्रौद्योगिकी संस्थान	काकिनाडा
असम	—		**उप० पू० प० क्षे०**	
			1. जूट कृषि अनुसंधान संस्थान	सौरभोग
			2. केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान	काहिकुची
			3. राष्ट्रीय मृद्रा सर्वेक्षण तथा भूमि प्रयोग योजना ब्यूरो	जोरहाट
			4. केन्द्रीय अन्तस्थलीय मछलीपालन अनुसंधान संस्थान	गोहाटी
			कृषि	
बिहार	भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान	रांची	1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	पूसा
			2. भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	रांची
			3. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	पटना
			4. केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान	हजारीबाग
			5. कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	पूसा
			मात्स्यिकी	
			1. केन्द्रीय अन्तर्स्थलीय मछलीपालन अनुसंधान संस्थान	भागलपुर

1	2	3	4	5
			2. —वही—	बक्सर
			3. —वही—	मुजफ्फरपुर
			कृषि	
गुजरात	राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र	जूनागढ़	1. भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	गोधरा
			2. राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि योजना ब्यूरो	बड़ौदा
			3. केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान	वासदा
			4. केन्द्रीय शुल्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	भुज
			मात्स्यिकी	
			1. केन्द्रीय समुद्री मछली पालन अनुसंधान संस्थान	वेरावल
			2. केन्द्रीय मछली पालन प्रौद्योगिकी संस्थान	वेरावल
			कृषि	
हरियाणा	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान	करनाल		
			1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	सिरसा
			2. —वही—	करनाल
	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	—वही—	3. गन्ना प्रजनन संस्थान	—वही—
			4. कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला	हिसार
			5. केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान	सिरसा

1	2	3	4	5
			मात्स्यिकी	
	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान	हिसार	1. केन्द्रीय अन्तर्स्थलीय मछली पालन अनुसंधान संस्थान	करनाल
	राष्ट्रीय आश्व अनुसंधान केन्द्र	—वही—		
			कृषि	
हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	शिमला	1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	शिमला
			2. —वही—	—वही—
	राष्ट्रीय खुम्भी अनुसंधान केन्द्र	सोलन	3. —वही—	कुल्लू
			4. —वही—	शिमला
			5. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	कुफ्री
			6. राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	शिमला
			पशु विज्ञान	
			1. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	पालमपुर
			2. केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान	कुल्लू
			मात्स्यिकी	
			1. केन्द्रीय अन्तर्स्थलीय मछली पालन अनुसंधान संस्थान	बिलासपुर
			कृषि	
			1. भारतीय चरागाह तथा चारा अनुसंधान संस्थान	पालमपुर

1	2	3	4	5
			पशु विज्ञान	
जम्मू तथा कश्मीर			1. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	श्रीनगर
			मात्स्यिकी	
			1. केन्द्रीय अन्तर्स्थलीय मछली पालन अनुसंधान संस्थान	—वही—
			कृषि	
कर्नाटक	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	बंगलौर	1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	हेब्बल
			2. भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	चेताली
	राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो तथा पशु आनुवंशिक संस्थान	बंगलौर	3. भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	गोनिकोप्पल
			4. केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान	अप्पान्गला
कर्नाटक	कर्नाटक की काली कपास मृदाओं पर अनुसंधान एडवांस केन्द्र	धारवाड	5. केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान	किडुनेट्टना
			6. —वही—	हिरेहल्ली
			7. —वही—	विट्टल
			8. —वही—	शान्तिगोड्ड
			9. केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	हुन्सूर
			10. कपास प्रौद्योगिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला	धारवाड
			11. राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि प्रयोग योजना ब्यूरो	बंगलौर
			12. केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण अनुसंधान संतथा प्रशिक्षण संस्थान	बेल्लरी

1	2	3	4	5
			पशु विज्ञान	
	—वही—	—वही—		
			1. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	बंगलौर
			2. राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	—वही—
			मात्स्यकी	
			1. केन्द्रीय अन्तर्स्थलीय मछलीपालन अनुसंधान संस्थान	बंगलौर
			2. —वही—	—वही—
			3. —वही—	करवार
केरल	केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान	कासरगोड	कृषि	
			1. केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान	कालीकट
			2. केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान	कयंकुलम
	केन्द्रीय कंदवर्गीय फसल अनुसंधान संस्थान	त्रिवेन्द्रम	3. केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान	पालोड
			4. —वही—	कैन्नारा
			5. —वही—	त्रिचूर
	केन्द्रीय मात्स्यकी प्रौद्योगिकी संस्थान	कोचीन	6. गन्ना प्रजनन संस्थान	कन्नानोर
			7. राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो	त्रिचूर
			मात्स्यकी	
	केन्द्रीय समुद्रीय मछली पालन अनुसंधान संस्थान	कोचीन	1. केन्द्रीय समुद्री मछली पालन अनुसंधान संस्थान	एर्नाकुलम

1	2	3	4	5
			2. —वही—	कोचीन
			3. —वही—	नरक्कल
			4. —वही—	पैलिपुर
			5. —वही—	वीजवीगजम
			6. केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	कालीकुट
मध्य प्रदेश	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान	भोपाल	कृषि	
			1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	इन्दौर
			2. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	ग्वालियर
			3. कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला	इन्दौर
			4. भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान	धर्मजयगढ़
			पशु विज्ञान	
			1. भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान	भोपाल
			मात्स्यिकी	
			1. केन्द्रीय मछली शिक्षा संस्थान	होशंगाबाद
महाराष्ट्र	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान	नागपुर	कृषि	
			1. भारतीय कृषि असंधान संस्थान	पुणे
			2. राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो	अकोला
	कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला	बम्बई	3. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	राजमुन्द्री
			4. कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला	राहुड़ी
	राष्ट्रीय मुदा सर्वेक्षण तथा	नागपुर	5. —वही—	नागपुर

1	2	3	4	5
	भूमि उपयोग योजना ब्यूरो		6. कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला	नानदेव
	केन्द्रीय मछली पालन-शिक्षा संस्थान	बम्बई	7. राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग योजना ब्यूरो	नागपुर
			पशु विज्ञान	
			1. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	बम्बई
			मात्स्यिकी	
			1. केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मछली पालन अनुसंधान संस्थान	पुणे
			2. केन्द्रीय समुद्री मछली पालन अनुसंधान संस्थान	बम्बई
			3. केन्द्रीय मछलीपालन प्रौद्योगिकी संस्थान	कोलावा
मणिपुर			4. उ० पू० प० क्षेत्र भा० कृ० अ० अनुसंधान कम्पलेक्स	इम्फाल
मेघालय	आई० सी० ए० आर० रिसर्च कम्पलैक्स फार एन० ई० एच० रीजन	शिलांग	**कृषि**	
			1. राष्ट्रीय पौध आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो	शिलांग
			2. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	शिलांग
नागालैंड	राष्ट्रीय पुरबा अनुसंधान केन्द्र	पुरबा (नागालैंड)	आई० सी० ए० आर० रिसर्च कम्पलैक्स फार एन० ई० एच० रीजन	घासपाणी
			कृषि	
उड़ीसा				
	केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान	कटक	1. जूट कृषि अनुसंधान संस्थान	बाम्बरा

1	2	3	4	5
			2. केन्द्रीय कन्द वर्गीय अनुसंधान संस्थान	भुवनेश्वर
			मात्स्यिकी	
			1. केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मछली अनुसंधान संस्थान	कौशल्यागंज
			2. केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मछली अनुसंधान संस्थान	पुरी
			3. केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	सम्बलपुर
			4. केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	बौरला
			कृषि	
पंजाब			1. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	जालन्धर
			2. कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला	लुधियाना
			3. केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान	नाभा
राजस्थान	केन्द्रीय मरुभूमि अनुसंधान संस्थान	जोधपुर	**कृषि**	
			1. केन्द्रीय मरु भूमि अनुसंधान संस्थान	बीकानेर
	केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान	अविकानगर	2. —वही—	जैसलमेर
			3. —वही—	पाली
	राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र	बीकानेर	4. राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो	जोधपुर
			5. केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान	कोटा
			6. कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला	श्रीगंगानगर

1	2	3	4	5
			पशु विज्ञान	
			1. केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान	बीकानेर
सिक्किम			आई० सी० ए० आर० रिसर्च कम्पलैक्स फार एन० ई० एच० रीजन	गंगटोक
तमिलनाडु	गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान	कोयम्बटूर	**कृषि**	
			1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	वेलींगटन
			2. केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान	अदूथूराई
			3. केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान	कोयम्बटूर
			4. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	कोडईकनाल
			5. —वही—	ऊटकमण्ड
			6. केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	बदनासुन्दूर
			7. केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान	ऊटकमण्ड
			8. कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला	कोयम्बटूर
			पशु विज्ञान	
			1. केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान	कोडईकनाल
			मात्स्यिकी	
			1. केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मछली पालन अनुसंधान संस्थान	मद्रास
			2. —वही—	भवानीसागर

1	2	3	4	5
			3. —वही—	पोल्लाची
			4. —वही—	टूटीकोरिन
			5. —वही—	मण्डपम
			6. —वही—	मद्रास
			कृषि	
त्रिपुरा			1. आई० सी० ए० आर० रिसर्च कम्पलैक्स फार० एन० ई० एच० रीजन	लिम्बूबेरा (अगरतला)
उत्तर प्रदेश	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान	झांसी	1. विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला	नैनीताल
			2. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	कानपुर
	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान	लखनऊ	3. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	मोदीपुरम
	*उत्तरी मैदानों के लिए केन्द्रीय बागानी संस्थान		4. जूट कृषि अनुसंधान संस्थान	प्रतापपढ़
			5. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	मुक्तेश्वर
	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला	अल्मोड़ा	6. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	दौराला
	केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान और प्रशिक्षण इन्स्टीट्यूट	देहरादून	7. केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान और प्रशिक्षण इन्स्टीट्यूट	आगरा
			पशु विज्ञान	
	भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान	इज्जतनगर	1. भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान	मुक्तेश्वर

*इस संस्थान का छठी योजना में पहले ही उद्घाटन किया जा चुका है तथा सातवीं पचवर्षीय योजना में यह एक पूर्ण सक्षम संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है।

1	2	3	4	5
			मात्स्यिकी	
	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान	इज्जतनगर	1. केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मछली पालन अनुसंधान संस्थान	रिहन्द
	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान	मखदूम	2. —वही—	इलाहाबाद
	राष्ट्रीय मछली आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो	इलाहाबाद		
	दाल प्रायोजना निदेशालय	कानपुर	3. केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान	आगरा
पश्चिम बंगाल	जूट कृषि अनुसंधान संस्थान	बैरकपुर	1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	दार्जिलिंग
			2. जूट कृषि अनुसंधान संस्थान	बुरदवार
	जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान प्रयोगशाला	कलकत्ता	3. केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान	मोहितनगर
	केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मात्स्यिकी संस्थान	बैरकपुर	4. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	दार्जिलिंग
			5. केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान	पानसुकरा
			6. केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान	केनिंग टाउन
			7. राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग योजना ब्यूरो	कलकत्ता
			8. केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	दीनहारा
			पशु विज्ञान	
			1. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	हरिनघट्टा

1	2	3	4	5
			2. भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान	कलकत्ता
			मात्स्यिकी	
			1. केन्द्रीय अन्तःस्थलीय मछली पालन अनुसंधान संस्थान	काकद्वीप
			2. —वही—	कल्याणी
			3. —वही—	रेहरा
			4. केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान	बैरकपुर
			कृषि	
अण्डमान तथा निकोबार आईलैण्ड	अण्डमान तथा निकोबार ग्रुप्स आफ आईलैण्डस के लिए केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान	पोर्ट-ब्लेयर	1. केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान	पोर्ट-ब्लेयर
अरुणाचल प्रदेश	राष्ट्रीय याक अनुसंधान केन्द्र	निकमाडोंग	1. आई० सी० ए० आर० रिसर्च कम्पलैक्स फार० एन० ई० एच० रीजन	बसर
			कृषि	
चण्डीगढ़			1. केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान	चण्डीगढ़
			कृषि	
दिल्ली	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली	1. राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग योजना ब्यूरो	नई दिल्ली
	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली		

1	2	3	4	5
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो	नई दिल्ली		
	गेहूं प्रायोजना निदेशालय	नई दिल्ली		
			कृषि	
गोवा दमन तथा द्वीप			1. केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान	इल्ला
			मात्स्यिकी	
			1. केन्द्रीय मछली प्रौद्योगिकी संस्थान	पणजी
			कृषि	
लक्षद्वीप तथा मीनीकोय आईलैंडस			केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान	लक्ष्यद्वीप
			मात्स्यिकी	
			केन्द्रीय समुद्री मछली पालन अनुसंधान संस्थान	मीनीकोय
मजोरम			आई० सी० ए० आर० रिसर्च कम्पलैक्स फार एन० ई० एच० रीजन	कोलासिब

विवरण-2

7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रस्तावित संस्थान/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र/प्रायोजना निदेशालय;

I. संस्थान

(i) कृषि

1. केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान
2. केन्द्रीय फसल कटाई के बाद अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी का संस्थान

(ii) पशु विज्ञान तथा मात्स्यिकी

1. राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान
2. खारे पानी की मछली पालन का संस्थान

(iii) प्रकाशन तथा सूचना

1. कृषि विज्ञान के लिए संचार संस्थान

II राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

(i) कृषि

1. राष्ट्रीय जीव प्रौद्योगिकी फसल विज्ञान केन्द्र
2. राष्ट्रीय, ज्वार अनुसंधान केन्द्र
3. राष्ट्रीय संबद्ध रेशा अनुसंधान केन्द्र
4. राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र
5. राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र
6. राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केन्द्र
7. राष्ट्रीय शुष्क भूमि बागबानी अनुसंधान केन्द्र
8. राष्ट्रीय चिकित्सा तथा सुगन्धित पौधे का अनुसंधान केन्द्र
9. राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केन्द्र
10. राष्ट्रीय प्याज तथा लहसून अनुसंधान केन्द्र
11. राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र
12. राष्ट्रीय आर्किड्स अनुसंधान केन्द्र
13. राष्ट्रीय खरपतवार नियन्त्रण अनुसंधान केंद्र
14. पूर्वी क्षेत्र के लिए जल प्रौद्योगिकी केन्द्र
15. राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र

(ii) पशु विज्ञान-मात्स्यिकी

1. नीट तथा मांस उत्पादन प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

2. ठंडे पानी की मछली पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

3. पशु स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय जीव प्रौद्योगिकी केन्द्र

4. पशु उत्पादन पर राष्ट्रीय जीव प्रौद्योगिकी

@. III **प्रायोजना निदेशालय**

1. प्रायोजना निदेशालय सब्जियां

2. प्रायोजना निदेशालय सस्य विज्ञान अनुसंधान

3. प्रायोजना निदेशालय जल प्रबन्ध

4. प्रायोजना निदेशालय मवेशी

5. प्रायोजना निदेशालय मुर्गीपालन

@चल रही समन्वित प्रायोजना की प्रोन्नति द्वारा ।

माल डिब्बा उद्योग में छंटनी

2989. **श्री आनन्द पाठक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को माल डिब्बा उद्योग में छंटनी के संबंध में, जिससे पश्चिम बंगाल में गंभीर कठिनाइयां पैदा हो गई हैं; कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) श्रम मंत्री को रेलवे बोर्ड द्वारा वैगनों के आदेश में कटौती करने के कारण बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के बर्नपुर वर्क्स में श्रमिकों की छंटनी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में मजदूर संघों के शिष्टमंडल से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ । रेलवे बोर्ड, जिसके साथ यह मामला उठाया गया था, के अनुसार, 1985-86 के दौरान रेल वैगनों की प्राप्ति में कमी स्रोत में नियंत्रण के कारण हुई है । तथापि, परिव्यय के अंदर वैगन प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त निधियों का पता लगाया जा रहा है, जिसे सातवीं योजना के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा और जिसके ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

पश्चिम बंगाल में जल विभाजक प्रबन्ध

2990. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में गंगा बेसिन की बाढ़ प्रवण नदियों के जलागम क्षेत्रों में विशेष कर पश्चिम बंगाल राज्य में जल विभाजकों का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में कितने जल विभाजकों का चयन किया गया है;

(ग) उनके विकास के लिए कितने पूंजी परिव्यय का प्रावधान किया गया है;

(घ) क्या यह योजना सातवीं योजना के दौरान भी जारी रहेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर अनुमानित पूंजीगत परिव्यय कितना होगा ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 8 जलग्रहण क्षेत्रों में गंगा बेसिन के बाढ़ प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों के लिए समेकित जल विभाजन प्रबंध की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। इस योजना में पश्चिम बंगाल के दो जलग्रहण क्षेत्रों अर्थात् अजय और रूपनारायण शामिल हैं। अजय के 4 जलविभाजकों और रूपनारायण जलग्रहण क्षेत्रों के 23 जलविभाजकों में समेकित मृदा और जल संरक्षण उपाय शुरू किये गये हैं।

(ग) अजय और रूपनारायण जलग्रहण क्षेत्रों में समेकित जलविभाजन प्रबंध के उपायों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य को 242.39 लाख रुपये की राशि दी गई थी।

(घ) और (ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना चालू रखने के और उसके लिए व्यय के प्रस्ताव पर अभी योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जानी है। फिर भी 1985-86 के दौरान अजय और रूपनारायण जलग्रहण क्षेत्रों में कार्यक्रम के निष्पादन के लिए पश्चिम बंगाल राज्य को 100 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत लाना

2991. श्री नरसिंह सूर्यवंशी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ) सेवा निवृत्त कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, श्रमिकों की ओर से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम को उनकी सेवा निवृत्ति के बाद भी उन्हें चिकित्सा सुविधाएं देते रहना चाहिए। इस मामले की जांच करनी होगी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

बागानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि परिवार पेंशन और जमा से जुड़ा बीमा

2992. श्री पीयूष तिरकी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 में बागानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, परिवार पेंशन और जमा से जुड़े बीमे का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि चाय बागानों के नियोक्ता इस कानून का पालन करें; और

(ग) इस कानून का उल्लंघन करने के दोषी पाए जाने वाले कितने नियोक्ताओं को अभी तक दंडित किया गया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के सब्जी भण्डारण गोदाम

2993. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के राजधानी के विभिन्न भागों में सब्जी भण्डारण गोदाम और वितरण केन्द्र स्थापित करने का एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने राजधानी में फल और सब्जी के विपणन के लिए एक केन्द्रीय वितरण सुविधा और खुनरा बिक्री केन्द्रों को स्थापित करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है ।

(ख) एक ऐसे केन्द्रीय वितरण सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव है, जहां उत्पाद को ग्रहण किया जा सके और उनका श्रेणीकरण तथा भण्डारण किया जा सके । दिल्ली के विभिन्न भागों में लगभग 200 खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, उत्पादों को इन केन्द्रों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सुलभ कराया जाएगा । अभी तक सिर्फ 11 खुदरा बिक्री केन्द्र ही स्थापित किये गये हैं । अन्य केन्द्र केन्द्रीय वितरण सुविधा के स्थापित किए जाने पर खोल दिए जाएंगे ।

बिहार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुसंधान केन्द्र

2994. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का बिहार में धान और गन्ने के लिए अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये केन्द्र कब तथा कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे;

(ग) क्या बिहार में बारानी खेती सम्बन्धी अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या ब्यौरा है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) परिषद के पास सातवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार में गन्ना प्रजनन संस्थान (कोयम्बटूर) का एक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि योजना के लिए संसाधन उपलब्ध हों और योजना आयोग एवं वित्त द्वारा उसकी स्वीकृति मिल जाए। इसके अतिरिक्त, सहरसा जिले के अगवानपुर में एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है जिसका उप केन्द्र जलालगढ़ (पूर्णिया) और कटिहार में स्थापित किया जाना है। ये केन्द्र राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (बिहार) के अन्तर्गत स्थापित किये जायेंगे तथा धान एवं गन्ना सहित उस क्षेत्र की बड़ी फसलों पर कार्य करेंगे।

(ग) और (घ) सातवीं योजना के दौरान राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अखिल भारतीय समन्वित बारानी कृषि प्रायोजना एक समन्वयक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उसके लिए धनराशि उपलब्ध हो और योजना आयोग/वित्त द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो जाए।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विजय मंडल एनक्लेव में फ्लैटों (स्व-वित्त पोषण योजना-III) का कब्जा देना

2995. श्री सरफराज अहमद : क्या निर्माण और आवास मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विजय मंडल एनक्लेव में फ्लैटों (स्ववित्त पोषण योजना-III) का कब्जा देने के बारे में 25 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 885 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1985 तक सम्बन्धित 196 तक मकानों का आबंटन कर दिया गया और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा इसमें देरी होने के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदनकर्ता हैं; और

(ग) निर्माण पूरा करके उन्हें कब तक मकान आबंटित कर दिए जायेंगे?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आसनसोल तथा रानीगंज क्षेत्र में कोयला खानों में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन

2996. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :
श्री आनंद पाठक :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आसनसोल और रानीगंज क्षेत्रों में अधिकतर कोयला खानों में सुरक्षा उपायों का व्यापक उल्लंघन किए जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो लापरवाही बरतने और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के लिए

जिम्मेदार खान अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा पहली जनवरी से 31 जुलाई, 1985 की अवधि के दौरान आसनसोल तथा रानीगंज क्षेत्रों में स्थित 121 कोयला खानों में से 93 खानों का निरीक्षण किया गया। इन निरीक्षणों के परिणामस्वरूप इस निदेशालय द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

(1) 8 खान प्रबंधतंत्रों को रोजगार निषेधादेश जारी किए गए।

(2) एक मामले में कोयला निकालने के लिए दी गई अनुमति को वापस ले लिया गया।

(3) 3 मामलों में खान अधिनियम, 1952 की धारा 22(1) तथा 22क(1) के अन्तर्गत नोटिस जारी किए गए; और

(4) 13 अन्य खानों के प्रबंधतंत्रों को चेतावनी पत्र जारी किए गए।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने के लिए केन्द्रीय सहायता

2997. **डा० सुधीर राय** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हुए श्रम मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में कुछ राज्य सरकारों ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने के लिए पर्याप्त केन्द्रीय सहायता की मांग की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन ने देश में अधिकांश सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध पुराने उपकरणों के बारे में चिन्ता व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपकरणों को बदलने और उन्हें आधुनिक बनाने की तत्काल आवश्यकता है। यह लक्ष्य केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है यदि केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में धन-राशि उपलब्ध करा दी जाए। सम्मेलन का यह विचार था कि योजना आयोग को इन दिशाओं पर श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव को प्राथमिकता देनी चाहिए।

(ग) भारत सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति दे दी है।

(घ) राज्य सरकार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पुराने तथा घिसे-पिटे उपकरण तथा मशीनरी को बदलने के लिए, भारत सरकार के बराबर अंशदान के रूप में लगभग 1700.00 लाख रुपये के परिव्यय की केन्द्र द्वारा प्रायोजना तैयार की जा रही है। इस योजना की जांच तब की जाएगी जब इसके अपेक्षित ब्यौरे तैयार कर दिए जाएंगे।

भारतीय कला केन्द्र से लिए गए दुरुपयोग प्रभार

2998. **श्री डी० पी० यादव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री भारतीय कला केन्द्र से लिये गये दुरुपयोग प्रभार के बारे में 15 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2990 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कला केन्द्र ने अपने भवन का एक भाग अस्पताल सेवा परामर्श निगम को दिया हुआ है;

(ख) क्या भारतीय कला केन्द्र से किसी दुरुपयोग प्रभार की मांग की गई है यदि हां, तो दुरुपयोग प्रभार का हिसाब किस आधार पर लगाया गया है;

(ग) क्या नई दिल्ली में अपने भवन के एक भाग को किराये पर देने की इच्छुक अन्य सांस्कृतिक संस्थानों को भी अपने भवन का भाग सरकारी उपक्रमों को किराये पर देने की अनुमति दी जाएगी; और

(घ) क्या उन्हें भी वही सुविधाएं दी जाएंगी जो भारतीय कला केन्द्र को दी गई हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। निर्धारित सूत्र के अनुसार दुरुपयोग प्रभारों का हिसाब लगाया जाता है तथा यह दुरुपयोग प्रभारों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र और प्रचलित भूमि लागत पर आधारित होता है।

(ग) पट्टे की शर्तों में दिये गये प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए सांस्थानिक सम्पत्तियों के प्रयोग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तथापि, अतिक्रमणों का अस्थायी नियमितिकरण दुरुपयोग प्रभारों के भुगतान पर पट्टाधारी के इस स्पष्ट वचनपत्र पर किया जाता है कि अतिक्रमणों को निर्धारित तारीख तक हटा दिया जाएगा।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश को चावल का आबंटन

2999. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मिल लेवी चावल को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने और राज्य को अपने समाज कल्याण कार्यक्रम के लिये अधिक आबंटन करने का अनुरोध किया था और यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत चावल की वसूली के लिये आन्ध्र प्रदेश राज्य नागरिक पूर्ति निगम को अधिसूचित एजेन्सी घोषित करने का अनुरोध किया है और इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त गारंटी दी है और यदि हां, तो इस प्रस्ताव से सहमत न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान की गई अधिक वसूली से पड़ोसी राज्य को चावल के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 50 प्रतिशत की वर्तमान मिल लेवी को बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने विषयक आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि लेवी की दर बढ़ाने से खुले बाजार में चावल की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे अन्य अवांछनीय परिणाम निकलेंगे। राज्य सरकार को 75,000 मीटरी टन चावल का विशेष अतिरिक्त आबंटन किया गया था जबकि उन्होंने 2 लाख मीटरी टन का अतिरिक्त आबंटन करने के लिए अनुरोध किया था।

(ख) राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि सरकार की यह नीति है कि एक ही राज्य में दोनों, राज्य और केन्द्रीय भंडार के लिए साथ-साथ वसूली नहीं की जानी चाहिये क्योंकि अन्यथा इससे हितों में टकराव होगा, क्षेत्रों का विभाजन करने में कठिनाइयां पैदा होंगी, आदि।

(ग) आन्ध्र प्रदेश से अन्य राज्यों को भेजी गई चावल की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना में पश्चिमी बंगाल में कृषि उत्पादन

3000. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि की तुलना में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि के आंकड़े क्या थे; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में पश्चिम बंगाल का राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कौन-सा स्थान था ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) नया 20 सूत्री कार्यक्रम 14 जनवरी, 1982 को घोषित किया गया था और 1982-83 से इसका क्रियान्वयन शुरू किया गया था। कृषि और सहकारिता विभाग का सम्बन्ध बारानी कृषि और दलहनों और वनस्पति तिलहनों के उत्पादन से है। वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के लिए बारानी खेती (पनधारा विकास) कार्यक्रम और दलहनों तथा वनस्पति तिलहनों के उत्पादन के राज्य-वार लक्ष्य और उपलब्धियों को दर्शाने वाले तीन विवरण संलग्न हैं। 1984-85 के लिए दलहनों और तिलहनों के उत्पादन के संबंध में राज्य-वार सूचना संलग्न तीन विवरणों में नहीं दी गई है क्योंकि इन फसलों के अन्तिम अनुमान अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ख) नए 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में राज्यों के कार्य निष्पादन का स्थान 17 मदों के तहत की गई प्रगति पर आधारित है, न कि केवल कृषि से संबंधित मदों पर।

विवरण-1

गहन विकास के लिए अभिज्ञात की गई सूक्ष्म पनशाराएं

(संख्या)

राज्य	1982-83		1983-84		1984-85	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	250	250	250	250	250	250
2. असम	125	125	125	125	125	125
3. बिहार	300	350	350	65	215	215
4. गुजरात	200	200	200	200	200	200
5. हरियाणा	87	134	134	56	134	94
6. हिमाचल प्रदेश	50	50	50	50	50	50
7. जम्मू और कश्मीर	75	79	79	79	79	79
8. कर्नाटक	150	175	175	174	175	379
9. केरल	140	198	198	198	198	198
10. मध्य प्रदेश	420	620	620	603	620	603
11. महाराष्ट्र	296	296	296	469	469	323
12. मणिपुर	26	5	5	25	25	25
13. मेघालय	24	35	35	—	35	—
14. नागालैण्ड	21	2	2	—	2	—
15. उड़ीसा	280	370	370	232	370	341
16. पंजाब	60	16	16	13	16	16
17. राजस्थान	200	200	200	200	200	46
18. सिक्किम	3	—	—	—	3	4
19. तमिलनाडु	200	212	212	212	212	212
20. त्रिपुरा	17	17	17	17	17	17
21. उत्तर प्रदेश	600	600	600	898	898	898

1	2	3	4	5	6	7
22. पं० बंगाल	200	298	298	100	298	117
23. संघ शासित क्षेत्र	100	14	14	1	18	—
योग	3824	4246	4246	3967	4609	4392

विवरण-2

दलहनों का उत्पादन

(हजार मीटरी टन)

राज्य	1982-83		1983-84		1984-85
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	430	585	460	533	476
2. असम	68	53	71	51	72
3. बिहार	730	702	853	702	850
4. गुजरात	313	473	367	559	318
5. हरियाणा	1124	315	704	360	520
6. हिमाचल प्रदेश	—	9	—	13	13
7. जम्मू और कश्मीर	—	30	—	31	33
8. कर्नाटक	650	519	770	594	801
9. केरल	—	21	25	21	12
10. मध्य प्रदेश	2190	2608	2700	2685	2441
11. महाराष्ट्र	1028	963	1048	1258	1064
12. उड़ीसा	1004	922	898	1050	935
13. पंजाब	307	122	215	137	190
14. राजस्थान	1890	1570	2053	1659	2099
15. तमिलनाडु	421	210	283	255	319
16. उत्तर प्रदेश	2940	2542	3000	2482	2608

1	2	3	4	5	6
17. पं० बंगाल	365	198	278	245	198
18. संघ शासित क्षेत्र तथा अन्य	80	15	109	20	51
योग	13540	11857	13834	12655	13000
	{13000-13500}		(13000)		(13000)

टिप्पण : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े योजना आयोग द्वारा निर्धारित अखिल भारतीय लक्ष्यों को दर्शाते हैं।

विवरण-3

तिलहनों का उत्पादन

(हजार मीटरी टन)

राज्य	1982-83		1983-84		1984-85
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	1342	1256	1550	1815	1400
2. असम	86	135	115	153	130
3. बिहार	144	114	150	121	143
4. गुजरात	2745	1785	2930	2473	2840
5. हरियाणा	90	117	170	164	160
6. हिमाचल प्रदेश	—	—6	10	7	10
7. जम्मू और कश्मीर	40	51	70	54	65
8. कर्नाटक	933	784	850	1023	1035
9. केरल	24	12	28	12	21
10. मध्य प्रदेश	1201	876	1200	1155	1355
11. महाराष्ट्र	1040	1060	1250	1458	1322
12. उड़ीसा	383	590	600	687	669
13. पंजाब	166	133	200	115	150

1	2	3	4	5	6
14. राजस्थान	495	626	650	952	724
15. तमिलनाडु	1274	914	1425	1157	1135
16. उत्तर प्रदेश	1915	1336	2100	1244	1730
17. पं० बंगाल	105	170	170	194	105
18. संघ शासित क्षेत्र तथा अन्य	55	30	70	30	6
योग	12038	9995	13538	12814	13000
	(11800-12000)		(12500)		(13000)

टिप्पण : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े योजना आयोग द्वारा निर्धारित अखिल भारतीय लक्ष्यों को दर्शाते हैं ।

कन्नानोर (केरल) में अरालम स्टेट फार्म

3001. **श्री एम० रामाचन्द्रन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कन्नानोर में अरालम स्टेट फार्म की स्थापना के लिए सोवियत संघ से प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस फार्म में नुकसान और विद्युत उत्पादन के मुख्य कारण प्रबन्धक मण्डल के कार्मिकों का बार-बार बदला जाना और रोपण/कृषि के सम्बन्ध में उनके विभिन्न विचार होना है; और

(ग) क्या सरकार फार्म के कुशल कार्यकरण के लिए एक सलाहकार समिति बनाने पर विचार करेगी जिसमें लोगों के प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ, ट्रेड यूनियनों के सदस्य आदि शामिल हों ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) केन्द्रीय राज्य फार्म, अरालम, जिला कन्नानोर (केरल) के लिए यू० एस० एस० आर० सरकार से 23.99 लाख रुपये (सी० आई० एफ० मूल्य) कीमत की कृषि मशीनरी और अतिरिक्त कलपुर्जे उपहार में मिले थे ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) भारतीय राज्य फार्म विग्रम ने कन्नानोर सहित सभी फार्मों के लिए कतिपय एक समान नीति और प्रतिमान पर आधारित एक सलाहकार समिति पहले ही गठित की हुई है । सलाहकार समिति ने राज्य का कृषि उत्पादन आयुक्त, कृषि निदेशक, चीफ इंजीनियर श्रम आयुक्त, बिजली बोर्ड का प्रतिनिधि, केन्द्रीय बागान फसल अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय कन्द-फसल

संस्थान रबर बोर्ड, नारियल बोर्ड, काजू विकास निदेशालय, आदि जैसे अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिक हैं। सलाहकार समिति की बैठकों में सभी नीति विषयक मामलों और फार्मों की प्रगति पर चर्चा की जाती है।

इसके अलावा, कन्नौर फार्म में फार्म विकास परिषद कार्य कर रही है जिसमें ट्रेड यूनियनों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। इन परिस्थितियों में कोई अन्य सलाहकार समिति गठित करने का प्रस्ताव नहीं है।

सेंसर बोर्ड का कार्यकरण

3002. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंसर बोर्ड का कार्यकरण बहुत ही असन्तोषजनक है और घटिया किस्म की फिल्में पास कर दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या दूरदर्शन पर "ए" प्रमाणपत्र प्राप्त हिन्दी और विदेशी भाषाओं की फिल्में दिखाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसी फिल्में कब से दिखाई जाएंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, नहीं। सभी फिल्मों की जांच केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 तथा तदन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के उपबन्धों के अनुसार की जाती है। मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रति संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1348/85**] बोर्ड तथा इसके सलाहकार पैनलों के सदस्यों तथा परीक्षण अधिकारियों को समय-समय पर ये निर्देश दिये जाते हैं कि वे फिल्मों की जांच करते समय मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कड़ाई से अनुपालन करें। जब भी प्रमाणित फिल्मों में मार्गदर्शी सिद्धान्तों के उल्लंघन का कोई मामला सरकार के ध्यान में आता है तो आवश्यक शोधक कार्रवाई की जाती है।

(ग) और (घ) सभी भाषाओं की "ए" प्रमाणपत्र प्राप्त फीचर फिल्मों को उनमें से उन अंशों, जो परिवार के साथ देखने योग्य नहीं हैं, को निकालने के बाद ही दूरदर्शन पर टेलीकास्ट करने का निर्णय लिया गया है।

आराम बाग में सरकारी मकानों की अस्वास्थ्यकर स्थितियां

3003. **श्री ओवेसी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह पता है कि आराम बाग में "सी" श्रेणी मकानों के निवासी पिछले दो वर्षों से अपने आपको वहां अस्वास्थ्यकर स्थितियों, पानी के लगातार रिसने, नालियों में पानी खड़े रहने तथा खराब निर्माण सामग्री के प्रयोग के कारण मकानों में पड़ी दरारों के कारण असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तथा महानिदेशक (निर्माण) को उनके अनुरोध पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो आबंटन के इतने लम्बे समय के बावजूद भी कठिनाइयों को दूर न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने की सोच रही है और कब तक यह कदम उठा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) निवासियों द्वारा असुरक्षा की भावना महसूस करने के बारे में न तो कोई रिपोर्ट है और न ही कोई कारण है । घटिया सामग्री के कारण भवन में दरारें पड़ने की भी कोई रिपोर्ट नहीं है । इस समय इस क्षेत्र में चारों निर्माण गतिविधियां चल रही हैं । इस क्षेत्र के लिए अन्तिम बल निकास प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

इस क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों के चालू रहने के कारण निवासियों को हो रही कुछ असुविधाओं के बारे में निर्माण महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को जानकारी है। नालियों और सड़क पर निचली जगहों को भरने के अस्थायी प्रबन्धों से स्थिति में पर्याप्त रूप से सुधार हुआ है ।

यह क्षेत्र विकासाधीन है तथा सम्पूर्ण काम्प्लेक्स का विकास कार्य जैसे कि क्षेत्र की सड़कों का समतल बनाना; पार्कों का विकास आदि अभी प्रगति पर है । सम्पूर्ण काम्प्लेक्स पर इन गतिविधियों के एक वर्ष के भीतर पूर्ण होने की सम्भावना है ।

निवासियों की रोजमर्रा की शिकायतों पर ध्यान दिया जाता है ।

एट्टमानूर (केरल) में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के निर्माण का प्रस्ताव

3004. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एट्टमानूर, जिला कोट्टायम, केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मणिपुर में उर्वरकों की काला बाजारी

3005. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मणिपुर में कुछ उर्वरकों की इतनी मांग है कि उनकी काला बाजार में बिक्री होती है; और

(ख) यदि हां, तो पूरी मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री धन्नूलाल धनुधाकर) : (क) मणिपुर में उर्वरकों की किसी कालाबाजारी की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ख) मणिपुर की उर्वरकों की मांग पूरी करने के लिये इस क्षेत्र में सभी किस्मों के उर्वरकों का पर्याप्त स्टाक है। राज्य सरकार द्वारा मांग किए जाने पर आपूर्ति की जाती है, क्योंकि राज्य में वितरण की वही एक एजेंसी है।

[हिन्दी]

किराया खरीद आधार पर मकानों का निर्माण

3006. **कुमारी डी० के० तारादेवी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को किराया खरीद आधार पर मकान मुहैया कराने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) आवास राज्य का विषय है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं और योजना प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं को बनाने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए स्वतन्त्र हैं।

तथापि, जुलाई, 1982 में सामाजिक आवास योजनाओं के पुनर्वर्गीकरण, जो कि आय पर आधारित था, के साथ ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि ये योजनाएं नितान्त रूप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, अल्प आय वर्ग तथा मध्य आय वर्ग के लिए होनी चाहिए जिसके लिए वे व्यक्ति पात्र होंगे जिनकी पारिवारिक आय प्रतिमाह क्रमशः 350 रुपये तक, 351 से 600 रुपये और 600 रुपये से 1500 रुपये तक हो।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू कम्पनियों में महिला कर्मचारी

3007. **श्री सी० सम्बु** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत तम्बाकू कम्पनियों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या गैर-सरकारी प्रबन्धकों द्वारा इन महिलाओं को न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो तम्बाकू कम्पनियों में महिला कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम को प्रभावशाली ढंग से लागू करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत तम्बाकू कम्पनियों में महिला श्रमिकों की कुल संख्या से सम्बन्धित आंकड़े आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के पास उपलब्ध होंगे। तम्बाकू उद्योग में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण और भुगतान राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

कर्नाटक में खाद्यान्न भण्डारण की क्षमता

3008. **श्री एच० जी० रामुलू** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में खाद्यान्न भण्डारण की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) कर्नाटक में नए भण्डारों के निर्माण संबंधी कार्यक्रम क्या हैं;

(ग) विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध भण्डारण क्षमता का ब्यौरा क्या है और नए गोदाम कहां-कहां बनाने का विचार है तथा उनकी क्षमता कितनी होगी; और

(घ) क्या कर्नाटक के रायचूर जिले में खरीद सबसे अधिक होती है, यदि हां, तो नए कार्यक्रम के अन्तर्गत वहां किस अनुपात में भण्डारण क्षमता उपलब्ध कराई गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास कर्नाटक में 1.7.1985 तक खाद्यान्नों के लिए 2.88 लाख मीटरी टन ढकी हुई भण्डारण क्षमता थी जैसा कि संलग्न विवरण एक में दिखाया गया है।

(ख) आशा है कि भारतीय खाद्य निगम 1985-86 के दौरान कर्नाटक में खाद्यान्नों के लिए 0.61 लाख मीटरी टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करेगा।

(ग) विवरण-दो संलग्न है।

(घ) कर्नाटक के रायचूर जिले में अत्यधिक वसूली की जाती है। भारतीय खाद्य निगम के पास रायचूर में खाद्यान्नों के लिए 8,900 मीटरी टन की भण्डारण क्षमता है।

विवरण-एक

भारतीय खाद्य निगम के पास कर्नाटक में 1.7.1985 को ढकी हुई भण्डारण क्षमता

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	भण्डारण क्षमता (हजार मीटरी टन में)
1	2	3
1.	कृष्ण राजापुरम (बंगलौर)	104.07
2.	कृष्ण राज नगर	5.00
3.	कोलार गोल्ड फील्ड्स	5.50
4.	मद्दुर	33.00

1 2	3
5. नानजुंगुड	8.34
6. होंगासन्द्रा	13.00
7. मैसूर	2.10
8. मांडया	1.00
9. बंगरपेट	10.28
10. तुमकुर	3.94
11. बेलगांम	8.00
12. अमारगोल	10.00
13. गडग	13.00
14. गुलबर्गा	4.70
15. हुबली	11.00
16. होसपेट	0.50
17. कावेरी	1.00
18. रायचूर	8.90
19. बैलहोगल	1.00
20. कोप्पा	2.50
21. गंगौठी	4.00
22. बेल्लारी	1.00
23. सिंधनपुर	2.00
24 सिरुगुप्पा	1.50
25. अक्कियालपुर	1.00
26. भद्रावती	5.00
27. वी० आर० एम० जी० (बंगलौर)	5.00
28. ई० बी० जी० (बंगलौर)	15.00
29. मंगलौर	8.25
30. शिकारीपुर	2.00
31. दावनगेरे	7.70
32. पानेम्बुर	3.50
33. होनाली	2.00

1 2	3
34. गोडीकोप्पा	11.35
35. होलेनारासीपुर	0.30
36. असरीकेरे	0.20
37. हसन	0.20
38. मालेबेन्नूर	0.50
39. हरिहर	0.50
	287.83

विवरण-दो

भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1985-86 में निर्माण की जाने वाली सम्भावित भण्डारण क्षमता

क्रम सं०	केन्द्र	क्षमता (हजार मीटरी टन में)
1.	ह्वाईटफील्ड	50.00
2.	हुबली	1.67
3.	के० आर० पुरम्	1.18
4.	मद्दुर	1.22
5.	भद्रावती	0.64
6.	के० आर० नगर	6.19
		61.00

महाराष्ट्र के लिए चावल के कोटे में कटौती

3009. श्री गुरदास कामत : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र का चावल का मासिक आबंटन 75,000 मीट्रिक टन से कम करके 25,000 मीट्रिक टन प्रति माह कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो चावल के इस आबंटन में कटौती के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार राज्य को चावल के आबंटन में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) हाल ही में महाराष्ट्र के चावल के मासिक आबंटन में कोई कमी नहीं की गई है । तथापि, 1982 में केन्द्रीय पूल से स्टाक की नियुक्तियों को कड़ाई के साथ विनियमित करने की आवश्यकता के संदर्भ में, विभिन्न राज्यों के लिए चावल के आबंटनों को युक्तियुक्त कर दिया गया था और महाराष्ट्र के मामले में उसके आबंटन की मात्रा जून, 1982 में 25,000 मीटरी टन निर्धारित कर दी गई थी जबकि अप्रैल, 1982 में यह मात्रा 75,000 मीटरी टन और मई, 1982 में 60,000 मीटरी टन थी ।

(ग) महाराष्ट्र के लिए जून, जुलाई और अगस्त, 1985 के प्रत्येक मास के लिए 5,000 मीटरी टन चावल के अतिरिक्त आबंटन किए गए हैं जिससे उसके मासिक आबंटन की मात्रा बढ़कर 30,000 मीटरी टन हो गई है । इसे और बढ़ाकर सितम्बर, 1985 के लिए 35,000 मीटरी टन किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, जुलाई, 1985 में राज्य सरकार को 20,000 मीटरी टन चावल का एक समय का विशेष आबंटन भी किया गया था ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"सी० बी० आई० प्रोब फेल टू हेव इंपेक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3010. श्री गौरी शंकर राजहंस :
श्री जी० भूपति :
श्री मोहम्मद महफूज अली खां :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जून, 1985 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार "सी० बी० आई० प्रोब फेल टू हेव इंपेक्ट" शीर्षक की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह शिकायत की है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के विभिन्न अधिकारियों के विरुद्ध पंजीकृत मामले तथा जांच किए गए मामलों में इसकी सिफारिशों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया;

(ग) उन मामलों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध की गई केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा मंत्रालय ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन मामलों को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को देने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) यह पाया गया था कि दोषी पार्टी पर लगाया गया दण्ड कमियों से मेल नहीं खाता था।

(ग) से (ङ) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जनजाति और पिछड़े वर्गों की दशा सुधारना

3011. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लोगों को अपने जीवन निर्वाह के लिए केवल कृषि पर निर्भर है;

(ख) क्या यह सच है कि कृषि पर उनकी निर्भरता होने के बावजूद कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि जो उनके उत्पादों का उन्हें उचित मूल्य दिलाये या कम से कम उन्हें बेहतर किस्म के बीज वितरित करे या उन्हें पंजीकृत खेती के फायदों से अवगत कराए; और

(ग) यदि हां, तो दूरदराज क्षेत्रों में आदिवासियों/पिछड़े वर्ग के लोगों की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : (क) यद्यपि आदिवासी तथा पिछड़े वर्ग काफी हद तक खेती पर निर्भर रहते हैं किन्तु वे अपने भरण-पोषण तथा आजीविका के लिए पशु पालन, मात्स्यिकी, कुटीर उद्योगों और लघु वन उत्पादों पर भी निर्भर करते हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) राज्य सरकारों ने आदिवासी क्षेत्रों में बड़े आकार की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों (लैम्पस) की स्थापना की है ताकि उनको एक ही सम्पर्क केन्द्र पर उत्पादन निवेश, उपभोग की आवश्यक वस्तुओं, आदि को खरीद, वन उत्पादों की अधिप्राप्ति के लिए अपेक्षित सभी किस्म के ऋणों की व्यवस्था की जा सके तथा उनके कृषि उत्पादों और उनके सहायक व्यवसायों के उत्पादों के विपणन में भी सहायता दी जा सके। अधिप्राप्त कृषि और लघु उत्पादों के विपणन में प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों की मदद के लिए कुछ राज्यों में आदिवासी सहकारी निगम संघ शीर्ष संगठनों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

किसानों को कृषि आदानों की आपूर्ति करने के लिए प्रभावी प्रबंध किए गए हैं। किसानों को यंत्रीकृत खेती की जानकारी देने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत किसानों में उन्नत कृषि उपकरणों का प्रदर्शन किया जा रहा है तथा चुनींदा क्षेत्रों में राजसहायता पर उन्नत उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान सहकारी दुग्ध संघ से दूध की खरीद

3012. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी द्वारा राजस्थान सहकारी दुग्ध संघ से दूध खरीदा जाता है;

(ख) राजस्थान सहकारी दुग्ध संघ को प्रति लीटर दूध का कितना मूल्य अदा किया जाता है;

(ग) राजस्थान सहकारी दुग्ध संघ द्वारा दूध उत्पादकों को प्रति लीटर दूध का कितना मूल्य अदा किया जाता है;

(घ) क्या दिल्ली दुग्ध योजना/मदर डेरी द्वारा प्रति लीटर दिए जाने वाले मूल्य में सरकार ने वृद्धि की थी, यदि हां तो यह वृद्धि किस तारीख से की गई; और

(ङ) क्या दूध उत्पादकों का बढ़ा हुआ मूल्य उसी तारीख से दिया जा रहा है अथवा इसमें कुछ विलम्ब हुआ है और क्या उनकी कम धनराशि मिलती है अथवा उनको वही मूल्य दिया जायेगा ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां ।

(ख) राजस्थान सहकारिता डेरी संघ (आर० सी० डी० एफ०) के साथ मदर डेयरी और दिल्ली दुग्ध योजना के करार हुए जो 1.11.84 से 31.10.85 तक प्रभावी है । इसके अनुसार परिवहन खर्च को छोड़कर दूध की सप्लाई के लिए भुगतान की गई देय कीमतें निम्न प्रकार हैं:—

(रुपये/कि०ग्रा०)

(1) भिश्रित दूध	
(क) भरपूर मौसम (नवम्बर और दिसम्बर 84) (जनवरी और फरवरी 85)	3.95
(ख) बीच का मौसम (मार्च, अगस्त से अक्तूबर 85)	4.15
(ग) कमी का मौसम (अप्रैल से जुलाई 85)	4.45
(2) गाय का दूध	
सभी मौसमों में	3.49

(ग) आर० सी० डी० एफ० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उसने दूध उत्पादकों को प्रति लीटर दूध की निम्नलिखित कीमत का भुगतान किया है । देय है :—

(रु०/लीटर)

	भिश्रित दूध	गाय का दूध
(1) भरपूर मौसम	3.10	2.40
(2) बीच का मौसम		
(क) मार्च, 1985	3.10	2.40
(ख) अगस्त-अक्तूबर, 1985	3.30	2.60
(3) कमी का मौसम	3.30	2.60

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना/मदर डेयरी ने पहली नवम्बर, 1984 से सब्जी आपने वार्षिक करार के नवीकरण के समय आर० सी० डी० एफ० से अधिप्राप्त दूध की खरीद कीमत बढ़ाई। मिश्रित दूध की 1-11-84 से 31-3-85 तक की और 1-8-85 से 31-10-85 तक की अवधि के लिए 54 पैसे प्रति कि० ग्रा० तथा 1-4-85 से 31-7-85 तक की अवधि के लिए 50 पैसे प्रति कि० ग्रा० खरीद कीमत बढ़ाई गई। गाय के दूध के मामले में सम्पूर्ण निविदा अवधि के लिए खरीद कीमत 45 पैसे प्रति कि० ग्रा० बढ़ाई गई है।

(ङ) आर० सी० डी० एफ० को उत्पादकों को किए गए भुगतान के अलावा अथवा सोसाइटियों, स्थानीय ट्रांसपोर्टरों, और यूनियनों को कमीशन देना पड़ता है। चालू कलेक्शन की अवधि के विभिन्न मौसमों के दौरान उत्पादकों को दी गई देय कीमतें प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में दी गई हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में किसानों के लिए उर्वरकों की सप्लाई करना

3013. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को उपलब्ध कराये गये उर्वरकों का उपयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन दिया है;

(ख) यदि हां, तो चालू खरीफ मौसम के दौरान किसानों के लिए उड़ीसा को उर्वरकों की कितनी मात्रा उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) उड़ीसा राज्य को गत वर्ष के उर्वरकों की कितनी मात्रा सप्लाई की गई थी ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) चालू 1985 की खरीफ फसल के दौरान पहली अप्रैल से 15 जुलाई, 1985 तक राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता लगभग 55.6 हजार मीटरी टन पोषक तत्वों की थी जबकि पहली अप्रैल से 30 सितम्बर, 1985 की अवधि के लिए खपत का अनुमान 75 हजार मीटरी टन लगाया गया है।

(ग) उड़ीसा राज्य को 1984-85 में लगभग 1.36 लाख मीटरी टन उर्वरक पोषक तत्व उपलब्ध कराये गये थे।

मध्य प्रदेश में भूमि सुधारों का कार्यान्वयन

3014. **श्री के० राममूर्ति :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने अपने मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अपना असंतोष व्यक्त किया था; और

(ख) यदि हां, तो भूमि सुधारों की प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शहरों में परिवहन के संबंध में वर्ष 1985 में दिल्ली में हुई विचार गोष्ठी

3015. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरों में परिवहन के संबंध में दिल्ली में 13-14 जुलाई को हुई एक विचार गोष्ठी में सुझाव दिया गया है कि भूमि उपयोग पद्धति पर निर्णय लिए जाने से पहले परिवहन नीति बनाई जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) रेल इंडिया टैक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसिस लिमिटेड और द लण्डन ट्रान्सपोर्ट इण्टरनेशनल सर्विसिस लि० के सहयोग से निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा 13-14 जुलाई, 1985 को नई दिल्ली में आयोजित एकीकृत नगर परिवहन पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भू-उपयोग तथा परिवहन योजना के एकीकरण सहित परिवहन नीति से सम्बन्धित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था।

भविष्य निधि योगदान के भुगतान की अवायवी न करने वाली पटसन मिलें

3016. **श्री अमल दत्त** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पटसन मिलें भविष्य निधि योगदानों में धनराशि जमा करने के लिए सबसे अधिक दोषी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां। पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों को, विशेष रूप से जिन्हें छूट दी गई है, भविष्य निधि अंशदान को जमा कराने में सबसे अधिक दोषी है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है, जिसमें दोषी पटसन मिलों के नाम, उनकी तरफ बकाया राशि, चूक की अवधि और बकाया राशियों को प्राप्त करने में भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

क्रमांक	प्रतिष्ठान का नाम	बकाया राशि (रुपये लाखों में)	चूक की अवधि	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स केल्विन जूट कं० लि०	299.32	6/74 से 2/85	11/81 तक कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 14(2-क) के अधीन अभियोजन चलाया गया और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन कार्यवाही की गई। तथापि, प्रतिष्ठान ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं।
2.	मैसर्स खरडाह कं० लि०	33.32	3/74 से 5/74 11/80 से 12/80	3/75 तक अभियोजन मामला दायर किया गया है। एक दावा-पत्र भुगतान आयुक्त के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है।
3.	मैसर्स मेग्ना मिल्स लि०	403.75	9/74 से 3/76 5/79 से 7/80 8/81 से 6/82 9/82 से 2/85	बकाया राशियों को वसूल करने के लिए कार्रवाई करने से क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को रोकने के लिए प्रतिष्ठान द्वारा सिविल नियम प्राप्त कर लिए गए हैं। (15-4-85 से तालाबन्दी है)
4.	मैसर्स श्री अम्बिका जूट कं० लि०	184.00	5/77 से 2/85	कार्रवाई अवरुद्ध करने के लिए प्रतिष्ठान ने सिविल नियम प्राप्त कर लिए हैं। छूट रद्द कर दी गई है परन्तु छूट-न-प्राप्त प्रतिष्ठान के रूप में योजना के उपबन्धों के प्रवर्तन के विरुद्ध प्रतिष्ठान ने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं। (27-3-85 से इसका परिसमापन कर दिया गया है)

1	2	3	4	5
5.	मैसर्स एंग्लो इंडिया जूट मिल्स लिमिटेड	52.77	1/83 से 7/83	7/83 तक अभियोजन मामले दायर किए जा चुके हैं। इस बीच, बकाया राशि का किस्तों में भुगतान करने के लिए प्रतिष्ठान को अनुमति दे दी गई है।
6.	मैसर्स डलहौजिया जूट कं० लि०	75.25	10/80 से 1/81 8/82 से 2/85	9-4-85 को सिविल नियम को खारिज कर दिया गया। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को कहा गया है कि वे दोबारा कानूनी कार्यवाही शुरू करें।
7.	मैसर्स ईस्टर्न मैन्यूफैक्चरिंग कं० लिमिटेड	85.18	2/77 से 8/79 8/82 से 5/85	प्रतिष्ठान ने छूट बनाये रखने के लिए स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं। (7-3-85 से कामबन्दी है)।
8.	मैसर्स नार्थ ब्रुक जूट मिल्स लि०	115.02	1/77 से 8/78 8/80 से 11/80 11/81 से 1/82	प्रतिष्ठान ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से व्यादेश प्राप्त कर लिए हैं। 1/82 से प्रतिष्ठान में कामबन्दी है।
9.	मैसर्स एम्पायर जूट कं० लि०	201.77	7/77, 9/77 से 12/79 2/80 से 3/80 8/80 से 10/80 12/80 से 1/85	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम की धारा 41 (2-क) और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन कार्रवाई शुरू की गई है। 30-4-85 से छूट रद्द कर दी गई है।
10.	मैसर्स श्री गौरी शंकर जूट मिल्स लि०	76.00	9/77 से 11/78 11/79 से 5/80 4/81 से 3/82	आगे कार्रवाई रोकने के लिए प्रतिष्ठान ने सिविल नियम प्राप्त कर लिए हैं। 12/81 से मिल बन्द है।

1	2	3	4	5
11.	मैसर्स बड़ी जूट एण्ड एक्सपोर्ट लि०	12.97	1/79 से 2/85	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम की धारा 14(2क) और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन कार्रवाई शुरू की गयी है।
12.	मैसर्स श्री हनुमान जूट मिल्स लि०	82.00	12/83 से 2/85	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बकाया राशि की वसूली करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। न्यायालय ने प्रतिष्ठान को आदेश दिया है कि वह 1.25 लाख रुपये की 85 किस्तों में देय राशि का भुगतान करें।
13.	मैसर्स गौरीपुर कं० लि०	290.00	1/82 से 2/85	कार्रवाई रोकने के लिए प्रतिष्ठान ने सिविल नियम प्राप्त कर लिए हैं।
14.	मैसर्स बज बज जूट कं० लि०	87.15	2/81, 4/81 से 8/81, 10/81 से 12/81 2/82 से 5/82 7/82 से 2/85	—यथोक्त—
15.	मैसर्स बारांगर जूट मिल्स लि०	150.00	11/81 से 2/85	प्रतिष्ठान ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से कार्रवाई अवरुद्ध करने के व्यादेश प्राप्त किए थे, जिन्हें अब खारिज कर दिया गया है। अतः कानूनी कार्रवाई फिर शुरू कर दी गई है।
16.	मसर्स हावड़ा मिल्स लि०	159.78	9/81 से 10/82 12/82 से 2/85 (4/85 को छोडकर)	कार्रवाई अवरुद्ध करने के लिए प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त सिविल नियम खारिज कर दिया गया है और कानूनी कार्रवाई फिर शुरू की जा रही है।

1	2	3	4	5
17.	मैसर्स नफ्फार चन्द्र जूट मिल्स लिमिटेड	27.99	4/83 से 5/84	सिविल नियम प्राप्त किए गए।
18.	मैसर्स कंकीनर्राह कं० लि०	120.00	7/81 से 2/85	सिविल नियम खारिज कर दिया गया है और कानूनी कार्रवाई फिर शुरू की जा रही है।
19.	मैसर्स नैहाती जूट कं० लि०	595.52	1/82 से 9/82 1/84 से 11/84 और 2/85	सिविल नियम प्राप्त कर लिया गवा है।
20.	मैसर्स न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स	473.00	2/82 से 8/82 12/82 से 2/85	—यथोक्त—
21.	मैसर्स अंगरपारा कंपनी	40.63	1/83 से 12/83	प्रतिष्ठान बकाया राशि को किस्तों में भुगतान कर रहा है।
22.	मैसर्स टीटागढ़ जूट मिल्स लि०	273.83	9/82 से 12/83 और 2/85	कार्रवाई अवरुद्ध करने के लिए सिविल नियम प्राप्त कर लिए गए हैं।
23.	मैसर्स विक्टोरिया जूट कं० लि०	89.80	8/82 से 2/85	—यथोक्त—
24.	मैसर्स दी अंगुई कं० लि०	210.81	8/82 से 4/84	—यथोक्त—
25.	मैसर्स श्यामनगर जूट प्लाई कम्पनी लिमिटेड	261.50	8/82 से 2/85	—यथोक्त—
26.	मैसर्स नुद्दिया मिल्स लि०	280.00	5/83 से 2/85	—यथोक्त—

1	2	3	4	5
27.	मैसर्स गंगेज मैन्यु० लि०	36.00	3/81 से 4/84	—यथोक्त—
28.	मैसर्स नसकसपारी जूट मिल	36.25	—	—
29.	मैसर्स डेल्टा जूट एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	97.57	5/83 से 11/84	1/84 तक धारा 14(2-क) के अधीन कार्रवाई शुरू की गई है। प्रतिष्ठान ने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं।
30.	मैसर्स नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन यूनिट आर० बी० एच० एम०	74.56	3/73 से 12/80	12/76 तक धारा 8 और 14 के अधीन कार्रवाई शुरू की गई है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन भी कार्रवाई शुरू की गई है। इस बीच, भुगतान आयुक्त ने 43.85 रु० का दावा स्वीकार किया है।
31.	मैसर्स भारत जूट मिल्स, हावडा	103.00	5/73, 5/74 7/75 से 4/76 7/81 से 2/83 4/83 से 2/85	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन मामले दायर किए गए हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अधीन कार्रवाई शुरू की गई है। 9/83 तक मांग नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
32.	मैसर्स नेल्लीमारिया जूट मिल्स	7.37	11/82 से 4/83	नियोजक ने धारा 14 के अधीन चलाए गए अभियोजन के विरुद्ध माननीय आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं। इसी बीच, उन्होंने 57,458 रुपए प्रति माह की दर से 16 किस्तों का भुगतान कर दिया है।
33.	मैसर्स कटिहार जूट मिल्स	62.20	10/71 से 12/76 11/77 से 6/82	कार्रवाई अवरुद्ध करने के लिए उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए गए हैं। 6-7-82 से प्रतिष्ठान बन्द पड़ा है।

1	2	3	4	5
34.	मैसर्स इंडिया जूट कं० लि०	914.45	4/84 से 10/84	कार्रवाई अवरूद्ध करने हेतु उच्च न्यायालय से सिविल नियम प्राप्त कर लिए गए हैं। किस्तों का भुगतान किया जा रहा है।
35.	मैसर्स वेलिंगटन जूट कं० लि०	91.36	4/84 से 10/84	प्रतिष्ठान ने सिविल नियम प्राप्त कर लिए है। किस्तों का भुगतान किया जा रहा है।
36.	मैसर्स कैलडोनियन जूट मिल्स लिमिटेड	47.20	7/84 से 12/84	अभियोजन मामले दायर किए गए हैं। किस्त सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है।

केरल में धान के उत्पादन में गिरावट

3017. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में खेती की ऊंची लागत के कारण धान के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का केरल को विशेष सहायता उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकार) : (क) से (ग) केरल में धान के उत्पादन में स्पष्ट वृद्धि न होने का मुख्य कारण वहां धान के क्षेत्र का व्यापारी फसलों के क्षेत्र में परिवर्तित किया जाना है। केरल में धान की खेती लागत का राज्य में इसके उत्पादन पर कोई खास असर नहीं पड़ा है।

केरल में चावल के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, नई प्रौद्योगिकी के प्रसार सहित चावल के मिनिकिट व सामुदायिक नर्सरियों की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना राज्य में पहले ही चल रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, राज्य में इस सम्बन्ध में अन्य कोई योजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में भण्डारगार स्थापित करना

3018. **श्री हरीश रावत** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में पांच हजार टन खाद्यान्न की भण्डारण क्षमता के भण्डारगार बनाने के लिए स्थलों का चयन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो भूमि प्राप्त करने का कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) निगम पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में गोदामों का निर्माण करने के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। स्थलों का चयन करने के बाद भूमि का अधिग्रहण करने विषयक कार्रवाई आरम्भ की जाएगी।

[अनुवाद]

कृषि की विकास दर में गिरावट

3019. **श्री अमिताभ बच्चन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि की विकास दर घटकर 1 प्रतिशत रह गई है, जो पहली बार जनसंख्या में वृद्धि की दर से कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रवृत्ति को बदलने हेतु क्या नीति अपनाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर चन्नाकर) : (क) और (ख) 1984-85 के दौरान बहुत से राज्यों में मौसम की स्थितियां खराब होने के कारण कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा। देश में कृषि में वर्षानुवर्ष ऐसा अन्तर अक्सर आ जाता है। तथापि, कृषि में दीर्घकालिक उत्पादन वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर की अपेक्षा अधिक है।

(ग) सातवीं योजना के दौरान विभिन्न कृषि फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रस्तावित कार्यनीति में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(1) सिंचित क्षेत्रों में उत्पादकता को अधिकतम बनाना।

(2) प्रौद्योगिकी, बीज, उर्वरक, उपकरण, पौध संरक्षण रसायन, ऋण आदि जैसे कृषि आदानों की सही समय पर, सरलता से पर्याप्त आपूर्ति करना।

(3) अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ावा।

(4) प्रमाणित आधारी और प्रजनक बीजों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करना, ताकि स्वतः परागणकृत फसलों में 20 प्रतिशत तथा संकर किस्मों में 100 प्रतिशत प्रतिस्थापन दर प्राप्त की जा सकें।

(5) एकीकृत पौध संरक्षण उपायों को अपनाना।

(6) दोहरी, बहु और अन्तः फसल पद्धतियों के जरिए फसलों की खेती की गहनता को बढ़ाना।

(7) अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी प्रयासों को तेज करना, ताकि नई प्रौद्योगिकी के लाभ और अधिक किसानों को दिये जा सकें।

(8) सामुदायिक संपर्कों को बढ़ावा देकर कृषि कार्यों की कुशलता बेहतर बनाना।

(9) भूमि विकास तथा मुख्यतया पनधारा उपागम के माध्यम से जल उपयोग।

(10) बारानी खेती की प्रौद्योगिकी का विकास और प्रसार।

(11) फसल बीमा के माध्यम से जोखिम सम्बन्धी पर्याप्त सुरक्षा देना।

(12) कृषि फसलों आदि के लिए समुचित मूल्य निर्धारण नीति अपनाना।

शासकीय गुप्त बात अधिनियम

3020. श्री चम्पत रामस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री शासकीय गुप्त बात अधिनियम

के बारे में 13 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6321 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे प्रेस आयोग द्वारा क्या सिफारिशें की गई थीं जो विचाराधीन हैं; और

(ख) क्या उनके बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) शासकीय गुप्त बात अधिनियम में परिवर्तनों से सम्बन्धित सिफारिशों सहित द्वितीय प्रेस आयोग द्वारा की गई सभी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में रोलर आटा मिलों की गेहूं की मांग

3021. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू खरीद मौसम के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की रिकार्ड खरीद किये जाने के बावजूद महाराष्ट्र में रोलर आटा मिलों को अपनी आवश्यकतानुसार गेहूं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है; और

(ख) क्या सरकार आगामी त्यौहारों से पूर्व महाराष्ट्र की बढ़ी हुई मांग को पूरा करेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार को रोलर फ्लोर मिलों के लिए उनकी पूरी लाइसेंसशुदा श्रमता तक गेहूं आबंटित किया जा रहा है । परिचालन से सम्बन्धित विभिन्न कारणों से भारतीय खाद्य निगम द्वारा कुछेक मिलों को गेहूं का पूरा कोटा सप्लाई न करने के बारे में कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और ऐसे मामलों में, गेहूं उठाने के लिए आवश्यक समय बढ़ाने की स्वीकृति की गई है ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी निर्माण परियोजनाओं में गैर-सरकारी निर्माणकर्ताओं को शामिल करना

3022. **श्री मुरलीधर माने** :
श्री शांति धारीवाल :

क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास प्राधिकेरण द्वारा अपनी कुछ आवासीय निर्माण परियोजनाओं में गैर-सरकारी निर्माणकर्ताओं को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सभी निर्माण परियोजनाओं पर निगरानी रखने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) इस योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कथाचित्र

3023. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कथा चित्र दूरदर्शन पर दोबारा दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके दोबारा दिखाए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कथा चित्रों के लिए धन की अदायगियों में काफी देरी की जाती है जो कि 6 महीने अथवा उससे भी अधिक है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की देरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार को दूरदर्शन पर दिखाये जाने वाले कथाचित्रों के चयन में अनियमितताओं और कदाचारों के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं; और

(छ) सरकार द्वारा दूरदर्शन के लिए अच्छे कथाचित्रों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) फीचर फिल्म को 3 वर्ष के अन्दर पुनः टेलीकास्ट करने से सामान्यतया बचा जाता है। तथापि, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली कतिपय फिल्मों के मामले में अपवाद हुए हैं। 1982 से 1984 तक की तीन वर्ष की अवधि के दौरान 1984 फिल्मों में से केवल 35 फिल्में ही एक से अधिक बार टेलीकास्ट की गई थीं।

(ग) और (घ) आमतौर पर फीचर फिल्मों के टेलीकास्ट के लिए शुल्क का भुगतान उनके टेलीकास्ट हो जाने के तत्काल बाद रिलीज कर दिया जाता है, सिवाए उन मामलों में जिनमें कानूनी विवाद या अदालती मामले होते हैं।

(ङ) कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, हमने फीचर फिल्मों के चयन के मामले में उन आलोचनाओं को नोट कर लिया है, जो कुछ समाचारपत्रों में छपी हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) दूरदर्शन को फीचर फिल्मों का चयन उन फिल्मों में से करना होता है, जिनकी फिल्मों के निर्माताओं/दूरदर्शन अधिकार धारकों द्वारा उसको पेशकश की जाती है। सामान्यतया दूरदर्शन को फिल्मों की पेशकश वाणिज्यिक सर्किट पर उनका पूर्णतया उपयोग कर लिए जाने के बाद की जाती हैं। तथापि, दूरदर्शन के लिए बेहतर फिल्में प्राप्त करने के प्रयास में, राष्ट्रीय संजाल पर हिन्दी की फीचर फिल्मों (रंगीन में) के टेलीकास्ट की दरें 1-9-85 से बढ़ा दी गई हैं। फिल्मों के प्रीमियर टेलीकास्ट की स्कीम "ए" श्रेणी की फिल्मों की दरों से दुगनी दरों पर तथा दूरदर्शन के लिए विशेष रूप से बनाई गई टेलीफिल्मों की स्कीम घोषित की गई हैं।

भारत में शीतोष्ण फलों का विकास

3024. **श्री बी० तुलसी राम :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारत में शीतोष्ण जलवायु में पैदा होने वाले फलों के विकास के बारे में एक योजना के लिए इटली सरकार के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए इटली सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें इस कार्य के लिए चुना गया है तथा फलों की कौन-सी किस्मों का विकास किया जाएगा;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार को भी इस प्रयोजन के लिए चुना गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां तो यहां फलों की कौन-सी किस्मों का विकास किया जाएगा ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां ।

(ख) परियोजना के अन्तर्गत कुल अनुमानित इटालवी सहायता लगभग 43276 लाख लोरा है । इटालवी सहायता कृषि मशीनरी, उपकरण और औजार, सिंचाई उपकरण, वाहनों, पौद रोपण सामग्री, उर्वरक, रसायनों और भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के रूप में होगी ।

(ग) यह योजना हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के चुने हुए क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है । विकसित किए जाने वाले महत्वपूर्ण फलों की किस्में जैतून, बादाम, अखरोट, पहाड़ी बादाम आदि हैं ।

(घ) और (ङ) जी नहीं । उपर्युक्त शीतोष्ण फलों की कृषि जलवायु विषयक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना क्षेत्रों को चुना गया है ।

दिल्ली में फैक्ट्रियों के लिए निश्चित की गई भूमि

3025. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 7 जून, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि राजधानी में उद्योगों के लिए 800 एकड़ भूमि निश्चित की गई है;

(ख) क्या एक ओर सरकार दिल्ली में भीड़भाड़ को कम करने के लिए कुछ कार्यालयों को गाजियाबाद आदि स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है वहीं दूसरी ओर राजधानी के लिए और अधिक उद्योगों की योजना बनाई जा रही है; और

(ग) राजधानी में भीड़भाड़ कम करने के संदर्भ में सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है

और इन फैक्ट्रियों की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित आस-पास के क्षेत्रों में स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजना को दिल्ली की जनसंख्या को व्यवस्थित सीमाओं के अन्तर्गत रखने के लक्ष्य से बनाया गया है और आर्थिक गतिविधियों को दिल्ली के भीतरी क्षेत्र से दूर इर्द-गर्द के कस्बों, जिनका स्वतःपूर्ण विकास केन्द्रों में विकास किया जाना है, में रखने का इरादा है । इस दिशा में की गई कार्यवाही से दिल्ली में भीड़-भाड़ को कम करने में सहायता मिलेगी ।

केन्द्र सरकार के कुछ कार्यालयों को दिल्ली से बाहर स्थानान्तरित करना विचाराधीन कार्यवाहियों में से एक कार्यवाही है ।

तथापि, ऐसा करते समय दिल्ली के प्राकृतिक विकास की व्यवस्था की जानी है और कुछ औद्योगिक सम्पदाओं का विकास करके विद्यमान औद्योगिक एककों के लिए बेहतर पर्यावरणीय अधसंरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है ।

केरल में फलों के रस का संयंत्र

3026. **श्री के० मोहन दास** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में माडर्न फूड उद्योग लिमिटेड के अधीन फलों के रस के लिए एक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने और इसकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के बाद ही ऐसे यूनिट स्थापित करने के बारे में कोई राय कायम की जा सकती है ।

चिकित्सा संबंधी वीडियो फिल्मों का दूरदर्शन पर दिखाया जाना

3027. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या इस समय दूरदर्शन पर चिकित्सा संबंधी वीडियो फिल्में दिखाई जाती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि टेलीविजन पर कुछ चिकित्सा संबंधी वीडियो फिल्में भी दिखाई जाएं;

(ग) क्या यह रोगों क उपचार के लिए उपलब्ध चिकित्सा के बारे में लोगों को शिक्षित करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो चिकित्सा सम्बन्धी वीडियो फिल्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मंत्रियों और संसद सदस्यों के लिए बहुमंजिले फ्लैट

3028. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास की भारी कमी को देखते हुए मंत्रियों और संसद सदस्यों के लिए बहुमंजिले फ्लैट बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि नहीं तो संसद सदस्यों के लिए आवास में वृद्धि करने के लिए मंत्रालय के पास अन्य योजनाएं क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) बाबा खड़ग सिंह मार्ग तथा डा० विश्वम्बर दास मार्ग, नई दिल्ली के बीच के क्षेत्र में संसद सदस्यों के लिए 40 बहुमंजिलें फ्लैटों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

राजस्थान में राष्ट्रीय कपड़ा निगमों के कर्मचारियों को उपादान की अदायगी न किया जाना

3029. **श्री विष्णु मोदी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नुपादान अधिनियम में संशोधन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उपादान अधिनियम में यह व्यवस्था है कि 240 दिन तक काम करने वाले कर्मचारियों को उपादान का पूरा लाभ दिया जाएगा;

(ग) क्या सरकार को उपादान की अदायगी न किए जाने के संबंध में राजस्थान में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की एककों के कर्मचारियों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी हां। उपादान संदाय अधिनियम में पिछली बार 1984 में संशोधन किया गया था।

(ख) उपदान संदाय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 2-क(2) के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को, जो एक वर्ष की किसी अवधि के लिए लगातार सेवा में नहीं है, उपदान की अदायगी के प्रयोजन हेतु एक वर्ष की उक्त अवधि के लिए नियोजक के अधीन लगातार सेवा में माना जाएगा, यदि कर्मचारी के नियोजक

के अधीन 12 कैलेन्डर महीनों की अवधि के दौरान वास्तव में कम से कम 240 दिनों तक काम किया हो।

(ग) केन्द्रीय सरकार को इस विषय के बारे में कोई विशेष ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

राजस्थान के झुनझुनू के लिए हुडको की आवास योजना

3030. **श्री मोहम्मद अमूल खां** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको ने झुनुझुनू जिले (राजस्थान) में बेघर लोगों के लिए कोई आवास योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना कब तक लागू की जाएगी और यदि नहीं, तो क्या ऐसी योजना तैयार की जाएगी ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) चूंकि आवास राज्य का विषय है, इसलिए बेघरों के लिए आवास योजनायें बनाना तथा यदि आवश्यक हो तो हुडको से वित्तीय सहायता प्राप्त करना राजस्थान सरकार पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

व्यापक औद्योगिक संबंध विधेयक

3031. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मजदूर संघ संगठन बहुत समय से मांग कर रहे हैं कि उनसे विचार-विमर्श करके एक व्यापक औद्योगिक संबंध विधेयक बनाया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस तरह का एक व्यापक विधेयक बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) हाल ही में केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों ने एक व्यापक औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के लिए कोई विशेष मांग नहीं की है।

आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल और धान की खरीद

3032. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1984-85 के दौरान खरीफ और रबी के मौसम में कितनी मात्रा में चावल और धान की खरीद की गई;

(ख) गत दो वर्षों में इनकी कितनी खरीद की गई थी;

(ग) राज्य सरकार ने चालू वर्ष और गत दो वर्षों के दौरान गरीब व्यक्तियों को उचित दर दुकानों के माध्यम से चावल और धान की सप्लाई करने के लिए कितनी मात्रा में चावल और धान उपलब्ध कराया; और

(घ) उक्त वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार को इस प्रयोजन के लिए कितनी मात्रा में चावल और धान की आवश्यकता थी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय भण्डार से आन्ध्र प्रदेश की चावल की मांग, उनको किए गए आबंटन और उनके उठाने का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(लाख मीटरी टन में)

पंचाग वर्ष	मांग	आबंटन	उठाव
1983	16.66	11.28	10.92
1984	18.10	10.10	9.91
1985	8.3	6.1	4.40
	(अगस्त, 85 तक)	(जून, 1984 तक प्राप्त सूचनानुसार)	

इसके अलावा, आन्ध्र प्रदेश को जुलाई, 1985 के दौरान 75,000 मीटरी टन का एक ही समय का विशेष आबंटन भी किया गया है।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश में धान/चावल की वसूली

(हजार मीटरी टन में)

विपणन मौसम	चावल	धान
1	2	3
1982-83		
खरीफ	1032	5
रबी	594	नग०
जोड़	1626	5

1	2	3
1983-84 (अ०)		
खरीफ	927	नग०
रबी	547	1
जोड़	1474	1
1984-85 (ई)		
खरीफ	1161	39
रबी	534	76
जोड़	1695	115

नग० = 500 मीटरी टन से कम
(अ०) = अनन्तिम
(ई) = 28-7-85 को स्थिति

खुली बिक्री के लिए और लेवी चीनी जारी करने के लिए मानदण्ड

3033. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य व्यापार चैनल के माध्यम से उपभोक्ताओं की खपत के लिए खुली बिक्री के लिए और लेवी चीनी जारी करने के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(ख) क्या यह सच है कि चीनी जारी करने के मानदण्ड से बाजार में चीनी के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो कितना और यदि नहीं, तो खुले बाजार में चीनी के मूल्य में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) आन्तरिक खपत के लिए मुक्त बिक्री के मासिक कोटे की मात्रा, जिसमें स्वदेशी और आयातित चीनी शामिल होती है, के बारे में चीनी के उत्पादन, चीनी की कुल उपलब्धता, आवश्यकता, गुड़ और खण्डसारी जैसे अन्य स्वीटनरों की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखकर फैसला किया जाता है। सामान्य व्यापार माध्यमों से वितरित करने के प्रयोजन के लिए मुक्त बिक्री के देशी भाग की मात्रा के बारे में फैक्ट्रियों के पास मुक्त बिक्री की चीनी की कुल उपलब्धता को ध्यान में रखकर निर्णय किया जाता है और आयातित चीनी के शेष भाग को राज्य सरकारों के माध्यम से निर्धारित मूल्यों पर वितरित किया जा रहा है और इसके अलावा इसे भारतीय खाद्य निगम द्वारा भी टैंडर/नीलामी के जरिए बेचा जा रहा है।

जहां तक राज्यों को लेवी चीनी आबंटित करने का संबंध है; मासिक कोटे को 3.13 लाख

मीटरी टन के स्तर पर बनाए रखा जा रहा है जिसमें से राज्यवार कोटे 1.10.1983 को परियोजित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति 425 ग्राम की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) खुले बाजार में चीनी के मूल्य में वृद्धि होने का मुख्य कारण 1981-82 और 1982-83 के मौसमों के दौरान हुए चीनी के रिकार्ड उत्पादन की तुलना में 1983-84 और 1984-85 में चीनी के उत्पादन में उल्लेखनीय रूप से गिरावट होना और उसके साथ ही 1981-82 के मौसम और उसके बाद से आन्तरिक खपत में निरन्तर वृद्धि होने से देशी चीनी की सीमित उपलब्धता होना है। आपूर्ति और मांग के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए 10 लाख मीटरी टन चीनी का आयात किया जा रहा है और राज्य सरकारों द्वारा वितरण व्यवस्था को कारगर बना देने और बाजार में आयातित चीनी की अधिक आपूर्ति होने से हाल ही में मूल्यों में गिरावट आयी है और आशा है कि मूल्य और भी गिरकर उपयुक्त स्तर पर आ जाएंगे।

गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार में कमी

3034. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि वर्ष 1983-84 के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार में जहां 1.2 प्रतिशत की गिरावट आयी है; सरकारी क्षेत्र में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार में आयी कमी की जांच की गयी है और उसे गैर सरकारी क्षेत्र को बता दिया गया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रकाशित नवीनतम सूचना के अनुसार, वर्ष 1983-84 के दौरान संगठित निजी क्षेत्र में रोजगार में 1.6 प्रतिशत की गिरावट आयी, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली त्रैमासिक रोजगार पुनरीक्षा, जिसमें उक्त सूचना सम्मिलित होती है, अन्यों के साथ-साथ नियोजकों के संगठनों को परिचालित की जाती है।

आकाशवाणी लेह के कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास

3055. **श्री पी० नामग्याल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी लेह के कर्मचारी रिहायशी आवास उपलब्ध न होने के कारण भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या रिहायशी आवास के निर्माण के लिए धनराशि और साइट प्लान बहुत समय पहले मंजूर कर दी गई थी और इस संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा और इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) छठी योजना में, मौजूदा 38 यूनिटों के अतिरिक्त, 40 रिहायशी क्वार्टरों के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया था। स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए लेह में 5-7-82 को स्थान का अधिग्रहण भी कर लिया गया था। यह सोचा गया था कि क्वार्टरों को स्थानीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से बनवाया जा सकता है। यह कार्यरूप में परिणित नहीं हुआ। क्वार्टरों को अब आकाशवाणी के सिविल निर्माण स्कंध द्वारा बनवाने का प्रस्ताव है। 38 क्वार्टरों के लिए निर्माण प्राक्कलनों पर अब कार्रवाई की जा रही है तथा क्वार्टरों के 1986-87 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है। इन क्वार्टरों के बन जाने पर लेह में आवास की समस्या काफी हल हो जायेगी।

[हिन्दी]

फिल्म "गांधी" का दूरदर्शन पर प्रसारण

3036. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "गांधी" फिल्म को अभी तक राष्ट्रीय नेट वर्क पर प्रसारित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस फिल्म को 15 अगस्त, 1985 और 2 अक्तूबर, 1985 को दूरदर्शन पर प्रसारित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) फिल्म "गांधी" के निर्माताओं/टी० वी० अधिकार धारकों द्वारा दूरदर्शन को इसकी पेशकश नहीं की गई है। यदि दूरदर्शन को इसकी पेशकश की जाए तो इसको टेलीकास्ट करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

मत्स्य किसान विकास अभिकरण

3037. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक राज्य-वार कितने मत्स्य किसान विकास अभिकरण स्थापित हुए हैं;

(ख) मछलियों की पैदावार बढ़ाने में इन अभिकरणों का क्या योगदान है; और

(ग) इन अभिकरणों द्वारा अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) अब तक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन देश में स्थापित किए गये मछुआ विकास अभिकरणों एफ० एफ० डी० ए० एस० की राज्यवार सख्या नीचे दी गई है :—

राज्य	एफ० एफ० डी० ए० एस० की० संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	5
2. असम	6
3. बिहार	24
4. गुजरात	5
5. हरियाणा	6
6. हिमाचल प्रदेश	1
7. जम्मू और कश्मीर	2
8. कर्नाटक	6
9. केरल	3
10. मध्य प्रदेश	9
11. महाराष्ट्र	5
12. मणिपुर	2
13. नागालैंड	1
14. उड़ीसा	11
15. पंजाब	5
16. राजस्थान	6
17. तमिलनाडु	7
18. त्रिपुरा	3
19. उत्तर प्रदेश	26
20. पश्चिम बंगाल	14

(ख) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद (1982-83) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मछुआ विकास एजेंसियों ने अखिल भारतीय आधार पर वैज्ञानिक जल कृषि के अन्तर्गत लाए गए प्रति यूनिट जल क्षेत्र में उत्पादकता 681 कि० ग्रा० प्रति हेक्टार तक बढ़ाने में मदद की है। तथापि कुछ राज्यों ने इस राष्ट्रीय औसत से काफी आगे होने की सूचना दी है : उड़ीसा में 1579 कि० ग्रा० प्रति हैक्टार, पश्चिम बंगाल में 1340 कि० ग्रा० प्रति हैक्टार, उत्तर प्रदेश में 1028 कि० ग्रा० प्रति हैक्टार और तमिलनाडु में 1008 कि० ग्रा० प्रति हैक्टार।

(ग) इन मधुआ विकास एजेंसियों के माध्यम से अभी तक देश में 90159 मछुआरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

इद्दुकी जिला (केरल) में आधारभूत विकासात्मक सुविधाएं

3038. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इद्दुकी जिला में मसालों की अधिकतम मात्रा पैदा होती है जिसमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस जिले में अपर्याप्त आधारभूत सुविधाओं के कारण मसालों के उत्पादन को क्षति पहुंची है; और

(ग) यदि हां, तो इस जिले में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : (क) इद्दुकी जिला केरल के मुख्य मसाला उत्पादक जिलों में से एक है। काली मिर्च तथा इलायची का, जो कि इस क्षेत्र की मुख्य मसाला फसलें हैं; अधिकतर निर्यात किया जाता है।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई विशेष रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

पूर्वी क्षेत्र में चावल की सघन खेती योजना

3039. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में चावल की सघन खेती की योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत राज्यों को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा के कितने जिले शामिल किये गये हैं तथा इस प्रयोजन हेतु क्या सहायता दी गई है; और

(घ) इस कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा के सभी ब्लाकों के कब तक शामिल किए जाने की आशा है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने वर्ष 1985-86 के लिए असम को 135.00 लाख रुपए, बिहार को 348.10 लाख रुपए, मध्य प्रदेश को 200 लाख रुपए, उड़ीसा को 315.00 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश को 420.60 लाख रुपए तथा पश्चिम बंगाल को 335.00 लाख रुपए की धनराशि का आवंटन किया है जो कि प्रत्येक राज्य के परि-योजना के प्रखंडों की संख्या पर निर्भर करता है। उड़ीसा में 13 जिलों के 63 प्रखंड इस योजना के अन्तर्गत आते हैं।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उड़ीसा के 63 प्रखंडों में इस योजना को जारी रखे जाने का प्रस्ताव है।

मिट्टी के तेल के व्यापारियों द्वारा मिट्टी के तेल को अधिक दाम पर बेचना

3040. **श्री बृजमोहन महन्ती :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिट्टी के तेल के व्यापारियों के विरुद्ध राज्य-वार तथा संघ शासित प्रदेशों-वार इस वर्ष के बजट के बाद की अवधि में मिट्टी का तेल निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर बेचने के कारण राज्य-वार तथा संघ शासित प्रदेशों-वार कितने मामले दर्ज किए गये; और

(ख) इस प्रकार से मुनाफाखोर गतिविधियों के कारण कितने लाइसेंस रद्द किए गए हैं तथा इस बारे में की गई अन्य कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि का आबंटन

3041. **श्री बीरेन्द्र सिंह :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के दौरान राज्यों को राज्य-वार तुलनात्मक और पृथक-पृथक रूप में कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन कार्यक्रमों को स्थायी बनाने का है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित राज्य- वार निधियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम दोनों को सातवीं योजना के दौरान जारी रखने की संभावना है।

विवरण

वर्ष 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित राज्य-वार निधियां

(आंकड़े लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2270.00	4832.00
2.	असम	498.00	1064.00

1 2	3	4
3. बिहार	3274.00	6980.00
4. गुजरात	740.00	1591.00
5. हरियाणा	196.00	428.00
6. हिमाचल प्रदेश	138.00	295.00
7. जम्मू व कश्मीर	170.00	358.00
8. कर्नाटक	1080.00	2301.00
9. केरल	1060.00	2256.00
10. मध्य प्रदेश	1676.00	3588.00
11. महाराष्ट्र	1826.00	3877.00
12. मणिपुर	25.00	54.00
13. मेघालय	34.00	70.00
14. नागालैंड	24.00	50.00
15. उड़ीसा	1036.00	2186.00
16. पंजाब	316.00	692.00
17. राजस्थान	550.00	1169.00
18. सिक्किम	18.00	40.00
19. तमिलनाडु	2050.00	4344.00
20. त्रिपुरा	76.00	161.00
21. उत्तर प्रदेश	3922.00	8311.00
22. पश्चिम बंगाल	1774.00	3780.00
केन्द्रशासित क्षेत्र		
23. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	36.00	40.00
24. अरुणाचल प्रदेश	36.00	40.00
25. चण्डीगढ़	10.00	10.00
26. दादरा व नगर हवेली	18.00	20.00
27. दिल्ली	16.00	20.00
28. गोवा, दमन व दीव	42.00	53.00
29. लक्षद्वीप	10.00	10.00

1 2	3	4
30. मिजोरम	36.00	40.00
31. पांडिचेरी	36.00	40.00
स्थापना तथा अनुषंगिक मदों आदि पर खर्च	7.00	—
प्रयोगात्मक ग्रामीण आवास, अनुसन्धान विकास	—	100.00
	23000.00	48800.00

दिल्ली से प्रकाशित होने वाले हिन्दी दैनिक "जनयुग" का बंद होना

3042. **श्री टी० बशीर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से प्रकाशित होने वाले हिन्दी दैनिक "जनयुग" का प्रकाशन बन्द हो गया है;

(ख) यह कब आरम्भ किया गया था और प्रति वर्ष इसकी कितनी प्रतियां बिकती थीं;

(ग) इस समाचार पत्र के अंशधारियों का विवरण क्या है;

(घ) इसके बन्द होने के क्या कारण हैं;

(ङ) इसके कर्मचारियों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(च) भविष्य में छोटे समाचार पत्रों को सहायता करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) दिल्ली प्रकाशन ने सूचित किया है कि 12-5-1985 से "जनयुग" का प्रकाशन बन्द कर दिया गया है।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, इस दैनिक का प्रकाशन सितम्बर, 1973 में शुरू हुआ था और पिछले चार वर्षों के दौरान इसकी बेची गई प्रतियों की संख्या निम्नानुसार थी:—

1981-82	52,53,584
1982-83	47,08,545
1983-84	38,93,610
1984-85	42,95,099

(ग) इस समाचार पत्र पर एक प्राइवेट कम्पनी, पीपल्स पब्लिशिंग हाउस, का स्वामित्व है। जनयुग के अंशधारियों के अलग ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) निरन्तर हानि।

(ङ) प्रबंधतंत्र को कहा गया था कि वे दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग की अनुमति के बिना इस समाचार-पत्र का प्रकाशन स्थगित न करें और प्रतिष्ठानों को बन्द न करें। प्रबंधतंत्र ने 11 मई, 1985 को सूचित किया कि सभी औपचारिकताएं पूरी किए जाने तक कर्मचारी उनके पास काम करते रहेंगे और उन्हें मजदूरी की अदायगी की जाएगी। प्रबंधतंत्र ने 14-5-85 को आवेदन किया कि लगातार हानि के कारण उन्हें जनयुग के 28 कर्मचारियों की छंटनी करने की अनुमति दी जाए। प्रबंधतंत्र इस बात को प्रमाणित नहीं कर सकी। प्रबंधतंत्र का आवेदन-पत्र 12-7-1985 को अस्वीकार कर दिया गया।

(च) "लघु" और "मझौले" समाचार-पत्रों को दी गई सुविधाओं को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(i) समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं :

वर्ष 1985-86 के लिए अखबारी कागज आबंटन नीति अभी तैयार की जानी है। तथापि, 1984-85 की नीति के अंतर्गत, इनको निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध थीं :—

(i) उन समाचार पत्रों को अखबारी कागज शीटों में सप्लाई किया जाता है जो शीटफैड मशीन पर मुद्रित होते हैं। यदि शीटें उपलब्ध नहीं होतीं तो रीलों को शीटों में बदलने के लिए उनको उनकी हकदारी का 5 प्रतिशत अतिरिक्त दिया जाता है;

(ii) 300 मी० टन से कम की हकदारी वाले समाचार पत्रों को आयातित या स्वदेशी अखबारी कागज भागों में या एक ही बार प्राप्त करने का विकल्प दिया जाता है;

(iii) 50 टन तक की हकदारी वाले समाचार पत्रों के लिए प्राधिकरण की वैध अवधि छः महीने है, जबकि अन्यों के मामले में यह 3 महीने है। इस रियायत से अधिकांश लघु समाचार पत्र सुविधाजनक तथा चरणबद्ध ढंग से अखबारी कागज ले सकते हैं;

(iv) अखबारी कागज के आबंटन के लिए आवेदन करते समय 2000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले लघु समाचार पत्रों द्वारा सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र दिया जाना अपेक्षित नहीं है;

(v) 5000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले लघु समाचार पत्रों को, अखबारी कागज की हकदारी की गणना करते समय निःशुल्क वितरित, बिना बिक्री वापस या मुद्रित परन्तु न तो बिक्री और न ही निःशुल्क वितरित की गई प्रतियों का 10 से 20 प्रतिशत तक के बीच एलाउंस दिया जाता है तथा :,000 प्रतियों और 10,000 प्रतियों के बीच की प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्रों को 10 से 15 प्रतिशत तक एलाउंस दिया जाता है। अन्य के मामले में, यह प्रतिशतता केवल 5 से 10 तक है।

(vi) सरकार आयातित किस्म के अखबारी कागज पर 825.00 रुपये प्रति मी० टन की दर से सीमा शुल्क ले रही थी। जबकि लघु समाचारपत्रों को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई और मझोले समाचार पत्रों को केवल 275 रुपये प्रति मी० टन की

ही दर से सीमा शुल्क देना था। तथापि, उच्चतम न्यायालय के अंतरिम निर्णय के परिणामस्वरूप, बड़े समाचारपत्रों से इस समय अनंतिम आधार पर 550 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से सीमा शुल्क लिया जा रहा है।

(ii) **विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा दी जाने वाली सुविधायें :**

भारत सरकार की मौजूदा विज्ञापन नीति के अन्तर्गत, भाषायी समाचारपत्रों आदि को सामान्य रूप से तथा "लघु" तथा मझौले समाचारपत्र को विशेष रूप से निम्नलिखित सुविधायें दी गई हैं: —

(1) बिक्रीत प्रसार संख्या की सामान्य पात्रता प्रति अंक 1000 प्रतियां है। तथापि, निम्नलिखित के मामलों में छूट अनुज्ञेय है :—

(क) विशिष्ट/वैज्ञानिक/तकनीकी पत्रिकाएं, जिनकी बिक्रीत प्रसार संख्या 500 प्रतियां प्रति अंक हो;

(ख) संस्कृत के समाचारपत्र/पत्रिकाएं और समाचारपत्र/पिछड़े सीमावर्ती या दूरवर्ती क्षेत्रों में अथवा आदिवासी भाषाओं में प्रकाशित होने वाली या मुख्य रूप से आदिवासी पाठकों के लिए अभिप्रेत पत्रिकाएं, जिनकी न्यूनतम बिक्रीत प्रसार संख्या 500 प्रतियां अंक हो।

(2) मुद्रण स्थान के मामले में भी आदिवासी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले या मुख्यतया आदिवासी पाठकों के लिए अभिप्रेत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का छूट अनुज्ञेय है।

(3) 2,000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को सनदी लेखाकार, आदि से प्रसार संख्या का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा से छूट है।

(4) विज्ञापन दरों को नियत करने के मामले में दरों की समानता है अर्थात् अंग्रेजी समाचारपत्रों तथा भाषायी समाचारपत्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाता। तथापि, 10,000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले भाषायी पत्र/पत्रिकाओं को अंग्रेजी की इसी प्रकार के पत्र/पत्रिकाओं से उच्च बुनियादी दर मिलती है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की माध्यम सूची में शामिल बड़ी संख्या में लघु पत्र/पत्रिकाएं इस श्रेणी में आती हैं।

(iii) **पत्र सूचना कार्यालय द्वारा दी जाने वाली सुविधायें :**

पत्र सूचना कार्यालय लघु और मझौले समाचारपत्रों को देश के विभिन्न भागों में विकासीय गतिविधियों की प्रारंभिक जानकारी कराने के विचार से, प्रायोजित यात्राओं में इन समाचार पत्रों को विशेष प्रतिनिधित्व देने के अलावा, समाचारों, फोटो, आदि जारी करने से संबंधित अनेक सेवाएं समय-समय पर उपलब्ध करता है। "लघु" तथा "मझौले" समाचारपत्रों को अधिक सुविधा देने के लिए प्रत्यायन नियमों को भी उदार बनाया गया है।

औद्योगिक रुग्णता तालाबंदी आदि के कारण बेरोजगारी की समस्याओं में वृद्धि

3044. **श्री चित्त महाता :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि औद्योगिक रुग्णता, तालेबंदी और उद्योगों के बंद हो

जाने की घटनाओं में वृद्धि होने के कारण बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में बेरोजगारी की समस्या कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) श्रम ब्यूरो औद्योगिक विवादों को छोड़कर अन्य कारणों, जैसे वित्तीय अभाव, बिजली की कमी, कच्चे माल की कमी, मशीनरी का खराब होना और मांग में कमी आदि, की वजह से हुई कामबन्दी के बारे में सूचना एकत्र करता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, हालांकि औद्योगिक कामबन्दियों की संख्या कम होकर 1984 में 188 हो गई, जबकि 1983 में यह संख्या 226 थी, लेकिन प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या 1984 में बढ़कर 71,937 हो गई जबकि 1983 में यह संख्या 43,234 थी। औद्योगिक प्रतिष्ठानों की तालाबन्दी के कारण बेरोजगारी नहीं हो सकती।

(ख) सरकार ने देश में औद्योगिक रुग्णता का सामना करने के लिए नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी रूपरेखाएं निर्धारित की हैं जिसके अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थानों को रुग्णता को मानीटर करना होगा और रुग्ण यूनिटों को शुरू करने के लिए उपचारी कार्यवाही करनी होगी। केन्द्रीय और राज्य सरकारें बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा तैयार की गई पुनर्वास पैकेज योजना के भाग के रूप में विभिन्न रियायतें और राहत प्रदान करती हैं ताकि रुग्ण औद्योगिक यूनिटों को पुनः शुरू किया जा सके।

वाणिज्यिक विज्ञापनों की दरें

3045. **श्री ई० अयप्पु रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए निर्धारित दरें विभिन्न दूरदर्शन और आकाशवाणी केन्द्रों पर एक समान हैं;

(ख) क्या वाणिज्यिक विज्ञापनों के संबंध में कोई प्रशासनिक अनुदेश जारी किए हैं या नियम निर्धारित किए गए हैं;

(ग) विज्ञापनों से 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाली तिमाही में कितना राजस्व प्राप्त हुआ है; और

(घ) क्या विज्ञापन की वर्तमान दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। दूरदर्शन केन्द्रों तथा आकाशवाणी केन्द्रों के लिए निर्धारित वाणिज्यिक विज्ञापन दरें एक समान नहीं हैं। आकाशवाणी केन्द्रों तथा दूरदर्शन केन्द्रों की कई बातों यथा कवर की जाने वाली जनसंख्या, ट्रांसमीटर की शक्ति, प्रचालन लागत, उपभोक्ता बाजार, आदि पर आधारित विज्ञापन दर निश्चित करने के लिए समूहबद्ध किया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) 31-3-85 को समाप्त हुई तिमाही में अर्जित राजस्व इस प्रकार था :—

(1) दूरदर्शन	9.70 करोड़ रुपये
(2) आकाशवाणी	4.39 करोड़ रुपये

(घ) सर्वप्रथम बाजार तत्वों, मांग, उपलब्ध समय आदि के संदर्भ में मूल्यांकन जरूरी है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने इस प्रकार का मूल्यांकन हाथ में लिया है।

सातवीं योजना में दूरदर्शन और रेडियो नेटवर्क के विस्तार के लिए मास्टर प्लान

3046. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा छठी योजना अवधि के दौरान आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासियों के लिए राज्य-वार कौन-सी योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए गए;

(ख) सातवीं योजना में दूरदर्शन और रेडियो नेटवर्क के विस्तार और उनके मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के आदिवासी क्षेत्रों के विस्तार के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छठी योजना के दौरान आदिवासी उप योजना क्षेत्रों के लिए इन योजनाओं हेतु धनराशि निर्धारित की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क)(ग) और (घ) दूरदर्शन और आकाशवाणी की छठी योजना स्कीमों को तैयार करने और उनको कार्यान्वित करने में देश के आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समुचित महत्व दिया गया था तथा आकाशवाणी की योजनाओं में धनराशि उपलब्ध की गई थी।

वर्ष 1985-86 के दौरान असम, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के निम्नलिखित आदिवासी जिलों में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को स्थापित करने का काम चल रहा है:—

राज्य	जिला	स्थान
(1) असम	शिवसागर	नेजीरा
(2) उड़ीसा	कालाहांडी	भवानीपटना
(3) मध्य प्रदेश	(1) बस्तर	(1) जगदलपुर
	(2) पूर्वी निमाड़	(2) खंडवा

आकाशवाणी की उन परियोजनाओं, जिन पर कार्य चल रहा है और जिनके वर्ष 1985-86 के दौरान मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है, का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सातवीं योजना के अपने मसौदा प्रस्तावों में आकाशवाणी और दूरदर्शन ने देश के आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अनेक स्कीमें शामिल की हैं। उन स्कीमों का कार्यान्वयन सातवीं योजना के अंतिम स्वरूप पर निर्भर करेगा।

विवरण

आदिवासी क्षेत्रों में अतिरिक्त सेवा उपलब्ध करने वाली आकाशवाणी की वे परियोजनाएं जिनके वर्ष 1984-85 के दौरान मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है

1. अरुणाचल प्रदेश :

(1) ईटानगर—अंतरिम ढांचे के साथ 100 किलोवाट का रेडियो स्टेशन अंतरिम ढांचा पहले ही स्थापित हो चुका है ।

2. असम :

(1) डिब्रूगढ़—मौजूदा मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति 100 किलोवाट से बढ़ाकर 300 किलोवाट करना ।

(2) गोहाटी—मौजूदा क्षेत्रीय शार्टवेव ट्रांसमीटर की शक्ति 10 किलोवाट से बढ़ाकर 50 किलोवाट करना ।

3. आंध्र प्रदेश :

(1) आदिलाबाद—एक किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर, स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टरों के साथ स्थानीय रेडियो स्टेशन ।

4. बिहार :

(1) रांची—मौजूदा मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति 10 किलोवाट से बढ़ाकर 100 किलोवाट करना ।

5. मेघालय :

(1) शिलांग—मौजूदा मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति 10 किलोवाट से बढ़ाकर 100 किलोवाट करना ।

संग्रहण केन्द्र और स्टाफ क्वार्टर/ट्रांसमीटर लगाया जा चुका है ।

(2) शिलांग—उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए नई एकीकृत सेवा के लिए स्टूडियो सुविधाओं के साथ 50 किलोवाट के शार्टवेव ट्रांसमीटर की स्थापना करना ।

(3) तुरा—20 किलोवाट के मीडियम वेव ट्रांसमीटर स्टूडियो, संग्रहण सुविधाओं और स्टाफ क्वार्टरों के साथ नया रेडियो स्टेशन । अन्तरिम ढांचा पहले ही चालू किया जा चुका है ।

6. उड़ीसा :

(1) क्योंझर—एक किलोवाट के मीडियम वेव ट्रांसमीटर स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टरों के साथ स्थानीय रेडियो स्टेशन ।

आयात किए गए खाद्य तेलों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से हटा लेना

3047. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वनस्पति उत्पादक संघ ने सरकार से आयात किए गए खाद्य तेलों को देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से हटा लेने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान कितने रेपसीड तेल का आयात किया गया ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) इस संबंध में सरकार को एक सुझाव प्राप्त हुआ था लेकिन वह स्वीकार्य नहीं पाया गया ।

(ग) वित्त वर्ष 1984-85 के दौरान कच्चे रेपसीड तेल की लगभग 2,57,713 मी० टन मात्रा आयात की गई थी ।

पाराद्वीप पत्तन कर्मचारियों के बारे में समझौता रिपोर्ट

3048. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (मध्य) ने पाराद्वीप पत्तन न्यास में सेवा को स्थायी करने के बारे में नैमित्तिक मजदूरों के दावों के समाधान हेतु कई समझौता बैठकें आयोजित की थीं;

(ख) क्या पत्तन अधिकारी समझौता बैठकों में हर बार अनुपस्थित रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या समझौते की प्रक्रिया असफल रही है और मंत्रालय को असफलता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(घ) क्या यह विवाद निर्णयादेश के लिए औद्योगिक ट्रिब्यूनल को भेजा जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ) पारादीप वानडर श्रमिक यूनियन और पारादीप पोर्ट श्रमिक संघ ने पृथक रूप से 639 नैमित्तिक श्रमिकों को खपाने के बारे में समान औद्योगिक विवाद उठाया । सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने यूनियनों और पारादीप पत्तन न्यास प्राधिकरणों के साथ संराधन कार्यवाही की । पत्तन न्यास प्राधिकरण कुछ संराधन बैठकों में भाग नहीं ले सके, हालांकि उन्होंने संराधन अधिकारी को अपने विचार लिखित में प्रस्तुत कर दिए थे । सरकार को सुलह विफलता रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उच्चतर कार्यवाही की जा रही है ।

खाद की नई किस्मों का उत्पादन

3049. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे खेतों के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है जिनमें उर्वरकों का

उपयोग किया जाता है जबकि जिन खेतों में हरी खाद, कम्पोस्ट और गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है उनमें नमी-धारण क्षमता अधिक होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या उर्वरकों की बढ़ती हुई उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसे उर्वरकों का उत्पादन करेगी जिनके उपयोग से खेतों की नमी-धारण क्षमता में वृद्धि हो और अधिक सिंचाई की आवश्यकता न पड़े; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के उर्वरक का देश में उत्पादन कब तक संभव होगा ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां। सिंचाई अथवा वर्षा से होने वाली नमी का उपलब्ध होना उर्वरकों के उपयोग से प्रयुक्त पोषक तत्वों की गतिशीलता और उदग्रहण के लिए एक पूर्वापेक्षा है। जैव खाद के उपयोग से, जिनमें कम्पोस्ट तथा हरी खाद भी शामिल है, मिट्टी की भौतिक स्थिति में सुधार होता है तथा इसके परिणामस्वरूप इसकी जल ग्रहण क्षमता में वृद्धि होती है और मिट्टी के उपजाऊपन में सुधार आता है।

(ख) और (ग) इस समय यूरिया, डाई-एमोनियम फास्फेट, नाइट्रो फास्फेट तथा एम० पी० के० उर्वरकों जैसे परम्परागत रासायनिक उर्वरकों के अलावा किसी और किस्म के रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

राजस्थान में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाना

3050. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986-87 के दौरान सरकार का राजस्थान के किन-किन जिलों में दूरदर्शन सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का राजस्थान में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो यह किन-किन स्थानों पर लगाए जाएंगे; और

(घ) क्या चित्तौड़गढ़ शहर को राष्ट्रीय टी० वी० नेटवर्क कार्यक्रमों से जोड़ने की कोई योजना है और यदि हां, तो यह कब तक कार्यान्वित की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में दूरदर्शन संजाल के और विस्तार की स्कीमों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, क्योंकि योजना का स्वरूप और आकार अभी निर्धारित किया जाना है।

बिहार में चीनी की कमी

3051. श्री सरफराज अहमद : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में कुछ महीनों से चीनी की भारी कमी की जानकारी है;

(ख) क्या उन्हें इस सम्बन्ध में मई, 1985 में कोई ज्ञापन और पत्र मिले थे और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी;

(ग) राज्य की चीनी मिलों द्वारा बिहार सरकार को लेवी की चीनी आबंटित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी गयी; और

(घ) बिहार में भारतीय खाद्य निगम के चीनी के भंडार गृहों के क्या नाम हैं और उनमें से प्रत्येक में कितनी मात्रा में चीनी है और चीनी की यह मात्रा राज्य की किस अवधि तक की मांग को पूरा कर सकेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम बिहार सरकार के नामितों को लेवी चीनी की सुपुर्दगी करने की व्यवस्था कर रहा है और वे बिहार में स्थित अपने गोदामों में पर्याप्त स्टाक बनाए हुए हैं।

(ख) खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री, बिहार सरकार से मई, 1985 में एक पत्र प्राप्त हुआ था जिनमें बिहार में चीनी की अपर्याप्त सप्लाई के बारे में सूचित किया गया था। इस पत्र की प्रतियां माननीय सदस्य सहित कई संसद सदस्यों के जरिये भी प्राप्त हुई थीं। भारतीय खाद्य निगम को पर्याप्त स्टाक तत्काल भेजने की सलाह दी गई थी। बिहार में स्थित विभिन्न गन्तव्य स्थानों की चीनी भेजने के लिए पर्याप्त संख्या में रैक देने के लिए रेलवे बोर्ड से भी अनुरोध किया गया था। सरकार द्वारा आरम्भ की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप, बिहार को प्राथमिकता के आधार पर चीनी भेजी गई थी। जून और जुलाई के महीनों के दौरान क्रमशः 40,306 तथा 44,194 मीटरी टन चीनी की कुल मात्रा भेजी गई थी।

(ग) लेवी चीनी की मासिक निर्मुक्ति में प्रत्येक फैक्ट्री के हिस्से का हिसाब निर्मुक्ति से पूर्व की तारीख विशेष तक उत्पादन की एक-समान प्रतिशतता के आधार पर लगाया जाता है और तद्नुसार, बिहार की फैक्ट्रियों का लेवी चीनी का देय हिस्सा प्रत्येक मास आबंटित किया जाता है। चालू मौसम 1984-85 के दौरान बिहार की फैक्ट्रियों ने कुल मिलाकर 1.46 लाख मीटरी टन का उत्पादन किया है और उसमें से लेवी चीनी की हकदारी 0.72 लाख मीटरी टन बैठती है जोकि बिहार की केवल 2½ महीनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मात्र पर्याप्त है और इसलिए बिहार की लेवी चीनी की बल्क मासिक आवश्यकताएं महाराष्ट्र जैसे अधिशेष राज्यों से पूरी की जानी हैं।

(घ) भारतीय खाद्य निगम के पास 22 जुलाई, 1985 को बिहार में स्थित अपने विभिन्न गोदामों में 36,747.5 मीटरी टन चीनी का स्टाक था। बिहार में लेवी चीनी की योजनाबद्ध आमद होने से, राज्य सरकार को उनके 31,573 मीटरी टन के मासिक कोटे के निर्मुक्त करने करगे के लिए पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध है। बिहार क्षेत्र में 22 जुलाई, 1985 को जिलावार डिपो-वार लेवी चीनी के स्टाक की उपलब्धता संलग्न एिवरण में दी गई है।

विवरण

बिहार क्षेत्र में 22-7-1985 को जिलावार/डिपोवार लेवी चीनी के स्टाक की उपलब्धता बताने वाला विवरण।

(आंकड़े मीटरी टन में मात्रा)

1	2
	मात्रा
पटना जिला	
दीघाघाट	771.8

1	2
मसौरही	75.0
फुलवारी शरीफ	5349.7
बिहटा	3.4
बरथ	7.3
मोकामेह	2153.6
अरराह	1447.3
बक्सर	1636.6
बिहार-शरीफ	457.7
जोड़	11902.4
दरभंगा जिला	
जयनगर	272.6
पंडौल	37.6
दरभंगा	124.0
समस्तीपुर	181.0
दलसिंहसराय	76.3
बेगुसराय रोड	76.7
जोड़	768.2
मुजफ्फरपुर जिला	
मुजफ्फरपुर	6.4
माड़ीपुर	173.8
कालीबाड़ी रोड	11.0
सीतामढ़ी	47.0
हाजीपुर	128.2
बनपतिया	97.5
ओमकिया	11.9
छपरा	8.0
गोपालगंज	14.8
पुनौरा	42.0

1		2
लालगंज		1.2
कान्ती		102.0
	जोड़	643.8
पूर्णिया जिला		
गुलाबबाग-I		247.9
गुलाबबाग-II		42.1
गोरबेसगंज		302.9
किशनगंज		1418.7
बेलौरी		2.3
सहरसा		72.5
माधेपुरा		418.8
कटिहार/के० भा० नि०		68.7
कुरसेल्ला		0.5
कोसीकालोनी		0.5
	जोड़	2574.8
भागलपुर जिला		
भागलपुर		1120.8
बांका		69.9
मुंगेर		714.2
जमुई		417.2
लखी सराय		51.1
जसीदीह		0.5
साहेबगंज		331.0
	जोड़	2704.7
गया जिला		
गया		5441.5
बरसालीगंज		489.3

1		2
सासाराम		86.5
डाल्टनगंज		1980.3
कोदेरमा		377.8
सूरिया		43.5
	जोड़	8419.0
रांची जिला		
रांची		2627.2*
तातीसिलवाई		0.5
हतिया		20.4
चक्रधरपुर		484.5
जमशेदपुर		2956.1*
धनबाद		3645.9
	जोड़	9734.6

सकल जोड़ : 36747.5 मी० टन

*आयातित चीनी समेत

[अनुवाद]

ब्रह्मपुर में रिले केन्द्र द्वारा कलकत्ता कार्यक्रम का प्रसारण

3052. **श्री अतीश चन्द्र सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में ब्रह्मपुर स्थित रिले केन्द्र से कलकत्ता कार्यक्रम को भी देखा जा सकता है; और

(ख) क्या यह सच है कि ऐसा केवल इन्सेट-I सी के कक्ष में जाने के बाद ही संभव हो सकता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। इस समय दोनों केन्द्रों के बीच कोई लिंकेज सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

महाराष्ट्र में नई चीनी मिलों के लिए लंबित पड़े आवेदन

3053. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में नई सहकारी मिलों की स्थापना के लिए कितने आवेदन सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ख) सहकारी चीनी मिलों के आवेदकों के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां स्थापित की जायेंगी; और

(ग) सरकार किन आवेदनों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) महाराष्ट्र राज्य में नई सहकारी चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए सरकार के पास एक आवेदन पत्र लम्बित पड़ा है ।

(ख) और (ग) पेधाम्बे, तालुक चिपलुन, जिला रत्नगिरी में एक सहकारी चीनी फैक्ट्री स्थापित करने का प्रस्ताव है । यह आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है ।

सेब के बगीचों में "एपल स्कैब" रोग

3054. **श्री ओहरि राव** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सेब के बगीचे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्या इस वर्ष हिमालय क्षेत्र में सेब की खराब फसल हुई है जहां पर "एपल स्कैब" नामक बीमारी ने फसल को बुरी तरह से प्रभावित किया है; और

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हिमाचल प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में सेब का कितना उत्पादन होने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्नूलाल चन्द्राकर) : (क) जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्य में भारी पैमाने पर सेब की खेती शुरू की गई है । तथापि सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु राज्य और अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र में बहुत थोड़ी मात्रा में सेब की खेती की जाती है ।

(ख) इस वर्ष के दौरान "एपल स्कैब" नामक रोग से फसल बुरी तरह प्रभावित नहीं हुई है ।

(ग) सेब के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित नहीं किए जाते क्योंकि यह एक पूर्वानुमान फसल नहीं है । तथापि 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान मोटे तौर पर सेब का उत्पादन निम्नलिखित मात्रा में होने के अनुमान लगाया गया है :

सेब का उत्पादन

(हजार मीटरी टन)

	1983-84	1984-85
हिमाचल प्रदेश	257.91	170.63
अखिल भारत	985.90	1005.56

1985-86 की फसल तोड़ी जा रही है तथा उत्पादन का मोटे तौर पर अनुमान नहीं लगाया गया है।

[हिन्दी]

सब्जियों, फलों और चावल की कीमतों में वृद्धि

3055. **श्री बापू लाल मालवीय** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सब्जियों, फलों और चावल आदि के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस मूल्य वृद्धि का एक मुख्य कारण इनका निर्यात है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन मदों का निर्यात बन्द करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) पिछले कुछ महीनों के दौरान मुख्यतया मौसमजन्य कारणों से सब्जियों, फलों तथा चावल के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है। हाल में हुई मूल्य वृद्धि में निर्यात की कोई महत्वपूर्ण भूमिका प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि निर्यात की जाने वाली मात्रा देश मे इन वस्तुओं के कुल उत्पादन का केवल बहुत छोटा अंश है। इसके अतिरिक्त, चावल के मामले में केवल बासमती चावल का ही निर्यात करने की अनुमति दी गई है। प्याज का निर्यात विनियमित है। फलों और सब्जियों तथा बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए इस समय सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

त्यौहारों के लिए चीनी की मांग

3056. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि चीनी की मांग में दिन प्रति-दिन वृद्धि हो रही है लेकिन इसके उत्पादन में गिरावट आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो आगामी त्यौहारों के लिए जनता की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 1981-82 मौसम से चीनी की आन्तरिक खपत में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है जबकि 1981-82 और 1982-83 के मौसमों के दौरान हुए रिकार्ड उत्पादन की तुलना में 1983-84 और 1984-85 के मौसमों में चीनी के उत्पादन में गिरावट आयी है।

(ख) चीनी की मांग और सप्लाई के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए लगभग 10 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने का निर्माण किया जा चुका है। यह आयातित चीनी और उपलब्ध स्वदेशी चीनी के स्टाक आन्तरिक खपत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त, गन्ने और चीनी के उत्पादन में वृद्धि के लिए, फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना उत्पादकों को गन्ने के लाभकारी मूल्यों का भुगतान करना सुनिश्चित किया जा रहा है।

लेवी और खुली बिक्री की चीनी की जो उदार निर्मुक्तियां की जा रही हैं, वे त्यौहारों के मौसम में दौरान भी की जाती रहेंगी। चीनी की बढ़ी हुई उपलब्धता और साथ ही चीनी फैक्ट्रियों तथा लाइसेंस शुदा डीलरों पर लागू किए जा रहे विनियामक उपायों से, आशा है कि त्यौहारों के मौसम के दौरान उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीनी की सप्लाई पर्याप्त होगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि के लिए मुआवजा

3057. **श्री टी० बालागौड** : क्या निर्माण और आवास मंत्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के निकटवर्ती गांवों की कृषि भूमि के बहुत बड़े क्षेत्रों का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो कितना क्षेत्र अधिग्रहीत किया गया है और मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक आवासीय/औद्योगिक प्लाट या विकसित विभिन्न वाणिज्यिक केन्द्र में बनाई गई दुकानें देने का कोई प्रस्ताव था और यदि हां, तो कितने लोगों को, विशेषत: दक्षिणी दिल्ली में, गत दो वर्षों में ये लाभ दिए गए हैं;

(घ) क्या पर्याप्त संख्या में विकसित आवासीय प्लाट उपलब्ध न होने की स्थिति में बने हुए मकान देने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के आस पास के क्षेत्रों से 1960 से 31 जुलाई, 1975 तक 43,113 एकड़ कृषि योग्य भूमि अर्जित की है। दिल्ली प्रशासन द्वारा अर्जित उपर्युक्त भूमि के लिए दिया गया कुल मुआवजा 44,50,83,786.73 रुपये है।

(ग) दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास एवं बिक्री की योजना के अन्तर्गत रिहायशी तथा औद्योगिक प्लाट दिल्ली प्रशासन की सिफारिशों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित दरों पर उन व्यक्तियों/आवेदकों को आबंटित किये जा रहे हैं जिनकी भूमि "दिल्ली के सुनियोजित विकास" के लिए अर्जित की गई है और जो इस योजना के अन्तर्गत वैकल्पित प्लाटों के ऐसे आबंटन के लिए पात्र हैं। व्यक्तियों के इस वर्ग को आबंटन के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा 1-1-83 से 31-12-84 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण को 646 प्लाटों की सिफारिश की गई थी। इन प्लाटों में 162 प्लाट की दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में आबंटन की सिफारिश की गई।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय बोर्ड में संचित भविष्य निधि की कुल राशि

3058. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावजि : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय बोर्ड के पास 31 मार्च, 1985 तक कर्मचारी भविष्य निधि की कुल कितनी राशि संचित है;

(ख) अंशदाताओं की संख्या कितनी है तथा भविष्य निधि की वसूली करने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या कितनी है;

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि बोर्ड में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(घ) क्या कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के मामले में सरकारी अधिकारी स्वायत्त बोर्ड के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) 31-3-1985 की स्थिति के अनुसार, अपेक्षित सूचना नीचे दी है :—

(i) भविष्य निधि की कुल जमा राशि	5260.586 करोड़ रु०
(ii) अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या (छूट न प्राप्त)	1,51,969
(iii) अंशदाओं की संख्या (छूट न प्राप्त)	88,69,837

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 12,743 अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे थे।

(घ) श्रेणी-III और IV पदों पर भर्ती करने में हस्तक्षेप के बारे में सरकार को कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

पश्चिम बंगाल को वर्ष 1984-85 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए धन का आवंटन

3059. श्रीमती फूलरेनु गुहा : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल को वर्ष 1984-85 में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने उसमें से कितनी राशि खर्च की ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1984-85 के दौरान इस मंत्रालय के मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को बंटित तथा उनके द्वारा उपयोग में लाई गई निधियां

(लाख रुपए में)

कार्यक्रम	कुछ आबंटन (केन्द्रीय तथा राज्य अंश)	व्यय की गई धनराशि (अनन्तिम)
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2680.00	2392.33
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	3548.00	2285.61
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	3850.00	1238.00
सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम	435.00	372.88

मध्य प्रदेश में दालों के उत्पादन के लिए योजनाएं

3060. कुमारी पुष्पा देवी : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित प्रयोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना के दौरान मध्य प्रदेश में दालों के उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनावधि के दौरान मध्य प्रदेश में किन-किन क्षेत्रों में इस प्रकार की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं शुरू की गईं; और

(घ) उक्त योजनावधि में मध्य प्रदेश को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई तथा कुल कितने हैक्टेयर भूमि पर दालों की खेती की गई ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) छठी योजना के दौरान निम्नलिखित केन्द्रीय प्रयोजित योजनाएं कार्य कर रही थीं :—

(1) प्रमाणित/ईमानदारी से लेबल लगे बीज, राइजोबियम कल्चर, पौध संरक्षण रसायनों, उपस्कर और प्रचालनात्मक खर्चों, प्रदर्शन करने तथा प्रजनक/आधारी बीजों के उत्पादन पर राज सहायता।

(2) सिंचाई खर्चों और ग्रीष्म के दौरान दलहनों के उत्पादन के लिए प्रचार करने पर राज सहायता।

(3) कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने की योजना के अन्तर्गत किसानों को उर्वरक के निःशुल्क वितरण के साथ-साथ दलहनों के मिनीकिटों का वितरण।

(ग) दलहनों के विकास की योजना के अन्तर्गत नरसिंहपुर, भिंड, मुरेना, रायसीन, छिंदवाड़ा, खारगांव, होशंगाबाद, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, सागर, दुर्ग, मन्दसौर, गुना, विदिशा और उज्जैन जिलों को चुना गया था और कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता पहुंचाने की योजना के अन्तर्गत संपूर्ण राज्य को आवृत्त किया गया था।

(घ) दलहन विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत मध्य प्रदेश को 224.844 रु० की केन्द्रीय सहायता दी गई है और कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को दी जाने वाली सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत नियुक्त की गई धनराशि का एक हिस्सा दलहनों के मिनीकिटों का वितरण करने के लिए उपयोग में लाया गया।

(2) छठी योजना अवधि के दौरान राज्य में दलहन की खेती के अन्तर्गत लाई गई भूमि निम्नानुसार है :—

वर्ष	खाख हैक्टयर
1980-81	45.8
1981-82	48.6
1982-83	51.3
1983-84	50.3
1984-85	47.9 (अनन्तिम)

दक्षिणी राज्यों में दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाली हिन्दी भाषा की कथानक शृंखलाओं (सीरियल्स) की लोकप्रियता के संबंध में सर्वेक्षण

2061. **श्री पी० चिदम्बरम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-हिन्दी भाषी राज्यों, विशेषकर चार दक्षिणी राज्यों में दर्शकों में दूरदर्शन पर दिखाये जाने वाली हिन्दी भाषा की कथानक शृंखलाओं की लोकप्रियता अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययन अथवा सर्वेक्षण से क्या परिणाम प्राप्त हुये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां। मध्यम आकार के 10 नगरों में मार्च, 1985 में दर्शक अनुसंधान सर्वेक्षण किया गया था। इन 10 नगरों में प्रत्येक जोन के दो-दो नगर शामिल किए गए थे। दक्षिण जोन में पाण्डिचेरी और चिंगलपट्टु कवर किए गए थे।

(ख) सर्वेक्षण के निष्कर्षों से यह प्रकट होता है कि हिन्दी टी०वी० धारावाहिकों की काफी लोकप्रियता है। हिन्दी टी० वी० धारावाहिकों को देखने वाले पाण्डिचेरी और चिंगलपट्टु के दर्शकों की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दक्षिण जोन के दो नगरों में हिन्दी टी० वी० धारावाहिकों का अवलोकन

आंकड़े प्रतिशत में हैं

धारावाहिक	पाण्डिचेरी	चिंगलपट्टु
अपराधी कौन	51	32
हम लोग*	85	60
खानदान	45	64
अड़ोस-पड़ोस	31	52
यह जो है जिन्दगी	42	64

टिप्पणी : *मंगलवार और शनिवार को टेलीकास्ट एपीजोड़ों के लिए समवेत औसत।

[हिन्दी]

छठी योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में मकानों का निर्माण

3062. श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में हिमाचल प्रदेश में मकानों के निर्माण के लिए क्या व्यवस्था की गई थी; और

(ख) इस बारे में ब्यौरा क्या है; उस राशि से कितने मकानों का निर्माण किया गया ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 1148.00 लाख रुपये।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जनकपुरी पाकेट "बी" में स्व-वित्तपोषी योजना के फ्लैट

3063. श्री केशवराव पारधी : क्या निर्माण और आवास मंत्री जनकपुरी पाकेट "बी" स्व-वित्त पोषी योजना के फ्लैटों के बारे में 8 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2015 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनकपुरी पाकेट "बी" में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट जो आवंटियों को जून, 1985 तक दिये जाने की सम्भीद थी, अब तक पूरे नहीं हुये हैं तथा आवंटित नहीं किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) ये फ्लैट आबंटियों को देने की अब कौन-सी तारीख निर्धारित की गई है; और

(घ) क्या सरकार इस परियोजना के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण की चूकों की जांच करेगी और सम्बन्धित व्यक्तियों की जिम्मेदारी निर्धारित करेगी ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) मुख्यत: ठेकेदार द्वारा कार्य के निम्न स्तरीय तालमेल के कारण उसके पास मजदूरों की कमी के कारण फ्लैट लक्षित तारीख तक रिलीज नहीं किये जा सके ।

(ग) इन फ्लैटों को आबंटन हेतु यथासम्भव शीघ्र रिलीज करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं ।

(घ) ठेके की संगत धाराओं के अन्तर्गत ठेकेदार के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए समय-समय पर नोटिस जारी किए गए हैं तथा ठेकेदार के विरुद्ध पहले ही आरम्भ की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा आगे की कार्यवाही निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उपयुक्त समय पर की जाएगी ।

चीनी कारखानों से खुली बिक्री की चीनी का जारी किया जाना

3064. **श्री साहेबराव पाटिल डोणगांवकर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक चीनी कारखाने से प्रतिमास खुली बिक्री की चीनी का कोटा जारी करने के सम्बन्ध में क्या नीति है; और

(ख) क्या चीनी कारखाने की लाइसेंस प्राप्त क्षमता और वास्तविक उत्पादन से इसका कोई सम्बन्ध है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) खुली बिक्री की मासिक निर्मुक्ति में प्रत्येक फैक्ट्री के शेयर का हिसाब निर्मुक्ति से पूर्व तारीख विशेष तक उत्पादन में से खुली बिक्री की हकदारी की एक समान प्रतिशतता के आधार पर लगाया जाता है । अत: फैक्ट्रियों की खुली बिक्री की चीनी की मासिक निर्मुक्ति वास्तविक उत्पादन से और न कि फैक्ट्री की लाइसेंसशुदा क्षमता से सम्बन्धित है ।

उड़ीसा को नगरों के विकास के लिए सहायता

3065. **श्री अनादि चरण दास** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरों/लघु नगरों (कस्बों) के विकास के लिए सहायता देने के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ख) 31 मार्च, 1985 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा को दी गई सहायता का नगर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा के जाजपुर तथा कटक नगर इस प्रकार की विकासीय सहायता के क्षेत्राधीन आते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हर दृष्टि से विकास के लिए नगरों के चयन के लिए निर्धारित किये गये मानदण्ड क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों की एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता उन शहरों के लिए उपलब्ध है जिनकी आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार एक लाख से कम है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक शहर के लिए 55 लाख रुपये की उपलब्ध उस राशि में कम लागत की स्वच्छता योजनाओं के लिए सहायता भी शामिल है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) जयपुर तथा कटक शहरों पर भी विचार किया जा सकता है यदि राज्य सरकार इन शहरों को इस योजना में शामिल करने का अनुरोध करती है।

(घ) इस योजना के मार्गदर्शनों के अनुसार 1971 की जनगणना के अनुसार एक लाख या इससे कम आबादी वाले शहरों पर विचार किया जाएगा। शहरों को चुनते समय जिला मुख्यालय शहरों को वरीयता दी जाएगी और उसके बाद उप मण्डलीय शहरों, मण्डी शहरों तथा अन्य महत्वपूर्ण विकास केन्द्रों को लिया जाएगा।

विवरण

छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकास योजना के अन्तर्गत उड़ीसा के शहरों को दी गई केन्द्रीय सहायता

क्र० सं०	शहर का नाम	79-82	1982-83	1983-84	1984-85	कुल दिया गया धन लाख रुपयों में
		(राशि लाख रुपयों में)				
1.	पुरी	5.00	10.00	5.00	17.00	37.00
2.	सम्भलपुर	20.50	—	15.00	2.00	37.50
3.	बालासौर	9.14	9.00	16.63	5.23	40.00
4.	राउरकेला	14.00	—	21.00	5.00	40.00
5.	जैपुर	—	10.00	—	18.00	28.00
6.	धेनकनाल	—	12.00	—	18.00	30.00
	योग	48.64	41.00	57.63	65.23	212.50

ग्रामीण गोदामों का निर्माण

3066. **श्री विमल कान्ति घोष** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण गोदामों का राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की योजना के लक्ष्य क्या हैं और ग्रामीण गोदामों के निर्माण की लागत किस तरह जुटाई जाती है;

(ख) 30 जून, 1985 तक राष्ट्रीय गोदामों के निर्माण के कितने प्रस्ताव मंजूर किये गए और कितनी केन्द्रीय राजसहायता दी गयी;

(ग) 30 जून, 1985 तक ग्रामीण गोदामों के निर्माण में पश्चिम बंगाल में क्या सफलता मिली है और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्या सफलता मिली है;

(घ) क्या इस मामले में पश्चिम बंगाल कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पीछे है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना हेतु योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं :—

(1) फसल कटाई के तत्काल बाद खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादों को चालू कम कीमत पर विवश बिक्री को रोकना;

(2) घटिया स्तर के गोदामों के कारण माल की मात्रा तथा गुणता में होनी वाली हानि को रोकना;

(3) सार्वजनिक एजेंसियों, सहकारी समितियों आदि की भंडारण की वर्तमान सुविधाओं विशेषकर फसल कटाई के बाद की अवधि के दौरान भंडारण की मांग के दबाव को कम करना;

(4) फसल कटाई के बाद की अवधि के दौरान परिवहन पद्धति पर पड़ने वाले भार को कम करना;

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करना;

(6) खेती की सामग्री किसानों को आसानी से उपलब्ध कराना;

(7) भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की आसानी से खरीद करने में सहायता देना;

गोदामों के निर्माण की लागत को 50 प्रतिशत आर्थिक सहायता द्वारा तथा 50 प्रतिशत ऋणों द्वारा पूरा किया जाता है। आर्थिक सहायता की धनराशि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर आधार पर वहन की जाती है। ऋण घटक को बैंकों द्वारा वहन किया जाता है।

(ख) 1979-80 में योजना आरम्भ होने की अवधि से 30 जून, 1985 तक 16,21,801

मीटरी टन की क्षमता वाले 3324 ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किये गये हैं तथा इस प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को केन्द्रीय आर्थिक सहायता के रूप में 13,48,10,058 रुपए की धनराशि मुक्त की गयी है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं और चावल के भंडार

3067. **श्री मानवेन्द्र सिंह :** *क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री* यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1985 को भारतीय खाद्य निगम के पास गेहूं और चावल का कुल कितना भंडार था;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा 30 जून, 1985 संग्रहीत गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित स्तर के हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) 30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय पूल में रखे गए गेहूं और चावल की मात्रा इस प्रकार है :—

आंकड़े लाख मीटरी टनों में

गेहूं	चावल
125.36	69.55

(ख) और (ग) स्टाक के परिरक्षण की स्थिति का पता लगाने और समय पर रोगाणुनाशन करने के लिए योग्यता प्राप्त तकनीकी स्टाक द्वारा पाक्षिक अन्तराल पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा जमा किए गए खाद्यान्नों का परीक्षण और जांच की जाती है। विभिन्न अनाजों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार स्टाक की क्वालिटी आंकी जाती है।

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रोहड़ और रामपुर में दूरदर्शन ट्रांसमीटर केन्द्र लगाना

3068. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित न किये जाने के कारण हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कुछ भागों में दूरदर्शन कार्यक्रम नहीं देख जा सकते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रोहड़ और रामपुर में दूरदर्शन ट्रांसमीटर केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) (क) जी, हां।

(ख) इन दो स्थानों में से किसी भी स्थान पर दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की इस समय कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(ग) देश के कवर न हुए क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार संसाधनों की भावी उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

आपरेशन फ्लड-2

3069. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत मार्च, 1985 के अन्त तक तथा उसके बाद साहवार जुलाई, 1985 के अन्त तक राज्य-वार क्या प्रगति हुई है;

(ख) मार्च, 1985 से जुलाई, 1985 तक माहवार उपहार के रूप में कितना सपरेटा पाउडर तथा बटर आयल प्राप्त हुआ और कितना राज्य-वार दिया गया तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा 1985-86 और बाद के वर्षों के लिए कितनी-कितनी मात्रा के लिए वचन दिया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य-वार वित्तीय आबंटन क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकार) : (क) मार्च, 1985 तक आपरेशन फ्लड-2 के कुछ महत्वपूर्ण घटकों के लिए राज्यवार की गई प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण एक में दिया गया है। संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों से अप्रैल से जुलाई, 1985 के महीनों की सूचना उपलब्ध नहीं हुई है।

(ख) मार्च, 1985 से जून, 1985 के दौरान सपरेटा दुग्ध चूर्ण की लगभग 14646 मीटरी टन और बटर आयल की 500 मीटरी टन मात्रा प्राप्त हुई है। तथापि जुलाई, 1985 के महीने में प्राप्त सपरेटा दुग्ध चूर्ण और बटर आयल की मात्रा तथा भारतीय डेरी निगम द्वारा मार्च, 1985 से जुलाई, 1985 के महीनों के दौरान जारी की गई सपरेटा दुग्ध चूर्ण और बटर आयल की मात्रा के संबंध में जानकारी को संकलित किया जा रहा है। खाद्य सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत उपहारस्वरूप प्राप्त जिलों के आबंटन की मंजूरी यूरोपियन आर्थिक समुदाय द्वारा वार्षिक आधार पर दी जाती है। अभी तक वर्ष 1985 तथा अनुवर्ती वर्षों के लिए यूरोपियन आर्थिक समुदाय से कोई ठोस आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत राज्यों/संघ क्षेत्रों को संवितरित धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-दो में दिया गया है।

विवरण-एक

मार्च, 1985 तक आपरेशन फ्लड-2 के मुख्य घटक

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना के अंगर्गत लाए गए दुग्ध शेडों की संख्या	गठित डेरी सहकारी समितियों की संख्या	सदस्य किसानों की संख्या (लाख)
1	2	3	4	5
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	1	20	0.01
2.	आन्ध्र प्रदेश	10	2518	2.15
3.	असम	1	124	0.06
4.	बिहार	4	765	0.16
5.	गोआ, दमन और दीव	1	66	0.06
6.	गुजरात	16	7973	11.50
7.	हरियाणा	11	2383	1.46
8.	हिमाचल प्रदेश	2	78	0.09
9.	जम्मू व कश्मीर	1	86	0.04
10.	कर्नाटक	6	2289	3.74
11.	केरल	2	468	0.68
12.	मध्य प्रदेश	7	1685	0.77
13.	महाराष्ट्र	16	1925	3.83
14.	उड़ीसा	4	285	0.11
15.	पांडिचेरी	1	53	0.09
16.	पंजाब	11	3818	1.84
17.	राजस्थान	6	2060	1.23
18.	सिक्किम	1	107	0.05
19.	तमिलनाडु	9	4249	5.72
20.	त्रिपुरा	1	61	0.03
21.	उत्तर प्रदेश	19	2503	1.20
22.	पश्चिम बंगाल	6	978	0.49

विवरण-दो

वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आपरेशन फ्लड के अधीन संवितरित धनराशि

(लाख रुपए)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनन्तिम		
		1982-83	1983-84	1984-85
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	14.18	2.96	8.02
2.	आन्ध्र प्रदेश	362.80	592.13	375.06
3.	असम	22.07	53.13	55.85
4.	बिहार	62.34	222.70	133.75
5.	दिल्ली	132.56	2.13	55.95
6.	गोआ, दमन और दीव	40.04	6.05	4.65
7.	गुजरात	1427.40	562.65	785.60
8.	हरियाणा	105.03	151.44	222.20
9.	हिमाचल प्रदेश	—	10.67	41.35
10.	जम्मू व कश्मीर	—	8.56	16.40
11.	कर्नाटक	—	308.00	162.99
12.	केरल	139.20	235.64	307.22
13.	मध्य प्रदेश	187.17	483.72	951.62
14.	महाराष्ट्र	424.24	337.08	356.46
15.	नागालैंड	1.83	(—)0.85	—
16.	उड़ीसा	178.57	195.95	172.93
17.	पांडिचेरी	10.74	12.17	11.82
18.	पंजाब	353.04	711.22	556.80
19.	राजस्थान	87.71	1.10	422.69
20.	सिक्किम	3.82	18.47	25.00
21.	तमिलनाडु	325.62	378.52	453.34
22.	त्रिपुरा	6.68	2.50	4.36
23.	उत्तर प्रदेश	121.96	158.41	379.23
24.	पश्चिम बंगाल	200.65	261.94	176.86

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए गेहूं का लखनऊ में खुले में पड़े रहना

3070. **श्री कमला प्रसाद रावत :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया कितना गेहूं लखनऊ में खुले में पड़ा है;

(ख) उक्त गेहूं के वर्षा के पानी से खराब हो जाने की स्थिति में इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा;

(ग) क्या प्रबन्धकों और विभाग के उच्च अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह गेहूं अभी भी खुले में रखा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रबन्धकों/उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) 24-7-1985 की स्थिति के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए लगभग 70,000 मीटरी टन गेहूं को निगम ने लखनऊ जिले में कैप भण्डारण में रखा है, लेकिन उसे पोलीथीन की चादरों से अच्छी तरह से ढक कर रखा गया है और सुरक्षित रखा गया है।

(ख) यदि किसी अधिकारी द्वारा लापरवाही करने के कारण कैप भण्डारण में रखे गए खाद्यान्नों को किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है, तो उस दशा में निगम द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(घ) जी नहीं। ढके हुए भण्डारण स्थान की कमी होने के कारण स्टाक को कैप में रखा जा रहा है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

उड़ीसा में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रायोगिक परियोजना

3071. **श्री राधाकान्त त्रिपाल :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिये राज्य के कुछ चुनींदा ब्लाकों में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने के लिए केन्द्र के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव केन्द्र के पास मंजूरी के लिए लम्बित है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को मंजूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए फसल उत्पादन संबंधी कार्यकारी दल ने पारम्परिक और गैर-पारम्परिक क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू करने का सुझाव दिया था। मगर इस योजना को सातवीं योजना में शामिल करने के लिए स्वीकृत नहीं किया गया है।

रामागुंडम में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

3072. **श्री जी० मूपति** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करीमनगर और आदिलाबाद जिलों के लाखों दर्शकों के लिए औद्योगिक नगर रामागुंडम में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) रामागुंडम में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की इस समय कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नारियल के रक्षित भण्डार के लिए केरल को वित्तीय सहायता

3073. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से नारियल का रक्षित भण्डार बनाने के लिए किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) केरल सरकार ने कोपड़ा के लिए मूल्य समर्थन हेतु एक योजना भेजी है और इस योजना के लिए केन्द्रीय सहायता मांगी है। राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, जिनकी प्रतीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम की डायरी

3074. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने 1985 के लिए एक डायरी प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या डायरी की प्रतियां संसद सदस्यों को दी गई हैं;

(ग) क्या यह डायरी केवल अंग्रेजी भाषा में ही प्रकाशित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इससे राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

एन० बी० सी० सी० को "ख" श्रेणी की कम्पनी का दर्जा दिया जाना

3076. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को 1 अप्रैल, 1985 से "ख" श्रेणी की कम्पनी का दर्जा दिया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) 1 अप्रैल, 1985 से पहले इसका दर्जा क्या था;

(ग) इसका दर्जा घटाए जाने का क्या कारण है;

(घ) क्या इसके कार्यकरण और इसके कर्मचारियों के आधार पर इसका दर्जा निर्धारित किया गया है;

(ङ) एन० बी० सी० सी० किन स्रोतों से ऋण लेती है और वर्ष 1984-85 के अन्त तक निगम को कितना ऋण मिला है; और

(च) क्या एन० बी० सी० सी० घाटे में चल रही है, यदि हां, तो निगम को पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार कितना घाटा हुआ है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम का दर्जा 1 अप्रैल, 1985 से अनुसूची "ग" से अनुसूची "ख" श्रेणी में बढ़ा दिया गया है जो कई घटकों अर्थात इसके पूंजी निवेश, टर्नओचर, लाभ, प्रचालन के क्षेत्रों में विस्तार और परियोजनाओं की भिन्न-भिन्न किस्म, जिसका संचालन अब उनके द्वारा किया जा रहा है, पर आधारित है।

(ङ) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम भारत सरकार से ऋण प्राप्त करता है। इसने भारत में तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ० आई० डी० बी०) मारुति उद्योग लि० और देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों (वित्तीय संस्थाओं सहित) से स्थानीय मुद्रा उधारों के परिचालन के लिए ऋण भी प्राप्त किया था। निगम ने 1984-85 के अन्त तक (ओवर ड्राफ्ट सहित) 107.11 करोड़ रुपये तक ऋण प्राप्त किया है।

(च) पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम ने कोई हानि नहीं उठाई है।

दूरदर्शन कर्मचारियों का मद्रास में आई० टी० सी० द्वारा आयोजित "मेड फार ईच अदर" प्रतियोगिता में भाग लेना

3077. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में कार्यरत दूरदर्शन कर्मचारियों ने जनवरी, 1985 में आई० टी० सी०

द्वारा मद्रास में आयोजित "मैड फार ईच अदर" प्रतियोगिता में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्हें क्या पुरस्कार दिए गए थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास के किसी भी नियमित कर्मचारी ने उक्त प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

चीनी की जमाखोरी

3078. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी की जमाखोरी को हतोत्साहित करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं;

(ख) क्या चीनी का पर्याप्त आयात करने की व्यवस्था की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि राज्य वितरण प्रणालियों के माध्यम से लोगों को उचित दर पर चीनी उपलब्ध कराई जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी किए गये कोटा का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां। राज्य सरकारों को जमा माल को निकलवाने के अभियान को तेज करने और लाइसेंसशुदा व्यापारियों द्वारा स्टाक रखने की सीमा, चीनी के स्टाक को निकालने की समय-सीमा आदि से सम्बन्धित अन्य सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के बारे में पहले ही सलाह दे दी गई है। लाइसेंसशुदा व्यापारियों द्वारा चीनी के स्टाक को निकालने की अवधि को 10 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया गया है और प्रत्यक्ष सुपुर्दगी के साथ थोक विक्रेता से थोक विक्रेता के बीच सौदे को केवल एक ही ऐसे सौदे तक सीमित कर दिया गया है।

(ख) जी, हां। 10 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने का निर्णय कर लिया गया है और आशा है कि यह मात्रा मई से सितम्बर, 1985 के दौरान पहुंच जाएगी। आयातित चीनी के अधिकांश भाग को निर्धारित मूल्यों पर नियंत्रित माध्यमों द्वारा वितरित करने के लिए राज्य सरकारों को आबंटित किया जा रहा है। उपभोक्ताओं के लिए आयातित चीनी का निर्गम मूल्य, जो 6.00 रुपये प्रति किलोग्राम से कम था, घटाकर 5.80 रुपये प्रति किलोग्राम से भी कम कर दिया गया है।

(ग) राज्य सरकारों को नियंत्रित माध्यमों से वितरित करने हेतु जून, 1985 के लिए 75,000 मीटरी टन और जुलाई तथा अगस्त, 1985 के प्रत्येक महीने के लिए 1,25,000 मीटरी टन आयातित चीनी आबंटित की गई थी।

राज्यों में भविष्य निधि अंशदान जमा करने में चूक करने वाली कम्पनियां

3079. **श्री रेणुपद दास** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में भविष्य निधि अंशदान जमा करने में चूक करने वाली कितनी कंपनियां हैं;

(ख) इन कंपनियों के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ग) उनकी ओर कितनी धनराशि बकाया है;

(घ) क्या दोषी कंपनियों को कठोर दंड देने के लिए कोई कानून बनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) 31-3-1985 की स्थिति के अनुसार, 8,500 प्रतिष्ठानों ने भविष्य निधि की बकाया राशि की अदायगी नहीं की। सभी दोषी प्रतिष्ठानों के ब्यौरे सहज उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, उन छूट-न-प्राप्त प्रतिष्ठानों के राज्य-वार नाम संलग्न सूची (अनुबन्ध) में दिए गए हैं, जिन्होंने एक लाख रुपये और उससे अधिक की भविष्य निधि की बकाया राशि का भुगतान करना था। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1349/85**]

(घ) और (ङ) कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के वर्तमान कानूनी और दांडिक उपबन्धों में त्रुटियों को दूर करने के कतिपय प्रस्तावों पर सरकार इस समय विचार कर रही है और जैसे ही इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया जाता है, उपयुक्त संशोधी विधेयक पेश किया जाएगा।

उड़ीसा में बीमारी का प्रतिरोध करने वाली चावल की किस्म

3080. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमारी का प्रतिरोध करने वाले चावल की कोई किस्मों का विकास किया गया है और उसका उड़ीसा विशेषकर इसके आदिवासी क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया गया है;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये किस्में भयानक कीड़ों और चावल की बीमारी के कीड़ों का मुकाबला करने में कहां तक सफल हुई हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) उड़ीसा में बड़े कीटरोधी निम्नलिखित किस्मों को सामान्य कृषि के लिए विकसित तथा रिलीज किया गया व परीक्षण के तौर पर अपनाने के लिए उनकी पहचान की गई :—

कीट	रिलीज की गई किस्में
गालमिज	शक्ति, सैमाली
	गीता, सरासा

ब्राउन प्लान्ट हौपर	दया
ब्लास्ट	सी० आर० 289-1208 (रिलीज की गई) आई० ई० टी०-7564, 7613, 7614, 7261, 7633 (पहचानी गयी)

आदिवासी क्षेत्रों में कलिंग III तथा सी० आर० 289-1208 जैसी जल्दी तैयार होने वाली किस्मों को प्राथमिकता दी जाती है जो कीटों के आक्रमण को रोकने में सक्षम हैं।

(ग) शक्ति तथा समाली किस्में सम्बलपुर तथा बोलनगिर जैसे स्थानिकमारी क्षेत्रों में भी गालमिज के भयंकर प्रकोप को मुकाबला करने में सक्षम रहीं जबकि पुरी तथा कटक जिलों में दया किस्म ब्राउन प्लान्ट हौपर का मुकाबला करने में सक्षम रही।

मुजफ्फरपुर से दूरदर्शन केन्द्र का स्थानांतरण

3081. श्री विजय कुमार यादव :
श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुजफ्फरपुर से दूरदर्शन केन्द्र का स्थानान्तरण करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, यो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) पटना के दूरदर्शन ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़कर 10 किलोवाट हो जाने पर, यह उन क्षेत्रों को भी कवर करेगा जो इस समय मुजफ्फरपुर के ट्रांसमीटर द्वारा कवर किए जा रहे हैं। इस प्रकार, मुजफ्फरपुर का ट्रांसमीटर व्यवहार्यतः अनावश्यक हो जायेगा। इसी प्रकार, पटना में निर्माण सुविधाओं के साथ दूरदर्शन केन्द्र भी होगा जो मुजफ्फरपुर के क्षेत्र सहित समूचे बिहार राज्य के अनुरूप कार्यक्रम बनायेगा।

मजदूरों को विदेश भेजने में कार्यरत अधिकृत/अनधिकृत एजेंसियां

3082. श्री लाला राम केन :
प्रो० नारायण चन्द पराशर :
श्री मुकुल वासनिक :
श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजदूरों को विदेश भेजने में कार्यरत अधिकृत/अनधिकृत एजेंसियों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि ये एजेंसियां मजदूरों को विदेश भेजने के लिए प्रत्येक से हजारों रुपये वसूल कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मजदूरों के हित में इसके लिए एक एजेंसी स्थापित करने और इस प्रथा को बन्द करने तथा विदेशों में अपेक्षित विशिष्ट व्यवसाय के व्यक्तियों को रोजगार कार्यालयों के माध्यम से बुलाने की प्रक्रिया अपनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी व्यवस्था कब से की जायेगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) प्राधिकृत भर्ती एजेंटों की 6-8-1985 को संख्या 1,005 थी। अप्राधिकृत भर्ती एजेंटों की संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि वे गैर कानूनी रूप से काम करते हैं।

(ख) जी, हां। समय-समय पर कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1983 में पंजीकृत सहकारी समितियों को भूमि का आबंटन

3083. **श्री लाला राम केन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1983 में पंजीकृत सहकारी समितियों को आवासों के निर्माण हेतु भूमि का आबंटन कब तक किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) प्रत्येक समिति को कितने क्षेत्र भूमि आबंटित की जायेगी तथा किन-किन स्थानों पर भूमि का आबंटन करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सहकारी समिति के पंजीकार द्वारा 1983 में पंजीकृत नई सहकारी सामूहिक आवास समितियों की भूमि की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण आबंटन के लिए भूमि का पता लगाने का प्रयास कर रहा है और इसमें कुछ समय लगेगा। इस स्थिति में यह बताना व्यवहार्य नहीं है कि किस निश्चित अवधि तक भूमि आबंटित की जा सकती है तथा आबंटन किस कालोनी में किया जाएगा।

सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आबंटन 60 रिहायशी एकक प्रति एकड़ के मान पर किया जाता है।

पश्चिम बंगाल में सप्लाई किया गया चावल

3084. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल को 1981-82, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान सांविधिक राशन वाले क्षेत्रों के लिए कुल कितना चावल सप्लाई किया गया;

(ख) उन वर्षों में पश्चिम बंगाल को किन-किन किस्मों का और किस मूल्य पर चावल बेचा गया था;

(ग) क्या चावल की किस्म और मूल्य के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई शिकायत मिली थी; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : केन्द्रीय पूल से पश्चिमी बंगाल को आबंटित की गई चावल की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

वर्ष	मात्रा (लाख मीटरी टन में)
1981	20.55
1982	16.40
1983	13.30
1984	13.20
1985	8.80 (अगस्त, 1985 तक)

पश्चिमी बंगाल के राशन व्यवस्था वाले सांविधिक क्षेत्रों में वितरित किए गए केन्द्रीय पूल के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) पश्चिमी बंगाल सहित राज्य सरकारों को सामान्यतया जारी किए गए चावल की तीन मुख्य किस्मों और उनके निर्गम मूल्यों, जोकि सभी राज्यों के लिए समान होते हैं, का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

(रुपये/क्विंटल)

किस्म	1.1.81 से	1.10.81 से	1.10.82 से	16.1.84 से
साधारण	165.00	175.00	188.00	208.00
बढ़िया	177.00	187.00	200.00	220.09
बहुत बढ़िया	192.00	202.00	215.00	235.00

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केन्द्रीय पूल के चावल का निर्गम मूल्य देश भर में एक समान होता है। जनवरी, 1985 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि उत्तरी भारत से भेजे गए सेला चावल की पंजाब-किस्म की क्वालिटी अच्छी नहीं थी और वह अधिकांश उपभोक्ताओं को स्वीकार्य नहीं था। जांच करने पर यह पाया गया था कि उपभोक्ताओं ने इसको लेने के लिए इसलिए विरोध किया था क्योंकि इस चावल को पकाने में काफी समय लगता था। इसकी दृष्टि में पंजाब किस्म के सेला चावल को पश्चिमी बंगाल को भेजना बन्द कर दिया गया है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन कार्यक्रमों के बीच समन्वय हेतु ब्यूरो

3085. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों के बीच सार्थक समन्वय के लिये कोई ब्यूरो गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह गठित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और कवरेजों के आदान-प्रदान और उपयोग में इन दो माध्यम एककों के बीच पूरा समन्वय है । सामान्य नीति सम्बन्धी मामलों के बारे में अन्तर माध्यम समन्वय, जहां भी आवश्यक होता है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के स्तर पर किया जाता है ।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आवास तथा शहरी विकास निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋण

3086. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास तथा शहरी विकास निगम ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामों में आवासों के निर्माण हेतु वर्ष-वार कुल कितनी राशि के ऋण दिये;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान आवास तथा बाहरी विकास निगम द्वारा दिये गये ऋण से वर्ष-वार कुल कितने ग्रामीण आवासीय यूनिट बनाए गए;

(ग) राज्य-वार किन-किन स्थानों पर बनाए गए और इन यूनिटों पर कितनी लागत आई; और

(घ) वर्ष 1984-85 के दौरान मंजूर की गई ग्रामीण आवास योजनाओं के आवासीय यूनिटों की संख्या, क्षेत्रफल, स्थान और लागत के बारे में ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान ग्रामीण आवास के निर्माणार्थ हुडको द्वारा स्वीकृति ऋण की राशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	स्वीकृत ऋण की राशि (करोड़ रुपयों में)
1980-81	23.47
1981-82	31.94
1982-83	33.14
1983-84	47.93
1984-85	47.10
योग	183.58

(ख) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृत ग्रामीण रिहायशी एककों के वर्ष-वार आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	स्वीकृत रिहायशी एककों की संख्या
1980-81	1,56,461
1981-82	1,57,869
1982-83	1,74,140
1983-84	2,01,385
1984-85	1,76,128
योग	8,65,983

इनमें से 5,80,373 रिहायशी एकक पहले ही पूर्ण हो गये हैं तथा अन्य 1,55,846 प्रगति पर हैं। शेष रिहायशी एककों का निर्माण कार्य अभी आरम्भ किया जाना है।

(ग) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण एक संलग्न है।

(घ) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण-दो संलग्न है।

विवरण-एक

राज्य	स्वीकृत रिहायशी एकक	प्रत्येक रिहायशी एकक की औसत लागत (रुपये)
1	2	3
1980-81		
आन्ध्र प्रदेश	1200	4000
बिहार	10000	4000
गुजरात	38900	3900
हरियाणा	3161	3986
कर्नाटक	58200	3550
केरल	40000	4000
पंजाब	5000	3980
योग	156461	

1	2	3
1981-82		
आन्ध्र प्रदेश	34700	3144
बिहार	5000	4000
गुजरात	30500	3928
कर्नाटक	10200	3696
मध्य प्रदेश	2040	3970
उड़ीसा	30000	3667
पंजाब	9397	3990
राजस्थान	18180	4000
तमिलनाडु	17852	4000
योग	157869	
1982-83		
आन्ध्र प्रदेश	53109	4000
बिहार	15000	4000
गुजरात	44885	3910
कर्नाटक	30000	4000
केरल	11600	6000
मध्य प्रदेश	6969	3946
पंजाब	2261	5970
राजस्थान	10316	4000
योग	174140	
1983-84		
आन्ध्र प्रदेश	49482	5455
गुजरात	21838	5037
कर्नाटक	45540	4022
केरल	23800	6000
मध्य प्रदेश	10647	3954

1		2	3
	राजस्थान	20994	5887
	तमिलनाडु	15000	6000
	महाराष्ट्र	14084	2700
	योग	201385	
	1984-85		
	आन्ध्र प्रदेश	20383	6000
	गुजरात	46835	4902
	कर्नाटक	30186	5065
	केरल	21500	6000
	मध्य प्रदेश	413	3874
	महाराष्ट्र	19217	2700
	उड़ीसा	7000	5671
	राजस्थान	8212	5979
	तमिलनाडु	22382	5951
	योग	176128	

विवरण-दो

राज्य	स्वीकृत रिहायशी एकक	प्रत्येक रिहायशी एकक की औसत लागत (रुपये)	लाभान्वित जिले
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	20383	6000	महबूब नगर, रंगा रेड्डी, अनन्तपुर, पूर्वी गोदावरी, कुडापा, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, नेलोर, विशाखा-पट्टनम, अदिलाबाद, कुरनूल
गुजरात	46845	4902	बोडोदरा, मेहसाना, भरौंदी, खेड़ा, राजकोट, भावनगर,

1	2	3	4
			अमरेली, बनासकन्ठा, वलसाद, जूनागढ़, गांधीनगर, सुरेन्द्र नगर, जामनगर, पंचमहल, अहमदाबाद, कच्छ
कर्नाटक	30186	5065	शिमोगा, बंगलौर, बिदार, कोडागू, धारवाड़, चित्रदुर्गा, तुमकुर, कोलार, उत्तरा कामनेरा, चिकमंगलूर, रायचूर, बेलगांव, बीजापुर, मांडया, दक्षिण कनाडा
केरल	21500	6000	पालघाट, क्वीलोन, पथनम, कोजीकोट, विनाड, कोटायम, इंडुकी, ऐलैपी, कनानोर, त्रिवेन्द्रम, अरुणाकुल्लम, त्रिचूर, मालापुरा, खासरगोड
मध्य प्रदेश	413	3874	खंडवा, वेतूल विदिशा
महाराष्ट्र	19217	2700	बीड, नासिक, अग्रावती, यावतमाल, बुलढाना, नन्देड़, अहमदनगर, गढ़ोहिरोली, उस्मानाबाद, कोलापुर, जलगांव, सोलापुर, लेटूर, भण्डारा, जलना, धूले, रत्नागिरी, पुणे, अकोला, वर्धा, सांमली, औरंगाबाद, नागपुर, वन्द्रपुर, सतारा, रायगढ़, परभानी, थाना
उड़ीसा	7000	5671	गुटाक, पुरी
राजस्थान	8212	5979	चूरू, बांसवाड़ा, धौलपुर, झुनझुनू, कोटा, जैलौर, नागपुर
तमिलनाडु	22382	5951	त्रिचुरापल्ली, पड़कोटई, सालिम, पेरियार, त्रुनेवैली, कन्याकुमारी, चिगलीपुट्, मुदरै, रामनाथपुरम, कोयम्बतूर, नीलगिरी, नार्थ हर्कोट, धर्मपुरी, साउथ हारकोट, तंजावुर
	योग 176128		

श्रम प्रधान उद्योगों का बन्द होना

3087. **श्री आनन्द पाठक :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में नारियल जटा, काजू और तम्बाकू उद्योगों जैसे श्रम प्रधान उद्योगों के बंद होने के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में काजू और नारियल जटा उद्योग और केरल में नारियल जटा और तम्बाकू उद्योगों में किसी यूनिट में कामबन्दी के बारे में सूचना नहीं मिली है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश में, राज्य सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन आई० टी० सी० लिमिटेड के प्रबंधतंत्र को राज्य में स्थित इसकी आई० एल० टी० डी० डिवीजन की शाखों को बन्द करने की अनुमति नहीं दी, जिसके खिलाफ उक्त प्रबन्धतन्त्र ने आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है, जहां यह मामला न्यायाधीन है। कर्नाटक राज्य सरकार के अनुसार, वहां अफ्रीका देशों द्वारा अपने ही काजू संसाधन प्लांटों को स्थापित करने की वजह से, काजू के संसाधन में कुछ मंदी आई है। इसी तरह, राज्य में तम्बाकू बोर्ड द्वारा पत्ती तम्बाकू को खरीदने और उसके ग्रेडिंग के काम को अपने नियंत्रण में लाने के परिणामस्वरूप आई० टी० सी० लिमिटेड के लीफ डिवीजन और चैर सरकारी क्षेत्र में संसाधन करने वाले कुछ अन्य कारखानों ने अपनी संक्रियाएं बंद कर दी हैं। राज्य सरकार के अनुसार, इन कामबंदियों को रोका न जा सका। केरल में काजू उद्योगों के मामले में, राज्य सरकार ने काजू यूनिटों में कामबंदी रोकने के लिए प्रयोगिक उपाए के रूप में केरल राज्य काजू श्रमिक शीर्ष औद्योगिक सहकारी सोसाइटी की स्थापना की है।

हल्दिया में भंडागार की स्थापना करना

3088. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडागार निगम ने पश्चिम बंगाल राज्य भंडागार निगम की हल्दिया में 5000 टन क्षमता के भंडागार की स्थापना की परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो कब स्वीकृति दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा स्वीकृति देने में उसे कितना समय लगेगा ताकि निर्माण कार्य शुरू हो सके ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने पश्चिमी बंगाल राज्य भाण्डागार निगम के हल्दिया में 5,000 मीटरी टन की क्षमता के भाण्डागार का निर्माण करने के प्रस्ताव पर विचार किया है और इस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के सम्बन्ध में सम्मेलन

3089. **श्री सी० गंगा रेड्डी :**

डा० ए० के० पटेल :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा "उपभोक्ता के हितों की रक्षा" के सम्बन्ध में दिल्ली अधिवेशन में

आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचार और की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पर केन्द्रीय सरकार की तथा प्रत्येक राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में अन्य देशों में लागू कानूनों का अध्ययन किया है और क्या सरकार का विचार भारत में भी ऐसे ही कानून लागू करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के जन अभियान को तेज करने के लिए उठाए गए और उठाये जाने वाले प्रभावी उपायों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) मंत्रालय द्वारा 11-12 मार्च, 1985 को उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें सरकार, व्यापार, उद्योग और स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उपभोक्ता के हितों की रक्षा और उपभोक्ता में जागरूकता पैदा करने के लिए संगठित प्रयास किये जाने की सिफारिश की गई। इसमें उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को प्रभावी तौर पर कार्यान्वित करने की भी सिफारिश की गई थी। सरकार यह सुनिश्चित करने की अत्यन्त इच्छुक है कि उपभोक्ता को संरक्षण मिले और उसने इन सिफारिशों का स्वागत किया है।

(ग) सरकार ने अन्य देशों के उपभोक्ता संरक्षण कानूनों का अध्ययन किया है और वह देश में, उपभोक्ताओं में जागरूकता विकसित करने और उपभोक्ता आन्दोलन पर बल देकर गुणवत्ता, मूल्य, वजन आदि जैसे मामलों में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु सांविधिक उपभोक्ता परिषद के गठन पर विचार कर रही है।

(घ) उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों को लागू करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के अलावा, सरकार उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को प्रोत्साहित करती है और उपभोक्ता आन्दोलन को आगे बढ़ाने हेतु उसकी गतिविधियों के लिए उन्हें वित्तीय सहायता भी देती है।

[अनुवाद]

भविष्य निधि के केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य

3090. श्री पीयूष तिरकी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 को लागू करने के लिए निर्मित केन्द्रीय ट्रस्टी बोर्ड, जो एक त्रिपक्षीय निकाय है, के सदस्यों के नाम क्या हैं, जिसमें 5 केन्द्रीय सरकार के, 15 पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के, 6 पश्चिम बंगाल कर्मचारी संगठन के तथा 6 पश्चिम बंगाल के कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस निकाय द्वारा कितनी बैठकें की गईं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंचैया) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 5-क के अधीन गठित कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड में एक अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार के पांच प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के 15 प्रतिनिधि

और नियोजकों तथा कर्मचारियों के केन्द्रीय संगठनों के छह-छह प्रतिनिधि शामिल हैं। एक विवरण संलग्न है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के वर्तमान सदस्यों की सूची दी गई है।

(ख) इस बोर्ड की 1982-83 में चार, 1983-84 में तीन और 1984-85 में पांच बैठकें हुई थीं।

विवरण

अध्यक्ष

1. श्री टी० अंजैया,
श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

सदस्य

2. श्री एच० एम० एस० भटनागर,
सचिव,
श्रम मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।
3. श्री अनिल बोर्दिया,
अपर सचिव,
श्रम मंत्रालय,
भारत सरकार।
4. श्री एम० एल० मजूमदार,
समन्वित वित्तीय सलाहकार,
श्रम मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. श्री वी० बालासुब्रामण्यम,
निदेशक (बजट), वित्त मंत्रालय,
(आर्थिक कार्य विभाग),
भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. श्री बी० एस० रामास्वामी,
महानिदेशक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
नई दिल्ली।
7. सचिव,
आन्ध्र प्रदेश सरकार,
श्रम विभाग, हैदराबाद।
8. सचिव,
असम सरकार,
श्रम विभाग, दिसपुर (गौहाटी)
9. सचिव,
बिहार सरकार,
श्रम एवं नियोजन विभाग,
पटना।
10. सचिव,
गुजरात सरकार,
श्रम विभाग, सचिवालय,
गांधी नगर, अहमदाबाद।
11. आयुक्त एवं सचिव,
हरियाणा सरकार,
श्रम एवं नियोजन विभाग,
चण्डीगढ़।
12. सचिव,
कर्नाटक सरकार,
समाज कल्याण एवं श्रम विभाग,
बंगलौर।
13. विशेष सचिव,
केरल सरकार,
श्रम विभाग, त्रिवेन्द्रम।
14. सचिव,
मध्य प्रदेश सरकार
श्रम विभाग, भोपाल।
15. सचिव,
महाराष्ट्र सरकार,
उद्योग, श्रम और ऊर्जा विभाग,
बम्बई II
16. सचिव,
उड़ीसा सरकार,
श्रम विभाग, भुवनेश्वर,।
17. सचिव,
पंजाब सरकार,
श्रम एवं नियोजन विभाग,
चण्डीगढ़।

18. आयुक्त एवं सचिव,
राजस्थान सरकार,
श्रम विभाग,
जयपुर ।

19. सचिव,
तमिलनाडु सरकार
श्रम एवं नियोजन विभाग,
मद्रास ।

20. आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
श्रम विभाग,
लखनऊ ।

21. सचिव,
पश्चिम बंगाल सरकार,
श्रम विभाग, कलकत्ता ।

22. श्री आर० सी० दत्त, आ० सि० से०
(सेवानिवृत्त),
अवैतनिक सलाहकार,
सार्वजनिक उद्यम स्थाई सम्मेलन,
ए/81, हिमालय हाऊस,
कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली ।
(अब त्यागपत्र दे दिया है)

23. श्री वारिस आर० किदवई, सचिव,
सार्वजनिक उद्यम स्थाई सम्मेलन,
ए/81, हिमालय
हाऊस, कस्तूरबा
गांधी मार्ग,
नई दिल्ली ।

24. डा० आई० पी० पोद्दार,
प्रबन्ध निदेशक,
कलकत्ता सिल्क मैन्यूफैक्चरिंग
कम्पनी लि०,
"कमर्सियल हाऊस" 135-ए,
बिपलोबी रामबिहारी
बसु रोड,
कलकत्ता-700001.

25. श्री बी० एम० सेठी, सचिव,
अखिल भारतीय नियोजक संगठन,
फैडरेशन हाऊस,
नई दिल्ली-110001

26. श्री प्रताप भोगीलाल,
अध्यक्ष, बाटलीवाय एण्ड कं० लि०,
एपीजय हाऊस,
डा० वी० बी० गांधी मार्ग,
बम्बई-400023

27. श्री एम० घोष, सचिव,
बंगाल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री,
174. जोधपुर पार्क,
कलकत्ता-700068.

28. श्री डी० वेंकटेश,
भूतपूर्व विधान सभा सदस्य,
जनरल सेक्रेटरी,
इंटक, कर्नाटक राज्य
शाखा, 1014 ए,
चौथा टी, ब्लाक,
30वां करोर जया नगर,
बंगलौर-560011.

29. श्री समर चक्रवर्ती, सचिव,
इंटक, बंगाल शाखा, 177/बी,
आचार्य जगदीश बोस रोड,
कलकत्ता-700014.

30. श्री पारदूमन सिंह,
सचिव, पंजाब स्टेट
कमेटी आफ
ए० आई० टी० यू० सी०,
एकता भवन, पुतलीघर,
अमृतसर ।

31. श्री फटीक घोष, सचिव,
आल इंडिया कमेटी,
यू० टी० यू० सी० (एस० सस०)
48, लेनिन सरानी
(पहला तल),
कलकत्ता-700013,

32. श्री बी० एन० साठे,
आर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी,
भारतीय मजदूर संघ,
समाधान, राम नगर,
बाम्बीवाली ईस्ट-421201,
थाना जिला, (महाराष्ट्र)

33. श्री किसान पुलपुले,
प्रेजीडेन्ट,
मिल मजदूर सभा
बम्बई, श्रमसाधना,
हिन्दु कालोनी, पहली लेन,
डी. बी० प्रधान रोड,
दादर, बम्बई-400014.

नर्मदा बांध परियोजना के निकट दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाया जाना

3091. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में बड़ौदा और भड़ौच में दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाए गए हैं;

(ख) इन ट्रांसमीटरों के अन्तर्गत कितना क्षेत्र आता है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नर्मदा बांध परियोजना के आसपास के क्षेत्र में, जो बड़ौदा और भड़ौचा से बराबर की दूरी पर है, कार्यक्रम दिखाई नहीं पड़ते हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस पिछड़े क्षेत्र को प्रसारणों के अन्तर्गत लाने के लिए नर्मदा बांध परियोजना के समीप दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। यह समझा जाता है कि सन्दर्भ भड़ौच के बारे में है।

(ख) इन दोनों ट्रांसमीटरों में से प्रत्येक का सेवा क्षेत्र लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर है।

(ग) जी, हां।

(घ) नर्मदा बांध परियोजना के आस-पास के क्षेत्र सहित कवर न हुए क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार करना भविष्य में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

आकाशवाणी पर शैक्षिक कार्यक्रम और खेल संबंधी प्रसारण

3092. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय आकाशवाणी पर शैक्षिक कार्यक्रमों और खेल संबंधी प्रसारण के लिए आकाशवाणी केन्द्रों को अधिक शक्तियां देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन को शैक्षिक कार्यक्रमों के अधिक प्रसारण करने के लिए कोई निदेश दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त प्रसारण कब तक प्रारम्भ किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ) पाठ्यक्रमोन्मुखी आधार पर शैक्षणिक प्रसारण आकाशवाणी के 44 केन्द्रों से किए जाते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों को 30 और केंद्रों से रिले किया जाता है। इस कार्यक्रमों के सम्बन्ध में तथा संबंधित सेवा क्षेत्र में खेल-कूद के कवरेज की व्यवस्था में, आकाशवाणी केन्द्रों को अब भी विवेकाधिकार है। केन्द्र अपने से सम्बन्धित सेवा क्षेत्र में खेलों को समय-समय पर उपयुक्त रूप से कवर करते हैं। वे उन आंखों देखा हालों को भी रिले करते हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के मैचों पर प्रसारित हों।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अपने मसौदा प्रस्तावों में, आकाशवाणी ने संजाल के शेष केन्द्रों में शैक्षणिक प्रसारण एकक स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। इस स्कीम का कार्यान्वयन सातवीं योजना के अन्तिम स्वरूप पर निर्भर करेगा।

जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, उड़ीसा महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में सभी स्कूल दिवसों पर 45 मिनट की अवधि के लिए टेलीकास्ट किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यक्रमों को भी सम्पूर्ण संजाल के सभी अल्प शक्ति वाले तथा उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली और बम्बई केन्द्रों द्वारा पाठ्यक्रमोन्मुखी स्कूल दरदर्शन कार्यक्रम नियमित रूप से टेलीकास्ट किये जा रहे हैं। दिल्ली, श्रीनगर तथा मद्रास केन्द्रों से समृद्धि उन्मुखी शैक्षणिक कार्यक्रम भी टेलीकास्ट किये जा रहे हैं।

दूरदर्शन का धनराशि की स्थिति तथा प्रेषण समय की उपलब्धता के अधीन रहते हुए अतिरिक्त समृद्धि शैक्षणिक कार्यक्रम टेलीकास्ट करने का प्रयास रहेगा।

गैर-सरकारी मुद्रकों द्वारा मुद्रण कार्य

3093. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी मुद्रणालयों की मुद्रण क्षमता आवश्यकता की तुलना में काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो, इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) क्या यह मंत्रालय काफी मुद्रण कार्य गैर-सरकारी मुद्रकों से कराता है;

(घ) यदि हां, तो दिल्ली और अन्य स्थानों पर वर्ष 1984-85 के दौरान गैर-सरकारी मुद्रणालयों से किस प्रकार का कार्य कराया गया;

(ङ) वर्ष 1984-85 के दौरान कराए गए कार्य के लिए गैर-सरकारी मुद्रणालयों को कुल कितनी राशि दी गई;

(च) क्या सरकारी मुद्रणालयों की क्षमता बढ़ाने अथवा/और अधिक मुद्रणालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) भारत सरकार के मुद्रणालयों की मुद्रण क्षमता आवश्यकता से कुछ ही कम है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, कलकत्ता क्षेत्र के डाक व तार विभाग के प्रपत्र संसदीय बहस के कागजात, रिपोर्टें तथा पत्रिकायें, कृषि मंत्रालय के लिए ऐग मार्क लेबल गैर सरकारी मुद्रकों से छपवाये गये थे।

(ङ) 1984-85 के दौरान बाहरी मुद्रण पर केवल 25,23,710 रुपये व्यय किये गए। इसके अलावा ऐगमार्क लेबलों को बनाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा सीधे भुगतान के लिए 24,98,053.10 रुपये की राशि के बिल भी अनुमोदित किए गए थे।

(च) और (छ) घिसी-पिटी तथा पुरानी पड़ गई मशीनरी को उच्च लाभ वाली मशीनरी से चरणबद्ध रूप में बदला जा रहा है। विद्यमान मुद्रणालयों को बढ़ाने तथा नये मुद्रणालय को स्थापित करने के कुछ प्रस्ताव भी विचाराधीन हैं। संसदीय कार्यों के शीघ्र निष्पादन के लिए विद्यमान मिन्टो रोड प्रैस का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

बिहार में चीनी मिलों को सप्लाई किए गए गन्ने के लिए किसानों को राशि का भुगतान

3094. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में कुल चीनी मिलें इस कारण बंद हो गई हैं कि वे किसानों को मिल को सप्लाई किये गये गन्ने की बहुत बड़ी धनराशि की अदायगी करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चीनी मिलों द्वारा, विशेषकर बंद चीनी मिलों के मामलों में, गन्ने की शीघ्र अदायगी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) बिहार में स्थित लौरिया, सुगौली, हथुआ तथा सीवान चीनी फैक्ट्रियों ने 1984-85 के दौरान कार्य नहीं किया। एक अन्य फैक्ट्री अर्थात पचरूखी फैक्ट्री 1975-76 से कार्य नहीं कर रही है। इन फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि इस प्रकार है :—

फैक्ट्रियों के नाम	1983-84 और इससे पूर्व के मौसमों की बकाया धनराशि
	(लाख रुपये)
लौरिया	341.46
सुगौली	159.08
हथुआ	366.81
सीवान	81.09
पचरूखी	11.82

(ग) गन्ने के मूल्य की बकाया धनराशि का भुगतान करवाना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सीधी राज्य सरकारों की होती है, जिसके पास ऐसे भुगतान करवाने के लिए आवश्यक फील्ड संगठन और शक्तियां हैं। केन्द्रीय सरकार स्थिति पर नजर रखती है, और वह गन्ने के मूल्य के बकायों का शीघ्र भुगतान करवाने के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर निर्देश जारी करती है। राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वे मौसम के आरम्भ होने के समय से ही गन्ने के मूल्य के भुगतान पर नजर रखें।

केन्द्रीय सरकार अपनी ओर से ऐसे कदम उठा रही है जिनका उद्देश्य उद्योग की तरलता में सुधार लाना है ताकि वह गन्ने की बकाया धनराशि का भुगतान कर सके। पिछले 2-3 वर्षों में किये गये उपायों में, बैंक ऋण सुविधाओं को उदार बनाना, चीनी के स्टाक के प्रति ऋण पर बैंक के मार्जिन में कमी करना, उद्योग के लाभ के लिए चीनी के स्टाक का मूल्यांकन करने की पद्धति में परिवर्तन करना, मूल्यों को वांछित स्तर पर बनाए रखने के लिए खुली बिक्री की चीनी की विवेकपूर्ण मासिक निर्मुक्तियां करना, बफर स्टाक बनाना जिसके प्रति उद्योग चीनी रखने की क्षमता के अतिरिक्त 100 प्रतिशत ऋण प्राप्त करने का हकदार था, आदि उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, बिहार सहित कुछेक राज्यों को, इन राज्यों में गन्ने के मूल्य की अधिक धनराशि बकाया होने के संदर्भ में अर्थोपाय अग्रिम भी दिए गए हैं।

बिहार सरकार गन्ना उत्पादकों को गन्ने के मूल्य का भुगतान करवाने के लिए कारगर कार्रवाई कर रही है। 15-6-1985 को बिहार में 1984-85 मौसम की समग्र बकाया धनराशि कुल मूल्य का 14.7 प्रतिशत थी जबकि पिछले मौसम की इसी तारीख को यह धनराशि 43.7% थी।

बिहार सरकार ने लौरिया, हथुआ तथा सुगौली फैक्ट्रियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आरम्भ की है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार हथुआ, सीवान तथा लौरिया मिलों का अधिग्रहण करने के बारे में विचार कर रही है।

[हिन्दी]

राजस्थान में छोटे पावरलूम यूनिटों पर कर्मचारी राज्य बीमा लागू करना

3095. **श्री शांति धारीवाल :**
श्री विष्णु मोदी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में किसी भी स्थान पर पावरलूम की लघु एककों पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में छोटे पावरलूम एककों पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 10 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले पावरलूम एकक पहले ही कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आते हैं। छोटे पावरलूम यूनिटों के श्रमिकों को इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सीय और अन्य सुविधाएं देने के विचार से, राजस्थान सरकार ने एक या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित करने वाले पायरलूम एककों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाने हेतु अगस्त, 1984 में केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया था।

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें कि राजस्थान सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना को छोटे पावरलूम एककों पर लागूकरने का विरोध किया गया हो।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

सातवीं योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए मास्टर प्लान

3096. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए उनको 10 वर्ष की समय-सीमा के दौरान 1000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में शत-प्रतिशत सम्पर्क जोड़ने के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा राज्य को इसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराए जाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) छठी योजना के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 से ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गांवों की तथा 1000 से 1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को 1990 तक सड़कों से जोड़ने की परिकल्पना की गई है। पहाड़ी, आदिवासी, मरुस्थली तथा तटवर्ती क्षेत्रों, जहां जनसंख्या दूर-दूर पर बसी हुई है, के मामले में सामूहिक गांवों के दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा। उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राज्यों को प्रत्येक जिले के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना है।

(ग) सातवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन/आवास और शहरी विकास निगम एजेंसियों द्वारा निर्माण लागत में कमी

3097. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन अथवा आवास और शहरी विकास निगम अथवा

उनके मंत्रालय के अधीन कार्यरत किसी अन्य एजेंसी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के निर्माण की लागत कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकी विकसित करने तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री प्रयोग करके और जलवायु और भौगोलिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए उनकी मियाद बढ़ाने के उद्देश्य से अनुसंधान और आयोजना पर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रौद्योगिकी का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

देश में भिन्न-भिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में अपनाई गई नवीन प्रयोगात्मक तकनीकियां

1. गर्म शुष्क क्षेत्र

तकनीकियां

1. 4-5 मंजिलों में 23 सें० मी० पतली (एक ईंट पतली) भारवाही दिवारें
2. पूर्वबलित कंक्रीट खम्बों पर 10 से० मी० पतले 1.6 मी० चौड़े पूर्वबलिल कंक्रीट हालो कोर्स-लैब ।
3. पूर्वबलित खम्बों का नींव के साथ पाकेट कनेक्शन (रसियन पद्धति)
4. पूर्वबलित आर० सी० सी० घटकों के लिए 15 प्रतिशत सीमेंट को उड़न राख के उपयोग करने के लिए कम करना ।
5. पूर्वबलित सीमेंट कंक्रीट खम्बे ।
6. जमीन के साथ मोनोलिथिकली कास्ट से पूर्वबलित आर० सी० सी० के इकहरी सीढ़ियां ।
7. दरवाजों और खिड़कियों के लिए आर० सी० सी० चौखटें ।
8. पूर्वबलित आर० सी० सी० खम्बे तथा विम्ब ।
9. दरवाजों और खिड़कियों के लिए पूर्वबलित कंक्रीट की चौखटें ।
10. रैफस/फ्लोर्स के लिए पूर्वबलित बैटेनस और हालो ब्लाक्स ।
11. तलों और छतों के लिए पूर्वबलित चैनल यूनिटें ।
12. सिल्यूलर कंक्रीट ब्लाक और रूफ स्लैब ।
13. खिड़कियों के लिए प्लास्टिक स्टेज का उपयोग ।
14. बुझे हुए चूने के लिए सीमेंट चूना गारा का उपयोग ।
15. मैग्नेशियम सैक्लोराइड फ्लोर ।
16. मोडयूलर ईंटों का उपयोग ।
17. प्लम्बिक के इकहरी स्टेक प्रणाली का उपयोग ।

18. ईंट बिछाने तथा पलस्तर करने की सुधरी हुई पद्धति ।
19. आन्तरिक जलपूर्ति के लिए पी० वी० सी० पाइपों का उपयोग ।
20. गारे में उड़न राख का उपयोग ।
21. भारवाही कंक्रीट पैनलस ।
22. दिवारों के लिए चूना सुर्खी गारा ।
23. छत के पूर्वबलित आर० सी० प्लैंक्स तथा ज्वाइस्ट पद्धति ।
24. लकड़ी की गौण किस्मों का उपयोग ।
25. 25 मि० मी० पतली फ्लोरिंग ।
26. सीमेंट चूना गारा मिश्रण में सीमेंट चूना पलस्टर ।
27. डब्ली कवर्ड सेल रूफ ।
28. पूर्वबलित आर० सी० थिन लिनटेल्स ।
29. चूना गारा छज्जे ।
30. पोलीथिन डी० पी० सी० ।
31. नीवों के लिए नियन सीमेंट गारा 1:8:16.
32. सी० सी० फ्लोर के लिए स्टेब्लिाइज सोयल सीमेंट आधार ।
33. शटरों के लिए पार्टीकल बोर्ड ।
34. हल्के कंक्रीट पार्टीशन ।
35. अण्डर रीम्स पाइल्स ।
36. छत पर टैम्पिग लाइन कंक्रीट के लिए टैम्पिग मशीनों का उपयोग ।
37. कैफलसेल रूफिग ।
38. 25 मी० मि० पतली डी० पी० सी० ।
39. 19 सें० मी० पतली ईंट दिवारें ।
40. पूर्वबलित पत्थर के टुकड़ों की चिनाई ।
41. अर्थन खुरलस के साथ पूर्वबलित छतें ।
42. कोल्टर ट्रम शीट शटरों के साथ बिना चौखटों के दरवाजे ।
43. दस सें० मी० पतली जैड आकार ईंट चिनाई दिवारें ।
44. डब्लू० सी० सी० नीरी डिजाइन
45. कैविटी दिवारों का उपयोग ।
46. आर० सी० रिब्ड स्लैब रूफिग

II. शीतोष्ण आर्द्र क्षेत्र

1. छतों/तलों के लिए पूर्वबलित आर० सी० चैनल यूनिटें ।

2. छतों/तलों के लिए पूर्वबलित आर० सी० कार्ड यूनिटें ।
3. सीमेंट गारे में डी० पी० सी० 1:4
4. अंडर-रीम्ड स्थूण नीव
5. छतों के लिए पूर्वबलित आर० सी० "एल" पैनल एकक ।
6. कंक्रीट ब्लाक कैविटी दिवारें ।

III. ऊष्ण आर्द्र क्षेत्र

तकनीकियां :

1. सीटू में बिछाई गई आर० सी० सी० फूटिंग्स के रिक्तेस में लगाई गई और ब्रेकिटों के साथ पूर्वबलित आर० सी० कालम्स ।
2. कालमों के ब्रेकिटों में आधारित पूर्वबलित बिम्स ।
3. प्रथम स्लैब जिसमें पूर्वबलित आर० सी० बैटनस और हालो सीडर ब्लाक हैं ।
4. पूर्वबलित फोल्डेड प्लेट रूफ।
5. विशेष हालो सिडर ब्लाकों की दिवारें ।
6. छत को आधार देने के लिए हालो बिम्स जो कि बरसाती पानी के गटर के रूप में भी कार्य करते हैं ।
7. 25 से० मी० पतली (एक ईंट पतली) भारवाही दिवारें सभी पांचों मंजिल में ।
8. छतों तथा तलों के लिए पूर्वबलित रिब्ड यूनिटें ।
9. ब्लैक काटन सोयल में नीवों के लिए अंडर रीम्ड पाइल्स ।
10. कम वहन क्षमता वाली भूमि में हाइप्रबोलिक पैराबोलिड फूटिंग्स का उपयोग ।
11. एम-400 कंक्रीट तथा स्टील वायरों को प्रयोग करते हुए छत में पूर्वबलित हाईपोबोलिक सेल ।
12. नीवों में लियन कंक्रीट का उपयोग और 20% सीमेंट को 27.5 प्रतिशत उड़न राख से कम करना ।
13. 20 प्रतिशत सीमेंट को 27.5 प्रतिशत उड़न राख से कम करते हुए पूर्वबलित आर० सी० सी० चैनल यूनिटें ।
14. तल/छत के लिए पूर्वबलित कोर्ड स्लैब ।
15. तल/छत के लिए पूर्वबलित ठोस स्लैब ।
16. तल/छत के लिए वैफल यूनिटें ।
17. दिवारों के लिए बाह्य वृहत खम्बे जिसमें पी० सी० सी० और जल हुई मिट्टी के छिद्रदार टुकड़े लगे होते हैं ।
18. दिवारों के लिए आन्तरिक वृहत खम्बे जिसमें आर० सी० सी० की चादरें लगा कर उसके अन्दर ईंटों का कार्य होता है ।

19. पूर्वबलित जीने ।
20. सीमेंट को आंशिक रूप से कम करने के लिए उड़न राख ।
21. चिनाई के लिए उड़न राख की ईंटें ।
22. पूर्वबलित आर० सी० चैनल यूनिट छतें ।
23. पूर्वबलित आर० सी० लेंटेल्स और बरसाती ।
24. दरवाजों और खिड़कियों के लिए पूर्वबलित आर० सी० चौखटें ।
25. पूर्वबलित आर० सी० एल-पैन रूफिंग ।
26. उड़न राख ब्लाक चिनाई ।
27. पूर्वबलित आर० सी० इनवर्टेड रिब्ड यूनिट रूफिंग ।
28. 10 से० मी० लेटेराईट, उड़न राख छतें ।
29. दरवाजों तथा खिड़कियों के लिए बलित स्पात चौखटें तथा शटर।
30. जलपूर्ति के लिए पी० वी० सी० पाइप ।
31. क्वार्टज पेबल कंक्रीट के साथ पी० सी० हालो कंक्रीट ब्लाक ।
32. ब्लास्ट फर्नेस स्लेग एग्रीगेट के साथ पूर्वबलित पार्टीशन्स ।
33. दरवाजों/खिड़कियों के लिए लकड़ी की स्थानीय गौण किस्मों का उपयोग ।
34. छतों के लिए पूर्वबलित आर० सी० स्यूलर यूनिटें ।

IV. ठंडा क्षेत्र :

तकनीकियां

1. अल्टीमेट भार सिद्धान्त पर डिफार्म्ड बारस और डिजाइनों का उपयोग ।
2. आंशिक पूर्वबलित आर० सी० सी० जोइस्टस पर आधारित सिल्यूलर यूनिटें ।
3. मौड्यूलर ईंटों का उपयोग ।
4. चौभंजिले भवनों के लिए एक ईंट पतली भारवाही दिवारें ।
5. पूर्वबलित आर० सी० चैनल यूनिटें
6. पूर्वबलित एल-पैन रूफिंग
7. प्लम्बिक की इकहरी स्टेक प्रणाली का उपयोग
8. पी० वी० सी० पाइपों का उपयोग ।

राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन द्वारा उन्नत की गई स्थानीय सामग्री तथा निर्माण तकनीक

I. ठण्डा क्षेत्र :

दीवारें :

(I) मिट्टी गारे के साथ शुष्क ईंटों का कार्य

(II) पत्थर रोड़ी ब्लाक की चिनाई

(III) मिट्टी गारे से पत्थर चिनाई

(IV) चूना गारे से ईंटों की चिनाई

(V) धाजी दीवार

छत :

(I) लकड़ी की चौखट के ऊपर ऐस्फलाटिक चद्दर की छत

(II) लकड़ी चौखट के ऊपर एस्वेस्टोज सीमेंट की सीट की छत

(III) देशी लकड़ी की चौखट के ऊपर सी० ओ० आई० सीट ।

(IV) स्लेट की छत ।

II. गर्म क्षेत्र :

दीवारें :

(I) मिट्टी गारे/जलरोधी मिट्टी गारे के साथ दीवार पक मिट्टी का पलस्तर

(II) मिट्टी गारे/जलरोधी मिट्टी गारे के साथ स्थिरीकृत ईंटों की दीवार

(III) मिट्टी गारे/जलरोधी मिट्टी गारे साथ शुष्क ईंटों की दीवार

(IV) मिट्टी गारे से ईंटों को दीवार ।

(V) मिट्टी गारे के साथ आर० आर० स्टोन चिनाई ।

(VI) चूना गारे से आर० आर० स्टोन चिनाई ।

(VII) पूर्वबलित स्टोन ब्लाक की चिनाई

छत :

(I) अग्निरोधी उपाय के साथ घास-फूंस की छत ।

(II) देसी लकड़ी की चौखट टायल की छत ।

(III) लकड़ी की चौखट पर ए० सी० सीट की छत ।

(IV) पूर्वबलित कंकरीट ज्वाइस्ट के साथ ईंट के खम्बे ।

(V) पूर्वबलित ईंट स्लैब की छत

(VI) पत्थर स्लैबों की छत ।

III. शीतोष्ण आर्द्र

दीवारें :

(I) मिट्टी गारे से मिट्टी ब्लाक से चिनाई ।

(II) मिट्टी गारे से लेटराइट मिट्टी की ईंटों की चिनाई ।

(III) मिट्टी गारे में ईंट की दीवार ।

(IV) मिट्टी गारे में पत्थर की चिनाई।

छत :

(I) जलरोधी/अग्नि रोधक उपायों के साथ घास-फूस की छत।

(II) लकड़ी की चौखट के ऊपर मंगलौट टाइल की छत।

(III) ईंट पैनल की छत।

(IV) पत्थर स्लैब छत

IV. ऊष्ण आर्द्र ता :

दीवारें :

(I) मिट्टी की दीवार।

(II) पत्थर के खम्बों के साथ मिट्टी भरी दीवारें।

(III) लकड़ी की चौखट में लगाई गई बांस की खपचियों की दीवारें।

(IV) बांस प्रवलित मिट्टी की दीवार।

(V) मिट्टी गारे में ईंट दीवार

(VI) लैटराइट ईंट दीवार

छत :

(I) लकड़ी की चौखट के ऊपर टाइल की छत।

(II) ए० सी० सीट छत।

(III) सी० जी० आई० सीट छत।

(IV) लकड़ी की चौखट के ऊपर नारियल के पत्ते वाली छत।

(V) बांस की चौखट के ऊपर घास-फूस की छत।

डिजाइन तथा अनुसंधान शृंखलाएं :

(I) तुलनात्मक लागत अध्ययन—बढ़ते हुए मकान के लिए भावी विस्तार।

(II) तुलनात्मक लागत अध्ययन—भवन डिजाइन बरामदा निर्धारण व जीने का।

(III) तुलनात्मक विश्लेषण—निजी तथा साझे शौचालयों।

(IV) तुलनात्मक विश्लेषण—सामूहिक शौचालय तथा निजी शौचालयों का।

(V) तुलनात्मक लागत विश्लेषण—रिहायशी विन्यास नक्शे में भूमि का उपयोग।

(VI) आवास तत्वों की आशावृत्तिकरण—एक कमरे की दीवार की लम्बाई।

(VII) रिहायशी बस्तियों में घनत्व की आशावृत्ति—भौतिक मानदण्डों (पैरामीटरों) का एक विश्लेषण।

उपयोग (प्रयोग) शृंखलाएं :

(I) प्रीफैबरीकेटेड ईंट पैनल छतें।

(II) चूना आधारित पत्थर चिनाई ब्लाक।

कम्प्यूटर से आयोजना तथा डिजाइन :

(I) हुडको मोडल—कम्प्यूटर पर आधारित डिजाइन और भुगतान क्षमता के अन्तर्गत आने वाले मकान का विश्लेषण।

(II) हुडको यूजर्स हैण्ड बुक मेटरिक्स भूमि उप खण्ड उपयोगी कुल कार्य और भुगतान क्षमता।

ग्रामीण केन्द्र तथा आवास आयोजना पर संगोष्ठी

3098. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उसके मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के एशिया और पेसफिक के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग द्वारा प्रायोजित चार दिन की ग्रामीण केन्द्र तथा आवास आयोजना पर संगोष्ठी में क्या निष्कर्ष निकले;

(ख) इस संगोष्ठी में भाग लेने वाले देशों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या संगोष्ठी के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि अब तक ग्रामीण क्षेत्रों की कीमत पर शहरी आवास की ओर अधिक ध्यान दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) एशिया और पेसिफिक के लिए आर्थिक तथा सामाजिक आयोग द्वारा "ग्रामीण केन्द्र तथा आवास आयोजना" पर आयोजित संगोष्ठी, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा आतिथ्य सुविधायें प्रदान की गई थीं, के प्रतिवेदन को एस्केप द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना है। एस्केप से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) भूटान, ईरान, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ने संगोष्ठी में भाग लिया था। अन्यों के साथ-साथ भारत सरकार के अधिकारियों एवं राज्य सरकारों के कुछ अधिकारियों ने भी संगोष्ठी में भाग लिया था।

(ग) संगोष्ठी की कार्यवाहियों पर प्रतिवेदन के अभाव में, यह बताना सम्भव नहीं है कि इसमें इस बात पर जोर दिया गया या नहीं कि अब तक ग्रामीण क्षेत्रों की कीमत पर शहरी आवास की ओर अधिक ध्यान दिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरकों का आयात

3099. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1984-85 के दौरान विभिन्न उर्वरकों की कितनी मात्रा का आयात किया;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1985-86 के दौरान उर्वरकों का आयात करने हेतु कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) 1984-85 में आयात की गई उर्वरकों की मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	(लाख मीटरी टन)
यूरिया	36.86
डाई-एमोनियम फोस्फेट	16.20
म्यूरेट ऑफ पोटाश	14.25
एमोनियम सल्फेट	0.51
कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट	0.42
सल्फेट आफ पोटाश	0.32
कुल	68.56

आयात किए गए उर्वरकों का मूल्य, जिसमें लागत और समुद्री भाड़ा भी शामिल है, करीब 1435 करोड़ रुपये हैं।

(ग) और (घ) जी हां। 1985-86 में आयात किए जाने वाले उर्वरकों की योजना का ब्यौरा देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

औद्योगिक संबंध तंत्र

3100. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र दोनों केन्द्र और राज्यों के स्तर पर अपने सर्वोत्तम सामंजस्य उपायों के बावजूद भी हड़तालों, काम बंद होने आदि को नहीं रोक सके हैं;

(ख) औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप कितनी हड़तालों आदि को होने से रोका गया अथवा उनका समाधान कर दिया गया;

(ग) उन हड़तालों आदि का ब्यौरा क्या है जो अब तक एक महीने से अधिक समय से जारी हैं; और

(घ) 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले गत वर्ष के दौरान कितने कार्य दिवसों का नुकसान हुआ है और इसी अवधि के दौरान सरकार को कितना वित्तीय घाटा हुआ है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंचैया) : (क) औद्योगिक विवादों (हड़तालों और तालाबंदियां) की संख्या में निरन्तर कमी हुई है जिनकी संख्या वर्ष 1983 में 2,431 थी जो वर्ष

1984 में घट कर 2,061 हो गई। केन्द्र तथा राज्यों, दोनों में औद्योगिक संबंध तंत्र निवारक मध्यस्थता, संराधन, न्यायनिर्णयन और विवाचन के माध्यम से कामबंदी कम करने के लगातार प्रयास कर रहा है। वर्ष 1984 के दौरान, केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र को भेजे गए 9,184 विवादों में से, 7,183 विवादों का निपटान किया गया जिनमें से 4,011 को संराधन कार्यवाही से पहले और शेष को संराधन और न्याय निर्णयन के माध्यम से निपटाया गया।

(ख) वर्ष 1985 (जनवरी-जुलाई) के दौरान, श्रम मंत्रालय के श्रम संबंध मानीटरिंग यूनिट को सूचित की गई 280 हड़तालों में से 216 हड़तालों को औद्योगिक संबंध तंत्र की मध्यस्थता से निपटाया गया।

(ग) श्रम सम्बन्ध मानीटरिंग यूनिट से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1.8.1985 को 100 से अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों में 49 हड़तालें एक महीने से अधिक समय से चल रही थी।

(घ) श्रम ब्यूरो में प्राप्त सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या 466.5 लाख है। श्रम दिनों के नष्ट होने से सरकार को हुई वित्तीय हानि से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती है।

उर्वरकों का आयात

3101. **श्री के० प्रधानी :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान (वर्षवार) कुल कितने टन उर्वरकों का आयात किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि आयातित उर्वरकों की कीमत देशी उर्वरकों की औसत प्रतिधारण कीमत की तुलना में सस्ती है;

(ग) क्या हाल ही में शुरू किए गये कुछ संयत्रों की औसत प्रतिधारण कीमत जरूरत से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त कारण को देखते हुए सरकार का विचार उर्वरकों के आयात में वृद्धि करने का है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात किए गये उर्वरकों की मात्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	कुल पोषक तत्व (लाख मीटरी टन)
1982-83	11.32
1983-84	13.55
1984-85	36.24

(ख) 1981-82 तक स्वदेशी उर्वरकों की चुकता लागत आयातित उर्वरकों की लागत, जिसमें उतराई, बोरे भरने, परिवहन तथा रख-रखाव की लागत भी शामिल है, से कम थी। लेकिन 1982-83 में सामग्री की लागत तथा नये शुरू किए गये स्वदेशी उर्वरक प्लांट्स की पूंजीगत लागत में वृद्धि होने के कारण स्वदेशी उर्वरकों की लागत ऊंची रही है।

(ग) हाल ही में, शुरू किए गये प्लांट्स की औसत प्रतिधारण कीमत मुख्यतया अधिक पूंजीगत लागत के कारण पहले वाले प्लांट्स की अपेक्षा अधिक है।

(घ) आयात किए जाने वाले उर्वरकों की मात्राओं का नियतन देश में उर्वरकों को प्रत्याशित मांग तथा इनके स्वदेशी उत्पादन की प्रवृत्ति के आधार पर किया जाता रहेगा।

लेवी और खुली बिक्री की चीनी का अनुपात

3102. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेवी और खुली बिक्री की चीनी का इस समय निर्धारित अनुपात 60:40 है;

(ख) क्या वर्षों से अनुपात का सख्ती से अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इस अनुपात में कितना परिवर्तन हुआ है; और

(घ) चीनी की स्टाक स्थिति पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं। लेवी और मुक्त बिक्री की चीनी के बीच वर्तमान अनुपात मौसम के दौरान हुए उत्पादन का 65:35 है।

(ख) और (ग) प्रोत्साहन योजना के अधीन, नयी चीनी फैक्ट्रियों और विस्तार की फैक्ट्रियों को मुक्त बिक्री के अधिक कोटे का लाभ दिया जाता है जिससे ऐसी फैक्ट्रियों की मुक्त बिक्री की हकदारी में वृद्धि कर दी जाती है और लेवी की हकदारी में कमी कर दी जाती है। पिछले तीन मौसमों के प्रत्येक मौसम में लेवी चीनी को मुक्त बिक्री के रूप में इस प्रकार बदलने की प्रतिशतता कुल उत्पादन का 4 से 5 प्रतिशत बैठती है।

(घ) प्रोत्साहन और विस्तार फैक्ट्रियों को निर्मुक्त किए गए मुक्त बिक्री के अधिक कोटे देने के फलस्वरूप, मौसम के दौरान मुक्त बिक्री की उपलब्धता में उक्त सीमा तक वृद्धि हुई थी और लेवी चीनी का उपलब्धता में तदनुरूपी कमी हुई थी।

चीनी के लेवी कोटा के निर्धारण में परिवर्तन

3103. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीनी उद्योग को बचाने के लिए उचित नियोजन करने हेतु चीनी के लेवी कोटे के निर्धारण में परिवर्तन करने अथवा उसके लेवी मूल्य में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या लेवी मूल्य आधार गन्ने के वैधानिक मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया था और उससे वास्तविक लागत का पता नहीं चलता;

(ग) क्या लगभग दो तिहाई चीनी उद्योग वास्तव में रुग्ण है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) फिलहाल ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) लेवी चीनी के निकासी मूल्यों का हिसाब आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के खण्ड 3(3 सी) के सांविधिक उपबंधों के अधीन लगाया जाता है । इन उपबंधों में साथ-साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि लेवी मूल्य निर्धारित करते समय गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए । वास्तविक उत्पादन लागत प्रत्येक फैक्ट्री द्वारा वास्तव में अदा किए गए गन्ने के मूल्य पर निर्भर करती है ।

(ग) और (घ) चूंकि चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है, जिसमें कृषि मौसमी तथ्यों सहित कई एक कारणों से उतार-चढ़ाव होता रहता है, उद्योग में रुग्णता की मात्रा के बारे में पैरामीटरों को ठोस रूप से तैयार नहीं किया गया है । तथापि, सरकार द्वारा किए गए तात्कालिक सर्वेक्षण से देश में स्थापित कुल 336 फैक्ट्रियों में से 107 चीनी मिलों को तकनीकी दृष्टि से कमजोर पाया गया है ।

सम्बधित राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अधीन कमजोर यूनिटों के प्रबंध को अपने अधिकार में लेने के अलावा, चीनी विकास निधि और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा चलाई जा रही सुगम ऋण योजना का उद्देश्य तकनीकी दृष्टि से ऐसी कमजोर मिलों का आधुनिकीकरण और पुनर्वासन करना है ताकि उन्हें सक्षम और सशक्त बनाया जा सके । अत: सम्बन्धित राज्य सरकारों और तकनीकी दृष्टि से कमजोर ऐसी मिलों को चाहिए कि वे चीनी विकास निधि और सुगम ऋण योजना के अधीन उपलब्ध सहायता का फायदा उठाएं ।

देश में परिवहन प्रणाली

3104. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समस्त परिवहन प्रणाली की सहायता के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र नियमित क्षेत्रों की बजाय दोनों अन्तर्राष्ट्रीय सहायता तथा घरेलू वित्तीय सहायता के हक में है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एकीकृत शहरी परिवहन के बारे में चर्चा करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ग) क्या सम्मेलन ने परिवहन की समस्या के समाधान के लिए कार्यवाहियों का पता लगाने तथा प्राथमिकता सुनिश्चित करने पर बल दिया था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार देश में परिवहन प्रणाली के लिए और विदेशी सहायता लेने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में परिवहन समस्या का हल करने तथा परिवहन प्रणाली की सहायता करने के लिए कौन से अन्य उपाय किए गये थे ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) महानगरीय शहरों के लिए समुचित इन्टरमाडल किस्म सुनिश्चित कराते हुए तीव्र परिवहन पद्धति के प्रावधान के लिए अत्यधिक पूंजी निवेश तथा उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी। किसी शहर में विद्यमान विशेष परिस्थितियों के लिए परियोजनायें बनाते समय वित्तीय तथा तकनीकी सहयोगों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहायता सहित विभिन्न विकल्पों पर भी विचार किया जाना होगा।

नगरीय परिवहन पर अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार 13-14 जुलाई, 1985 को रेल इंडिया टैक्नीकल तथा इकोनोमिक सर्विस लिमिटेड और लन्दन ट्रांसपोर्ट इन्टरनेशनल सर्विसिज लि० के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस सेमिनार में परिवहन नीति, परिवहन एवं भूउपयोग योजना का एकीकरण परिवहन प्रणालियों तथा अधसंरचनाओं आदि के विकास तथा अनुरक्षण से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार किया गया।

(ङ) क्षेत्रीय परिवहन अधिकतर रेल तथा सड़क से है और इन पद्धतियों का सुधार संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा निरन्तर किया जा रहा है। नगरीय परिवहन के लिए परिवहन एवं भूउपयोग योजना पर जोर दिया जाता है, विशेषकर बड़े समूहों में। सभी परिस्थितियों में जन परिवहन प्रणाली की क्षमता को बढ़ाना तथा उनका उचित परिचालन और अनुरक्षण एक प्राथमिकता है।

गायों का आयात

3105. श्री मूल चन्द डागा : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार पश्चिम जर्मनी से 2.6 लाख गायों का आयात कर रही है और उन्हें विमान द्वारा ला रही है जबकि राजस्थान सरकार ब्रिटेन से 20 हजार गायों का आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गायों के आयात सम्बन्धी मूल्य, परिवहन शुल्क और आयु के बारे में उक्त सौदों का ब्यौरा क्या है तथा गायों के बदले में किन चीजों का निर्यात किया जा रहा है;

(ग) देश में गत दो वर्षों के दौरान गायों अथवा अन्य पशुओं का आयात करने वाले अन्य राज्य कौन से हैं; उसके क्या कारण हैं तथा आयात पर कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(घ) क्या ऐसी मूल आवश्यकता के लिए दूसरों पर निर्भर न रहने के लिए पशुओं की संख्या बढ़ाने हेतु केन्द्र अथवा किसी राज्य की कोई परियोजना है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अन्य राज्यों द्वारा पिछले दो वर्षों में गायों का आयात नहीं किया गया। तथापि, पिछले दो वर्षों में विकास कार्य के लिए निम्नलिखित पशुओं का आयात किया गया :—

प्रजाति	राज्य	वर्ष	संख्या	लाख (रुपये लाख में)
भेड़ें	उत्तर प्रदेश राजस्थान, गुजरात, जम्मू व कश्मीर और हरियाणा	1983-85	1714	168.55
खरगोश	उत्तर प्रदेश	1984-85	116	0.90
बकरियां	राजस्थान और महाराष्ट्र	1984-85	22	उपहार
सूअर	असम, बिहार, केरल, कर्नाटक, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश	1983-84	237	28.67

(घ) देश में पशुधन विकास और उनकी उत्पादकता को बेहतर बनाने के लिए केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों की अनेक योजनायें हैं। ये योजनायें निम्न प्रकार हैं :—

(1) समन्वित पशु प्रजनन परियोजना (सन्तति परीक्षण), (2) केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, हेस्सरघट्टा, (3) संकर डेयरी नस्लों के साथ पशुओं का संकर प्रजनन और आपरेशन फ्लड क्षेत्र से बाहर हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भैसों की नस्ल सुधारना, (4) संकर प्रजनित ओसरों के उत्पादन के लिए गौशालाओं को सहायता, (5) केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, (6) केन्द्रीय पशु यूथ पंजीकरण योजना, (7) गहन पशु विकास परियोजना, (8) मुख्य ग्राम खंड, (9) राज्य पशु प्रजनन फार्म, और (10) आपरेशन फ्लड परियोजना।

महाराष्ट्र में फसल बीमा योजना

3106. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में फसल बीमा योजना लागू कर दी गई है और यदि हां, तो वे कौन-सी फसलें हैं जिन पर यह योजना लागू की गई है;

(ख) योजना के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है;

(ग) क्या राज्य की प्रमुख नकदी फसलें कपास और चीनी इस योजना अन्तर्गत नहीं आती; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन दोनों फसलों को इस योजना में सम्मिलित करने का है क्योंकि राज्य की आर्थिक व्यवस्था मुख्यत: इन फसलों पर निर्भर करती है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) 1985 के खरीफ मौसम से लागू की गई व्यापक फसल बीमा योजना को महाराष्ट्र सरकार ने कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया है। इस योजना के अन्तर्गत गेहूं, धान और कदन्न नामक अनाज तथा दलहन और तिलहन नामक बारानी खेती की फसलें आती हैं।

(ख) वे सभी किसान, जिन्होंने राज्य में 'निश्चित क्षेत्रों' में 1985 के खरीफ मौसम के दौरान उपयुक्त (क) के उत्तर में उल्लिखित किसी फसल की खेती करने के लिए सहकारी ऋण संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से फसल ऋण लिये हैं, बिना किसी अपवाद के इस योजना के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) और (घ) इस योजना के अन्तर्गत कपास और गन्ने की फसलें नहीं आतीं। इस समय कपास और गन्ने की फसलों को इस योजना में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुरडा खान क्योंझर (उड़ीसा) में मजदूरों की मजदूरी

3107. **श्री हरिहर सोरन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के क्योंझर जिले की गुरडा खानों में, पहले जिनका प्रबन्ध सिराजुद्दीन एंड कम्पनी द्वारा किया जाता था और अब उड़ीसा खनन निगम द्वारा किया जाता है, कितने मजदूर काम करते हैं;

(ख) क्या पहले सिराजुद्दीन एंड कम्पनी के अंतर्गत कार्य करने वाले मजदूरों को अन्य मजदूरों के समान वेतन तथा अन्य सुविधायें नहीं मिल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो वेतनों के भुगतान में इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(घ) उड़ीसा खनन निगम द्वारा संचालित खानों के अन्य श्रमिकों के साथ उनके वेतन में समानता लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) सूचित किया गया है कि उड़ीसा के क्योंझर जिले में गुरडा खानों में नियोजित श्रमिकों की संख्या 758 हैं।

(ख) हालांकि खानों में नियोजित 741 श्रमिक निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन लिपिकीय और क्षेत्रीय स्टाफ को, जिनकी संख्या 17 है, उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन के अन्य श्रमिकों के समान मजदूरी और अन्य सुविधाएं नहीं मिल रही है।

(ग) इस खान के कार्य को उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा चलाया जा रहा है और खान का पट्टा अभी भी मैसर्स सिराजुद्दीन एंड कम्पनी के नाम पर है। इसलिए कारपोरेशन ने अभी तक उनको अपने श्रमिकों के समान नहीं माना है।

(घ) संबंधित 17 लिपिकीय तथा क्षेत्रीय कर्मचारियों ने सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) राउरकेला के समक्ष औद्योगिक विवाद उठाया था जो असफल रहा। उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन हेतु औद्योगिक अधिकरण को भेज दिया गया है।

दूरदर्शन द्वारा "सफरनामा" कार्यक्रम वापिस लिया जाना

3108. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा रेल विभाग का दूरदर्शन कार्यक्रम "सफरनामा" जुलाई, 1985

में वापिस ले लिया गया;

(ख) यदि हां, उसके तो क्या कारण हैं; और

(ग) क्या दूरदर्शन ने इस कार्यक्रम के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया मालूम की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) इस धारावाहिक को इसकी असंतोषजनक गुणवत्ता के कारण बन्द कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के विकास पुरी पार्क में बच्चे की मौत

3109. **श्रीमती किशोरी सिंह :**
डा० गौरी शंकर राजहंस :
श्री श्रीहरि राव :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली के विकासपुरी स्थित एक पार्क में 17 जुलाई, 1985 को एक खड्ड में भर गये पानी में डूबने के कारण दो बच्चों की मृत्यु हो गयी;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की तालाब की पाटने में लापरवाही के कारण ऐसा हुआ;

(ग) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की अन्य कालोनियों में इस प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि प्रश्नगत तालाब वास्तव में एक जोहड़ है जो विकासपुरी के विकास से पहले कई वर्षों से विद्यमान है। यह भूमि पार्क के विकास के लिए उद्दिष्ट है जिसमें जोहड़ भी शामिल है। वर्तमान घटना स्थल को चारों ओर से चाहरदीवारी से घेर लिया गया है जिसमें ग्रिल का जंगला लगा है। पार्क का अभी विकास किया जाना है। यह क्षेत्र आज लोगों द्वारा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाना है। तथापि, इंजीनियरी स्कन्ध द्वारा प्राप्त निवासियों के आवेदनों पर नजदीक ही में बड़े पैमाने पर उपलब्ध निर्माणाधीन आवासीय पाकेटों के कूड़ा करकट/मलवे से जोहड़ को भरना उद्दिष्ट किया गया है। भराई का कार्य आरम्भ हो गया है, उसके शीघ्र ही पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(ग) घटनाओं की जांच करने के लिए मुख्य इंजीनियर (कोटि नियंत्रण) को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

(घ) ऐसे तालाबों के चारों ओर बाड़ लगाकर तथा हिन्दी में साइन बोर्ड लगाकर, जिसमें "निषिद्ध क्षेत्र" लिखा हुआ है, जैसे आवश्यक रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं।

गन्दी बस्तियों में रहने वालों की सहायता

3110. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए कोई निर्देश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और गन्दी बस्तियों में रहने वालों को पर्याप्त सहायता देने के लिए सरकार द्वारा और आगे क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) केन्द्रीय सरकार ने शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक मार्गदर्शन दिये हैं।

(ख) सरकार की नीति मलिन बस्तियों के व्यापक पुनः स्थापन की बजाए उनके पर्यावरणीय सुधार पर ही बल देने की है। मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की राज्य क्षेत्र योजना, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मार्गदर्शन किये गये हैं, के अन्तर्गत पता लगाई गई मलिन बस्तियों में पेय जल पूर्ति, मल निकास और बरसाती पानी की नालियां, पैदल पथों पर खंड़जे बिछाना, पथ प्रकाश, सामूहिक स्नान गृह तथा शौचालय इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधायें मुहैया की जाती हैं। 1-4-1984 से सुधार की लागत प्रतिव्यक्ति 150 रुपये से 350 रुपए तक बढ़ा दी गई है।

क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति बहुत सन्तोषजनक नहीं थी, इसलिए मलिन बस्ती निवासियों के अतिरिक्त लाभान्वयन के लिए इस योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान राज्यों को केन्द्रीय प्रोत्साहन अनुदान दिये गये थे। सातवीं योजना के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन की रूपात्मकताओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कृषि उत्पाद में वायदा बाजार में ढील

3111. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) उन कृषि पदार्थों के नाम क्या हैं जिनमें गत पांच वर्षों के दौरान वायदा बाजार प्रतिबन्धों में ढील दी गई है;

(ख) कपास के मामले में वायदा बाजार में इसी प्रकार की ढील न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में व्यापारियों द्वारा की गई अपीलों पर कब विचार किया जायेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) गुड़ में भावी व्यापार 5-4-1982 से आरम्भ कर दिया गया है। 26-11-1983 से मूंगफली तथा मूंगफली के तेल में अहस्तान्तरणीय विशिष्ठ सुपुर्दगी सौदों में व्यापार की अनुमति 26-11-1983 से दी गई है। अरण्डी के बीज के भावी सौदा व्यापार पर लगे प्रतिबन्ध को 16-4-1985 से हटा लिया गया है। आलू में भावी सौदा व्यापार की अनुमति 15-5-85 से दे दी गई है।

(ख) और (ग) कपास में अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सुपुदर्गी सौदों के व्यापार की सुविधा अप्रैल, 1983 में 10 एसोसिएशनों के माध्यम से उपलब्ध है। ये एसोसियेशन बम्बई, भटिण्डा, उज्जैन, इन्दौर, अहमदाबाद, सूरत, भड़ौच, सुरेन्द्रनगर, कोयम्बतूर तथा गुंटूर में स्थित हैं।

किसानों को गन्ने के लाभप्रद मूल्य

3112. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जब तक किसानों को गन्ने के लाभप्रद मूल्य नहीं प्रदान किए जाते तब तक देश में चीनी के उत्पादन से गिरावट जारी रहेगी; और

(ख) यदि हां, तो गन्ना उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) गन्ने की उपलब्धता एक मुख्य घटक है जिसका चीनी के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है और उत्पादकों द्वारा प्राप्त किए गए मूल्य उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारणों में से एक कारण है। इसके फलस्वरूप, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अधीन चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय निम्नलिखित बातों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है :—

(1) गन्ने की उत्पादन लागत;

(2) वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों को होने वाले लाभ और कृषि जिन्सों के मूल्य की सामान्य प्रवृत्ति;

(3) उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर चीनी की उपलब्धता;

(4) चीनी के उत्पादकों द्वारा गन्ने से उत्पादित चीनी जिस मूल्य पर बेची जाती है; और

(5) गन्ने से चीनी की रिकवरी।

तथापि, वास्तव में, राज्य सरकारों की सलाह पर अथवा गन्ना (नियन्त्रण) आदेश, 1966 में निहित भार्गव शेयरिंग फार्मूले को लागू करने के फलस्वरूप उत्पादकों को सामान्यतया सांविधिक न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त हो रहे हैं।

समाचार और चीनी उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड

3113. **श्री बी० बी० देसाई :**
श्री अमर रायप्रधान :
श्रीमती ऊषा चौधरी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने समाचार पत्र उद्योग और चीनी उद्योग के लिए सांविधिक मजूरी बोर्डों की नियुक्ति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वेतन बोर्ड की इस सिफारिश के पक्ष में है कि सभी उद्योगों में कर्मचारियों की उपलब्धियों का निपटारा किया जाए;

(ग) ये दोनों बोर्ड अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देंगे; और

(घ) सरकार द्वारा इन बोर्डों की सिफारिशों का कब तक क्रियान्वयन किए जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) दो सांविधिक मजदूरी बोर्डों, पहला मजदूरी बोर्ड समाचारपत्र उद्योग के श्रमजीवी पत्रकारों के लिए और दूसरा मजदूरी बोर्ड गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिए, का गठन 17 जुलाई, 1985 को किया गया। चीनी उद्योग के श्रमिकों के लिए तीसरा मजदूरी बोर्ड, जो गैर-सांविधिक है, 17 जुलाई, 1985 को गठित किया गया है।

(ख) सरकार का यह विचार है कि सामूहिक सौदेकारी को औद्योगिक संबंध को विनियमित करते रहना चाहिए, लेकिन जहां कहीं आवश्यक हो, श्रमिकों के हितों की रक्षा करने और औद्योगिक शान्ति बनाए रखने के लिए मजदूरी बोर्डों का गठन किया जाएगा।

(ग) और (घ) सभी तीनों मजदूरी बोर्डों का कार्यकाल एक वर्ष का है। इन बोर्डों के पंचाटों के प्राप्त होने पर सरकार आवश्यक निर्णय लेगी।

नई चीनी मिलों के लिए प्रोत्साहन योजना में संशोधन हेतु महाराष्ट्र का अनुरोध

3115. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खुली बिक्री और लेवी की चीनी के मूल्यों में तथा उनके उत्पादन शुल्क में अन्तर के कारण सम्पत समिति ने नई चीनी मिलों के लिए जिन प्रोत्साहनों की सिफारिश की थी वे प्रभावहीन हो गए हैं;

(ख) क्या लेवी की चीनी के कोटे के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने में प्रायः विलम्ब हो जाता है जिससे लाभार्थियों को कठिनाई होती है;

(ग) क्या उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रोत्साहन योजना में संशोधन करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यह अनुरोध कब प्राप्त हुआ है और इस बारे में निर्नय कब तक लिया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। नई चीनी फैक्ट्रियों से विहित प्रोफार्मा में पूर्ण संगत आंकड़ों सहित प्रोत्साहन दावे प्राप्त होने के तुरन्त बाद हकदारी का अनन्तिम मूल्यांकन किया जाता है और अनन्तिम आधार पर प्रोत्साहत लाभ दिए जाते हैं जोकि उनकी हकदारी से मामूली कम होते हैं। मौके पर जांच करने और प्रोत्साहन दावों को अन्तिम रूप देने के बाद हकदारी के पूर्ण लाभ दिए जाते हैं।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रोत्साहन योजना में उपयुक्त रूप से संशोधन करने के लिए अनुरोध किया है ताकि ऊंची लागत वाली फैक्ट्रियां वित्तीय संस्थानों के प्रति अपने दायित्वों को निर्वाह कर सकें।

(घ) सरकार के पास यह अनुरोध 13 जुलाई, 1984 को प्राप्त हुआ था। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अदरक का उत्पादन

3116. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से मणिपुर, जिसकी मिट्टी और जलवायु अदरक की फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है, में अदरक का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में सम्भावनाओं का पता लगाने का है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) इस समय पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अदरक का उत्पादन बढ़ाने की कोई केन्द्रीय अथवा केन्द्रीय प्रायोजित योजना नहीं है।

(ग) मणिपुर राज्य सरकार मणिपुर कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के जरिए अदरक के निर्जलीकरण का संयंत्र शुरू करने की संभावनाओं की जांच कर रही है। विपणन की उन्नत सुविधाएं मुहैय्या होने पर अदरक के तहत क्षेत्र बढ़ाए जाने के लिए आवश्यक उपाय किए जायेंगे।

राज्यों की राजधानियों के विकास के लिए धनराशि का आबंटन

3117. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को उनकी राजधानियों के विकास/निर्माण के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया है और कितनी धनराशि जारी की है;

(ख) क्या इस बारे में मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड और त्रिपुरा के मामले में विशेष रूप से विचार किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) नागालैण्ड में एक नया सचिवालय कम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव है। मणिपुर सरकार ने भी इम्फाल में नई राजधानी परियोजना में चालू किए जाने वाले सुधारात्मक कार्यों के लिए इस मंत्रालय को लिखा है। अब तक कोई राशि नहीं दी गई है।

मेघालय तथा त्रिपुरा के लिए संबंधित राज्य सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जाएगा।

इम्फाल के विकास के लिए आवंटन

3118. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इम्फाल शहर के विकास के लिए कोई आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार को मणिपुर राज्य सरकार से राज्य की राजधानी इम्फाल के विकास के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां, मणिपुर सरकार ने अनुरोध किया है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के एक विशेष दल द्वारा विकास समस्याओं के विस्तृत अध्ययन के लिए मणिपुर का दौरा किया जाए। राज्य सरकार ने राज्य के विकासार्थ केन्द्रीय सरकार या विश्व बैंक के माध्यम से वित्तीय सहायता भी मांगी थी। राज्य सरकार ने इच्छा व्यक्त की कि राजधानी का विकास वृहद योजना के अनुसार उचित ढंग से सुनियोजित किया जाना चाहिए तथा इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा एक परियोजना रिपोर्ट बनाई जाए।

आकाशवाणी सिल्चर से प्रसारित मणिपुरी कार्यक्रम की अवधि बढ़ाना

3119. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी के सिल्चर केन्द्र से प्रसारित मणिपुरी कार्यक्रम की अवधि को, इस सम्बन्ध में की गई मांग को ध्यान में रखते हुए, 30 मिनटों से बढ़ा कर एक घंटे करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आकाशवाणी, सिल्चर से इस समय प्रसारित किया जा रहा 30 मिनट का मणिपुरी कार्यक्रम, मणिपुरी भाषी लोगों की संस्कृति के सभी पहलुओं तथा अन्य आवश्यकताओं को कवर करने वाला वार्ताओं संगीत, कृषि तथा समाचार, आदि का मिश्रित कार्यक्रम है। इस समय इस कार्यक्रम की अवधि पर्याप्त समझी जाती है।

दुग्ध चूर्ण (मिल्क पाउडर) का आयात और वितरण

3120. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रति वर्ष लाखों टन दुग्ध चूर्ण (मिल्क पाउडर) विदेशों से उपहार स्वरूप प्राप्त होता है जो कि निर्धनों और कुपोषण के शिकार लोगों में बांटने के लिए होता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981, 1982, 1983 और 1984 में कितनी मात्रा में ऐसा दुग्ध चूर्ण प्राप्त हुआ;

(ग) क्या यह सच है कि इस उपहार का एक बहुत बड़ा भाग शहरी लोगों को रियायती मूल्यों पर सप्लाई किए जाने के लिए किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1981, 1982, 1983 और 1984 में विदेशों से उपहार स्वरूप प्राप्त उस दुग्ध चूर्ण का ब्यौरा क्या है जो (क) निर्धनों में वितरित किया गया है और (ख) जो रियायती मूल्य पर शहरी क्षेत्रों में दूध की सप्लाई के लिए दिया गया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : (क) और (ख) जी, नहीं। यह सत्य नहीं है कि सरकार गरीबों तथा कुपोषण ग्रस्त लोगों में बांटने के लिये विदेशों से उपहार के रूप में हर वर्ष लाखों टन दुग्ध चूर्ण प्राप्त कर रही है । लेकिन, कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज से प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्होंने इस देश में गरीब और जरूरतमन्द लोगों में मुफ्त वितरण के लिये वर्ष 1981 से 1984 के दौरान इन्डो-यू० एस० करार के अन्तर्गत दुग्ध चूर्ण की निम्नलिखित मात्रायें प्राप्त की :—

वर्ष	मात्रा मीटरी टनों में
1981	2922
1982	2316
1983	1528
1984	5452

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

आपदा प्रवण क्षेत्रों में आवास सम्बन्धी कार्य दल की स्थापना

3121. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आपदा प्रवण क्षेत्रों में आवास सम्बन्धी कार्य दल की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) विभिन्न संगठनों, विभागों और राज्य सरकारों के 12 अन्य सदस्यों सहित राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन (एन० बी० ओ०) की अध्यक्षता में एक विकास दल (कार्य दल) का गठन किया गया है । इस बोर्ड के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

(i) प्राकृतिक आपदा के कारण मकानों एवं छोटे भवनों को हुए नुकसान और विनाश की किस्म का अध्ययन एवं उनका विश्लेषण तथा तकनीकी उपायों की समीक्षा, जिसमें उन मकानों तथा छोटे भवनों, जो प्राकृतिक आपदा से प्रतिरोधी हों, को बनवाने के लिए अनुसंधान संस्थानों द्वारा परिकल्पित निर्माण तकनीकें, पद्धतियों तथा डिजाइन भी शामिल और आगे अनुसंधान के क्षेत्रों का संकेत करना ।

(ii) नए मकान बनाने के लिए जो प्राकृतिक आपदा से अधिक प्रतिरोधी हो और मौजूदा मकानों तथा छोटे भवनों, जिन्हें इस बारे में त्रुटिपूर्ण समझा गया हो, को मजबूत बनाने के लिए उपर्युक्त निर्माण संहिता, पद्धति का पता लगाना तथा सुझाव देना ।

(iii) प्राकृतिक आपदा से पीड़ित क्षेत्रों में उपयुक्त भवन विनियमन बनाने की दृष्टि से मकानों की साइटिंग तथा पुनः स्थान निर्धारण के मार्गनिर्देशन बनाना ।

(iv) आपदा पीड़ित क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्य हेतु विशिष्ट क्षेत्र सुझाना ।

चीनी की अर्थव्यवस्था

3122. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फेडरेशन आफ को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड ने चीनी की अर्थ-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति के लिए सरकार को दोषी ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने चीनी नीति के सम्बन्ध में फेडरेशन के साथ वार्ता की थी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) इस आशय के समाचार कई एक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं ।

(ख) सरकार यह महसूस करती है कि हाल ही में चीनी के मूल्यों में हुई वृद्धि का मुख्य कारण पिछले दो मौसमों की तुलना में 1983-84 और 1984-85 के चीनी मौसमों में उल्लेखनीय रूप से कम उत्पादन के कारण देशी चीनी की सीमित उपलब्धता होना और 1981-82 मौसम और उसके बाद से आन्तरिक खपत में पर्याप्त वृद्धि होना है । इस स्थिति का मुकाबला करने के उद्देश्य से, सरकार ने 10 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने और राज्य सरकार की एजेन्सियों के माध्यम से 5.80 रु० प्रति किलो से भी कम मूल्यों पर इसका वितरण करने की

व्यवस्था करने तथा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से नीलामी/टेंडर के माध्यम से लाइसेंस शुदा व्यापारियों को इसकी बिक्री करने का फैसला किया है। राज्य सरकारों द्वारा आयातित चीनी का तत्परता के साथ उठान करने और भारतीय खाद्य निगम द्वारा नीलामी/टेंडर द्वारा इसकी बिक्री करने से आशा है कि खुले बाजार में चीनी की उपलब्धता में और सुधार होगा और मूल्यों के उपयुक्त स्तर पर आ जाने की सम्भावना है। सरकार यह भी महसूस करती है कि सभी चीनी मिलों, चाहें वे निजी सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्र की भी क्यों न हों, को नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होगा और इन्हें मूल्यों की उपयुक्त स्तर पर बनाए रखने में सकारात्मक रूप से मदद करने के लिए आगे आना होगा।

(ग) फैडरेशन समय-समय पर चीनी नीति के बारे में सुझाव देता रहा है और सरकार के साथ विचार-विमर्श करता रहा है।

पैकिटों पर खुदरा बिक्री मूल्य में परिवर्तन

3123. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ उत्पादक/निर्माता पैकिंगकर्ता पैकेज पर या उस पर चिपके हुए लेबल पर उल्लिखित बिक्री मूल्य या खुदरा बिक्री मूल्य को मिटा देते हैं, उस पर धब्बा डाल देते हैं या उसमें परिवर्तन कर देते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या उत्पादकों/निर्माताओं को यह निदेश देने का विचार है कि वे अवैध धन्धे को रोकने और उपभोक्ताओं को वस्तुएं प्रतियोगी मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए सभी को समान मूल्य पर अपने उत्पाद बेचें यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को कोई विशिष्ट शिकायतें नहीं मिली हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 में विक्रय मूल्य से सम्बन्धित वर्तमान उपबन्धों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्पादक/विनिर्माता अपने उत्पादों को सभी को कमोबेश समान शर्तों पर बेचें तथा पैकेज पर लिखे गए अधिकतम मूल्य के दायरे में व्यापारियों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता हो। अनैतिक व्यापार पद्धतियों को रोकने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में विशिष्ट प्रावधान शामिल करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया गया है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति से वस्तुओं की खरीद

3124. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने दिनांक 14-7-1981 के कार्यालय

विज्ञापन संख्या 14/14/80-कल्याण द्वारा सभी केन्द्रीय विभागों, उन सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सरकार द्वारा वित्त घोषित और अथवा नियन्त्रक अन्य संगठनों के लिए लेखन सामग्री, बिजली, सफाई की तथा अन्य वस्तुओं को केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली से खरीदना अनिवार्य कर दिया था;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण सहित उनके मंत्रालय के अधीन सभी कार्यालय उक्त अनुदेश का पालन कर रहे हैं; और इन मदों को इस समिति से खरीद रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त आदेश का पालन न करने वाले उनके मंत्रालय के अधीन सभी कार्यालयों की सूची क्या है; और

(घ) आदेश अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को लाभ तथा हानि

3125. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के क्या उद्देश्य हैं तथा वह इन्हें प्राप्त करने में किस सीमा तक विफल हुआ है;

(ख) संघ को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार हुए लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस संघ में कितनी धनराशि का निवेश किया गया है; सरकार को इस अवधि में कितना लाभ प्राप्त होना चाहिए था और वास्तव में कितना प्राप्त हुआ ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य देश में उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन के विकास में सहायता प्रदान करना है । संघ को अपनी सदस्य संस्थाओं की सहायता करनी होती है तथा उन्हें मदद और परामर्श देना होता है तथा उनके कार्य को सुगम बनाना होता है । संघ एक सीमित रूप में अपनी सदस्य संस्थाओं के लाभ के लिए विभिन्न उपभोज्य वस्तुओं की वसूली करने, उनका सुरक्षित भण्डार बनाने तथा वितरण करने में सफल रही है । संघ अपने परामर्शदात्री तथा प्रोत्साहन सैल के माध्यम से अपनी सदस्य संस्थाओं तथा अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियों को आवश्यक तकनीकी दिशा निर्देश भी दे रहा है ।

(ख) गत तीन वर्षों के लेखा-परीक्षित लेखाओं के अनुसार संघ को हुई लाभ व हानि निम्नवत हैं :—

वर्ष	शुद्ध लाभ/हानि	राशि रुपयों में
1981-82	शुद्ध लाभ	22,11,827
1982-83	शुद्ध लाभ	3,69,075
1983-84	शुद्ध हानि	1,20,11,900

वर्ष 1983-84 के दौरान शुद्ध हानि होने का कारण यह है कि वर्ष के दौरान हुई संघ की कुल आय से, प्रशासन तथा वित्तीय प्रभारों आदि पर होने वाले खर्च में हुई तीव्र वृद्धि की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकी।

(ग) 30 जून, 1984 की स्थिति के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड की 474.94 लाख रुपये की कुल अंशपूंजी में से भारत सरकार द्वारा अंशदान 202.74 लाख रुपये था। भारत सरकार द्वारा संघ को वित्तीय सहायता देने का मुख्य प्रयोजन, देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों का समग्र विकास करना है, अतः वित्तीय आय के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जाता है। तथापि, संघ ने 1981-82 के दौरान 4,05,480 रु० तथा 1982-83 के दौरान 1,01,370 रु० का लाभांश दिया था। वर्ष 1983-84 के दौरान, संघ को हानि होने के कारण कोई लाभांश घोषित नहीं किया जा सका।

ग्रामीण संगठन के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन

3126. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण संगठन के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 141वें सम्मेलन का समर्थन किया है और यदि हां, तो 2200 लाख असंगठित ग्रामीण श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों का पता लगाने तथा उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें ग्रामीण और भूमिहीन श्रमिक संगठन बन गए हैं और इन संगठनों पर कौन-सा कानून लागू होता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कानून बनाने का है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय संख्या 141 का अनुसमर्थन कर दिया है। सरकार की नीति ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इस उद्देश्य के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित योजनाएं तैयार की गई हैं :—

(i) ब्लाक स्तर पर अवैतनिक ग्रामीण संगठकों की नियुक्ति, उनके प्रशिक्षण तथा नियोजन द्वारा ग्रामीण श्रमिकों के संगठन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना;

(ii) राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा जागरूकता कैम्पों का आयोजन;

(iii) ग्रामीण श्रमिकों का प्रशिक्षण और उनकी शिक्षा ताकि ग्रामीण श्रमिक संगठनों को बनाने के लिए उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में उनके बीच जागरूकता पैदा की जा सके। इसे केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लागू किया जा रहा है;

(iv) महिला श्रमिकों के संगठन के लिए काम कर रही ट्रेड यूनियनों और स्वैच्छिक एजेंसियों को श्रम मंत्रालय द्वारा सहायता अनुदान की व्यवस्था।

ग्रामीण विकास विभाग (कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय) 20-सूत्री कार्यक्रम के लाभानुभोगियों को, विशेष रूप से ग्रामीण श्रमिकों को, प्रशिक्षित करने और संगठित करने की एक बड़ी योजना पर विचार कर रहा है।

(ख) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत ग्रामीण श्रमिक भी ट्रेड यूनियनें बना सकते हैं। कृषि श्रमिकों की ट्रेड यूनियनों को बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में पंजीकृत किया गया है।

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का कोई कानून बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादन में अधिक उत्पादन वाली बीज की किस्मों का प्रयोग

3127. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक उत्पादन वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र का विकास कृषि उत्पादन में वृद्धि संबंधी नीति का महत्वपूर्ण अंग है;

(ख) क्या दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को उच्च उत्पादन करने वाली बीजों की किस्में उचित दामों पर सही समय पर मिल रही हैं;

(ग) किसानों को बीजों की नई किस्मों के बारे में किस प्रकार सूचित किया जाता है?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) किसानों को प्रशिक्षण तथा दौरा विस्तार पद्धति, रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रसारण और समाचारपत्रों, पत्रिकाओं तथा पैम्फलेटों आदि से प्रचार करके नये किस्मों के बीजों के बारे में जानकारी दी जाती है। कृषि विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान तथा राज्य कृषि विभाग किसानों को जानकारी देने के लिए किसान मेले, किसान गोष्ठियां, कृषि प्रदर्शनियां तथा क्षेत्रीय दिवस आदि का आयोजन करते हैं। किसानों को बीजों की नई किस्में भी मिनिकिटों के तहत सप्लाई की जाती है ताकि किसान खेतों में परम्परागत किस्म तथा नई किस्म के उपज को देख सकें।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्ति

3128. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गामीण युवकों को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में आज तक कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है और उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रशिक्षण पर कितना व्यय किया गया है;

(ख) उन प्रशिक्षित व्यक्तियों में से कितनों ने अपना व्यापार अथवा उद्योग स्थापित किया है; और

(ग) क्या राज्य सरकार की इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों को एक निर्धारित समय में अपना व्यापार स्थापित करने के लिए सहायता करने की कोई योजना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या, उनके प्रशिक्षण पर किए गये व्यय तथा स्वरोजगार में लगे प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या को दशाने वाला एक वितरण संलग्न है ।

(ग) इस योजना का उद्देश्य स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करना है । कुछ विशेष मामलों में प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें मजदूरी रोजगार की अनुमति दी जाती है । यद्यपि, इन युवकों को उनके कार्य के लिए आवश्यक कुशलताओं से लेस करने के सभी संभव प्रयास किए जाते हैं लेकिन उनके लिए स्वरोजगार/मजदूरी रोजगार प्राप्त करने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है ।

विवरण

वर्ष	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	प्रशिक्षण पर हुआ व्यय (लाख रुपये में)	स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
1983-84	23,446	215.78	16,768
1984-85	26,606	263.39	18,174
1985-86 (अप्रैल तथा मई)	2,227	(यह सूचना प्रत्येक तिमाही आधार पर मंगाई जाती है)	748

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में गाय फार्मों की स्थापना

3129. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योरोप के उपहार में मिली गायों को, जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयोगी हैं,

सितारगंज (उत्तर प्रदेश) में पशु फार्म रखा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस फार्म की तरह के और अधिक फार्म उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने यूरोप से उपहार के रूप में गायें प्राप्त होने पर उनके लिए फार्म स्थापित करने के लिए सितारगंज को एक संभव स्थान के रूप में चुना है।

(ख) और (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

[अनुवाद]

फीचर फिल्मों का आयात और निर्यात

3130. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान भारतीय निर्माताओं द्वारा कितने मूल्य की कच्ची फिल्मों का आयात किया गया है;

(ख) इस अवधि में भारतीय फिल्मों का निर्यात करके मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन आफ अमरीका (एम० पी० आई० ए०) ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की;

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान 30 जून, 1985 तक कितनी भारतीय फिल्मों का निर्यात किया गया; और

(घ) फिल्मों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान प्रत्यायित व्यापारियों द्वारा आयातित कोरी फिल्मों का मूल्य 9.10 करोड़ रुपए है। उस कच्चे माल, जिसे भारतीय निर्माताओं द्वारा सिनेमाटोग्राफ फिल्मों (एक्सपोज्ड) के निर्यात के बदले में उनको जारी किए गए पुनःपूर्ति लाइसेंसों के अन्तर्गत आयात किया हो, के मूल्य के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) शून्य।

(ग) और (घ) सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1-4-1984 से 30-6-85 तक की अवधि के दौरान फिल्मों का निर्यात

अवधि	फिल्मों का निर्यात		फिल्मों के वीडियो अधिकार का निर्यात	
	निर्यात की गई फिल्मों की संख्या	शिपिंग बिलों के अनुसार मूल्य (लाख रुपयों में)	उन फिल्मों की संख्या जिनके बारे में वीडियो अधिकारों का निर्यात किया गया	शिपिंग बिलों के अनुसार मूल्य (लाख रुपयों में)
1984-85	525	693.85	163	155.76
1-4-85 से 30-6-85 तक	136	128.95	27	24.41

महिलाओं को रोजगार देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिश

3131. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 11 जुलाई, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सदस्य देशों से अनुरोध किया है कि वे महिलाओं को रोजगार देने के कार्य में वृद्धि करने तथा विकास दर और रोजगार स्थिति की ओर ध्यान दिए बिना उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने के उपाय करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(ग) सभी सरकारी विभागों और सरकारी उपक्रमों में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) जी हां, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, जून, 1985 के अनन्तिम रिकार्ड के अनुसार, सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें रोजगार में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अवसर और समान व्यवहार के प्रश्न के बारे में विशेष निष्कर्ष शामिल थे । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से इस प्रस्ताव का अधिप्रमाणित मूलपाठ अभी प्राप्त नहीं हुआ है । अधि-प्रमाणित मूलपाठ के प्राप्त होने पर सरकार उपयुक्त कार्यवाही करेगी ।

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या

3132. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून को देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों में दर्ज मैट्रिक और उससे अधिक अर्हता प्राप्त शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या क्या थी;

(ख) क्या उनकी संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बेरोजगार व्यक्तियों को अधिक नौकरियां उपलब्ध कराने के लिये कोई कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी अतिरिक्त धनराशि आबंटित की गई है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) रोजगार चाहने वाले शिक्षित (मैट्रिक और इससे ऊपर) व्यक्तियों की नवीनतम उपलब्ध संख्या, यह आवश्यक नहीं है कि उनमें से सभी बेरोजगार हों, जो 31-12-1984 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज थे, 125.4 लाख थी ।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज शिक्षित व्यक्तियों (मैट्रिक और इससे ऊपर) की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	संख्या लाखों में
1980	81.6
1981	90.2
1982	97.7
1983	111.6
1984	125.4

(ग) शिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त रिक्तियां, जो कि रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित की गई हैं, रोजगार कार्यालयों के पास पंजीकृत नौकरी चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों में वृद्धि के अनुरूप नहीं हैं।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, रोजगार को निति के एक सीधे केन्द्र बिन्दु के रूप में माना जाना है। योजना का एक राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम होगा जिसमें शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों सहित, लक्ष्य ग्रुप शामिल होंगे। रोजगार योजनाओं के साथ सेकट्रल उत्पादन योजनाओं के एकीकरण और चालू रोजगार कार्यक्रमों के विस्तार के माध्यम से लाभकारी रोजगार के सृजन पर भी ज़ोर दिया जाएगा। इसके अलावा, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य कार्यकलापों में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को जारी रखा जाएगा। जिनका अपेक्षित प्रशिक्षण, ऋण-व्यवस्था, मार्किटिंग और संगठनात्मक सम्बन्धों द्वारा पृष्ठ-पोषण किया जाएगा।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1985-86 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०), स्व-रोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर० एल० ई० जी० पी०) और शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्व-रोजगार प्रदान करने सम्बन्धी योजना के लिए कुल आबंटन 1010 करोड़ रुपए है।

पालेकर पंचाट का कार्यान्वयन

3133. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी समाचार संस्थापनाओं ने पालेकर पंचाट को कार्यान्वित कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो जिन समाचारपत्रों ने अभी तक पालेकर पंचाट को कार्यान्वित नहीं किया है, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) पालेकर पंचाट को कार्यान्वित न करने वाले समाचारपत्रों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री डी० अंजैया) : (क) से (ग) पालेकर पंचाटों को लागू

करवाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है । उनके द्वारा समय-समय पर भेजी गई रिपोर्टों के अनुसार संलग्न विवरण में उल्लिखित समाचार पत्रों ने पालेकर पंचाटों को लागू नहीं किया है। रिपोर्टों से पता चलता है कि राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन पंचाटों को लागू करवाने के लिए कानूनी और अनुनयात्मक उपाय कर रहे हैं।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ	समाचारपत्र प्रतिष्ठानों के नाम जिन्होंने पालेकर पंचाट को लागू नहीं किया है।	टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. समाचारम्, राजामुन्द्री	— पंचाट को लागू न करने के लिए प्रबन्धतन्त्र को नोटिस दिया गया है।
		2. सिरकार एक्सप्रेस, काकीनाडा 3. गोदावरी टाइम्स, काकीनाडा	इन प्रतिष्ठानों में प्रकाशन का एक वर्ष अभी हाल ही में पूरा किया है । आदेशों के अनुसार भुगतान करने के लिए नोटिस जारी किया है।
		4. जमीन रयोत, निल्लोर	—27-4-1984 को अभियोजन चलाया गया ।
		5. टाइम्स ऑफ इंडिया	—मामला न्यायालय में है । न्यायालय के आदेशों के अनुसार भुगतान किया जा रहा है।
2.	असम	1. दैनिक जन्मभूमि 2. साप्ताहिक जन्मभूमि	—न्यायालय में मामला दायर किया है ।
		3. द दैनिक जुगसंखा 4. दैनिक सोनार कच्छार 5. द गोनी 6. द प्रान्तो ज्योति 7. द डालिम 8. द जुग शक्ति 9. द अकाला 10. द प्रान्तर समाचार	कमजोर आर्थिक स्थितियों के कारण ये आदेशों को लागू करने में असमर्थ हैं। तथापि आदेशों को लागू करने के लिए अनुनयात्मक उपाय किए जा रहे हैं।

1	2	3	4
3.	बिहार	1. सर्च लाइट 2. प्रदीप	मामला न्यायालय में है और न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अनुसार भुगतान किया जा रहा है।
		3. विश्वबन्धु पटना 4. भारत मेल, पटना 5. आत्म कथा, पटना 6. प्रताह वायु, मुजफ्फरपुर	कानूनी कार्यवाही की गई है।
		7. इनदिनों	उच्च न्यायालय, पटना में कातिबों के संबंध में पंचाट के कार्यान्वियन के खिलाफ रिट दायर की गई है।
4.	गुजरात	1. टाइम्स आफ इंडिया अहमदाबाद	मामला न्यायालय में है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, पालेकर अधिकरणों द्वारा यथा सिफारिश की गई मजदूरी का 75% प्रबन्धतन्त्र द्वारा भुगतान किया जा रहा है।
		2. अखंड आनन्द, पाक्षिक, अहमदाबाद	प्रबंधतन्त्र ने स्थगन प्राप्त करने हेतु उच्चतम न्यायालय में आवेदन दायर किया है। यह मामला न्यायालय के समक्ष लम्बित पड़ा है।
		3. गुजरात केशरी, सूरत	प्रकाशन का पहला वर्ष है। इस तरह ये पंचाट के सीमा क्षेत्र में नहीं आते हैं।
5.	जम्मू व कश्मीर	1. श्रीनगर टाइम्स 2. डेली आफताब, 3. नवाई शुभ, 4. डेली खिदमत 5. डेली एक्सिलशियर, जम्मू	कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
6.	महाराष्ट्र	1. दैनिक गौकारी, अहमद नगर 2. समाचार भारती, नागपुर 3. समाचार भारती, बम्बई	आंशिक रूप से लागू किया है। अभियोजन चलाया गया है।

1	2	3	4
		4. दैनिक देश दूत, नासिक 5. दैनिक मतान्तर, नासिक 6. दैनिक भरमार, नासिक	
		1. आज का आनन्द, पुणे 2. दैनिक राष्ट्र तेज, पुणे 3. दैनिक ज्वाला, सतारा 4. दैनिक सर्वमत, श्रीरामपुर जिला अहमदनगर 5. हिन्दुस्तान समाचार कोपरेटिव सोसाइटी लि०, नागपुर	लागू नहीं किया है । इसके खिलाफ अभियोजन चलाया गया है ।
		6. हिन्दुस्तान समाचार, बम्बई	न्यायालय में अभियोजन दायर किया गया है । उक्त अभियोजन की प्रेषणक्षेत्र ने बम्बई उच्च न्यायालय में न्यायालय के न्यायाक्षेत्राधिकार के आधार पर विशेष रिट याचिका द्वारा चुनौती दी है । उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिए हैं ।
		7. एसोसिएटेड जनरलिस्ट्स लि०, नेशनल हैरल्ड बम्बई	कारण बताओ नोटिस जारी किया है । अभियोजन चलाने के बारे में विचार किया जा रहा है ।
		1. केमैट कोल मैन एंड कम्पनी लिमिटेड, बम्बई 2. नवभारत हिन्दी दैनिक नागपुर	रिट याचिकाएं दायर की हैं । न्यायालय के आदेशों के अनुसार भुगतान कर रहे हैं ।
7.	मध्य प्रदेश	1. दैनिक जागरण, रेवा 2. दैनिक बान्धवी, समाचार रेवा 3. साप्ताहिक समय, सिद्धी 4. दैनिक जवान भारत, सतना 5. दैनिक इन्दौर समाचार इन्दौर 6. दैनिक नवजीवन, भोपाल	महंगाई भत्ते के आदेशों को लागू नहीं किया, जिसके लिए अभियोजन चलाया गया है ।

1	2	3	4
		7. दैनिक भास्कर, ग्वालियर — 8. दैनिक जन बोध, शाहडोल 9. दैनिक सतपुड़ावाणी, भोपाल 10. साप्ताहिक चरवेती, भोपाल 11. साप्ताहिक अयाज, भोपाल 12. साप्ताहिक मूव ऑन, भोपाल 13. साप्ताहिक कृषि जगत, भोपाल 14. मध्य प्रदेश सहकारी समाचार, भोपाल —	आदेशों को कार्यान्वित न करने के लिए अभियोजन चलाया गया है ।
		15. दैनिम नवभारत, इन्दौर — 16. दैनिक नवभारत, रायपुर 17. दैनिक नवभारत जबलपुर 18. दैनिक नवभारत, भोपाल 19. डेली एम. पी. क्रोनिकल, भोपाल 20. डेली एम० पी० क्रोनिकल, रायपुर —	मामला न्यायालय में है । न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अनुसार भुगतान कर रहे हैं ।
8. मणिपुर		1. प्रजातंत्र, लोकल मणिपुरी— डेली 2. टोकनगा (डेली) 3. पोकनाफर्म डेली 4. हइयेन लम्पड डेली 5. थुजकना ट्री वीकली 6. मणिपुर मेल डेली 7. सीमान्त पत्रिका डेली 8. नागरिक पन्थ डेली 9. मणिपुर हैरल्ड डेली 10. मणिपुर न्यूज डेली 11. अनोभा समाज डेली 12. मनावा डेली 13. पाथो डेली 14. सानालिबक डेली 15. खोल्ताव डेली	बहुत छोटे स्तर के समाचार पत्र होने के कारण ये पंचाट को लागू करने में असमर्थ हैं ।

1	2	3	4
		16. चिंगतम डेली 17. आईहो डेली	
	9. नागालैंड	1. नागालैंड टाइम्स 2. यूरामेल 3. पलेटफार्म 4. नागालैंड न्यूज रिव्यू 5. कोहिमा विकली लिमिटेड	ये सहकारिता के आधार पर चलते हैं और वित्तीय कठिनाइयों के कारण पंचाट को कार्यान्वित करने में असमर्थ हैं
	10. उड़ीसा	1. प्रजातंत्र 2. दि स्वराज	महंगाई भत्ते के आदेशों को लागू नहीं किया है। जिसके लिए अभियोजन चलाया गया है।
		3. दी दीनालिपि 4. हीरा खंड 5. दैनिक आशा	आदेशों को कार्यान्वित न करने के लिए अभियोजन चलाया गया है
	11. पंजाब	1. डेली मिलाप जालन्धर 2. डेली हिन्दी मिलाप जालन्धर	पंचाट कार्यान्वित कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
	12. तमिलनाडु	1. अमुभा सुरबि	—आंशिक रूप से लागू किया गया है। पूर्ण रूप से लागू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
		2. ग्राम राज्यम	—कार्रवाई की जा रही है।
		मद्रास-ला-जनरल, मद्रास	
		3. कलाईमागलम 4. मंजरी एंड अदर लेबर कैस बुक्स	मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।
		रामनाथ पब्लिकेशन्स मद्रास	
		5. पिक्चर पोस्ट 6. पेसम पदम	मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।
	13. त्रिपुरा	1. जागरण 2. दैनिक संवाद 3. त्रिपुरा दर्पण 4. डेली देवर कथा 5. मनुष 6. गण संवाद	पालेकर सिफारिशों पर सरकारी आदेशों को लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

1	2	3	4
		7. दैनिक गणदूत 8. गणराज	
14.	उत्तर प्रदेश	1. दैनिक जागरण कानपुर 2. दैनिक जागरण लखनऊ 3. दैनिक जागरण इलाहाबाद 4. दैनिक जागरण गोरखपुर 5. दैनिक जागरण झांसी	सिफारिशों के खिलाफ न्यायालय में मामला दायर किया गया है। तथापि, न्यायालय के आदेशों के अनुसार भुगतान कर रहे हैं।
		6. दैनिक वीर भारत कानपुर	—अभियोजन चलाया जा रहा है।
		7. दैनिक दिन-रात इटावा 8. दैनिक प्रतिदिन लखनऊ 9. मृग क्षेत्र बलिया 10. दैनिक मध्ययुग बांदा 11. वायु दूत बुलंदशहर	पंचाट को लागू करने लिए अनुनय किया जा रहा है।
15.	पश्चिम बंगाल	1. गाजी उर्दु डेली 2. अबसर उर्दु डेली 3. लोक सेवक 4. रोजाना हिन्द (उर्दु डेली) 5. इमरोज डेली (उर्दु डेली) 6. आसरे जादीद (उर्दु डेली) 7. आजाद हिन्द (उर्दु डेली) 8. जनसंसार (हिन्दी) 9. छपते-छपते (हिन्दी)	कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
		10. इकनोमिक टाइम्स	मामला न्यायालय में है
		11. दैनिक आकर्षण	—कोई भी नियमित जर्नलिस्ट या नान-जर्नलिस्ट नहीं है
		12. मतांतर पत्रिका	—यह सी० पी० आई० का एक प्रकाशन है और इसका स्टाफ पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसके कर्मचारी नहीं हैं।
		13. जनानिआ बंगाल डेली	—जब समाचार पत्र की वित्तीय स्थिति सुधरेगी तब इन्हें लागू किया जाएगा।
		14. गण-शक्ति	—यह सी० पी० आई० (एम०) द्वारा चलाया जाता है और इसका सारा स्टाफ पार्टी काडर का है।

1	2	3	4
16.	दिल्ली	**मैसर्स बैनेट कोलमैन एंड कंपनी**	
		1. टाइम्स आफ इंडिया 2. नव-भारत टाइम्स 3. सान्ध्य टाइम्स 4. इकनोमिक टाइम्स 5. यूथ टाइम्स 6. पराग 7. सारिका 8. दिनमान	दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी है। तथापि, न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अनुसार भुगतान कर रहे हैं।
		शमा/सुषमा ग्रुप	
		9. शमा 10. सुषमा 11. बानो 12. खिलोने 13. मुजरिम	आपसी समझौते के अनुसार भुगतान कर रहे हैं।
		14. डेली दावत	कातिबो के संबंध में लागू नहीं किए गए।
		दिल्ली प्रैस पत्र प्रकाशन	
		15. सरिता 16. मुक्ता 17. कारवां 18. चंपक 19. वीमेन्स इरा 20. भू-भारती 21. गृह शोभा 22. सूर्य इंडिया 23. जनयुग 24. सांध्य समाचार 25. दिल्ली रिकार्डर	सिफारिशों पर सरकारी आदेशों से ज्यादा मजदूरी का भुगतान कर रहे हैं।
		26. हिन्दुस्तान समाचार	—1-10-80 से सरकारी आदेशों को लागू करने का निर्णय लिया गया है लेकिन स्टाफ को एजेंसी की वित्तीय स्थिति सुधरने तक इंतजार करने के लिए कहा गया है।

सीमांत शुष्क भूमि वाले किसान के लिए कानकारी मूल्य

3134. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि सीमान्त शुष्क भूमि से किसानो को अपने उत्पाद के लाभकारी मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए उनकी सहायता करने हेतु आयोग/सोसाइटी गठित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो आयोग/सोसाइटी के गठन का ब्यौरा क्या है और शुष्क भूमि किसानों की सहायता के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) सरकार की कृषि मूल्य नीति का लक्ष्य बारानी खेती करने वाले सीमांत किसानों सहित कृषक समुदाय के सभी प्रवर्गों के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करना है । इस प्रयोजन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सरकार प्रत्येक मौसम में प्रमुख कृषि जिंसों के लिए अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्य घोषित करती है और राज्य एजेंसियों सहित सार्वजनिक और सहकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद कार्य करती है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सहायता से खुम्भ विकास केन्द्र की स्थापना

3135. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से देश में खुम्भ विकास केन्द्र की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कहां पर स्थापित किया गया है;

(ग) खुम्भ विकास के लिए किन-किन राज्यों का चयन किया गया है और राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश को भी राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में खुम्भ के उत्पादन और विकास के लिए चुना गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आंध्र प्रदेश को कितनी सहायता दी जायेगी ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) प्रशिक्षण, कम्पोस्ट और कवक जाल की आपूर्ति तथा खुम्भी की कटाई के पश्चात पैकिंग के लिए यू० एन० डी० पी० की सहायता से हिमाचल प्रदेश सोलन में एक केन्द्रीय मदर यूनिट स्थापित की गई है ।

(ग) से (ङ) यू० एन० डी० पी० की सहायता से हिमाचल प्रदेश में खुम्भी के विकास की

परियोजना नवम्बर, 1977 से अक्तूबर, 1982 तक क्रियान्वित की गई थी। नीदरलैंड की सहायता से हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में खुम्भी के विकास को एक अन्य परियोजना को सभी चारों राज्यों में 1.25 करोड़ रुपए की राशि से क्रियान्वित करने का विचार है।

कोको का उत्पादन

3136. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1985 को कोको उत्पादन के अन्तर्गत कितना क्षेत्र था;

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में कोको का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) आंध्र प्रदेश में कोको के अन्तर्गत अनुमानित कितना क्षेत्र है;

(घ) क्या इस क्षेत्र को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार के प्रत्येक राज्य, विशेषकर आंध्र प्रदेश में कितने किसानों को कोको उगाने का प्रशिक्षण दिया गया ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) भारत में कोको के अन्तर्गत के क्षेत्र के बारे में कोई सरकारी अनुमान नहीं हैं। तथापि, प्रमुख उत्पादक राज्यों में 1983-84 के दौरान मोटे तौर से अनुमानित क्षेत्र निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	राज्य	क्षेत्र हैक्टार में
1.	केरल	18,200
2.	कर्नाटक	4,300
3.	तमिलनाडु	600

(ख) कोको ने उत्पादन के बारे में प्रमाणित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि यह पूर्वानुमानी फसल नहीं है। तथापि, गत तीन वर्षों के लिए कोको की सूखी फलियों के उत्पादन के मोटे अनुमान निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	उत्पादन (मीटरी टन)
1981-82	2200
1982-83	3000
1983-84	4000

(ग) नगण्य।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) कोको के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अन्तर्गत केरल और कर्नाटक में 1984-85 में 900 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। यह योजना आंध्र प्रदेश में क्रियान्वित नहीं की जा रही है :

आन्ध्र प्रदेश में दालों के छोटे बोरों (मिनी किट्स) का वितरण

3137. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दालों की परिष्कृत किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने देश में किसानों को दालों के छोटे बोरों का वितरण शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में कितने छोटे बोरे वितरित किए गए हैं;

(ग) आंध्र प्रदेश में छोटे बोरों के वितरण के परिणामस्वरूप दालों के उत्पादन में कितना अनुकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार छोटे बोरों में और अधिक मदों को शामिल करने का है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां

(ख) 1984-85 के दौरान आंध्र प्रदेश में वितरित किये गये मिनिकिटों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

योजनाएं	वितरित किए गए मिनिकिटों की संख्या
1. मिनिकिट प्रदर्शन की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना	18,585
2. कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना	35,845

(ग) मिनिकिट प्रदर्शन सहित विभिन्न विकास योजनाओं के संयुक्त प्रयासों से आंध्र प्रदेश राज्य में दलहनों का उत्पादन 1980-81 के 4.1 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1984-85 में 5.1 लाख मीटरी टन (अनुमानित) हो गया है।

(घ) सिनिकिट के अन्तर्गत अन्य और मदों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मिनीकिट वितरण कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मौजूदा मदें पर्याप्त समझी जाती हैं।

आन्ध्र प्रदेश में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए पायलट परियोजना

3138. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए पायलट परियोजना योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य के कुछ ब्लाकों का चयन करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना अवधि के पूर्वार्द्ध का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य के कब तक आरम्भ होने की उम्मीद है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए प्रायोजित सीरियल और फिल्मों के चयन हेतु पेनल का गठन

3039. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए प्रायोजित सीरियलों और फिल्मों के चयन के लिए, दो पैनल, एक बम्बई में तथा दूसरा दिल्ली में बनाने का निर्णय किया है जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे; और

(ख) यदि हां, तो गठन संबंधी ब्यौरे क्या हैं, और इस संबंध में यदि कोई दिशानिर्देश दिए गए हों तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन पर टेलीकास्ट करने के लिए फिल्मों का चयन करने के लिए समिति में विभिन्न क्षेत्रों के गैर सरकारी प्रख्यात व्यक्तियों को सहयोजित करके उसको अधिक व्यापक बनाने के लिए उसकी संरचना का इस समय पुनर्विलोकन किया जा रहा है ।

पैनल की संरचना और इसके लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों से सम्बन्धित मामला विचाराधीन है ।

आवश्यक वस्तुओं के व्यापार में कदाचार

3140. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेंहू, चावल, चीनी और खाद्य तेलों सहित आवश्यक वस्तुओं के व्यापार में कदाचार करने वाले बेईमान व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ख) जमाखोरी, कालाबाजारी जैसे अनैतिक गतिविधियों को रोकने और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के व्यापार में जमाखोरी तथा चोरबाजारी जैसे कदाचार करने वाले बेईमान व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आम आदमी को उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं आसानी से मिलें। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लिखती रहती है कि वे इन दो कानूनों के उपबन्धों को सख्ती से लागू करें और व्यापार में जो असामाजिक तत्व हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करें।

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को आयात लाइसेंस देने पर प्रतिबन्ध

3141. **श्री भेला नाथ सेन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त आयात और निर्यात नियंत्रक, नई दिल्ली ने इस वर्ष जनवरी में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ पर आयात लाइसेंस, "ओपन जनरल लाइसेंस" के अन्तर्गत आयात करने अथवा सरणीकृत एजेंसी के माध्यम से आयातित वस्तुओं के आबंटन पर रोक लगा दी थी;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने क्या उल्लंघन/अनियमितता की थी;

(ग) इस मामले में सरकार ने अन्य क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) वर्तमान स्थिति क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) उप मुख्य आयात एवं निर्यात नियंत्रक ने राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को लाइसेंस की शर्तों, जिसमें यह शर्त थी कि आयातित सूखे मेवे उपभोक्ता पैकों में सुपर बाजार के माध्यम से बेचे जाएं, का उल्लंघन करने के कारण 5 (पांच) लाइसेंस अवधियों अर्थात 1984 से 1988 तक के लिए आयात लाइसेंस प्राप्त करने से वंचित कर दिया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने इस आदेश के खिलाफ अपील की है।

राज्यों के लिए दूरदर्शन का दूसरा चैनल

3142. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्यों के लिए दूरदर्शन का चैनल प्रारम्भ करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कर्नाटक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त दरों पर रागी और ज्वार की पूर्ति

3144. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीब मजदूरों को सहायता प्राप्त दरों पर रागी और ज्वार की पूर्ति करने का विचार है क्योंकि यह उनके राज्य में प्रमुख खाद्य है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य को रोगी और ज्वार के लिए भी उतनी ही सहायता देने का है जितनी कि चावल और गेहूं के लिए दी जा रही है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की मार्ग-दर्शिकाओं के अनुसार ज्वार, बाजरा, मक्का तथा रोगी जैसे मोटे अनाज राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के निर्माण कार्यों पर नियोजित मजदूरों को वितरित किए जा सकते हैं बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकारें/केन्द्र शासित क्षेत्र इन्हें स्थानीय तौर पर उपलब्ध कर सकें ।

(ख) वर्तमान मार्ग-दर्शिकाओं के अनुसार मोटे अनाज के लिए आर्थिक सहायता का अनुपात वही होगा जो कि गेहूं के लिए आर्थिक सहायता का अनुपात है । प्रत्येक विशिष्ट मामले में आर्थिक सहायता की वास्तविक धनराशि आंकनी होगी ।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव

3145. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव कब और किस स्थान पर होगा;

(ख) महोत्सव का आयोजन करने वाली समिति का गठन क्या होगा;

(ग) क्या संसद सदस्यों को भी समिति में शामिल किया जाएगा;

(घ) उपरोक्त महोत्सव के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) महोत्सव में कितनी बाल फिल्में दिखाई जाएंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) भारत का चौथा अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह 14 नवम्बर से 23 नवम्बर, 1985 तक बंगलौर में होगा ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) बाल चित्र समिति भारत, जो इस समारोह को आयोजित कर रही है, का इस समारोह के लिए 23 लाख का बजट है।

(ङ) इस समारोह में विभिन्न देशों से 150 से अधिक बाल फिल्मों के भाग लिए जाने की उम्मीद है।

विवरण

बंगलौर में भारत का चौथा अतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह—समितियों की संरचना

आयोजन समिति

अध्यक्ष

कर्नाटक के मुख्य मंत्री

सदस्य

1. सूचना और पर्यटन मंत्री, कर्नाटक
2. शिक्षा मंत्री, कर्नाटक
3. बाल कल्याण मंत्री, कर्नाटक
4. मुख्य सचिव, कर्नाटक
5. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
6. संयुक्त सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
7. सचिव, सूचना और पर्यटन, कर्नाटक सरकार
8. सचिव, वित्त, कर्नाटक सरकार
9. अध्यक्ष, बाल चित्र समिति, भारत
10. बंगलौर के महापौर
11. अध्यक्ष, फिल्म फैडरेशन आफ इंडिया
12. अध्यक्ष, कर्नाटक फिल्म चैम्बर आफ कामर्स
13. अध्यक्ष, कर्नाटक फिल्म आर्टिस्ट्स एसोसिएशन
14. अध्यक्ष,कन्नड़ सिने आर्टिस्ट्स एसोसिएशन
15. पुलिस आयुक्त, बंगलौर
16. महाप्रबंधक, दूरभाष, बंगलौर
17. महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे, मद्रास
18. महाप्रबंधक,'भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपतन प्राधिकरण, बंगलोर
19. सीमा-शुल्क समाहर्त्ता, बंगलौर
20. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर

21. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, बंगलौर
22. सम्पादक, प्रजावाणी, बंगलौर
23. सम्पादक, कन्नड़ प्रभाग
24. सम्पादक, हिन्दू
25. सम्पादक, इंडियन एक्सप्रेस, बंगलौर
26. सम्पादक, डैक्कन हेरल्ड, बंगलौर
27. सम्पादक, टाइम्स, बंगलौर
28. श्री टी० एस० नरसिम्हन
29. श्री एस० एस० गुलजार
30. श्री जे० पी० दास

} बालचित्र समिति की कार्यकारी परिषद के गैर-सरकारी सदस्य

31. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बालचित्र समिति, भारत

सदस्य/सचिव

32. निदेशक, भारत का चौथा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह
33. श्री एल० एन० सूरी, उप सचिव (वित्त), सूचना और प्रसारण मंत्रालय
34. श्री जे० सी० डंगवाल, उप सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय
35. निदेशक, सूचना और प्रचार-कर्नाटक सरकार

कार्यकारी समिति

अध्यक्ष

सूचना और पर्यटन मंत्री, कर्नाटक

सदस्य

1. सचिव, सूचना और पर्यटन, कर्नाटक
2. संयुक्त सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय
3. अध्यक्ष, भारतीय बाल चित्र समिति, भारत
4. अध्यक्ष, फिल्म फैडरेशन आफ इंडिया
5. अध्यक्ष, कर्नाटक फिल्म चैम्बर आफ कामर्स
6. पुलिस आयुक्त, बंगलौर
7. आयुक्त, नगर निगम, बंगलौर
8. महाप्रबंधक, दूरभाष, बंगलौर
9. सीमाशुल्क समाहर्ता, बंगलौर
10. रेल प्रबंधक, दक्षिण रेलवे, बंगलौर
11. महाप्रबंधक, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, बंगलौर

12. प्रबंध निदेशक, कर्नाटक पर्यटन विकास निगम

13. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर

14. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, बंगलौर

15. कमिशनर आफ पब्लिक इन्स्ट्रकशन्स, बंगलौर

16. श्री टी० एस० नरसिम्हन

17. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बालचित्र समिति, भारत

18. सदस्य-सचिव-निदेशक, भारत का चौथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ।

19. श्री जे० सी० डंगवाल, उप सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय

20. श्री एल० एन० सूरी, उप सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय

21. श्री एस० एस० गुलजार

22. श्री जे० पी० दास

23. निदेशक, सूचना और प्रचार, कर्नाटक सरकार

ग्रामीण जनता में लिए कार्यक्रमों का प्रसारण

3146. **श्री पी० आर० कुमार मंगलम** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण जनता से यह शिकायतें मिली हैं कि दूरदर्शन के अधिकतर मनोरंजन कार्यक्रम शहकारी जनता के लिए बनाए जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार "हम लोग" जैसे और कार्यक्रम प्रसारित करने का है जो कि शहरी जनता के साथ-साथ ग्रामीण जनता की रुचि के भी हों ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं । ग्रामीण लोगों से इस प्रकार की कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) दूरदर्शन अपने निर्माताओं और प्रयोजकों तथा बाहरी निर्माण एजेंसियों के माध्यम से "हम लोग" जैसे सामाजिक संगतता के धारावाहिक बनाने के लिए सतत प्रयास कर रहा है ।

[हिन्दी]

पेयजल सुविधा के लिए राजस्थान को विशेष अनुदान

3147. **श्री विष्णु मोदी :**
श्री शांतिधारी वाल :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजस्थान में सभी गांवों में पेयजल की सुविधा प्रदान करने हेतु एक योजना पर विचार किया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने गांव हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा यह योजना आरम्भ करने हेतु राजस्थान राज्य को विशेष अनुदान किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस योजना से कितने गांव लाभान्वित हुए; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) केन्द्र के अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 1-4-1980 की स्थिति के अनुसार, 19803 समस्याग्रस्त ग्रामों का पता लगाया गया था। छठी पंचवर्षीय योजनावधि अर्थात 31-3-85 के अन्त तक इन ग्रामों में स्वच्छ पेय जल के कम से कम इस स्रोत की व्यवस्था करना अपेक्षित था।

(ग) जी, हां।

(घ) छठी योजनावधि के दौरान त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यदय तथा प्रोत्साहन योजना के तहत समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए राजस्थान सरकार को लगभग 122.70 करोड़ रुपये का केन्द्रीय अनुदान दिया गया था। यह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत राज्य को उपलब्ध संसाधनों के अतिरिक्त था।

स्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम तथा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत, छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राजस्थान सरकार ने 7809 ग्रामों में स्वच्छ पेयजल के कम से कम एक स्रोत की व्यवस्था की थी। उन्होंने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम एवं राज्य क्षेत्र में अन्य कार्यक्रमों के तहत 8234 ग्रामों को लाभान्वित किया था।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग को शामिल किया जाना

3148. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग के हाल ही के प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति में उसके असफल रहने का एक मुख्य कारण खादी और ग्रामोद्योग आयोग और उसके सहायक उद्योगों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में ठीक तरह से शामिल न किया जाना है;

(ख) क्या सरकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग और इसके सहायक उद्योगों को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में अधिक सक्रिय रूप से शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) सरकार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत "उद्योग सेवा और व्यापार" घटक योजना कार्यान्वित करती रही है। इस बारे में खादी और ग्रामोद्योग आयोग को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। इसकार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों को निर्देश दिए गए हैं।

सेवानिवृत्त कामगारों को चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

3149. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेवानिवृत्त लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करने के लिए कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सातवीं योजना में कपास के उत्पादन का लक्ष्य

3150. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के अन्त तक देश में कपास के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित करने का विचार है;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : (क) 95 लाख गाठें।

(ख) जी, हां।

(ग) (1) उन्नत टक्नालॉजी का शीघ्रता से विस्तार करना जिसमें प्रमाणित बीजों, अधिकतम कृषि विज्ञान व्यवहारों और समेकित कृषि प्रबंध पर बल दिया जाता है।

(2) सिंचाई परियोजनाओं के नियंत्रण के अधीन सिंचित क्षेत्र का विस्तार।

(3) अधिक उपज देने वाली किस्मों और संकर किस्मों के अंतर्गत अधिक क्षेत्र लाना।

लेह में आकाशवाणी के "शार्टवेव ट्रांसमीटर" की स्थापना करना

3151. **श्री पी० नामग्याल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख के विस्तृत क्षेत्र की दृष्टि से लेह में स्थित आकाशवाणी का वर्तमान 10

किलोवाट का मीडियम वेव ट्रांसमीटर सारे क्षेत्र में विशेषकर दिन के समय प्रसारण नहीं कर सकता है;

(ख) क्या इस क्षेत्र के लोग वर्तमान मीडियम वेव ट्रांसमीटर के अतिरिक्त एक शार्ट वेव ट्रांसमीटर की स्थापना की मांग कर रहे हैं;

(ग) क्या एक शार्ट वेव ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए कदम उठाये जायेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। इसकी सीमित परिधि होने के कारण लेह का 10 किलोवाट का मीडियम वेव ट्रांसमीटर केवल लेह तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में ही प्राथमिक ग्रेड की दिवाकालीन सेवा उपलब्ध करता है तथा यह लद्दाख के शेष भागों को कवर करने में समर्थ नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सातवीं योजना के अपने मसौदे में आकाशवाणी ने लेह में 10 कि० वाट का एक शार्ट वेव ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम शामिल की है। तथापि इस स्कीम का कार्यान्वयन सातवीं योजना के अंतिम स्वरूप पर निर्भर करेगा।

महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम के लिए गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा निर्मित गोदाम

3152. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी व्यक्तियों को भारतीय खाद्य निगम के लिए गोदाम बनाने की अनुमति देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ख) महाराष्ट्र में ऐसे कितने गोदाम बनाए गए हैं और उनकी क्षमता कितनी है;

(ग) क्या उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में उनकी कितने प्रतिशत क्षमता इस्तेमाल की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने प्राइवेट पार्टियों से गोदामों का निर्माण करवाने की एक स्कीम 1976-77 में आरम्भ की थी। यह स्कीम इस समय लागू नहीं है। उस स्कीम की मुख्य शर्तें निम्नानुसार थीं :—

(1) प्राइवेट पार्टियों द्वारा अपनी भूमि पर गोदामों का निर्माण किया जाना था;

(2) निगम द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों के अनुसार गोदामों का निर्माण किया जाना था;

(3) निर्माण की 75 प्रतिशत लागत पार्टियों को बैंकों द्वारा ऋण के रूप में, ब्याज की रियायती दर पर प्रदान की जानी थी और निर्माण की 25 प्रतिशत लागत संबंधित पार्टी द्वारा लगाई जानी थी।

(4) इस प्रकार निर्मित किए गए गोदामों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा 3 से 5 वर्ष के गारन्टीशुदा अधिभोग के आधार पर किराये पर लिया जाना था; और

(5) ग्रामीण क्षेत्र में निर्मित गोदाम के लिए 40 पैसे प्रति वर्ग फुट प्रतिमास और शहरी क्षेत्र में निर्मित गोदाम के लिए 50 पैसे प्रति वर्ग फुट प्रतिमास की दर पर किराया दिया जाना था।

(ख) उक्त स्कीम के अन्तर्गत महाराष्ट्र में 2.57 लाख मीटरी टन की क्षमता के 66 गोदामों का निर्माण किया गया था।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त स्कीम के अन्तर्गत, महाराष्ट्र में किराये पर ली गई क्षमता के उपयोग की औसत प्रतिशतता इस प्रकार थी :—

वर्ष	उपयोग की औसत प्रतिशतत
1982-83	52.2
1983-84	74.6
1984-85	89.8

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन

3153. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं;

(ग) क्या प्रति वर्ष समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ब्लाक में लाभार्थियों की संख्या 600 से घटाकर 200 करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) भारत सरकार ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अनेक मूल्यांकन अध्ययन शुरू किए हैं।

(ख) नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ आफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली तथा योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा पूरे किए गए दो अध्ययनों के मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :—

(1) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ अर्बन अफेयर्स द्वारा आयोजित अध्ययन में केरल के अलेप्पी तथा उड़ीसा के सम्बलपुर दो जिले शामिल थे। निष्कर्षों से यह पता चलता है कि इसे कार्यक्रम में शामिल दोनों जिलों की कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त परिवार शामिल किए गए हैं। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा किए गए अध्ययन में 16

राज्यों में फैले 33 जिलों के 66 खंड शामिल किए गए हैं। इसके मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :—

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने के पश्चात् 49.42 प्रतिशत नमूना लाभार्थी 3500 रुपये या इससे अधिक के वार्षिक आय स्तर को प्राप्त कर सके हैं।

(2) 88 प्रतिशत से कुछ ज्यादा लाभार्थियों ने सूचित किया था कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उनकी आय बढ़ी है।

(3) 99 प्रतिशत का मत था कि इस कार्यक्रम से उनका पारिवारिक रोजगार बढ़ा है।

(4) उत्तर देने वालों में से 77 प्रतिशत परिवारों का कहना था कि उनके उपभोग के स्तर में वृद्धि हुई है और 64 प्रतिशत ने महसूस किया है कि उनका समग्र सामाजिक स्तर ऊंचा उठा है।

(5) 40 प्रतिशत नमूना लाभार्थी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के थे।

(6) कुछ खामियां प्रशासनिक तथा संगठनात्मक ढांचे से संबंधित बताई गई हैं जैसे कर्मचारियों का जल्दी-जल्दी स्थानांतरण, अन्तर-क्षेत्रीय तालमेल में कमी, प्रति व्यक्ति निवेश की कम राशि, कुछ लाभार्थियों का गलत चयन आदि।

(ग) जी नहीं। लाभार्थियों की संख्या को समान रूप से घटाकर 200 तक करने का कोई विचार नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में डेरी विकास परियोजनायें

3154. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा तैयार की गई स्वीटजरलैंड से सहायता प्राप्त कुछ डेरी विकास परियोजनायें कुछ राज्यों में क्रियान्वयनाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या कोई डेरी विकास परियोजना उड़ीसा में भी क्रियान्वयनाधीन है;

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम में उड़ीसा के कौन से क्षेत्र शामिल होंगे; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) उड़ीसा में आपरेशन फ्लड-2 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कार्यक्रम में 966 लाख रुपये के परिव्यय तथा चार जिलों अर्थात् कटक, पुरी, धनकनाल और क्योंझर को इस विचार से कवर करने की परिकल्पना की गयी है कि लगभग 520 ग्राम स्तर सहकारी समितियों का गठन किया जाय जिसमें 18,000 के लगभग कृषक सदस्य होंगे।

"कृषि मूल्य और लागत" के बारे में आयोग

3155. **श्री बीरेन्द्र सिंह :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मूल्य आयोग को समाप्त कर "कृषि मूल्य और लागत" के बारे में आयोग बनाने की क्या आधारभूत आवश्यकता या कारण है; और

(ख) क्या यह आयोग यह भी सुनिश्चित करेगा कि "समर्थन मूल्य" के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और फसल के लागत मूल्य को ध्यान में रखकर एक अधिक उपयुक्त मूल्य नीति बनाई जाएगी ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल कर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया है।

(ख) समर्थन मूल्य किसानों को इस बारे में आश्वस्त कराते हैं कि बाजार में अस्थायी आधिक्य होने के कारण मूल्यों में गिरावट आने की स्थिति में उनके हितों की सुरक्षा की जाएगी। कृषि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए उत्पादकों को प्रोत्साहन देने और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के विस्तृत परिप्रेक्ष्य में उत्पादन प्रतिमान विकसित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखता है। तदनुसार, मूल्य नीति और विभिन्न कृषि जिंसों के लिए आपेक्षित मूल्य संरचना की सिफारिश करते समय, आयोग जिंस-विशेष के अर्थतंत्र की समूची संरचना का व्यापक रूप से जायजा लेता है, इसमें उसके उत्पादन और मूल्य की प्रवृत्तियां, उस फसल के उत्पादन की लागत के उपलब्ध आंकड़े, आदानों के मूल्यों में परिवर्तन और शेष अर्थतंत्र पर और खासतौर पर जीवन निर्वाह की लागत; मजदूरी के स्तर तथा औद्योगिक लागत संरचना पर उसका संभावित प्रभाव शामिल है। इसके अतिरिक्त, आयोग आलोच्च फसल के लागू मूल्यों के स्तर और कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों के परिवर्तनों को भी ध्यान में रखता है। इस तरह, किसानों को लाभप्रद मूल्यों के बारे में आश्वस्त किया जाता है और वर्तमान मूल्य नीति उपयुक्त है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि का आबंटन

3156. **श्री बीरेन्द्र सिंह :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के दौरान राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन कार्यक्रमों को स्थायी बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम भी शामिल हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अलावा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को सातवीं योजना अवधि के दौरान जारी रखने की संभावना है ।

विवरण

वर्ष 1985-86 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का केन्द्रीय आबंटन

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1333.16	414.00
2.	असम	688.60	
3.	बिहार	2624.20	324.00
4.	गुजरात	798.55	258.00
5.	हरियाणा	220.62	54.00
6.	हिमाचल प्रदेश	155.32	
7.	जम्मू व कश्मीर	274.86	78.00
8.	कर्नाटक	863.28	426.00
9.	केरल	670.66	
10.	मध्य प्रदेश	1881.40	294.00
11.	महाराष्ट्र	1528.93	444.00
12.	मणिपुर	63.21	
13.	मेघालय	85.46	
14.	नागालैंड	50.14	
15.	उड़ीसा	1248.20	234.00

1	2	3	4
16.	पंजाब	265.53	
17.	राजस्थान	793.82	180.80
18.	सिक्किम	10.04	
19.	तमिलनाडु	1388.43	258.00
20.	त्रिपुरा	82.88	
21.	उत्तर प्रदेश	3413.62	522.00
22.	पश्चिम बंगाल	1701.64	204.00
	केंद्रशासित क्षेत्र		
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	22.32	
24.	अरुणाचल प्रदेश	214.26	
25.	चण्डीगढ़	4.46	
26.	दादरा व नगर हवेली	4.46	
27.	दिल्ली	22.32	
28.	गोवा व दमन दीव	53.56	
29.	लक्षद्वीप	22.32	
30.	मिजोरम	89.28	
31.	पांडिचेरी	17.86	
	अखिल भारत	20593.42	3690.00

पंजाब में रबी की फसल के दौरान किसानों को प्रोत्साहन बोनस

3157. **श्री बीरेन्द्र सिंह** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में 1985-86 की रबी फसल के दौरान खरीदे गये गेहूं पर किसानों को प्रोत्साहन बोनस के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ख) क्या यह राशि केन्द्र और राज्य सरकार ने मिलकर दी थी अथवा केन्द्रीय सरकार ने इसकी पूर्ण अदायगी की थी; और

(ग) क्या इस प्रकार का प्रोत्साहन भविष्य में धान की वसूली के लिए भी दिया जाएगा ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि 1985-86 की रबी फसल के दौरान खरीदे गए गेहूं पर पंजाब के किसानों को प्रोत्साहन बोनस के रूप में 32.36 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था।

(ख) इस राशि का भुगतान पंजाब सरकार ने किया था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सहकारी क्षेत्र में चीनी कारखाने स्थापित करने के लिए दिए गए लाइसेंस

3158. **श्री बीरेन्द्र सिंह :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान सहकारी क्षेत्र में चीनी कारखाने स्थापित करने के लिए प्रत्येक राज्य को कितने नये लाइसेंस दिये गये;

(ख) उनमें से कितने कारखाने निर्धारित अवधि के दौरान चालू किए गए हैं; और

(ग) क्या उनमें से कुछ कारखानों में चालू किये जाने की अवधि बढ़ाने की मांग की है; यदि हां, तो उनमें से कितने कारखानों के लिए अवधि बढ़ाई गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें पिछले पांच वर्षों के दौरान सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए आशय-पत्रों/लाइसेंसों का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है।

(ख) और (ग) जारी किए गए 50 आशय-पत्रों/लाइसेंसों में से, 18 चीनी फैक्ट्रियां चालू हो गई हैं। इन 18 फैक्ट्रियों के लाइसेंसों/आशय-पत्रों में निर्धारित की गई हैं। वैधता अवधियों को, जब तक इन फैक्ट्रियों ने उत्पादन शुरू नहीं कर दिया था, तब तक गुण-दोष के आधार पर प्रत्येक फैक्ट्री की जांच करने के पश्चात् बढ़ाया गया था।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान सहकारी क्षेत्र में नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए जारी किए गए आशय पत्र/लाइसेंसों को राज्यवार ब्यौरा

(31.7.1985 को)

क्रम सं०	राज्य	नये आशय पत्र/लाइसेंसों की संख्या
1	2	3
1.	उत्तर प्रदेश	9
2.	महाराष्ट्र	22
3.	पंजाब	5

1	2	3
4.	तमिलनाडु	2
5.	गुजरात	2
6.	कर्नाटक	3
7.	उड़ीसा	2
8.	मध्य प्रदेश	1
9.	हरियाणा	3
10.	दादर तथा नगर हवेली	1
	जोड़	50

कर्नाटक के उत्तरी जिलों में मानसून के आगमन में विलम्ब के कारण खरीफ की फसल को हानि

3159. **श्री मरसिंह सूर्यवंशी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मानसून के आगमन में विलम्ब के कारण कर्नाटक के उत्तरी जिलों में खरीफ की लगभग सारी फसल सूख गयी है और अब उसे बचाया नहीं जा सकता; और

(ख) यदि हां, तो सूखे के इस खतरे का सामना करने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने अभाव की स्थितियों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय करने के वास्ते केन्द्रीय सहायता के लिए 5 अगस्त, 1985 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। क्षति की मात्रा और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक उपायों का मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीय दल शीघ्र ही राज्य का दौरा करने वाला है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाएं

3160. **श्री के० एस० राव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1985 को राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक देश में उसके कुल कितने ठेके हैं;

(ख) क्या कुछ परियोजनायें निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं और यदि हां, तो उनके पूरा होने की सम्भावित तारीखें क्या हैं; और

(ग) घाटे से बचने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) दो विवरण संलग्न हैं।

(ग) नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(i) उन्नत परियोजना प्रबन्ध प्रणालियों के माध्यम से परियोजनाओं के समापन का समय;

(ii) सामान सूची नियंत्रण के माध्यम से समिग्री तथा प्रतियोगी दरों पर उनकी खरीद,

(iii) बकाया देय राशियों की शीघ्र वसूली तथा उचित नगद रशि के प्रबन्ध से वित्त-व्यवस्था;

(iv) मानव, संयन्त्र और मशीनरी की उत्पादकता।

विवरण-एक

विदेश में परियोजनाएं

पी० डी० ईराक 30-6-1985 के अनुसार विवरण

क्र सं०	परियोजना का नाम	ठेके की लागत	ठेके की संशोधित लागत	कार्य की आरम्भ होने की तारीख	परियोजना के पूर्ण होने की मूल या बढ़ाई गई तारीख	पूर्ण होने की संभावित ता०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मसूल में होटल	8.750	8.950	14-8-80	25-5-85	30-9-95
2.	डोकन में होटल	2.650	2.904	15-11-80	14-5-85	30-9-85
3.	विश्वविद्यालय कार्य (नए)	0.290	0.915	17-6-82	28-2-83	31-8-85
4.	बी० एस० टी०+स्ले	2.248	0.363	4-5-82	14-6-83	31-7-85
5.	सी०एस०डी० कार्य	0.576	0.675	31-12-81	31-5-82	31-8-85
6.	रेलवे परियोजना	20.862	20.862	29-9-82	28-4-84	31-12-85
7.	रेलवे परियोजना उबासिया	1.228	1.228	31-1-85	30-1-86	31-1-86

सभी लागतें मिलियन दीनार में।

1	2	3	4	5	6	7
	पी० डी० लिबिया			30-6-85 की स्थिति के अनुसार विवरण		
1.	घाट में 120 बिस्तर वाला अस्पताल	7.294	9.147	21-8-77	30-6-85	31-3-86
2.	सहायक कार्य— स्कूल विद्यालय होस्टल	0.338	0.241	2-3-85	1-3-86	31-3-86
3.	घाट में 54 मकान	2.592	2.592	16-3-82	25-5-84	31-12-86
4.	तुनिन में 12 मकान	0.465	0.465	1-3-82	31-12-84	31-12-85
5.	क्लाला में 12 मकान	0.465	0.465	25-2-83	30-6-84	31-12-85
6.	बरकत में स्वास्थ्य केन्द्र	0.587	0.587	1-12-82	6-11-83	31-11-86
7.	घाट में 8 स्कूल तथा स्टोर	8.155	8.154	—	—	*
8.	नर्सों का प्रशिक्षण केन्द्र तथा डाक्टरों के लिए 60 क्वार्टर	6.369	6.369	मार्च, 83	31-3-85	*
9.	डाकघर तथा दूरभाष केन्द्र	0.660	0.660	22-2-84	14-2-85	31-12-86
10.	फीवट में डिस्पेन्सरी	0.490	0.490	15-9-84	15-9-85	31-12-85
11.	बरकत में स्टेडियम	0.500	0.500	15-1-85	31-3-86	31-3-86
12.	बौहर सार्वजनिक भवन घाट	3.843	3.843	अभी शुरू नहीं हुआ है।	*	*
13.	बरगेन तथा इदरो में सड़क कार्य	2.175	2.175	15-9-82	31-12-84	31-12-85

सभी लागतें मिलियन लिबियन दीनारों में।

पूर्ण होने की तिथि ग्राहकों द्वारा निधियां दिये जाने पर निर्भर करती है।

	नेपाल कार्य			30-6-85 की स्थिति के अनुसार विवरण		
1.	काठमण्डू में वीर अस्पताल	341.000	400.000	5-2-84	4-2-87	4-2-87

लागत लाख रुपए में

1	2	3	4	5	6	7
सन्नी कार्य		यमन अरब गणराज्य		30-6-85 की स्थिति के अनुसार विवरण		
1.	धामर में 774 मकान लागत मिलियन यमनी रियाल्स में	59.366	59.366	9-12-83	अप्रैल, 86	अप्रैल, 86

विवरण-दो

स्वदेश में परियोजनाएं

पी० डी० बम्बई **30-6-85 की स्थिति के अनुसार विवरण**

क्र० सं०	परियोजना का नाम	ठेके की लागत	ठेके की संशोधित लागत	कार्य के आरम्भ होने की तिथि	परियोजना के पूर्ण होने की मूल या या बढ़ाई गई तारीख	पूर्ण होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.	एच० ए० टी वाई० एक्सटेन्शन, चरण-II बड़ौदा	11.00	11.00	13-5-85	12-11-83	जुलाई, 85
2.	आई० सी० एम० आर० बम्बई	65.50	85.98	1-11-81	31-3-84	सितंबर, 85
3.	एन० आई० एच० एच० बम्बई	250.00	315.00	19-8-83	19-8-86	मार्च, 86
4.	हजीरा गैस टर्मिनल, सूरत	116.42	135.00	मार्च, 84	मार्च, 85	अगस्त, 85
5.	टाईप-बी० क्वार्टर, थल परियोजना	146.05	129.58	26-3-84	25-11-84	जुलाई, 86
6.	बी० टाई क्वार्टर, थल परियोजना-II	0.00	104.06	4-1-85	30-9-85	30-9-85
7.	सी० टाईप क्वार्टर, थल परियोजना-II	31,33	28.65	1-1-85	30-4-85	अगस्त, 85
8.	टलकम फैक्ट्री, जबलपुर	119.25	119.25	1-9-84	31-8-85	सितंबर, 85

1	2	3	4	5	6	7
9.	नासिक में प्रैस	200.00	239.00	5-11-84	सितंबर, 85	दिसंबर, 85
10.	एफ० सी० आई० गोदाम	1611.00	1344.00	फरवरी, 85	मई, 86	मई, 86

कीमतें लाख रुपयों में ।

मुख्य इंजीनियर (उत्तरी अंचल) 30-6-85 की स्थिति के अनुसार विवरण

1.	अखनूर पुल	59.00	59.00	दिसम्बर, 78	दिसम्बर, 81	अक्तूबर, 86
2.	कोटा पुल	176.00	204.00	जुलाई, 78	सितम्बर, 85	अक्तूबर, 86
3.	कोटा चिमनी	75.00	98.00	जुलाई, 79	अक्तूबर, 80	जून 85
4.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल हरिद्वार (पुराने कार्य)	270.00	347.00	अक्तूबर, 82	मार्च, 85	अगस्त, 85
5.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल (नए कार्य)	224.00	224.00	मार्च, 85	फरवरी, 87	फरवरी, 87
6.	पानीपत में साज सज्जा कार्य	108.00	116.50	मई, 82	अक्तूबर, 84	अक्तूबर, 85
7.	पानीपत में आर० सी० सी० चिमनी	51.00	62.43	मई, 82	मई, 84	अगस्त, 85
8.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून के लिए प्रयोगशाला भवन	269.36	270.92	सितम्बर, 83	23-3-85	31-12-85
9.	एयर फील्ड कार्य, अमृतसर	150.00	150.59	अगस्त, 84	13-8-85	अगस्त, 85
10.	आर० सी० सी० स्पूल कार्य, बरेली	421.00	421.00	अप्रैल, 85	अक्तूबर, 85	अक्तूबर, 85

कीमतें लाख रुपयों में

मुख्य इंजीनियर (दक्षिणी अंचल) 30-6-85 की स्थिति के अनुसार विवरण

1.	हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक लि० बंगलौर (नए कार्य)	92.30	94.30	सितम्बर, 83	फरवरी, 85	अगस्त, 85
2.	3000 टी० पी० डी० सीमेन्ट संयन्त्र तम्बूर	902.00	981.00	अक्तूबर, 82	31-12-84	दिसम्बर, 85

1	2	3	4	5	6	7
3.	खयाम कैमिस्टरी रिफायनरी, मगूर	272.00	272.00	16-5-84	31-10-85	मार्च, 86
4.	डिजाइन फैक्टरी, सिपकोट, मद्रास	396.40	396.40	जनवरी, 85	जुलाई, 86	जुलाई, 86
5.	सिपकोट, फैक्टरी क्वार्टर, मद्रास	48.73	48.73	अप्रैल, 85	दिसम्बर, 85	मार्च, 86
6.	आर० सी० आई० कार्य हैदराबाद	271.00	271.00	अप्रैल, 85	दिसम्बर, 85	दिसम्बर, 85
7.	आई० एम० एच० कार्य, हैदराबाद	128.00	128.00			
8.	एफ० सी० आई० (दक्षिणी अंचल)	1360.00	1360.00	फरवरी, 85	फरवरी, 86	जून, 86

कीमत लाख रुपयों में

मुख्य इंजीनियर (दिल्ली) 30-6-85 की स्थिति के अनुसार विवरण

1.	के० लो० नि० वि० क्वार्टर, नई दिल्ली	327.00	327.00	जुलाई, 79	2-7-80	सितम्बर, 85
2.	100 एम० जी० डी०, शाहदरा	510.10	630.00	अक्तूबर, 80	15-3-83	सितम्बर, 85
3.	स्कोप फेस, चरण-II, नई दिल्ली	1441.00	1427.00	फरवरी, 82	जुलाई, 84	दिसम्बर, 85
4.	आई० ए० ए० आई० पालम, नई दिल्ली	829.40	1006.00	अगस्त, 81	19-2-85	जुलाई, 85
5.	टी० वी० टावर, पीतमपुरा	285.00	303.50	मई, 82	दिसम्बर, 83	सितम्बर, 86
6.	रेल क्वार्टर, नोएडा, चरण-II	140.00	150.00	18-2-84	नवम्बर, 84	सितम्बर, 85
7.	आई० पी० एच० कार्य,	182.00	281.00	28-2-85	फरवरी, 88	फरवरी, 88

1	2	3	4	5	6	7
8.	40 एम० जी० डी० केशवपुर	1080.88	1080.88	दिसम्बर, 82	सितम्बर, 85	मई, 86
9.	अन्तर्राज्यीय बस अड्डा	855.90	855.90	जून, 84	जून, 87	जून, 87
10.	लोक नायक समिति	200.00	200.00	जून, 84	दिसम्बर, 85	दिसम्बर, 85
11.	सत्यावती कालेज	90.00	90.00	मार्च, 84	25-6-85	सितम्बर, 85
12.	कर्नाटक भवन	51.00	51.00	नवम्बर, 84	28-5-86	28-5-86
13.	तमिलनाडु पैविलियन	115.00	115.00	13-4-85	13-11-85	13-11-85
14.	बाल भवन	45.00	45.00	जून, 85	मार्च, 86	मार्च, 86
15.	सी० बी० एस० सी० भवन	160.00	160.00			
16.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय आवास समिति	375.00	375.00			
17.	राज्य सभा समिति	308.00	308.00			मई, 87

कीमतें लाख रुपयों में

मुख्य इंजीनियर कलकत्ता — **30-6-85 को स्थिति के अनुसार विवरण**

1.	जी० एम० सी० गुवाहाटी	298.89	720.00	फरवरी, 75	मार्च, 84	सितम्बर, 85
2.	आई० ओ० सी० गुवाहाटी तथा जी० एस० पी० एल०	191.22	194.58	फरवरी, 83	सितम्बर, 83	सितम्बर, 85
3.	एन० ई० एच० यू० सिलांग	500.00	500.00	फरवरी, 84	अगस्त, 86	अक्तूबर, 86
4.	होटल ब्रह्मपुरा	103.00	100.00	27-3-84	26-3-85	जून, 86
5.	एफ० सी० आई० गोदाम	1285.00	800.00	मार्च, 85		अप्रैल, 86
6.	एम० टी० पी०-IX कलकत्ता	255.36	200.00	जून, 81	अक्तूबर, 83	जून, 86

1	2	3	4	5	6	7
7.	एम० टी० पी-X कलकत्ता	1053.00	1125.64	फरवरी, 77	मार्च, 81	दिसम्बर, 85
8.	एम० टी० पी० 14/सी कलकत्ता	270.00	270.00	सितम्बर, 82	दिसम्बर, 84	दिसम्बर, 85
9.	एम० टी० पी० 15/ए०-II कलकत्ता	127.00	100.00	अक्तूबर, 82	मई, 84	जून, 85
19.	बलास्टलेस ट्रैक (ई० एस० पी० एल०)	21.99	8.27	अगस्त, 82	अक्तूबर, 83	सितम्बर, 85
11.	सी० एस० टी० सी० कस्बा	107.00	109.00	जून, 81	जुलाई, 82	दिसम्बर, 85
12.	कोलाघाट (4, 5, 6)-II एस० एण्ड डी० कार्य	714.00	800.00	फरवरी, 82	अक्तूबर, 84	अप्रैल, 87
13.	कोयला नियंत्रण संयंत्र अन्नापाड़ा	371.00	451.92	मई, 82	नवम्बर, 83	जुलाई, 85
14.	बेटला (बिहार) में लाज	27.00	27.23	नवम्बर, 83	मई, 84	दिसम्बर, 85
15.	चिमनी, सिंगरौली	320.64	330.72	28-5-84	जून, 86	सितम्बर, 86
16.	ब्रह्मपुत्र बोर्ड कार्य, गुवाहाटी	23.97	23.97	जुलाई, 84	अगस्त, 85	अगस्त, 85
17.	स्थूण कार्य, कोल इंडिया लि०	56.46	55.47	अक्तूबर, 84	मई, 85	जुलाई, 85
18.	के० टी० पी० पी० नगर	117.10	129.30	सितम्बर, 84	फरवरी, 86	मई, 86
19.	आई० सी० एम० आर० पोर्ट ब्लेयर	112.50	112.50	—	—	—
20.	बी० एल० टी०-15 ए०-II	4.56	4.56	मई, 85	जुलाई, 85	जुलाई, 85
21.	के० टी० पी० पी० 460 के० वी० ए०	181.31	181.31	अप्रैल, 85	अप्रैल, 86	अप्रैल, 86

1	2	3	4	5	6	7
22.	बी० एस० पी० नगर	32.48	320.48	अप्रैल, 85	मई, 86	मई,86
23.	बी० ओ० पी० टी० कलकत्ता	34.56	34.56	मार्च, 85	मार्च, 86	मार्च, 86
24.	चहार दीवारी	8.00	8.00	अप्रैल, 85	नवम्बर, 85	नवम्बर, 85
25.	के० टी० पी० पी० नालियां, I तथा II	45.34	48.00	मई, 84	दिसम्बर, 85	दिसम्बर, 85

कीमतें लाख रुपयों में

मुख्य इंजीनियर (अंगुल) 30-6-85 की स्थिति के अनुसार विवरण

1.	पाट लाईन, सी० तथा डी०	714.23	725.00	20-12-82	मई, 85	दिसम्बर, 85
2.	जल स्तर को नीचा करना	92.00	110.00	31-12-82	मई, 85	दिसम्बर, 85
3.	कास्ट हाऊस	265.68	265.00	10-2-83	मार्च, 84	मार्च, 86
4.	टाऊन शिप टाईप-डी	100.54	115.00	30-7-83	मार्च, 85	मार्च, 85
5.	गैर संयत्र संरचनाएं-I तथा II	244.91	250.00	28-11-82	जनवरी, 85	जनवरी, 86
6.	ए० टाईप क्वार्टर	342.96	350.00	7-3-84	मार्च, 85	दिसम्बर, 85
7.	जलपूर्ति तथा मल निर्यास, नैल्को, टी०/ एस०	44.00	44.00	मई, 85	मार्च, 86	दिसम्बर, 86
8.	प्रदीप कार्य	554.09	554.09	30-1-85	30-4-86	दिसम्बर, 86

कीमतें लाख रुपयों में

बच्चों के लिए फिल्मों का आयात

3161. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बच्चों के लिए कुछ फिल्मों का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो बच्चों के लिए फिल्मों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में सलाहकार समिति द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं, जिनसे फिल्में आयात की जा रही हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) बाल चित्र समिति भारत, जो एक स्वायत्त समिति है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय से अनुदान प्राप्त कर रही है, पहले ही बाल फिल्मों का आयात कर रही हैं जिन्हें यह बच्चों के लिए उपयुक्त समझता है। बच्चों के लिए फिल्मों की उपयुक्तता के बारे में सुझाव देने के लिए कोई अलग सलाहकार निकाय नहीं है।

(ग) गत तीन वर्षों (1982-83 से 1984-85 तक) के दौरान, बाल चित्र समिति द्वारा चीन, ब्रिटेन तथा यूगोस्लाविया से फिल्में आयात की गई थीं। 1985-86 के दौरान, समिति का बल्गारिया से फिल्में आयात करने का विचार है। इसके अतिरिक्त, बंगलौर में नवम्बर, 1985 में होने वाले भारत के अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह में प्रविष्टियों के आधार पर आयात के लिए कुछ फिल्में चुनी जा सकती हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोयला डिपुओं के लिए लिए जाने वाला किराया

3162. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कालोनियों के निवासियों के लाभ के लिए बनाये गये कोयला डिपुओं के लिए प्लाटों का आबंटन किन नियमों के अन्तर्गत किया जाता है;

(ख) जे० जे० कालोनियों, जनता कालोनियों और एफ० एस० एस० योजना के अन्तर्गत कालोनियों में कम आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग की कालोनियों में कोयला डिपुओं के लिए किस प्रकार के प्लांट आबंटित किये गये थे और आबंटियों से अलग-अलग कितना किराया लिया गया था;

(ग) क्या प्रत्येक क्षेत्र में किराया अलग-अलग है जबकि प्लाटों का उपयोग एक जैसे कार्य के लिए किया जा रहा है; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में आबंटित 125 वर्ग गज के प्लाटों पर कोयला डिपुओं के लिए कितना अधिकतम और न्यूनतम किराया लिया जाता है ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

चावल की भूसी से तेल निकालने वाले एकक

3163. **श्री ई० अय्यापु रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल की भूसी से तेल निकालने वाले औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है;

(ख) ये औद्योगिक एकक कहां-कहां पर स्थित हैं और उनकी कुल प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) क्या जापानी विशेषज्ञों ने चावल की भूसी से निकाले गए तेल को अत्यधिक पोषक तत्वों से युक्त पाया है; और

(घ) क्या चावल की भूसी से तेल निकालने वाले एककों के विस्तार को प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) इस समय 139 औद्योगिक एकक चावल के भूसे से तेल का उत्पादन कर रहे हैं, जिनकी संस्थापित क्षमता चावल के भूसे के रूप में 6400 मी० टन प्रतिदिन की है। इन एककों का राज्यवार ब्यौरा तथा इनकी स्थापित क्षमता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) चावल की भूसी का तेल आवश्यक बहु-असंतृप्त वसा अम्ल (पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड) से भरपूर है और इस प्रकार एक पोषक तेल है।

(घ) चावल की भूसी से तेल का उत्पादन करने वाले एककों के विस्तार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और इनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है।

विवरण

राज्य	एककों की संख्या	चावल के भूसे के रूप में दैनिक क्षमता (मी० टन में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	33	2,031
असम	2	33
बिहार	4	111
गुजरात	4	252
हरियाणा	14	450
कर्नाटक	13	783
मध्य प्रदेश	8	402
महाराष्ट्र	4	336
उड़ीसा	4	90
पंजाब	20	798
राजस्थान	2	75

1	2	3
तमिलनाडु	10	282
उत्तर प्रदेश	13	519
पश्चिम बंगाल	6	199
चण्डीगढ़	1	19
पांडिचेरी	1	18
कुल	139	6,400

स्रोत : ये आंकड़े वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय में प्राप्त हुए विलायक निष्कर्षित तेल सम्बन्धी विवरण पर आधारित हैं।

उड़ीसा में छोटे और मध्यम शहरों के विकास के लिए सहायता

3164. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) उड़ीसा में छोटे और माध्यम शहरों के नाम क्या हैं जो शहरों के सम्पूर्ण विकास के लिए उनके मंत्रालय से सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) उड़ीसा सरकार को इन शहरों के लिए छठी योजना के दौरान कितनी धनराशि दी गई थी और सरकार द्वारा शहर-वार कितनी धनराशि वितरित की गई थी।

(ग) क्या सातवीं योजना के दौरान इस योजना में उड़ीसा के कुछ और शहरों को शामिल किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उन शहरों के नाम क्या हैं जिनका उड़ीसा सरकार द्वारा सुझाव दिया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) छोटे तथा मझोले कस्बों एकीकृत विकास के लिये केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत छठी योजना के दौरान निम्नलिखित छः कस्बों को सहायता दी गई : —

कस्बे का नाम	रिलीज की गई राशि (लाख रुपयों में)
1. पुरी	37.00
2. सम्बलपुर	37.00
3. बलसौर	40.00
4. राउरकेला	40.00
5. जयपुर	28.00
6. धेनकानल	30.00

(ग) और (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कस्बों की संख्या में वृद्धि करने का सरकार का प्रस्ताव है। तथापि, जिन कस्बों को शामिल किया जाना है उनके बारे में अभी निर्णय लिया जाना है।

भूमि सुधार अधिनियमों को नवीं अनुसूची में शामिल करना

3165. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कुछ राज्यों ने और अधिक भूमि सुधार अधिनियमों को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

सार्वजनिक वितरण के लिए जारी की गई लेवी चीनी

3166. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1984-85 के दौरान देश में सार्वजनिक वितरण के लिए लेवी चीनी जारी की है; यदि हां, तो प्रत्येक महीने में कितनी मात्रा जारी की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार चीनी मिलों को दिनांक 31 मार्च, 85 के आदेश सं० जी० एस० आर० 55 (ई०) ई० एस० एस०/काम० और दिनांक 24 अप्रैल, 85 के आदेश सं० जी० एस० आर० 382 ई० एस० एस०/काम/शुगर के अन्तर्गत लेवी चीनी के मूल्यों में अन्तर का भुगतान करने का है; और

(ग) यदि हां, तो चीनी मिलों को कितना मूल्य-अन्तर्देय है तथा उन्हें इस रकम का कब तक भुगतान कर दिया जाएगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जून और अगस्त, 1985 के महीनों को छोड़कर, जबकि प्रत्येक महीने के लिए त्यौहारों के वास्ते 50,000 मीटरी टन की अतिरिक्त मात्रा निर्मुक्त की गई थी, अक्तूबर, 1984 से 3.13 लाख मीटरी टन प्रतिमास की दर से लेवी चीनी का कोटा निर्मुक्त किया गया था।

(ख) और (ग) दिनांक 25 अप्रैल, 1985 के आदेश संख्या सा० का० नि० 382 (अ)/ आ०व०/ चीनी के अन्तर्गत, महाराष्ट्र जोन में स्थित चीनी फैक्ट्रियों के सम्बन्ध में अधिसूचित किए गए लेवी चीनी के मूल्यों में, एस-30 श्रेणी की चीनी के 334.35 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य में से 3.81 रुपये प्रति क्विंटल की सीमा तक समायोजन करने का तत्व पहले से अन्तर्ग्रस्त है। चूंकि इस अन्तर को 25-4-85 को अधिसूचित किए गए मूल्य में पहले ही अन्तर्ग्रस्त कर

लिया गया है, इसलिए इसे चीनी फैक्ट्रियों को पृथक् रूप से देने का प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी का बफर स्टाक रखने के लिए दावे

3167. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चीनी का बफर स्टाक रखने के लिये अब तक कितने दावों और कितनी राजसहायता की मंजूरी दी है तथा ऐसे कितने मामले सरकार के पास अंतिम निर्णय के लिये लंबित पड़े हैं;

(ख) क्या सरकार ने दावों के सत्यापन का कार्य पूरा करने के लिये कोई कदम उठाये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दावे की राशि चीनी कारखानों को कब तक जारी कर दी जायेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) मई, 1985 तक प्राप्त दावों में से, दिसम्बर, 1982 से जून, 1984 तक की अवधि से संबंधित राजसहायता के लिए प्राप्त हुए 1611 दावों को भुगतान के लिए स्वीकार किया गया है । इन दावों में राजसहायता की अन्तर्ग्रस्त राशि 50.85 करोड़ रुपये थी । लगभग 1084 दावे निपटान के लिए लम्बित पड़े हुए हैं ।

(ख) और (ग) इन दावों के लिए जो राजसहायता दी जानी है वह चीनी फैक्ट्रियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों की औचित्यता पर निर्भर करती है । अतः सभी चीनी फैक्ट्रियों के सम्बन्ध में राजसहायता देने की किसी प्रकार की समय-अनुसूची निश्चित करना कठिन है । तथापि, इन दावों की शीघ्र जांच पूरी करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

हरियाणा में मूंगफली और बाजरे की फसलों को कीड़ा लगने का खतरा

3168. **श्री चिंता मोहन** : क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के बहुत से जिलों में मूंगफली और बाजरे की फसलों को बीमारी लगने का गम्भीर खतरा है;

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों में इन फसलों को कीड़ों से खतरे के विवरण सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हरियाणा सरकार ने केन्द्र से प्राप्त वित्तीय सहायता से दो कीट नियंत्रण योजनाएं आरम्भ की हैं; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अन्य राज्यों को भी यह इस प्रकार की सहायता दी जा रही है; और यदि हां, तो उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक फसल को कीड़ों से, प्रति वर्ष कुल कितना नुकसान होने का अनुमान है और पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रत्येक राज्य को कुल कितनी सहायता दी गई है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) मूंगफली और बाजरा सहित फसलों पर कृमियों और रोग के प्रकोप की संभावना से कभी भी इंकार नहीं किया जा सकता। तथापि, हरियाणा के जिलों में मूंगफली और बाजरा की फसलों पर रोगों के गम्भीर खतरे से निपटने के लिए केन्द्रीय और राज्य सर्वेक्षण दलों द्वारा फसल स्वस्थता का नियमित प्रबोधन किया जा रहा है।

(ग) "स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में खरपतवार नियंत्रण सहित कृषि महत्व के कृमियों और रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन की केन्द्रीय प्रायोजित योजना" के तहत भारत सरकार ने हरियाणा सरकार को 1985-86 के दौरान "व्हाइट ग्रब" के नियंत्रण के लिए 11.75 लाख रुपए तक की और गेहूं की फसल के फ़ैलैरिस माइनर नामक खरपतवार के नियंत्रण के लिए 40 लाख रुपए तक की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। इस सहायता को कृमिनाशियों की लागत और प्रचालनात्मक शुल्क हेतु राज-सहायता के रूप में मुहैया किया जाता है।

(घ) योजना के तहत, जैसा कि इस प्रश्न के भाग (क) और (ख) में उल्लेख किया गया है, भारत सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों को 1020.41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान दी गई कुल सहायता (रुपए)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	45,74,965
2.	असम	63,498
3.	बिहार	14,85,000
4.	गुजरात	34,34,964
5.	हरियाणा	1,74,30,205
6.	हिमाचल प्रदेश	53,51,295
7.	जम्मू और कश्मीर	1,91,29,887
8.	कर्नाटक	22,93,787
9.	केरल	16,12,500
10.	मध्य प्रदेश	32,67,125
11.	महाराष्ट्र	45,01,312
12.	मणिपुर	1,28,000
13.	मेघालय	96,850
14.	उड़ीसा	41,21,635

1	2	3
15.	पंजाब	1,97,21,938
16.	राजस्थान	27,61,092
17.	तमिलनाडु	53,99,969
18.	त्रिपुरा	3,06,750
19.	उत्तर प्रदेश	41,84,812
20.	प० बंगाल	2,95,500
21.	दिल्ली	80,805
22.	गोवा, दमन और दीव	2,16,000
23.	मिजोरम	84,610
24.	पांडिचेरी	9,86,500
25.	एच० आई० एल०	5,13,000
	योग :	10,20,41,999

(ङ) ऐसे मूल्यांकन की अंतर्निहित जटिल प्रकृति के कारण देश में कीड़ों से होने वाली फ़सलवार अनुमानित वार्षिक हानि की मात्रा के संबंध में कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा 1977 में किए गए 22,000 कृषक परिवारों के नमूना सर्वेक्षण अध्ययनों से पता चलता है कि पादप रोगों से लगभग 5 प्रतिशत सस्यगत क्षेत्र प्रभावित हुआ। इसमें सबसे अधिक बाजरा (12.5 प्रतिशत क्षेत्र) और सबसे कम ज्वार (1.8 प्रतिशत क्षेत्र) प्रभावित हुआ, जबकि कीट-कृतमियों से 15 प्रतिशत क्षेत्र प्रभावित हुआ। इस प्रश्न के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित योजना के तहत कीट-कृमियों और खरपतवार के नियंत्रण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई सहायता निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	भारत सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता			
		1982-83	1983-84	1984-85	योग
1	2	3	4	5	6.
1.	आन्ध्र प्रदेश	7,50,000	3,75,000	7,00,000	18,25,000
2.	असम	9,000	4,500	—	13,500
3.	बिहार	14,85,000	—	—	14,85,000

1	2	3	4	5	6
4.	गुजरात	6,43,500	4,95,000	8,42,546	19,81,046
5.	हरियाणा	48,12,813	41,25,000	43,92,250	133,30,063
6.	हिमाचल प्रदेश	6,92,250	9,80,000	22,50,000	39,22,250
7.	जम्मू व कश्मीर	39,99,666	55,38,300	31,80,000	127,17,966
8.	कर्नाटक	—	8,49,800	10,66,000	19,15,800
9.	केरल	3,00,000	1,50,000	6,00,000	10,50,000
10.	मध्य प्रदेश	9,96,875	2,75,000	—	12,71,875
11.	महाराष्ट्र	4,74,500	36,07,000	—	40,81,500
12.	मणिपुर	37,500	18,000	—	55,500
13.	मेघालय	—	85,600	—	85,600
14.	उड़ीसा	10,50,500	10,50,000	7,11,239	28,11,739
15.	पंजाब	48,00,000	36,90,700	48,00,000	132,90,700
16.	राजस्थान	6,45,000	3,55,000	6,78,406	16,78,406
17.	तमिलनाडु	4,50,000	8,90,400	27,77,500	41,17,900
18.	त्रिपुरा	78,750	78,000	—	1,56,750
19.	उत्तर प्रदेश	—	9,97,500	27,50,000	37,47,500
20.	प० बंगाल	90,000	—	—	90,000
21.	दिल्ली	30,246	9,000	27,559	66,805
22.	गोवा, दमन और दीव	62,000	29,500	—	91,500
23.	मिजोरम	47,000	—	—	47,000
24.	पांडिचेरी	2,20,0000	1,93,500	2,24,500	6,38,300
25.	एच० आई० एल०	—	5,13,000	—	5,13,000
	योग	2,16,74,600	2,43,09,800	2,50,00,000	7,09,84,400

विकास सदन, नई दिल्ली में अग्नि सुरक्षा उपायों की अवहेलना

3169. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के विकास सदन, नई दिल्ली में जहां हाल ही में आग लगी थी, अग्नि सुरक्षा उपायों और स्थायी अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की अवहेलना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आग लगने तथा अग्नि सुरक्षा उपायों की व्यवस्था होने से पूर्व कार्यालय स्थानान्तरित करने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) दिल्ली के उप राज्यपाल द्वारा गठित समिति ने विकास सदन में अग्नि सुरक्षा प्रबन्धों में कुछ कमियों का उल्लेख किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह विश्वास दिलाया है कि सुझाये गये उपचारी उपाय यद्यपि, इस भवन के लिए अनिवार्य नहीं हैं फिर भी इनको सख्ती से लागू किया जा रहा है। आगे की जांच के लिए यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा दिया गया है।

'हुडको' योजना 1979 के अन्तर्गत शालीमार बाग में फ्लैटों का आबंटन

3170. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुडको योजना 1979 के अन्तर्गत शालीमार बाग में फ्लैटों के लिए अब तक कोई ड्रा निकाले गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) शालीमार बाग में (हुडको योजना 1979) फ्लैट्स के कब तक आबंटन के लिए बनकर तैयार हो जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) शालीमार में हुडको पैटर्न के कुल 1779 फ्लैटों में से केवल 375 फ्लैट पूर्ण होने शेष हैं। ये आबंटन के लिए दिसम्बर, 1985 तक तैयार हो जाएंगे।

राज्यों द्वारा बीज अधिनियम का कार्यान्वयन

3171. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को बढ़िया किस्म के बीजों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सन् 1966 में पारित बीज अधिनियम के उपबन्धों को अभी भी लागू नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में बीज अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) चावल, गेहूं, कपास, दालों तथा तिलहन आदि के बढ़िया किस्म के बीजों का उत्पादन कर किसानों में उनके वितरण के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) बीज अधिनियम, 1966 के कुछ प्रावधान सम्पूर्ण भारत में सितम्बर, 1968 से लागू हुए और शेष प्रावधान अक्तूबर, 1969 में लागू हुए। ऐसे अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने जहां बीजों का व्यापार काफी अधिक होता है, बीज अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए अपनी आधारिक संरचना विकसित की है। फिर भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड जैसे कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में जहां बीज वितरण बहुत कम है और कृषि विभाग द्वारा स्वयं किया जाता है और इसलिए उन्होंने कानून लागू करने के लिए संगठन स्थापित करने की जरूरत महसूस नहीं की है।

(ख) बीज संबंधी कानून के प्रवर्तन की प्रगति का निरन्तर प्रबोधन किया जा रहा है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्याप्त बीज निरीक्षक नियुक्त करने, बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने और इन प्रयोगशालाओं में अधिसूचित बीज विश्लेषक नियुक्त करने की सलाह दी गई है। विभिन्न राज्यों के बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सुदृढ़ बनाया गया है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुछ और अधिक राज्यों को बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की सुदृढ़ करने का प्रावधान है।

(ग) भारत सरकार ने पहले ही चावल, गेहूं, कपास, दालों और तिलहनों आदि के संबंध में अच्छे किस्म के बीजों का उत्पादन बढ़ाने और किसानों को उनका वितरण किये जाने के लिए कई उपाय किए हैं। मुख्य-मुख्य उपाय हैं—विश्व बैंक के सहयोग से राष्ट्रीय बीज परियोजना शुरू करना; बीज संसाधन के लिए पर्याप्त सुविधाओं का सर्जन; वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं और कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की संस्थाओं में प्रजनक बीजों के उत्पादन के लिए आधारिक संरचना को सुदृढ़ करना, बीजों के उत्पादन और वितरण पर भी पूरी नजर रखी जा रही है।

भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ द्वारा आन्दोलन का नोटिस

3172. **श्री काली प्रसाद पांडेय :**
श्री अमर राय प्रधान :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ के दिनांक 16 जुलाई, 1985 को 19 अगस्त, 1985 से आंदोलन करने का नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो मांगों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मांग के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार मांग पत्र पर संघ से चर्चा/परस्पर बातचीत करने के लिये कोई कदम उठा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन मांगों के समाधान हेतु क्या वैकल्पिक कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यूनियन की प्रमुख मांगें अन्तरिम सहायता का भुगतान करने, समयोपरि भत्ते, समयबद्ध पदोन्नति नीति, नैमित्तिक-कर्मचारियों को नियमित करने आदि से संबंधित है। भारतीय खाद्य निगम का प्रबन्ध यूनियन के साथ सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में सरकार की समूची नीति और भारतीय खाद्य निगम के नियमों और विनियमों के ढांचे को ध्यान में रखकर सौहार्दपूर्ण समझौता करने के लिए बातचीत कर रहा है।

बागवानी फसलों के लिए उच्च-अनुसंधान केन्द्र

3173. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विचार आम, केला, खुम्बी, (मशरूम) और बागवानी के संबंध में अनुसंधान करने के लिये उच्च अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ये अनुसंधान केन्द्र कहां-कहां पर स्थापित किये जायेंगे और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री बनवारी लाल बन्दारकर) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पहले से ही आम पर अनुसंधान हेतु उत्तरी मैदानों के लिए एक केन्द्रीय बागवानी संस्थान तथा खुम्बी पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त सातवीं योजना के दौरान केले पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र तथा बगीचों पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि योजना आयोग/वित्त से पारित हो जाये।

(ख) लखनऊ के नजदीक रहमान खेड़ा में उत्तरी मैदानों के लिए केन्द्रीय बागवानी संस्थान तथा सोलन (हिमाचल प्रदेश) में खुम्बी पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थित है। तथापि, प्रस्तावित केले पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र तथा बगीचों पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र के स्थानों का अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

पणजी में टी० वी० रिले केन्द्र

3174. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पणजी टी० वी० रिले केन्द्र के पूरा होने पर उसके अन्तर्गत कितना क्षेत्र आयेगा; और

(ख) यह कब तक चालू हो जावेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) पणजी के

दूरदर्शन ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ कर 10 किलोवाट हो जाने पर इसकी सेवा परिधि लगभग 120 किलोमीटर होगी।

(ख) पणजी के ट्रांसमीटर के वर्धित शक्ति पर अगले वर्ष चालू हो जाने की उम्मीद है।

कोचीन में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये बन्दरगाह का विकास

3175. **श्री टी० बशीर** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब सागर में समुद्री संसाधनों की वृद्धि के लिए सातवीं योजना में कोचीन में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये बन्दरगाह का विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) कोचीन में जनवरी 1983 में यथा संशोधित 460.91 लाख रुपये की लागत पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बन्दरगाह का पहले ही निर्माण कर लिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय भाषा समाचार पत्र संगठन को श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के मजूरी बोर्ड में शामिल करना

3176. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के संगठन को श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकारों के मजूरी बोर्ड में शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के संगठन को पहले और दूसरे मजूरी बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्राप्त था;

(ग) यदि हां, तो संगठन को इस बार मजूरी बोर्ड में शामिल न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या समाचार पत्र उद्योग के प्रतिनिधियों को शामिल करने का मामला प्रेस सूचना ब्यूरो, राज्य व्यापार निगम और रजिस्ट्रार आफ न्यूज पेपर्स को भेजा गया था ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों के संगठन के एक प्रतिनिधि को श्रम-

जीवी पत्रकारों और समाचार-पत्र उद्योग के गैर-पत्रकार कर्मचारियों के लिए गठित दोनों मजदूरी बोर्डों में नामित किया गया है।

मध्य प्रदेश में कपास की खेती

3177. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में और अधिक क्षेत्र में कपास की खेती करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं;

(ख) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने हेक्टेयर भूमि कपास की खेती के अन्तर्गत लाई गई है; और

(ग) केन्द्र ने इस प्रयोजन के लिये मध्य प्रदेश को कितनी सहायता दी है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : (क) सरकार ने तकनीकी जानकारी का सप्रचार करके, प्रदर्शनों का आयोजन करके और प्रमाणित बीजों तथा पौद संरक्षण उपस्करों पर न राजसहायता देकर मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन के अन्तर्गत अधिक इलाका लाने के प्रयास किए गए हैं।

(ख) वर्ष	कपास के अंतर्गत क्षेत्र (लाख हैक्टार)
1982-83	5.80
1983-84	5.79
1984-85 (अनुमानित)	5.39

(ग) भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रायोजित गहन कपास विकास कार्यक्रम के अधीन 50 प्रतिशत केन्द्रीय शेयर के रूप में 1982-83 में 19.83 लाख रुपये, 1983-84 में 23.21 लाख रुपये और 1984-85 में 35.93 लाख रुपये निर्मुक्त किए हैं।

बागवानी के विकास के लिय आबंटन

3178. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बागवानी के विकास के लिए कितना आबंटन किया गया है;

(ख) भारत से निर्यात किए जाने वाले बागवानी के कच्चे या पक्के उत्पादों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या आम, सन्तरा, नींबू, अंगूर, सेब, खूबानी, वदरफल तथा अमरूद आदि जैसे फलों

को सुरक्षित रखने के लिए उनकी डिब्बाबन्दी करने तथा रस बनाने के लिए कोई अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम शुरू किया है या किया गया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) बागबानी के विकास के लिए केन्द्र द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान करीब 15 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी।

(ख) भारत से कच्ची सामग्री के रूप में आम, प्याज आलू आदि तथा संसाधित सामग्री के रूप में आम का रस, डिब्बाबंद तथा निर्जलीकृत सब्जियां, आचार चटनी आदि महत्वपूर्ण बागबानी उत्पादों का निर्यात किया गया।

(ग) जी हां।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा आधुनिक चावल मिलों को बन्द करना

3179. **श्री पी० चिदम्बरम** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा चलाई जा रही आधुनिक चावल मिलों को बन्द करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्ध ने आर्थिक असक्षमता के कारण अपनी आधुनिक चावल मिलों को बन्द करने का निर्णय किया है।

कोडईकनाल में टी० वी० ट्रांसमीटर की स्थापना

3180. **श्री पी० चिदम्बरम** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, तमिलनाडु के (मद्रास शहर को छोड़कर) टी० वी० दर्शकों द्वारा, मद्रास केन्द्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को न देख पाने के कारण उनमें व्याप्त भारी असंतोष की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार कोडईकनाल में टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने का कार्य कब तक पूरा कर लेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, मद्रास में निर्मित कार्यक्रमों को कोडैकनाल के ट्रांसमीटर से रिले करने के लिए सरकार को समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं।

(ख) कोडैकनाल के ट्रांसमीटर ने 10 किलोवाट की वर्धित शक्ति पर परीक्षण आधार पर कार्य करना शुरू कर दिया है। तथापि, इसे मद्रास में निर्मित दूरदर्शन कार्यक्रमों को रिले करने के लिए समर्थ बनाने के लिए मद्रास तथा कोडेकनाल के बीच माइक्रोवेव लिंक के 1986 के दौरान उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है।

दूरदर्शन केन्द्रों से भाषा-पाठ

3181. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर हिन्दी भाषी राज्यों में दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा दर्शकों को हिन्दी सिखाने के कार्यक्रम सप्ताह में कम से कम दो बार प्रसारित करना आरम्भ किया जाएगा और क्या हिन्दी भाषी राज्यों के दूरदर्शन केन्द्रों को दर्शकों को अन्य भारतीय भाषाएं सिखाने के कार्यक्रम प्रसारित करने के निदेश दिए जायेंगे; और

(ख) यदि नहीं, तो राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक इस प्रकार के कार्यक्रम आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है ।

(ख) भाषा सिखाने के कार्यक्रम दृश्य प्रस्तुतीकरण के लिए अनुकूल नहीं हैं और इसलिए इनको दूरदर्शन पर टेलीकास्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाता । तथापि, दूरदर्शन विभिन्न रूपों में ऐसे कई कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है, जो राष्ट्रीय एकीकरण के संदेश का प्रचार करते हैं ।

पूर्वी क्षेत्र में चीनों के मूल्य में वृद्धि

3182. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में पिछले दो महीनों में खुले बाजार में चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूर्वी क्षेत्र में खुले बाजार में चीनी के मूल्य में वृद्धि के क्या कारण है; और

(घ) मूल्य को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) पिछले दो महीनों के दौरान पूर्वी क्षेत्र सहित देश में खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई थी । पूर्वी क्षेत्र की कुछ प्रमुख मंडियों में मई, 85 से चीनी के थोक मूल्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) पूर्वी क्षेत्र सहित देश में खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में वृद्धि होने का मुख्य कारण 1981-82 और 1982-83 के मौसमों के दौरान हुए रिकार्ड उत्पादन की तुलना में 1983-84 और 1984-85 के मौसमों में चीनी के उत्पादन में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आने और साथ ही 1981-82 मौसम और उससे आगे आन्तरिक खपत में लगातार वृद्धि होने से देशी चीनी की सीमित उपलब्धता होना है ।

(घ) चीनी की मांग और सप्लाई के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए लगभग 10 लाख मीटरी टन चीनी का आयात करने का निर्णय किया गया है और यह चीनी मई से सितम्बर, 1985

प्रति किलोग्राम से भी कम कर दिया गया है। आयातित चीनी नीलामी/टेंडर द्वारा खुले बाजार में भी बेची जा रही है।

लेवी और खुली बिक्री की चीनी की उदार निर्मुक्तियां करने से चीनी की सप्लाई स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। चीनी की उपलब्धता में वृद्धि होने और साथ ही चीनी फैक्ट्रियों तथा लाइसेंसशुदा डीलरों पर लागू किये जा रहे विनियामक उपायों से हाल ही में खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में गिरावट आयी है और आशा है कि ये मूल्य गिरकर उपयुक्त स्तर तक पहुंच जाएंगे।

विवरण

पूर्वी क्षेत्र में मई, 1985 से प्रमुख केन्द्रों में चीनी के थोक मूल्य

को	गोहाटी	पटना	कटक	कलकत्ता	अगरतला
	(सी-30)	(सी-30)	(डी-30)	(डी-30)	(डी-30)
3.5.85	610.00	580.00	580.00	575.00	610.00
10.5.85	610.00	600.00	595.00	580.00	610.00
17.5.85	620.00	600.00	600.00	सू० न०	650.00
24.5.85	628.00	600.00	600.00	600.00	600.00
31.5.85	640.00	600.00	595.00	सू० न०	600.00
7.6.85	650.00	605.00	610.00	सू० न०	600.00
14.6.85	665.00	588.00	605.00	सू० न०	650.00
21.6.85	710.00	605.00	625.00	655.00	650.00
28.6.85	720.00	640.00	615.00	सू० न०	700.00
5.7.85	690.00	638.00	620.00	सू० न०	785.00
12.7.84	690.00	648.00	655.00	सू० न०	780.00
19.7.85	690.00	655.00	सू० न०	710.00	880.00
26.7.85	750.00	660.00	660.00	सू० न०	880.00
2.8.85	750.00	662.00	सू० न०	730.00	860.00

सू० न० = सूचित नहीं किया गया।

फसलों की मूल्य नीति के संबंध में कृषि लागत और मूल्य आयोग के प्रतिवेदन

3183. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान धान, दालों, तिलहनों, कच्चे पटसन और गन्ने की मूल्य नीति के सम्बन्ध में कृषि लागत और मूल्य आयोग के प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदनों का ब्यौरा क्या है और आयोग की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं, उठाने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकार) : (क) से (घ) कृषि लागत और मूल्य आयोग ने निम्नलिखित पर अपनी रिपोर्टें दे दी हैं—(1) खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति, जिसमें धान, खरीफ के मोटे अनाज, खरीफ की दालें, तथा खरीफ के तिलहन शामिल हैं; (2) गन्ने के लिये मूल्य नीति और (3) 1985-86 के मौसम के लिए कच्चे पटसन के लिए मूल्य नीति । सरकार ने आयोग की सिफारिश पर 1985-86 के मौसम के लिए असम में डब्ल्यू-5 ग्रेड की मूल किस्म के लिए कच्चे पटसन का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 215 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है । अन्य खरीफ फसलों और गन्ने के बारे में आयोग की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है ।

उड़ीसा में गोपालपुर मत्स्य पालन बन्दरगाह के बारे में मत्स्य पालन परियोजना रिपोर्ट

3184. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ कोस्टल इंजीनियरिंग फार फिशरी, बंगलौर ने उड़ीसा में गोपालपुर मत्स्य पालन बन्दरगाह के बारे में अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है और इसे प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विस्तृत विशेषताएं क्या हैं और परियोजना का कार्य शुरू करने में कितना समय लगेगा और इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी हां, जुलाई 1985 में ।

(ख) और (ग) परियोजना पर कुल 1247.87 लाख रुपये का निवेश करने का विचार है । इस मत्स्यन बन्दरगाह में 10 मीटर के 100 मछली पकड़ने वाले जलयानों और 15 मीटर के 20 मछली पकड़ने वाले जलयानों के ठहराने की व्यवस्था की गई है । यह अनुमान लगाया गया

है कि परियोजना के पूरा हो जाने के बाद 5320 मीटरी टन मछली तथा 1180 मीटरी टन क्रस्टेशियन को उतारने की सुविधा होगी ।

परियोजना रिपोर्ट हाल ही में जुलाई, 1985 में प्राप्त हुई है ।

परप्पनांगाडि में भारतीय खाद्य निगम का गोदाम बनाना

3186. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कालीकट जिले में तिक्कोटी में खाद्यान्न के भंडारण के लिए गोदाम पर कितना व्यय किया गया है तथा इस गोदाम की कुल भंडारण क्षमता कितनी है; और

(ख) क्या सरकार ने केरल के मालप्पुरम जिले में परप्पनांगाडि में भारतीय खाद्य निगम का गोदाम बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम केरल के कालीकट जिले में तिक्कोटी में लगभग 3.4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 40,000 मीटरी टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कर रहा है ।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव निगम के विचाराधीन नहीं है ।

झींगा मछली का उत्पादन

3187. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले पांच वर्षों में समुद्र और भूमिगत खारे पानी से झींगा मछली का वार्षिक उत्पादन कितना हुआ;

(ख) खारे पानी वाले कितने क्षेत्र में झींगा मछली का उत्पादन किया जाता है; और

(ग) झींगा मछली के बीच के उत्पादन और वितरण के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मछुआरे के लिए यांत्रिक नौकाएं

3188. **श्री एन० डेनिस** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परम्परागत मछुवारों को उनकी परम्परागत नौकाओं और बेड़ों का यंत्रीकरण करने के लिए सहायता देने के कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) केन्द्रीय

सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, राज्य/संघ शासित क्षेत्र मशीनीकरण के लिए राजसहायता और ऋण की योजनाओं के माध्यम से परंपरागत मछुआरों की मदद करते हैं। उन्नत बीच-लैंडिंग-क्राफ्ट शुरू करने और लघु क्षेत्र का दर्जा बढ़ाने की एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। यांत्रिक नौकायें तथा आऊट-बोर्ड मोटरों की सप्लाई के जरिए परंपरागत मत्स्यन जलयानों का यांत्रिकरण राष्ट्रीय सहकारी मात्स्यकी विकास निगम के कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी आता है। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध राजसहायता भी राज्यों द्वारा परंपरागत जलयानों के यांत्रिकरण के लिए इस्तेमाल की जा रही है।

कृषि उत्पादों का आयात

3189. **श्री प्रकाश चन्द्र : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 में जो कृषि उत्पाद आयात किए गए उनके नाम क्या हैं तथा प्रत्येक की कितनी मात्रा आयात की गई; और

(ख) प्रत्येक उत्पादन का क्रय मूल्य क्या है तथा किस दर पर यह बेचे जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान चुनिन्दे आवश्यक कृषि जिन्सों के आयात का ब्यौर नीचे दिया गया है :—

मात्रा : 000 मीटरी टन
मूल्य : करोड़ रुपये

मद	मात्रा	मूल्य
गेहूं	2142.3	507.12
चावल	328.1	80.00
वनस्पति तेल, निश्चित (खाद्य तेल)	1001.3	540.93

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक वर्ष में निर्मित किए जाने वाले मकानों की संख्या

3190. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रतिवर्ष 100,000 मकान बनाने का निर्णय किया है जैसा कि दिनांक 12 जून, 1985 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या 169 करोड़ रुपये के बजट के भीतर ऐसा करने के लिए उसके पास संसाधन हैं;

(ग) क्या इसका संगठनात्मक ढांचा और भूमि की उपलब्धता इस लक्ष्य की प्राप्ति के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो लक्ष्यानुसार क्षमता बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) बजट में आवश्यक प्रावधान किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) लगभग 60,000 मकान निर्माण के विभिन्न सोपानों में हैं । हाल ही में कई नए आवासीय पाकेटों का पता लगाया गया है जिनमें 1985-86 के दौरान चरणों में आरम्भ किए जाने वाले लगभग 35,000 मकानों को शामिल किया जाएगा । अन्य 85,000 मकान प्रक्रिया अधीन हैं जिनका निर्माण कार्य 1985-86 के दौरान आरम्भ किए जाने की सम्भावना है और 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान चरणों में इसके पूर्ण होने की सम्भावना है । अतिरिक्त कार्य को पूरा करने की दृष्टि से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इंजीनियरी विभाग का और विस्तार किया जा रहा है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए गन्दी बस्ती विभाग के अन्तर्गत दुकानों के आबंटन में आरक्षण

3191. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्ती विभाग के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में दुकानों आदि के आबंटन के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) विभिन्न पुनर्वास कालोनियों के अनधिवासियों के लिए दुकानों/स्टालों के निर्माण की मलिन बस्ती विभाग की योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गैर सरकारी व्यापारियों के बारे में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल की मांग

3192. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 16 जुलाई, 1985 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार को देखा है जिसमें भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ ने यह मांग की है कि गैर सरकारी व्यापारियों को भी वही दर्जा मिलना चाहिए, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापारियों को दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार का क्या विचार है; और

(ग) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ ने इस मामले पर सरकार को अभ्यावेदन दिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ के दृष्टिकोण से सहमत नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

दिल्ली में पनघट वनस्पति घी की बिक्री के लिए लाइसेंस

3193. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पनघट वनस्पति घी के अलावा दिल्ली में और किसी वनस्पति घी बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पनघट की बिक्री से तुरन्त लाइसेंस हटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं । दिल्ली प्रशासन के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो किसी एक समय में सभी प्रकार के खाद्य तेलों की कुल मिलाकर 5 क्विंटल से अधिक की मात्रा का भण्डार बिक्री के लिए रखता है, उसे दिल्ली खाद्य तेल (लाइसेंसिंग तथा नियंत्रण) आदेश, 1977 के तहत लाइसेंस लेना जरूरी होता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों को मिलाने का प्रस्ताव

3194. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किन-किन क्षेत्रों को सम्मिलित किये जाने का विचार है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे सम्बद्ध राज्यों ने इस बारे में कोई विरोध किया है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के साथ लगी अनुसूची में दिखाये गये हैं । इस अनुसूची की एक प्रतिलिपि विवरण के रूप के संलग्न है । किन्ही नये क्षेत्रों की शामिल किए जाने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे :—

1. दिल्ली

सम्पूर्ण दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र ।

2. हरियाणा

(i) सम्पूर्ण गुड़गांव जिला जिसमें गुड़गांव, नूंह और फिरोजपुर-झिरका तहसीलें समाविष्ट हैं ।

(ii) सम्पूर्ण फरीदाबाद जिला जिसमें बल्लभगढ़, पलवल और हाथिन तहसीलें समाविष्ट हैं ।

(iii) सम्पूर्ण रोहतक जिला जिसमें रोहतक, झज्जर, बहादुरगढ़, मेहम और कोसली तहसीलें समाविष्ट हैं ।

(iv) सम्पूर्ण सोनीपत जिला जिसमें सोनीपत और गोहाना तहसीलें समाविष्ट हैं ।

(v) करनाल जिले की पानीपत तहसील और मोहिन्द्रगढ़ जिले की रिवाड़ी तहसील समाविष्ट हैं ।

3. उत्तर प्रदेश

(i) सम्पूर्ण बुलन्दशहर जिला जिसमें अनूपशहर, बुलन्दशहर, खुर्जा और सिकन्दराबाद तहसीलें समाविष्ट हैं; तथा

(ii) सम्पूर्ण मेरठ जिला जिसमें मेरठ, बागपत, मवाना और सरधना तहसीलें समाविष्ट हैं; तथा

(iii) समस्त गाजियाबाद जिला जिसमें गाजियाबाद और हापुड़ तहसीलें समाविष्ट हैं ।

4. राजस्थान

(i) अलवर जिला की निम्नलिखित सम्पूर्ण तहसीलें अर्थात बहरूर मंडावार, किशनगढ़ तिजारा; तथा

(ii) अलवर तहसील का भाग जिसमें वह क्षेत्र समाविष्ट हैं जो उत्तर में मण्डावर, और किशनगढ़ की तहसील सीमाओं से, पूर्व में गुडगांव जिला, हरियाणा की फिरोजपुर, झिरका तहसील और अलवर तहसील की सीमाओं से, ऊपर में बराहनदी से पश्चिम में सीधे उमरान झील तक तथा तत्पश्चात उमरान झील की दक्षिणी सीमाओं के साथ-साथ, उमरान झील और अलवर से बैरट तक राज्य राजमार्ग के संगम तक और तब पश्चिम में उत्तर पश्चिम की ओर टीले से परे अलवर और बन्सूर की तहसील सीमाओं के संगम के परिबद्ध हैं ।

केरल में मछुआरों का कल्याण

3195. **श्री के० मोहनदास** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केरल में मछुआरों के कल्याण की कोई विशेष योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) सरकार की केरल में मछुआरों के कल्याण की कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, 1983-84 में केन्द्रीय सरकार ने दो केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं अर्थात (1) सक्रिय मछुआरों के लिए ग्रुप दुर्घटना बीमा को राजसहायता तथा (2) मछुआरा समुदाय की तकनीकी-सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, शुरू की हैं। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ केरल में ये योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की अन्य योजना भी केरल सहित सभी राज्यों के लिए 1984-85 में शुरू की गई हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की बस्तियां

3196. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मानव बस्तियों की आयोजना और कार्यान्वयन हेतु कोई विनियमित कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, यो उसका क्या ब्यौरा है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां।

उन ग्रामीण परिवारों को आवास स्थल देना जिनके पास आवास स्थल नहीं हैं, और उनके लिए निर्माण सहायता का विस्तार करना ग्रामीण क्षेत्रों में मानव बस्ती के लिए विनियमित कार्यक्रम है।

यह योजना केन्द्रीय क्षेत्र में 1971 में आरम्भ की गई थी और 1974 में राज्य क्षेत्र में स्थानान्तरित की गई थी। यह न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक भाग है और इसे 1982 में नये बीस सूत्री कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है।

उन भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा ग्रामीण दस्तकारी को लाभ पहुंचाना इस योजना का लक्ष्य है जिनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार की भूमि नहीं है। चाहे वह भूमि कृषीय भूमि हो या अन्य प्रकार की।

मछेरों को प्रोत्साहन

3197. श्री हुसेन दलवाई : क्या कृषि ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे मछेरों को निर्वाह में सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने छोटे मछेरों को प्रोत्साहन देने के लिए एकमुश्त योजना बनाने का आश्वासन दिया है;

(ग) उस एकमुश्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इसके कब तक लागू करने की संभावना है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राजसहायता की योजनाओं और मत्स्यन नौकाओं, नाइलोन के धागों, गियरों तथा मात्स्यिकी से संबंधित अन्य साजो-सामान को लेने के लिए ऋण के जरिए मछुओं की सहायता की जाती है। कुछ राज्यों की अपनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनमें मंदी के मौसम में राहत देना तथा राजसहायता दर पर आवास योजना शामिल हैं। भारत सरकार ने सक्रिय मछुआरों, जो सहकारी समितियों/संघों/कल्याणकारी संगठनों के सदस्य हैं, के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा के प्रीमियम पर राजसहायता देने की एक योजना शुरू की है। सरकार द्वारा मछुआ समुदाय के तकनीकी-सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराने के लिए एक योजना शुरू की गई है। मछुआरों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की अन्य योजना भी मंजूर की गई है।

(ख) जी नही।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

गन्ना उत्पादन क्षेत्रों का विकास

3198. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने की सप्लाई कम होने के कारण चीनी का उत्पादन कम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो गन्ना उत्पादक क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां। लेकिन गत वर्ष की अपेक्षा 1984-85 में चीनी का उत्पादन अधिक होने का अनुमान है।

(ख) सरकार की कोशिश मुख्य रूप से उत्पादकता बढ़ाकर गन्ने का उत्पादन बढ़ाना है। फिर भी, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सम्भावित क्षेत्रों में गन्ने के अंतर्गत अधिक क्षेत्र लाने की परिकल्पना की गयी है।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 का कार्यान्वयन

3199. **श्री पी० चिदम्बरम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का संशोधन करने वाले औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 के सभी उपबन्धों को लागू कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उपर्युक्त उपबन्धों को लागू न करने के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 की धारा 2(ग), 7 और 22 को नीचे दिए गए कारणों से लागू नहीं किया गया है :—

(i) **धारा 2 (ग)** : विभिन्न संबंधित पत्रकारों के सुझावों और विचारों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले की पुनरीक्षा की आवश्यकता है।

(ii) धारा 7 और 22 : शिकायत निपटान प्राधिकरण गठित करने के लिए नियमों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में चावल की एन० एल० आर० 9674 किस्म में वायरस बीमारी

3200. **श्री सी० सम्बु** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के अददान मोरटर पर्चवीर, चिराला तालुकों में खड़ी चावल की एन० एल० आर० 9674 किस्म पर वायरस बीमारी अर्थात टंगरों वायरस का प्रभाव पड़ा था और वर्ष 1984-85 में उत्पादन 10 क्विंटल प्रति हैक्टेयर से भी कम था;

(ख) यदि हां, तो कृषि अनुसंधान विभाग द्वारा वर्ष 1985-87 के लिए एन० एल० आर० 9674 की बजाए धान के बीज की सप्लाई के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) 1984-85 के दौरान इन तालुकों में एन० एल० आर० 9674 किस्म टंगरों-वाइरस से प्रभावित हुई थी। टंगरों-वाइरस से प्रभावित खेतों में उपज घट कर 10 से 15 क्विंटल प्रति हैक्टेयर रह गई थी।

(ख) और (ग) चावल की एन० एल० आर० 9674 नामक किस्म के स्थान पर एन० एल० आर० 5293 किस्म का प्रचार किया जा रहा है, जो कि इस वाइरस की प्रतिरोधी है। आई० आर० 20, रत्ना, मशुरी आदि जैसी अन्य प्रतिरोधी/सहनशील किस्में आन्ध्र प्रदेश में पहले ही लोकप्रिय हैं। उच्च क्षमता वाली ऐसी किस्मों का विकास करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि टंगरों-वाइरस रोग की प्रतिरोधी हैं।

मूल्य नियंत्रण उपाय

3201. **श्री रेणुपद दास** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच अपने कठोर मूल्य नियंत्रण उपायों की घोषणा कर दी है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत काला बाजारियों और मुनाफाखोरों की गिरफ्तारी भी शामिल है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उपायों के अन्तर्गत आरम्भ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है तथा तभी से की गई गिरफ्तारियों का ब्यौरा दें; और

(ग) निरन्तर हो रही मूल्य वृद्धि पर उक्त उपायों का क्या प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) सरकारी नीति में मुख्य बल आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर जिनकी आपूर्ति कम है, का उत्पादन बढ़ाने पर दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाया जा रहा है तथा इसका विस्तार किया जा रहा है। घरेलू आपूर्ति की अनुपूर्ति के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं का आयात किया जाता है। आवश्यक

वस्तुओं के निर्यात का विनियमित किया जाता है। चोरबाजारियों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2404 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और चोरबाजारी निवारण अधिनियम के तहत 40 व्यक्तियों की नजरबन्दी के आदेश दिए गए हैं। इन उपायों से आशा है कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियन्त्रित रहेंगे।

देश का भूमि के कटाव वाला क्षेत्र

3202. **श्री सुख राम :** क्या **कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश का कितना क्षेत्र ऐसा है जहां भूमि का कटाव होता रहता है;

(ख) कितने क्षेत्र को भू-कटाव से बचाया गया है तथा उस पर कितनी लागत आई है;

(ग) क्या सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कोई विस्तृत योजना बनाई है अथवा बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में ऐसी कितनी भूमि है (भू-कटाव वाली) तथा पन बिजली बांधों को गाद के जमने से बचाने के लिए इस भूमि के कटाव रोकने पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(ङ) इस व्यय की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) सम्पूर्ण देश में भू-क्षरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया रूप में हो रहा है। तथापि, राष्ट्रीय कृषि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जल और वायु से तेजी से भू-क्षरित होने वाला क्षेत्र करीब 1500 लाख हैक्टार होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि भूक्षरण और भू-अपरदन होने वाला कुल क्षेत्र 1750 लाख हैक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) 1984-85 तक राज्य और केन्द्र क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत करीब 1200 करोड़ रुपये की कुल लागत से लगभग 293.8 लाख हैक्टार क्षेत्र का मृदा और जल संरक्षण के उपायों से उपचार किया गया है।

(ग) सरकार ने 1985-86 के दौरान कृषि और गैर-कृषि भूमि के भूक्षरण को नियंत्रित करने, सिंचाई तथा जल-विद्युत के लिए निर्मित बडे तथा मध्यम दर्जे के जलाशयों का गाद कम करने, उत्पादक समतल भूमि में बाढ़ से तबाही रोकने तथा प्रवर्धनात्मक प्रबंध, आदि के लिए अतिरिक्त भूमि प्राप्त करने हेतु अवक्रमित और कम उपयोग की गई भूमि का पुनरुद्धार करने के कार्यक्रम जारी रखे। भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने तथा भूमि जल चक्र के बीच लाभकारी सम्बन्ध बनाए रखने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रियान्वित किए जाने हेतु एक बड़ा और विविधीकृत कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) व्यापक सर्वेक्षण न किए जाने के कारण हिमाचल प्रदेश के भूक्षरण और अवक्रमण की समस्या वाले क्षेत्रों का तथा ऐसे क्षेत्रों का उपचार करने में आने वाली कुल लागत के अनुमान ठीक तरह से पता नहीं हैं। तथापि, गोविन्द सागर जलाशय में भारी मात्रा में गाद जमा होने तथा जल विभाजकों में से भारी गाद आने से पता चलता है कि भूक्षरण की स्थिति काफी व्यापक तथा गम्भीर है।

राज्य क्षेत्र की योजनाओं के अलावा निम्नलिखित योजनाओं के जरिए हिमाचल प्रदेश को केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है :—

1. भाखड़ा तथा व्यास नदी घाटी-परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण।

2. अपर-यमुना के बाढ़ प्रवरण नदी के स्रवण क्षेत्रों में समेकित पनधारा प्रबंध।

3. हिमालय के क्षेत्र में मृदा, जल तथा वृक्ष संरक्षण। 1984-85 में हिमाचल प्रदेश में इस सम्बन्ध में हुई प्रगति इस प्रकार है :—

	वास्तविक (लाख हैक्टार)	वित्तीय (करोड़ रूपये)
राज्य क्षेत्र	0.89	20.71
केन्द्र क्षेत्र	1.88	29.79
कुल	2.77	50.50

बैंकों द्वारा दिए गए फसल ऋण पर बीमा के बारे में कार्यवाही

3203. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा दिए गए फसल ऋण पर बीमा शुरू करने के लिए कोई कार्यवाही की है, जैसा कि उन्होंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों का ब्यौरा क्या है जो इस प्रयोजन के अन्तर्गत आते हैं;

(ग) क्या अण्डमान जिले में इस संबंध में कोई कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार 1985 के खरीफ मौसम से शुरू होने वाली व्यापक फसल बीमा योजना का ब्यौरा तैयार किया गया। यह योजना जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन आफ इण्डिया द्वारा सरकारों के साथ मिलकर चलाई जा रही है। वे सभी किसान जो राज्यों में "निश्चित क्षेत्रों" में चावल, गेंहू, कदन्न, तिलहनों तथा दालों फसलों की खेती के लिए

सहकारी संस्थाओं, वाणिज्यिकों, तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से फसल-ऋण लेते हैं, इस योजना के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) यह योजना उन सभी राज्यों में "निश्चित क्षेत्रों" में उपर्युक्त फसलें उगाने के लिए लागू की जा सकती है जिन्होंने 1985 के खरीफ मौसम से इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की है।

(ग) और (घ) अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र ने 1985 के खरीफ मौसम से इस योजना को लागू करने के लिए कार्यवाही नहीं की है। उन्होंने इस योजना का कार्यान्वयन शुरू न करने के लिए कोई कारण नहीं बताये हैं।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इसकी अनुमति प्रदान की क्योंकि मैंने इसके लिए आपसे लिखित रूप से अनुरोध किया था। आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की स्थिति खराब होती जा रही है। जातिभेद के घृणित सिद्धान्त के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई का व्यापक प्रसार होता जा रहा है। सारा विश्व इसे लेकर चिन्तित है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसके बारे में जानकारी है।

श्री जी० जी० स्वैल : यहां तक कि राष्ट्रपति रीगन को भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के लिये बाध्य होना पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : यह सही तरीका नहीं है। आपने अपना अल्प-सूचना प्रश्न पहले ही दे रखा है। मैं इस पर विचार करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि इसे किस प्रकार किया जाये, इस पर मैं विचार करूंगा। हम इसे देखेंगे। मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : दक्षिण अफ्रीका की जातिभेदी सरकार एक ओर भारत सरकार तथा भारतीयों तथा दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका तथा अन्य अफ्रीकी देशों के उत्पीड़ित काले लोगों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस संबंध में एक बयान दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। मै पहले ही आपके साथ हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : कृपया गृह-मंत्री को एक बयान देने के लिये कहें।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही लिख चुका हूं और मैं उनसे कहूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : गांधी जी के ओल्ड सैटलमैंट स्कूल और कस्तूरबा गांधी

म्यूजियम आदि के नष्ट किये जाने को लेकर लोग अत्यधिक उत्तेजित हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। मैं इस मामले पर विचार करूंगा। मैं पहले ही कह चुका हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसमें विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही एक क्षण का भी विलम्ब किये बिना कार्यवाही की है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे अपने आप ही इस संबंध में क्यों नहीं बयान देते हैं ? क्या वे आपके रहने की प्रतीक्षा करते हैं ? सारा देश इसे लेकर उत्तेजित है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : तीन दिन के अन्दर भारत अपना स्वतन्त्रता दिवस मनाने जा रहा है.....

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह मैंने कह दिया कि मैं देख लूंगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : एक समाचार है कि पाकिस्तान के खुफिया विभाग द्वारा प्रशिक्षित 100 व्यक्तियों के भारत में घुसने, उनके द्वारा 15 अगस्त के समारोहों पर हमला किये जाने तथा खालिस्तानी झंडा लगाये जाने की संभावना है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उसका पता है। आप मुझे कोई दूसरी बात बतायें। मुझे कुछ ध्यानाकर्षण की सूचनाएं मिली हैं। मैं देखूंगा कि इन सब पर किस प्रकार विचार किया जा सकता है।

प्रो० मधु दंडवते : आपको इसमें क्या आपत्ति है ? यह उतनी ही बुरी घटना है जितनी कि दक्षिण अफ्रीका की।

अध्यक्ष महोदय : मेरी आपत्ति यह है कि यह एक विचार-मात्र है। यह एक अनुमान है। यह हो भी सकता है और नहीं भी। यह विषय परिकल्पना से संबंधित है। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

प्रो० मधु दंडवते : दक्षिण अफ्रीका के बारे में मंत्री महोदय द्वारा एक बयान दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही आपके साथ हूं।

श्री एम्पन थामस (मवेलिकरा) : केरल में लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारी, जिनमें राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं, हड़ताल पर हैं.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी गई है। यह विषय राज्य से सम्बन्धित है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : हरियाणा स्थित गैर-कानूनी ब्रह्मचारी नगर के बारे में क्या कार्यवाही की गई है। मैंने पहले ही इसके बारे में आपको लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : यह विषय राज्य से सम्बन्धित है। वे इस पर विचार करेंगे। आप क्यों इसके बारे में चिन्ता करते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ब्रिटिश सरकार के एक सरकारी प्रवक्ता के बयान में कहा गया है कि ब्रिटेन में खालिस्तानी मुद्रा तथा पासपोर्टों का जारी किया जाना ब्रिटेन की सरकार द्वारा गैर-कानूनी नहीं समझा जाता। इस सम्बन्ध में स्थिति क्या है ? इसका मतलब है कि वे यह सब चलते देंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय से संबंधित जो भी बातें आई हैं, मैंने उन सभी को अनुमति प्रदान की है। मैं आगे भी इसकी अनुमति दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ब्रिटेन की सरकार दोहरी चाल चल रही है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दी थी कि जिसके बारे में आपने 7 तारीख को आश्वासन दिया था कि आश्वस्त रहिये, क्या अभी तक आपके पास फैक्ट्स नहीं आये ?

अध्यक्ष महोदय : आश्वासन बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ रहिए। मैं मालूम कर रहा हूं, जब आ जायेगा आपको बता दूंगा।

[अनुवाद]

'जल्दी' में भी तो समय लगता है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।

अब, सभापटल पर पत्र रखे जायें।

12.05 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1985

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, उर्वरक (नियंत्रण), संशोधन आदेश, 1985, जो भारत के राजपत्र में 23 जुलाई, 1985 को अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 604(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभापटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1300/85]

कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1985 तथा धातुत्पादक खान (संशोधन) विनियम, 1985

श्रम मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : मैं, खान अधिनियम, 1952 की धारा 61-क के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1985, जो भारत के राजपत्र में 30 जुलाई, 1985 को अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 614(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) धातुत्पादक खान (संशोधन) विनियम, 1985, जो भारत के राजपत्र में 30 जुलाई,, 1985 को अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 615(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1301/85]

भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, इसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण और दूरदर्शन के लिये सौफ्ट वेयर संबंधी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन (खण्ड एक और दो)

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी० 1302/85]

(3) दूरदर्शन के लिये सौफ्ट वेयर संबंधी कार्यकारी दल के प्रतिवेदन (खण्ड I और II) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1303/85]

मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के कार्यकरण की समीक्षा

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम सीमित, भोपाल, के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम सीमित, भोपाल, के वर्ष 1977-78 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1304/85]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केला तथा फल विकास निगम सीमित के वर्ष 1981-82 तथा 1 अप्रैल से 26 अप्रैल, 1982 की अवधि के कार्य के बारे में एक विवरण ।

(दो) केला तथा फल विकास निगम सीमित के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(तीन) केला तथा फल विकास निगम सीमित के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी लेखाओं की नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा ।

(चार) केला तथा फल विकास निगम सीमित के 1 अप्रैल से 26 अप्रैल, 1982 तक की अवधि सम्बन्धी लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(पांच) केला तथा फल विकास निगम सीमित के 1 अप्रैल से 26 अप्रैल, 1982 तक की अवधि सम्बन्धी लेखाओं की नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1305/85]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) सा० का० नि० 623(अ), जो भारत के राजपत्र में 1 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो स्वर्णकारों अथवा रजतकारों द्वारा निर्मित स्वर्ण आभूषणों तथा सोने अथवा चांदी की अथवा दोनों की बनी किसी तरह की वस्तुओं चाहे उनमें नगीने रत्न (असली अथवा कृत्रिम) जड़े हुए हों, अथवा उनमें मोती (असली, परिष्कृत अथवा नकली), लगे हुए हों अथवा उक्त सभी चीजें लगी हुई हों, अथवा उक्त में से एक चीज लगी हुई हो, को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है ।

(दो) सा० का० नि० 624(अ), जो भारत के राजपत्र में 1 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 43/85-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि एफ-78-15 के आकार के टायरों के निमित्त रेयन टायरों के लिये 350.00 रुपये प्रति टायर की दर से और नायलोन तथा रेडिकल टायरों के लिये 400.00 रुपये प्रति टायर की दर से उत्पाद-शुल्क की प्रभावी दरें नियत की जा सकें ।

(तीन) सा० का० नि० 626(अ), जो भारत के राजपत्र में 1 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की पहली अनुसूची की मद संख्या 68 के अन्तर्गत आने वाले माल को, जो चन्दन के तेल से भिन्न है और जिसकी निकासी किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से देसी उपभोग के लिये किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके पश्चात् की गई है, 20 लाख रुपये से अनधिक कुल मूल्य के उक्त माल की पहली निकासियों के मामले में उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में हैं ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1306/85]

(चार) सा० का० नि० 627(अ), जो भारत के राजपत्र में 1 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की पहली अनुसूची की मद संख्या 68 के अन्तर्गत आने वाले और किसी खान में विनिर्मित माल को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क छूट देने के बारे में है ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1306/85]

12.14 म० प०

प्राक्कलन समिति

दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : श्रीमान् मैं प्राक्कलन समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)—जो गृह मंत्रालय-दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भाग 1—कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में समिति (सातवीं लोक सभा) के 80वें प्रतिवेदन के अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में है—प्रस्तुत करता हूं ।

12.15 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

गैर-सरकारी स्वामित्व वाले दो भारतीय मालवाहक जहाजों के बंगाल की खाड़ी में लापता होने का समाचार

[अनुवाद]

श्री रामस्वरूप राम (गया) : श्रीमान्, मैं नौवहन और परिवहन मंत्री का ध्यान अवि-

लम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर आकर्षित करता हूं और उनसे इस संबंध में एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं :—

"गैर सरकारी स्वामित्व वाले दो भारतीय मालवाहक जहाजों, जिनमें बहुत से पोत-कर्मचारी थे, के लम्बी अवधि से बंगाल की खाड़ी में लापता होने के समाचार तथा इसके संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैनी शिपिंग कंपनी, बम्बई के एम० वी० "नित्य नानक" और एम० वी० "नित्य राम" नाम दो जहाजों का 21 जून, 1985 के बाद रेडियो संपर्क टूट गया और अनुमान है कि ये जहाज समुद्र में लापता हो गए हैं।

एम० वी० "नित्य नानक" का संचालन कैप्टेन के० डी० पुरी, वरिष्ठ मास्टर कर रहे थे और उस पर 23 कर्मी थे। यह जहाज 5.6.85 की कांडला से 5440 टन नमक लेकर कलकत्ता के लिए रवाना हुआ। कोलम्बो पत्तन में ईंधन आदि लेने और अपने संचार उपकरण तथा रडार की मरम्मत के बाद यह जहाज 18/19 जून, 1985 को कलकत्ता के लिए रवाना हुआ। 20 जून के अपराह्न में जहाज के मास्टर ने अपने मालिक को यह संदेश भेजा कि जहाज के नवम्बर 1 होल्ड में फिर से छेद हो गये हैं और इनमें जहाज में कुछ-कुछ पानी अन्दर आ रहा है। 21 जून को प्रातः लगभग 8.30 बजे जहाज के मास्टर ने अपने मालिक को खबर दी कि जहाज के एक होल्ड में कुछ पानी घुस आया है और कप्तान ने यह निर्णय किया है कि जहाज को मद्रास ले जाया जाए। उस समय जहाज त्रिंकोमेली से लगभग 90 समुद्री मील उत्तर-पूर्व, पूर्व दिशा में था। उसके बाद जहाज से कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ। जहाज मद्रास नहीं पहुंचा और 26 जून, 1985 को मालिक ने अपने एजेंट के माध्यम से प्रिंसिपल आफिसर, मर्केन्टाइल मैरीन विभाग को जहाज के लापता हो जाने की सूचना दी। आगे पूछताछ करने पर यह पता चला कि जहाज के मास्टर ने भी 12 जून को यह संदेश भेजा कि जल स्तर के नीचे दो स्थानों में छेद हैं।

एम० वी० "नित्य राम" 17-6-85 को 5182 टन कोयला लेकर कलकत्ता से टूटीकोरिन के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज की कप्तानी कैप्टेन शर्मा कर रहे थे और इस पर 21 कर्मी थे। 18-6-1985 को सवेरे लगभग 10 बजे इस जहाज ने अपने मालिक को यह रेडियो संदेश भेजा कि इसके एक होल्ड में पानी घुस गया है। तथापि 21 जून को प्रातः लगभग 9.20 बजे मास्टर ने मालिक को यह सूचित किया कि उसने पानी का अन्दर आना रोक लिया है और जहाज टूटीकोरिन की ओर जा रहा है। इस जहाज के टूटीकोरिन पहुंचने की संभावित तारीख 25 जून, 1985 थी किन्तु जब यह जहाज 27 जून, 1985 को भी नहीं पहुंचा, तब एजेंट ने इसकी सूचना प्रिंसिपल आफिसर, मर्केन्टाइल मेरीन विभाग, मद्रास को 28 जून, 1985 को दी।

27 जून, 1985 से खोज और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। तट रक्षक और भारतीय नौसेना के जहाजों ने इस जहाज के संभावित मार्ग पर इसकी खोज की। इनके अलावा निकट के जहाजों से इन जहाजों या जीवन रक्षक नौकाओं आदि पर नजर रखने का अनुरोध किया गया। चूंकि उपरोक्त खोज का कोई परिणाम नहीं निकला, इसलिए नौसेना के हवाई जहाजों को भी इस काम में लगा दिया गया और जहाज के लापता होने के स्थान के इर्द गिर्द 200 समुद्री मील के

व्यापक क्षेत्र में खोज की गई किन्तु 6 जुलाई को हवाई खोज समाप्त करने की तारीख तक न तो किसी चीज का पता चला और न ही कोई मलवा पाया गया ।

नौवहन महानिदेशक ने पूर्वी तट के पत्तनों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप को इन दोनों जहाजों के किसी भी प्रकार के मलबे पर नजर के लिए सतर्क कर दिया । बांगला देश, मालदीव, श्रीलंका,और सिंगापुर स्थित अपने मिशनों से इन दोनों जहाजों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए प्राधिकारियों से संपर्क स्थापित करने का भी अनुरोध किया गया ।

नौवहन महानिदेशक ने समुद में इन दोनों जहाजों के अनुमानतः लापता हो जाने की घोषणा करने के बाद 15-7-85 को वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम की धारा 360 के तहत कानूनी जांच के आदेश दिए और उक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बम्बई को दुर्घटना की जांच करने के लिए कहा है । इस कानूनी जांच का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के कारणों पर प्रकाश डालना और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की रोकने के लिए उपायों पर विचार करना है ।

नौवहन महानिदेशक द्वारा जांच के दौरान प्राप्त कुछ कागजातों खासकर समुद्री रेडियो वैंड पर डाक और तार विभाग के मदास तटीय रेडियो स्टेशन के माध्यम से एम० वी० नित्य नानक और उसके मालिक के बीच रेडियो संदेश का जो आदान प्रदान हुआ उससे पता चला कि जहाज में पानी रिसने और होल्डों में पानी घुसने के बारे में तीन-तीन रेडियो संदेश के बावजूद जहाज मालिक ने 22-6-85 को पोस्टल रेडियो के माध्यम से यह संदेश भेजा कि उसे यह भरोसा है कि जहाज सीधे कलकत्ता पहुंच रहा है । मालिक का यह संदेश नहीं भेजा जा सका क्योंकि जहाज से रेडियो संपर्क टूट गया था । जहाज मालिक को जहाज में कुछ नए छेद हो जाने और एम० वी० नित्य नानक के कठिन परिस्थिति में घिरे होने की जानकारी थी । मालिकों द्वारा जहाज को कलकत्ता की ओर बढ़ने का निर्देश देने की कार्रवाई से उनकी संवेदन हीनता और अपराधमूलक उपेक्षा वृत्ति का पता लगता है । इसके अलावा ऐसे समय में मालिकों के लिए वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम की धारा 358 के तहत प्राधिकारियों की जहाज के कठिन स्थिति में होने की सूचना देना अनिवार्य था । समुद में जीवन सुरक्षा के प्रभारी कानूनी प्राधिकारियों को 5 दिन तक देर से सूचना देने से दुर्घटना के तुरन्त बाद खोज और बचाव कार्य शुरू करने में देर हुई ।

आगे जांच करने पता चला कि जहाज जब कोलम्बो पत्तन पर था, उस समय मालिकों को मुख्य ट्रांसमिटर में खराबी की जानकारी थी । पुर्जों के अभाव में उसकी मरम्मत नहीं की जा सकी । प्राधिकारियों की इसकी भी सूचना नहीं दी गई ।

सरकार की दृष्टि में मालिको ने इस बारे में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया । तदनुसार नौवहन महानिदेशक ने मालिक की अपराधमूलक उपेक्षाकृत वृत्ति की जांच करने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मेरीटाइम ब्यूरो लन्दन से भी यह निर्धारित करने के लिए जांच करने के लिए अनुरोध किया गया है कि यह प्रत्यक्ष रूप से धोखाधड़ी करने का मामला तो नहीं है । उक्त एजेंसी का तथापि यह मत है कि दोनों दुर्घटनाओं में सारे के सारे कर्मीदिल के लापता होने और किसी अन्य सूचना के प्राप्त नहीं होने के कारण इस समय वाणिज्यिक तौर पर जांच करने

से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तथापि अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम ब्यूरो इस मामले में भारत सरकार को यह जानकारी देते रहने पर सहमत हो गया है जो उसे आगे प्राप्त होगी।

एक ही समय मैनी शिपिंग कंपनी के दो जहाजों के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात को ध्यान में रखते हुए इस मालिक के शेष तीन जहाजों और तीन अन्तर्देशीय वाजों को पोर्ट में ले आया गया है और उनकी जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि उनकी दशा समुद्र में चलने योग्य बनाए रखी जाती है या नहीं ।

इन जहाजों के कर्मीदल के भविष्य के बारे में माननीय सदस्यों और इन जहाजों के कर्मीदल के सगे संबंधियों की तरह मुझे भी चिन्ता दुःख और क्षोभ है ।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा होनी चाहिए। कनिष्क के मामले में सभी प्रकार की चर्चायें हुई थीं । यहां जो प्रश्न है वह भी दो बड़े जहाजों के लापता होने के संबंध में है ।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई भी प्रश्न नहीं पूछ सकते । मैं नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता । इसकी अनुमति नहीं है । कृपया बैठ जाइये । अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सही है कि जहाजों के स्वामित्व वाली कम्पनी को बीमा राशि की अदायगी की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न नहीं पूछ सकते । आपकी ओर से मैं पूछूंगा । आप चिन्ता मत कीजिए । यह एक गम्भीर विषय है । आपने क्या कार्यवाही की है ? क्या मामला रजिस्टर किया गया है ? क्या यह आपराधिक लापरवाही का मामला है । क्या मुआवजे की अदायगी के संबंध में चालबाजी और ऐसा ही अन्य बातें हुई हैं ? इसकी भी सही तरीके से जांच की जानी चाहिए और ऐसा करने वालों को दण्ड दिया जाना चाहिए । इससे जनता में काफी क्षोभ फैल रहा है । यह कई लोगों के जीवन का प्रश्न है । उन्हें इस प्रकार का निर्दय व्यवहार कैसे करने दिया जा सकता है ?

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, आपने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं । यह "नित्य नानक" और "नित्य राम", दो जहाज डुबाने की ही एक कहानी है बल्कि मैनी शिपिंग कंपनी, जो इसकी ओनर है, उसने पांच जहाज डुबाए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : तो यह पुरानी कहानी है ।

श्री राम स्वरूप राम : इसकी पुरानी कहानी है ।

अध्यक्ष महोदय : आदतन, इरादन ऐसा किया है ।

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि इस कम्पनी के मालिक को

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अविलम्ब गिरफ्तार करना चाहिये और उसके बाद इंक्वायरी होनी चाहिए। इन्होंने "नित्य अंगद", जो सड़ी हुई प्याज लेकर दुबई जा रहा था, उसको डुबोया। "नित्य अर्जुन" जहाज को डुबाया और तीसरे जहाज "नित्य अमर" को कोचीन के किनारे डुबोया और इसके बाद "नित्य नानक" और "नित्य राम" को डुबोया।

अध्यक्ष महोदय : सारे गायब हो गए और अभी तक कंपनी चला रहे हैं और बाहर बैठे हैं।

[अनुवाद]

क्या वे अभी तक बाहर हैं और स्वतंत्र हैं ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : श्रीमन्, यह सच नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौना) : क्या सच नहीं है ? मंत्री महोदय कैसे कहते हैं कि यह सच नहीं है ?

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम : मुझे जो गैर सरकारी तौर पर सूचना मिली है, वह यह है कि इस कम्पनी ने 5 जहाज डुबोए हैं और सरकार के रस्मी तौर पर सदन को बता दिया है कि हम यह कार्यवाही कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप विषय की गम्भीरता को समझें। यह जो मैनी शिपिंग कम्पनी है, इस पर पहले से बैन लगाना चाहिए था। आपने अपने जवाब में कहा है कि "नित्य नानक" में जब पानी प्रवेश कर रहा था, तो उसकी सूचना दी गई, कैप्टेन ने सूचना दी लेकिन उस पर कम्पनी ने कोई कार्यवाही नहीं की। हर चीज के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। सिर्फ एक एफ० आई० आर० दायर करने से कुछ नहीं होता और डी० जी०, शिपिंग ट्रांसपोर्ट ने क्या स्टेटमैंट दिया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आप विषय की गम्भीरता को समझें। मैनी शिपिंग कम्पनी में कौन-सी ऐसी पावरफुल कम्पनी है, जो आदमियों को डुबो रही है, हिन्दुस्तान की सम्पत्ति को डुबो रही है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। मैं तो यह कहूंगा कि यह जहाज चलाने वाली कम्पनी नहीं है बल्कि जान लेने वाली कम्पनी है और सम्पत्ति का नुकसान करने वाली कम्पनी है। इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए।

एक दूसरी बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस दिन यह घटना घटी और जहाज समुद्र में जाने लगा, तो इसके फिटनैस का सर्टीफिकेट किस पदाधिकारी ने दिया ? इसका काई जिक्र आपने नहीं किया। उसके फिटनैस का सर्टीफिकेट किस तारीख को मिला और इसका जिक्र आपके जवाब में नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आप भी इस सवाल के प्रति बहुत तत्पर नहीं हैं बल्कि आपका यह जवाब रस्मीतौर पर आया है और उस सदन में भी आप रस्मीतौर पर जवाब दे रहे हैं। आपने अपनी स्पीच में यह स्वीकार किया है कि उसमें नेगलीजेंस हुआ है। इसमें नेगलीजेंस किसकी तरफ से हुआ है ? कम्पनी की तरफ से जो लोग जहाज चलाने वाले हैं, जो फिटनेस सर्टीफिकेट देते हैं क्या उन पदाधिकारियों की तरह से यह नेगलीजेंस हुआ है ? आप उन पदाधिकारियों पर कौन-सी कार्यवाही करेंगे, यह

आपने अपने जवाब देते समय नहीं बताया । उन दोनों जहाजों में डिफेक्ट था तो कम से कम आपको यह बताना चाहिए था कि ये जहाज जाने लायक थे या नहीं थे और किसी ने इन्हें फिटनेस सर्टीफिकेट दिया था या नही । अगर किसी ने सर्टीफिकेट दिया था वह किसने दिया था ?

तीसरी बात यह है कि पहले भी आपके तीन जहाज डूबे हैं—(1) नित्य अंगद, (2) नित्य अर्जुन, (3) नित्य अमर । उनकी कोई विशेष जानकारी सरकार के पास है या नहीं कि उन जहाजों के डूबने के पीछे कौन-सा राज है ? उसकी जानकारी आपके विभाग को है या नहीं ? क्या उनके बारे में कोई जांच की गई और जांच करने के क्रम में कौन से फैक्ट्स सरकार के सामने आये ? क्या सरकार ने उनके आधार पर कोई कार्यवाही कम्पनी के खिलाफ की या नहीं ?

मैं मानता हूं कि आपने एक एफ० आई० आर० लिखा दिया है, सी० बी० आई० के द्वारा जांच कराई । लेकिन मैं मांग करता हूं कि यह मानवता का प्रश्न है, यह नेशनल इशू है । आपको यह देखना चाहिए कि कैसे लोग इस देश में जहाज चलाते हैं जिनके लिए जान की कोई कीमत नहीं है । मैं कहता हूं ऐसे लोगों को कमर में रस्सा लगा कर बम्बई की सड़कों पर घुमाना चाहिए । (व्यवधान) ऐसे देशद्रोहियों के साथ यदि आप ऐसी कार्यवाही नहीं करते हैं, उनकी कमर में रस्सा लगा कर जेल में बंद नहीं कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि यह सरकार की नपुंसकता होगी । मैं आपको चार्ज करना चाहूंगा कि तीन-तीन घटनाएं पहले घटीं, यह पांचवी घटना है । आपने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की । नार्मल तौर पर एक एफ० आई० आर० बोम्बे मजिस्ट्रेट को दे दिया । इसकी इंकवायरी में कितने दिन लगेंगे ? आपका विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है । आपके डी० जी० कहते हैं कि मैंने मैसेज भेजा । आपके डी० जी० ने मैसेज भेजा लेकिन 11 दिन के बाद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । यह बहुत दुखद बात है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें कोई विशेष भाषण नही करना चाहता हूं, आपने ही चेयर से मंत्री महोदय को आगाह कर दिया है । आपके कहने के बाद हम पर कुछ नहीं रह जाता है कि हम और कुछ बोलें । लेकिन मैं इतना जरूर जानना चाहूंगा कि क्या आप इस कम्पनी के लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे ? इन जहाजों से क्रू के जो 44 मेम्बर डूबे हैं उन लोगों के परिवारों को मुआवजा देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : आप यह कहते हैं कि क्या आप बन्द करेंगे, आप यह क्यों नहीं कहते कि आपने इन्हें बन्द क्यों नहीं किया, इसका जवाब दो । ये बाहर घूम रहे हैं ।

श्री राम स्वरूप राम : यही मुझे पूछना है । मैं तीन ही प्रश्न पूछना चाहता हूं । यदि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं·····

अध्यक्ष महोदय : ये डिस्टर्ब नहीं होंगे, ये जवाब देंगे । अब आप बन्द कीजिए और इन्हें बोलने दीजिए ।

श्री राम स्वरूप राम : जो तीन जहाज शुरू में डूबे उनके मालिक को और जो ये दो जहाज डूबे, इनके मालिकों को क्या आपने जेल में डाला ? क्रू के जिन लोगों की जानें गईं उनके परिवारों को आपने क्या मुआवजा दिया ? तीसरे, भविष्य में इस तरह की घटना न घटे, इसके लिए आप क्या तरीका निकाल रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आपके स्टेटमेंट में बहुत-सी ऐसी बातें हैं जो आपने लिखी हैं—

[अनुवाद]

"मालिकों द्वारा जहाज को कलकत्ता की ओर बढ़ने का निर्देश देने की कार्यवाही से उनकी संवेदनहीनता और अपराधमूलक उपेक्षा वृत्ति का पता लगता है। इसके अलावा ऐसे समय मालिकों के लिए वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम की धारा 358 के अन्तर्गत प्राधिकारियों जो जहाज के कठिन स्थिति में होने की सूचना देना अनिवार्य था। समुद्र में जीवन सुरक्षा के प्रभारी कानून प्राधिकारियों को पांच दिन देर से सूचना देने से दुर्घटना के तुरन्त बाद खोज और बचाव कार्य शुरू करने में देर हुई।"

यह एक तरह से हत्या का स्पष्ट मामला है···यह एक पूर्व निर्धारित और पूर्वनियोजित प्रयास है, और वह एक ऐसी बात है जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इस मामले में कार्यवाही कीजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह एक प्रकार का नरसंहार है; इन जहाजों पर 44 व्यक्ति सवार थे।

अध्यक्ष महोदय : यही बात है। दिल-दहलाने वाली बात है।

[हिन्दी]

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जनाबेआली, जो सवाल आपने उठाया है, जो भी फैक्ट्स मेरे पास मौजूद थे और जो एक्शन गवर्नमेंट ने लिया, वह सब आपके सामने स्टेटमेंट में दिया हुआ है, कोई भी चीज छिपाई नहीं गई है। (**व्यवधान**)

मैंने आपसे अर्ज किया, जहां तक सीरियसनेस का सवाल है, जैसा कि मैंने स्टेटमेंट में भी कहा है, उसमें कोई शुबहा नहीं है कि बहुत ही गम्भीर मसला है, बहुत ही दुःख देने वाला मसला है, क्रू मेंबर्स की फैमिलीज बहुत ही चिंतित हैं और मैं इस बात से पूरी तरह इत्तफाक करता हूं कि हम सबको उसमें हमदर्दी है।

दो-तीन सवाल हैं। कुछ तो हमारे आनरेबल मेंबर को मैं कह सकता हूं कि थोड़ी इनफर्मेशन की कमी है। जो तीन जहाजों का नाम लिया गया है, वे डूबे नहीं हैं। उनमें एक तो चटगांव में है, जिसको रोक दिया गया है कि तुम उसको चला नहीं सकते जब तक सी वर्दीनेस न हो। हालत उन सबकी खस्ता है। एक गुजरात में ग्राउंडेड हो गया है। इनमें से किसी जहाज का यह केस नहीं है कि बिल्कुल गायब हो गया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पता ही नहीं है कि जमीन खा गई या क्या हुआ। अब जहां तक जो जहाज मौजूद हैं, उन सबको पोर्ट पर खड़ा कर दिया है और इन्क्वारी कर रहे हैं कि उनमें से कौन से ऐसे हैं जो सी वर्दीनेस कंडीशन में हैं, या नहीं हैं। क्या उनके सर्टिफिकेट्स गलत हैं। उन सर्टिफिकेट्स के बारे में भी हम जांच कर रहे हैं। डी० जी० शिपिंग इसकी जांच करेंगे। सर्टिफिकेट्स दो एजेंसीज देती हैं। कुछ सर्टिफिकेट्स ऐसे हैं जी० डी० जी० शिपिंग देते हैं। चार सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनमें से दो सर्टिफिकेट्स डायरेक्टर जनरल शिपिंग देते हैं और दो सर्टिफिकेट्स···।

अध्यक्ष महोदय : मान लीजिए अंसारी साहब कि इनको भी कर लिया, सर्टिफिकेट्स भी···।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मान्यवर, मैं अपना पूरा जवाब खत्म कर लूं तो मेरे खयाल से कोई बात बाकी नहीं बचेगी। वक्त जरूर लगेगा। दो सर्टिफिकेट्स क्लेसिफिकेशन सोसाइटीज जो इंटर नेशनल सोसाइटीज हैं, वे देती हैं। क्लेसिफिकेशन सोसाइटीज की तरफ से लेप्सेस हुए हैं, गलत सर्टिफिकेट्स हैं, इस बात की भी जानकारी कर रहे हैं। तो अभी तब जो सारी चीजें कही जा रही हैं, जब तक सारे कागजात देखे नहीं जाते हैं तब तक हर चीज सामने नहीं आती। जो भी कागजात हैं, उनको देखने से एक बात और पता चली है कि सर्टिफिकेशन सोसाइटी ने जो सर्टिफिकेट दिया था, वह पांच साल के लिए सर्टिफिकेट देती है, लेकिन औनर आफ दि शिप को हर 24 महीने के बाद उसका इंस्पेक्शन करवाना चाहिए कि सी वर्दीनेस है या नहीं है। कोई खराबी तो नहीं आ गई है। इस ओनर ने 36 महीने तक, याने तीन साल तक उसकी ड्राई डाकिंग नहीं करवाई, जो कि दो साल बाद करवानी चाहिए। साथ ही साथ यह भी कि अगर दो साल के बाद ड्राई डाकिंग नहीं हो सकी तो उसको रिपोर्ट करनी चाहिए। डी० जी० शिपिंग उसकी परमीशन दे सकता है, इन्क्वारी के बाद। लेकिन इस क्लासिफिकेशन सोसाइटी ने बगैर डी० जी० शिपिंग को इत्तला किए हुए खुद उसके टाइम को एक्सटैंड कर दिया, यह भी एक चीज लाइट में आई है। हम इस क्लासिफिकेशन सोसाइटी के कण्डक्ट के बारे में और मालूमात कर रहे हैं कि उसमें कहां पर गलतियां हुई हैं और किस तरह से। यदि कहीं किसी का फाल्ट हो तो उसको ब्लैकलिस्ट किया जा सके।

जनाबे-वाला, मैं आपसे और सभी सदस्यों से एक अर्ज करना चाहता हूं कि मैं भी आपकी ही तरह इस मामले से पूरी तरह कन्सर्न्ड हूं और मैं आपको इस बात का पूरा यकीन दिलाना चाहता हूं···(**व्यवधान**)···इसकी हम पूरी इंक्वायरी करवायेंगे और उसके बाद जो भी शक्स दोषी पाया जाएगा उसको बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे। उसमें चाहे हमारे आफिसर ही क्यों न हों, अथवा क्लासिफिकेशन सोसाइटी दोषी पाया जाए या इसके आनर्स ही क्यों न दोषी हों, हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे।

यहां हमारे मोहितरिम मैम्बर ने कुछ सजैस्शन दिए हैं कि हम कमर में रस्सी बांध कर के···जाहिर है कि वे शब्द किसी जजबात में कहे गए हैं···दूसरी बात यह है कि मैं कोई बादशाह सलामत नहीं हो गया हूं जो कि कमर में रस्सी बांध कर कुछ करूं···(**व्यवधान**)

श्री राम स्वरूप राम : जब आप कहते हैं कि सारा फाल्ट उस कम्पनी का ही है···
(**व्यवधान**)

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : इस मुल्क में कायदे और कानून की हकूमत है···(**व्यवधान**)

श्री राम स्वरूप राम : उसको डिस्पैच ही नहीं करना चाहिए था···क्योंकि अगर किसी गरीब आदमी पर केस होता तो वह कभी का जेल में बन्द हो गया होगा। आज गरीब दफा 107 में बन्द कर दिया है और जहां 44 आदमियों को मारने वाले कातिल, क्राइम करने वाले के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यहां भी ऐसे बड़े-बड़े वकील बैठे हैं···(**व्यवधान**)···

श्री राम स्वरूप राम : डी० जी० पर भी केस होना चाहिए, दूसरे जो भी व्यक्ति जिम्मेदार हैं, उन पर केस होना चाहिए ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । आप अपनी ही बात के महत्व को कम कर रहे हैं । आप अपने ही खिलाफ बोल रहे हैं । अब आप बैठ क्यों नहीं जाते और सुनते क्यों नहीं ?

[हिन्दी]

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं एक बात अर्ज कर रहा था कि हमारी मिनिस्ट्री का काम था कि जैसे ही वह फैक्ट हमारे सामने आये और उन काग़जात और रेडियो मैसेज को देखने से हमें पता चला, उन सबको स्क्रूटिनाइज करने में, जाहिर है कि कुछ वक्त लगता है, उसके लिए सैट प्रोसीजर होता है, हमें लॉ मिनिस्ट्री से भी दिखलवाना पड़ता है कि स्टैंट्यूटरी इंक्वायरी के बाद, किसी मजैस्टीरियल इंक्वायरी के दौरान क्या केस के० सी० बी० आई० को इंक्वायरी बास्ते दिया जा सकता है या नहीं । हमने लॉ मिनिस्ट्री से क्लियरेंस ली और उसके तुरन्त बाद हमने केस होम मिनिस्ट्री को मूव कर दिया । जब हमें मालूम हुआ कि इस केस को सी० बी० आई० को सुपुर्द करना चाहिए और होम मिनिस्ट्री ने हमको क्लियरेंस दे दी तो हमने बिना एक दिन की डिले किए, वह मामला सी० बी० आई० को सौंप दिया जो कि हमारे मुल्क की सबसे बड़ी इन्वैस्टिगेटिंग मशीनरी है । वहां जाकर एफ० आई० आर० दाखिल करवा दी गई । अब लॉ एण्ड आर्डर को मेन्टेन करने का काम हमारी शिपिंग और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का नहीं है और उस काम में हमें यकीनन लॉ एण्ड आर्डर मशीनरी का सहारा लेना पड़ेगा, जिसको, इस ऑगस्ट हाउस ने सैट किया हुआ है, हमारे ओनरेबल मैम्बर्स ने सैट किया हुआ है और वह मशीनरी है—होम मिनिस्ट्री, पुलिस फोर्स और सी० बी० आई० । ये ही तीन डिफरैंट आर्गेन्स हैं । लेकिन हमने बगैर एक दिन की डिले किए हुए बिना किसी पक्षपात के इरादे के, बगैर किसी दूसरे इरादे के उसे रैफर कर दिया । हम इस बात में आपसे सहमत हैं कि जिन क्रू के मैम्बर्स के घर के लोग इस तरह से गायब हो गए हों, जिनके बारे में पता न चले कि उनको आसमान खा गया या जमीन खा गई उसके लिए हम भी दुःखी हैं, हमारे दिल में भी उसी तरह से दर्द और दुख है और मैं आपको इस बात का पूरा यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारी तरफ से कोई एफर्ट नहीं छोड़ा जाएगा और हम किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्लीज टेक यौर सीट···

मैंने आपका पैरा 8 पढ़ा है जिसमें कहा गया है कि—

[अनुवाद]

"आगे जांच करने से पता चला कि जहाज जब कोलम्बो पत्तन पर था उस समय मालिकों को मुख्य ट्रांसमीटर में खराबी की जानकारी थी । पुर्जों के अभाव में उसकी मरम्मत नहीं की जा सकी ।

सरकार की दृष्टि में मालिकों ने इस बारे में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया । तदनुसार नौवहन महानिदेशक ने मालिक की अपराधमूलक उपेक्षावृत्ति की जांच करने के लिये केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है ।"

[हिन्दी]

इन सारी बातों के बावजूद अब भी अगर वे लोग बाहर हों तो क्या आपने होम मिनिस्ट्री से या लॉ मिनिस्ट्री से पूछा कि वे लोग बाहर हैं, क्यों इस तरीके से बाहर घूम रहे है, यह एक महत्वपूर्ण आसपैक्ट है, और इसका आपकी ओर से कोई उत्तर नहीं आया है।..."

[अनुवाद]

अगर गृह मंत्रालय सहयोग नहीं दे रहा है तो इसके लिए आपको उनसे कहना चाहिए। आपको यह बात समझनी चाहिए कि इस मामले में कड़ाई से साफ इरादे से निपटा जाना चाहिए और इस विषय में आपकी बहुत ही स्पष्ट धारणा होनी चाहिए।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : श्रीमान्, जहां तक नौवहन और परिवहन मंत्रालय का संबंध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मंत्रालय का इरादा साफ और दृढ़ है। अपने वक्तव्य में मैंने जो तथ्य दिये हैं उनसे पता चलता है कि जब भी यह बातें सामने आई हैं, मंत्रालय ने ऐसे कानूनी कदम उठाने में जरा भी देर नहीं की है, जो कि उठाए जाने चाहिए; और इसने गृह मंत्रालय से भी बातचीत की है तथा इस पूरी घटना के दण्डनीय पहलू की छानबीन के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास प्राथमिकी (एफ० आई० आर०) दर्ज कराई। श्रीमान्, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो और गृह मंत्रालय इस मामले में निश्चित तौर पर कार्यवाही करेंगे और अपराधी व्यक्तियों का पता लगायेंगे। वास्तव में, श्रीमान् आपने जो भाग पढ़ा है, उसमें यही दोष थे,

अध्यक्ष महोदय : भूलों के कारण ही यह हुआ है। उनसे बात कीजिए और उनका सहयोग लीजिए।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : श्रीमान्, वे यहीं हैं, वे मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं। उनकी मदद से ही हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, इस मामले में आप जो रुचि दिखा रहे हैं और इसे जो महत्व दे रहे हैं, उसके प्रति हम आभारी हैं। जून का महीना हमारे लिए दुःख से भरा था। इस महीने एअर इंडिया की दुर्घटना हुई और इसी महीने दो मालवाहक जहाजों के लापता हो जाने की दुःखद घटना हुई। इस मामले में ये दोनों जो जहाज एक ही साथ लापता हुए एक ही कम्पनी के थे एक ही मालिक के थे; कोई मलबा नहीं मिला है, कोई सामान नहीं मिला कुछ भी नहीं मिला है। इससे प्रत्यक्षतः सन्देह उत्पन्न होता है। मेरे विचार से इसके विषय में जानने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो की या किसी सोच-विचार अथवा किसी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। इन दो जहाजों में से एक ने 5 जून को और दूसरे ने 17 जून को यात्रा आरम्भ की। **नित्य नामक** नामक जहाज का रेडियो सम्पर्क अन्तिम बार 21 जून को हुआ था। तब से 26 जून तक कोई रेडियो सम्पर्क नहीं हुआ ' इसके बारे में किसी को कुछ ज्ञात नहीं हुआ। इसलिए, पांच दिन तक इस जहाज के लिए कुछ नहीं हुआ। इसके बाद **नित्य राम** जहाज को लीजिए। **नित्य राम** का रेडियो सम्पर्क 21 जून को टूटा था और जहाज अपने गन्तव्य स्थान पर 27 जून तक भी नहीं पहुंचा। इसलिए पहले वाले मामले में पांच दिन तक और दूसरे मामले में छः दिन तक कोई रेडियो सम्पर्क नहीं रहा। ये रेडियो सन्देश निजी तौर पर नहीं भेजे जाते हैं, ये सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से भेजे जाते हैं; ये सरकार के प्रसारित करने वाले विभाग, चाहे वह कोई भी मंत्रालय हो, के माध्यम से भेजे जाते हैं। हमारा संबंध सरकार से है न कि

मंत्रालयों से, यह सही है कि प्रशासनिक तौर पर मंत्रालय इसके लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन यह कहने से कि यह मंत्रालय अथवा वह विभाग उत्तरदायी है, मैं नहीं समझता कि इस समस्या का कोई हल मिल सकता है। इस प्रकार श्रीमान्, इन दोनों जहाजों के साथ 5 दिन तक रेडियो सम्पर्क नहीं रहा, किसी को नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है; और इस समय मंत्री महोदय के वक्तव्य में सारा दोष मालिकों को दिया गया है। मालिक को दोष देना इसका केवल एक भाग है। जरूरी यह है कि हम उनके उत्तरदायित्वों पर गौर करें और सरकार को जो कुछ करना चाहिए था, पूरी तरह सतर्कता बरतने और सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए उसे क्या कुछ करना चाहिए था, इस पर ध्यान दें। हमारे यहां नौवहन महानिदेशक का एक काफी बड़ा विभाग है, यह कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, हमारे यहां व्यापारी बेड़ा विभाग है। इन बड़े-बड़े विभागों के लिए विशाल भवन हैं। इन विभागों से कुछ न कुछ करने की अपेक्षा की जाती है। ये क्या कर रहे हैं? पांच दिन तक जहाज लापता रहे। इस बारे में सभी ने चुप्पी साधे रखी। जुलाई के पहले सप्ताह में मैंने स्वयं जहाज की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश की थी। जब मुझे जवाब नहीं मिला, तो मैंने प्रधान मंत्री जी को लिखा। उन्होंने तुरन्त ही मेरे पत्र का उत्तर दिया जिसमें लिखा था कि उन्होंने यह मामला नौवहन और परिवहन मंत्रालय के साथ उठाया है। मुझे लगता है कि तभी कुछ कार्यवाही शुरू हुई। तब ही नौवहन महानिदेशक अथवा व्यापारी बेड़ा विभाग ने इस पर कार्यवाही की। अत: केवल यह कह देना कि हमारे यहां व्यापारी बेड़ा विभाग है, नौवहन महानिदेशक है और यह कि प्रमाण-पत्र आदि जारी किए जाने होते हैं, काफी नहीं है। ये केवल रिकार्ड रखने और फाइलें भरने तक के लिए हैं। वास्तव में और व्यवहार्य रूप में, हमें इस विषय में व्यावहारिक और गम्भीर होना होगा। मैं नहीं समझता कि ऐसा तत्काल हो जाएगा।

मुझे तो यही लगता है कि यह केवल जहाज मालिकों की लापरवाही से नहीं हुआ है। इसमें कुछ सांठ-गाठ का आभास मिलता है क्योंकि जब पांच दिन तक रेडियो सम्पर्क नहीं हुआ, तो भी नौवहन महानिदेशक चुप्प रहे; व्यापारी बेड़ा विभाग ने कहा कि "उन्हें कुछ मालूम नहीं है"। क्या यह सांठ-गांठ नहीं है? यह केवल कर्त्तव्यविमुखता का ही मामला नहीं है। यह केवल लापरवाही का ही मामला नहीं है। यह सांठ-गांठ का मामला लगता है। क्या मंत्री महोदय ने इस बारे में स्वयं कुछ किया है? क्या सरकार ने इस बारे में गौर किया है कि हो सकता है इन विभागों में से किसी विभाग के अधिकारियों और जहाज मालिकों के बीच साठ-गांठ हो? हम सभी यह जानते हैं कि नौवहन महानिदेशक कुछ ऐसे न्यूनतम मानदण्डों, न्यनतम उपकरणों को इन जहाजों में धारण करना निर्धारित करता है। क्या इस न्यूनतम मानदण्ड को अपनाया गया था? सरकार केवल इसलिए नहीं है कि वह कुछ बातों को निर्धारित करे। सरकार का काम इन्हें लागू करना है। क्या इसे लागू किया गया था? क्या ये न्यूनतम मानदण्ड, न्यनतम उपकरण जो कि एक जहाज के लिए आवश्यक होते हैं, विद्यमान थे? इन्हें लागू करने वाली मशानरी क्या कर रही थी? आप प्रयोक्ता विभाग से संबंधित हैं। विशाल राशि व्यय की जाती है। विशाल बजट राशि मंजूर की जाती है। किस बात के लिए? दो जहाजों के लापता हो जाने पर भी इस विषय में यदि हमें कुछ भी ज्ञात न हो तो मेरे विचार से ये बड़ी अजीब-सी बात है।

इस संबंध में कुछ विनियम भी होने चाहिए—मुझे विश्वास है और जहां तक मुझे ज्ञात है ये हैं—उसी तरह जैसे कि विमानों को निरन्तर कन्ट्रोल टावर से सम्पर्क बनाए रखना होता है, जहाजों को भी दिन में कम से कम एक बार सम्पर्क करना होता है। दिन में एक बार उन्हें

रेडियो सम्पर्क अवश्य करना होता है। जब पांच दिन तक कोई रेडियो सम्पर्क नहीं हुआ तो क्या किसी ने कोई कार्यवाही की? किसी को कुछ न कुछ करना चाहिए था। यह केवल दो या तीन दिन का प्रश्न नहीं है; पांच दिन हो गए थे और दूसरे मामले में तो छः दिन हो गए थे जबकि कोई रेडियो सम्पर्क नहीं हुआ था। इस प्रकार प्रत्येक जहाज द्वारा प्रतिदिन रेडियो से सम्पर्क करने के इस नियम का पालन नहीं किया गया। और इसके बाद आपको यह आवश्यकता भी नहीं हुई कि मालिक जहाजों के लापता होने की सूचना आपको दें। संबद्ध विभाग को जहाज लापता होने का पता था, और संबद्ध विभाग को यह भी पता था कि कोई रेडियो सम्पर्क नहीं हुआ है।

मंत्री जी ने समुद्र-गमन योग्यता के प्रमाण-पत्र के विषय में कुछ कहा था। समुद्र-गमन योग्यता के चार प्रमाण पत्र होते हैं। ये हैं सेफ्टी कन्स्ट्रक्शन प्रमाण-पत्र, सेफ्टी इक्विपमेंट प्रमाण-पत्र, लोड लाइन प्रमाण-पत्र और रेडियो टेलीग्राफी प्रमाण-पत्र। इनमें से दो सोसाइटी अर्थात् ब्यूरो ऑफ वेरीटास द्वारा जारी किए जाते हैं और दो नौवहन महानिदेशक द्वारा जारी किए जाते हैं। इन दो प्रमाण-पत्रों के संबंध में जो कि नौवहन महानिदेशक द्वारा जारी किए गए हैं, प्रश्न ये हैं कि ये क्यों जारी किए गए? केवल यह कह देना निरर्थक है कि अन्य दो प्रमाण-पत्र अपने आप से ही जारी कर दिये गए और उनका नवनीकरण कर दिया गया। इसका केवल यही मतलब है कि ये प्रमाण-पत्र बेकार हैं। इन्हें प्राप्त करने का कोई लाभ नहीं। इनकी अवधि यन्त्रवत् बढ़ा दी गई। मंत्री जी ने कहा कि इनकी अवधि किसी न किसी तरह अपने आप से ही बढ़ा दी गई। इस "अपने आपसे ही बढ़ाने" का क्या मतलब है? इसका मतलब हमारे पास कोई ऐजेंसी नहीं है, अथवा हमारे पास अगर यह है भी, तो अपना काम नहीं कर रही है जिसमें शामिल है यह देखना कि जहाज समुद्र में तभी जाए जब उसे समुचित प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया हो। इस प्रकार इन्हीं प्रश्नों से हम परेशान हैं।

जब इस प्रकार का कोई गंभीर मामला हो, तो इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपना केवल इसका एक भाग है। इसके बाद जांच होगी। आपको नहीं मालूम क्या नतीजा सामने आये। इस मामले में, की गई खोज से न तो कोई शव अथवा मलबा मिला और न ही दुर्घटना होने का आभास हुआ। समुद्र की सतह पर तेल के बिखरे होने का कोई चिन्ह नहीं मिला। आमतौर पर, जब भी कोई जहाज डूबता है, तो तेल ऊपर सतह पर तैरने लगता है। इस मामले में दुर्घटना का कोई आभास नहीं मिलता और न ही कोई सुराग मिला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन जहाजों का क्या हुआ? क्या ये सचमुच डूब गए? क्या ये वास्तव में समुद्र में उतरे थे? हो सकता है कि इन तथाकथित संदेशों का आदान-प्रदान मनगढ़न्त हो। इतना कुछ जानने के बाद भी क्या इन सब बातों की गहराई में जाने की जरूरत है। छानबीन के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो है; लेकिन छानबीन के लायक है क्या? हो सकता है कि वे मालिक, जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, छानबीन होने में बाधा उत्पन्न कर रहे हों।

ऐसे मामले में, जबकि लापरवाही होने से केवल एक या दो व्यक्तिओं की मृत्यु हुई हो, संबद्ध व्यक्ति को तुरन्त गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस मामले में, गिरफ्तारी और जमानत की बात तो दूर, उसे पकड़ने का कोई प्रयास तक भी नहीं किया। यह एक आम पुलिस मामला हो सकता है क्योंकि आपराधिक लापरवाही को भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत शामिल किया गया है। इन सभी विचित्र नौवहन संबंधी कानूनों, इन समुद्रीय नियमों, इस लंदन बोर्ड और ऐसी ही अन्य बातों की आवश्यकता नहीं है। आप उनके पास जाइये···

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : क्या वह फरार है ?

श्री कमल नाथ : मुझे मालूम नहीं। मंत्री जी इस बात का उत्तर देंगे।

जब सभी प्रकार की व्यवस्था थी तब मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि एक मामले में पांच दिन तथा दूसरे में छः दिनों तक जब उनसे कोई रेडियो सम्पर्क नहीं हो पाया था तो उन्होंने क्या कार्यवाही की। इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार था ? जहाज के मालिक के अलावा किसी को तो अवश्य पता होगा कि जहाज से कोई रेडियो सम्पर्क नहीं था। क्या उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है ? क्या उससे कैफियत मांगी गई ? जब बगैर आवश्यक प्रमाण-पत्र लिये बिना ही इन जलपोतों को समुद्र में उतार दिया गया था तब नौवहन महानिदेशक ने क्या कार्यवाही की थी। इस पर कार्यवाही करने में 1½ महीने का समय लग गया यह जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुःखद बात है। जब एअर-इंडिया का विमान दुर्घटना ग्रस्त हुआ था तब उसमें सफर कर रहे यात्रियों के सम्बन्धियों को पता चल गया कि उनके सगे-सम्बन्धी मर गए हैं, उन्हें पता था कि दुर्घटना में कोई जीवित नहीं बचा। परन्तु, इस मामले में—कुछ परिवार मुझसे मिले तथा उन्हें यह नहीं मालूम था कि क्या हो गया है। उन्हें पता नहीं था कि जहाज लापता है अथवा गुम हो गया। सरकार कभी कहती है कि जहाज गुम हो गया, कभी कहती है कि जहाज लापता है; कभी कहती है कि ऐसा समझा जाता है कि जहाज लापता है; यह केवल शब्दों में उलझाने वाली बात है। मुझे इनके कानूनी अर्थ पता नहीं हैं। यदि मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालें और मैंने जो कुछ एक प्रश्न किए हैं, उनका उत्तर दें तो मैं उनक बहुत आभारी होऊंगा।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जहां तक देरी के प्रश्न का सम्बन्ध है, इस समय जो प्रणाली अपनाई जाती है वह इस प्रकार है। तीन प्रकार के संदेश होते हैं। (i) साधारण संदेश, (ii) थ्री एक्स (3x) संदेश; और (iii) एस० ओ० एस० संदेश। जब कोई एस० ओ० एस० संदेश अथवा थ्री एक्स संदेश रेडियो के माध्यम से भेजा जाता है तो डाक तार विभाग में इस संदेश को जो व्यक्ति प्राप्त करता है उसका यह कर्त्तव्य है कि वह उस संदेश को सम्बद्ध विभाग, जो भी उसके लिए उत्तरदायी हो, को भेज दे। इस मामले में यदि इन संदेशों में कोई संदेश थ्री एक्स अथवा एस० ओ० एस० संदेश था तो जिस व्यक्ति ने इन संदेशों को प्राप्त किया उसका यह कर्त्तव्य था कि वह स्वतः ही इन संदेशों को नौवहन महानिदेशक तथा व्यापारिक जहाज विभाग को भेज देता। परन्तु 12, 21 और 28 जून, 1985 को जहाज के मास्टर द्वारा भेजे गए ये सभी संदेश सामान्य संदेश थे। यह जहाज के मास्टर और जहाज के मालिक के बीच सामान्य संचार सम्पर्क था। वास्तव में, इन सामान्य संदेशों में चूक होने की स्थिति में जो व्यक्ति इन्हें प्राप्त करता है उसके लिए इन संदेशों को नौवहन महानिदेशक अथवा व्यापारिक जहाज विभाग को भेजना आवश्यक नहीं होता। यह जहाज के मास्टर और जहाज के मालिक के बीच सामान्य संचार सम्पर्क था। यदि चूक कहीं हुई है तो वह जहाज के मास्टर की ओर से है जिसे संदेश पर थ्री एक्स अथवा एस० ओ० एस० चिह्नित करना चाहिए था अथवा यह जहाज के मालिक की जिम्मेदारी थी और यही सब मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि व्यापारिक नौवहन अधिनियम के अनुसार यह जिम्मेदारी मालिक की है कि जब भी कभी उसे कोई ऐसा संदेश प्राप्त हो कि जहाज के मास्टर ने उसे संदेश भेजा है कि जहाज कठिनाई में फंस गया है तो उसे बगैर इस बात को सोचे कि वह एस० ओ० एस० संदेश है अथवा थ्री एक्स संदेश उसका कर्त्तव्य है कि वह उस संदेश को नौवहन महानिदेशक और व्यापारिक नौवहन विभाग को भेज दे। और इसी का मैंने

अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है कि दुर्भाग्य से जहाज के मास्टर से संदेश पर संदेश प्राप्त होने के उपरान्त भी जहाज के मालिक ने न तो इन संदेशों को सम्बद्ध अधिकारी को ही भेजा बल्कि जब 21 जून को जहाज के मास्टर ने मालिक को यह संदेश भेजा कि जहाज मुसीबत में है, उसके अन्दर पानी घुस आया है। "जहाज बहुत ही कठिन स्थिति में है अतः हम इसे निकटतम भारतीय बन्दरगाह मद्रास ले जा रहे हैं।" तब जहाज के मालिक ने एक रेडियो संदेश भेज कर कहा कि वह इसे कलकत्ता बन्दरगाह पर ही ले जाए। जिसे रेडियो संदेशों का अध्ययन करने से एक यह तथ्य सामने आया है जिससे पता चलता है कि मालिक ने कुछ न कुछ गड़बड़ कर रखी थी।

माननीय सदस्य श्री कमल नाथ ने बहुत ही ठीक कहा है कि इसमें पांच से छः दिन की देरी हुई। परन्तु देर किसमें हुई? किसके द्वारा हुई? इस मामले में मालिक द्वारा उचित अधिकारियों को कार्यवाही करने और खोज करने के लिए सूचना देने में देरी हुई। मैंने अपने वक्तव्य में यही बात कही है। ये संदेश समय पर सम्बद्ध अधिकारियों को मिल जाते तो खोज का कार्य पांच व छः दिन पहले प्रारम्भ हो जाता। हमारे पास कोई सूचना नहीं थी और न ही व्यापारिक नौवहन विभाग और न ही नौवहन महानिदेशक के पास इसकी कोई सूचना थी। इसलिए इस पहलू की सम्पूर्ण जांच की जा रही है और यही एक ऐसा मुद्दा है जिससे जहाज के मालिक के के अपराधपूर्ण रवैये को पता चलता है और इसी वजह से हमने सी० बी० आई० में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है, जो कि इस मामले में उचित जांच करने वाला प्राधिकरण है।

अब माननीय सदस्य सदस्य ने अभी यह सुझाव दिया कि हमारे हवाई जहाजों की तरह ही समुद्री जहाजों का सीधा सम्पर्क समुद्र-तट से होना चाहिए। विश्व में कही भी अनेक कारणों से यह प्रणाली लागू नहीं है। केवल रेडियो संदेश के माध्यम से ही यह जाना जा सकता है कि जहाज की स्थिति क्या है। अधिकतर जहाज प्रतिदिन दोपहर के समय संदेश भेजते हैं क्योंकि उस समय अक्षांश और देशान्तर आसानी से मालूम किए जा सकते हैं और उनसे जहाज की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। जहाज का मास्टर जहाज के मालिक को तो रेडियो संदेश भेजता है परन्तु व्यापारिक जहाज विभाग और नौवहन महानिदेशक को कोई संदेश नही भेजता। यह केवल मालिक की जानकारी के लिए ही यह संदेश होता है कि जहाज वास्तव में कहां है।

अब, अनेक कारणों से जहाजों से नौवहन महानिदेशक को संदेश भेजने के लिए कहना कठिन है। मैं माननीय सदस्य के मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं। यह एक बहुत ही अच्छा सुझाव है बशर्ते कि इसे लागू करना संभव हो। परन्तु अनेक कारणों से बन्दरगाहों से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखना अत्यन्त कठिन कार्य है।

श्री कमल नाथ : एक अन्तरराष्ट्रीय बचाव और अनुसंधान अभिसमय है जिसका भारत ने अनुसमर्थन नहीं किया है। भारत ने इसकी अभिपुष्टि करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं उस विषय पर आ रहा हूं।

श्री कमल नाथ ने अभिसमय का उल्लेख किया है। हम इसका अनुसमर्थन करने जा रहे हैं।

हवाई जहाज स्थायी रूप से किसी न किसी रडार के सीधे सम्पर्क में रहते हैं। जब वे एक

स्थल नियंत्रण केन्द्र के रडार क्षेत्र से बाहर निकल जाते हैं तो स्वत: ही दूसरे केन्द्र के रडार क्षेत्र में आ जाते हैं। परन्तु पृथ्वी के वक्र-आकार की वजह से समुद्री जहाजों के संबंध में यह संभव नहीं। जब जहाज गहरे समुन्द्र में होते हैं तब उन्हें लगातार रडार के पर्दे पर रखना सम्भव नहीं होता। इसलिए, जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है, यह देखने के लिए कि जहाजों और चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और क्या-क्या कदम उठाने पड़ेंगे हम जांच कर रहे हैं। हम अभिसमय का अनुसमर्थन करने जा रहे हैं—वह प्रक्रिया जारी है तथा और भी जो अन्य कदम हमें उठाने हैं तथा अपने जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो भी संभव कदम उठाए जा सकते हैं, इस सम्बन्ध में वे सभी कदम उठाए जाएंगे।

एक प्रश्न प्रमाणपत्रों के बारे में है। प्रमाणपत्र जारी करने का एक सांविधिक प्रावधान है। माननीय सदस्य की यह जानकारी बहुत ठीक है कि चार प्रमाणपत्र जारी करने होते हैं—दो नौवहन महानिदेशक द्वारा तथा दो वर्गीकरण सोसायटी द्वारा। यह एक विश्वव्यापी सामान्य परिपाटी है कि ये प्रमाणपत्र सोसायटियों द्वारा ही जारी किए जाते हैं।

जहां तक सुरक्षा संरचना प्रमाणपत्र का सम्बन्ध है मैं दूसरे माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों के उत्तर में उसका स्पष्टीकरण दे चुका हूं। स्पष्ट तौर पर ऐसा दिखाई देता है कि वर्गीकरण सोसायटी की ओर से कुछ गलत आचरण किया गया है क्योंकि उसमें एक ऐसा सांविधिक प्रावधान है कि प्रमाणपत्र जारी करने के दो वर्ष बाद जहाज को निर्जल गोदी में लाया जाए और उसका उचित निरीक्षण किया जाए। परन्तु इस मामले में जहाज को तीन वर्ष से निर्जल-गोदी में नहीं लाया गया था। यदि किसी कारण से दो वर्षों के बाद जहाज को निर्जल गोदी में लाना सम्भव नहीं होता तो इस अवधि को बढ़ाना पड़ता है। नौवहन महानिदेशक ही इस अवधि को बढ़ा सकता है न कि सोसायटी। परन्तु इस मामले से बगैर अनुमति प्राप्त किए ही सोसायटी ने अवधि को बढ़ा दिया।

जहां तक रेडियो टेलीग्राफी का प्रश्न है, रेडियो टेलीग्राफी प्रमाणपत्र नौवहन महानिदेशक ने जारी किया था। एक मामले में यह अक्तूबर, 1985 तक तथा दूसरे में अगस्त, 1985 तक वैध था। इससे ही सिद्ध होता है कि प्रमाणपत्र उचित सावधानी और उचित निर्देशों के साथ जारी किया गया था परन्तु ये यन्त्र किसी भी समय खराब हो सकते हैं। तारीख की समाप्ति के दिन से कुछ ही महीने पहले रेडियो टेलीग्राफी व्यवस्था पूरी तरह से ठीक थी। इसमें यात्रा के दौरान कोलम्बो में गड़बड़ होनी प्रारम्भ हुई। एक मुख्य ट्रांसमीटर खराब हो गया था किन्तु इसकी मरम्मत नहीं की जा सकी क्योंकि इसके कुछ अतिरिक्त पुर्जे उपलब्ध नहीं थे। इस मामले में जहाज के मास्टर और जहाज के मालिक को इस तथ्य की सूचना नौवहन महानिदेशक को देनी चाहिए थी जोकि उन्होंने नहीं दी।

जहां तक नौवहन महानिदेशक द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों का संबंध है, उनमें कोई धोखेबाजी नहीं हुई है।

1.00 म० प०

जहां तक वर्गीकरण सोसायटी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र का संबंध है, उस पहलू की जांच की जा रही है और यदि जांच के बाद यह पाया गया कि उन्होंने कोई गलत निर्णय लिया है तो हम अवश्य ही वे सभी आवश्यक कदम उठाएंगे जोकि वर्गीकरण सोसायटी के विरुद्ध उठाए जा सकते हैं।

1.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 5 मिनट पुनः समवेत हुई

2.05 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

गैर-सरकारी स्वामित्व वाले दो भारतीय मालवाहक जहाजों के बंगाल की खाडी में लापता होने का समाचार

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री सैफुद्दीन चौधरी बोलेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे पहले के वक्ता माननीय सदस्य श्री कमल नाथ अच्छा होता यदि यह न बताते कि प्रधान मंत्री द्वारा यह लिखने के बाद कि कार्यवाही की जाए, मंत्रालय द्वारा कार्यवाही शुरू की गई। यदि इस रफ्तार से नौवहन विभाग काम करता है तथा यदि प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप के बाद कार्यवाही शुरू होती है तो मुझे उस सरकार के लिए खेद है जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह अधिक तेजी से काम करती है।

जहाज के मालिक द्वारा आपराधिक गलती की गई जिन्हें मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में भी स्वीकार किया है तथा माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी वाद विवाद में हस्तक्षेप करके मामले को गंभीरता प्रदान की है—मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं—जिस तरह का यह मामला है उससे मुझे यह लगता है कि सारी बातें दबाने के लिए यह एक प्रकार का षडयंत्र है। यदि समाचारपत्रों में यह न आया होता तथा यदि संसद सदस्य इस पर जोर नहीं डालते तो दो जहाजों के गुम हो जाने के मामले पर सदन में इस प्रकार का वाद-विवाद न होता अब कम्पनी के मालिक की गलती भी पता चल गई है। परन्तु, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने भी जानना चाहा है, यह प्रश्न उठता है कि उन पर अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। जांच के दौरान भी ऐसा किया जा सकता था। डी० जी० को सूचना भेजने में भी उन्होंने 5 या 6 दिन लगा दिए। इसके बाद भी इस मामले में जांच आरम्भ कराने में भी 6 दिन और लग गये। अब 11 दिन बीत चुके हैं जिसके लिए आंशिक रूप से मालिक जिम्मेदार है तथा आंशिक रूप से सरकार जिम्मेदार है। इस नौवहन कम्पनी मैनी ने न केवल गैर-कानूनी व्यवसाय ही किया है उन्होंने बीमा कंपनी के साथ धोखा भी किया है तथा चालक दल के सदस्यों तथा कैप्टिन के साथ लापरवाही भी बरती है। तथा अब यह पता भी चल चुका है तथा मंत्री महोदय ने भी इसे स्वीकार कर लिया है कि पहले पोरबंदर में उन्होंने एक दूसरे जहाज का रास्ता बदल दिया था तब वह डूब गया था तथा उन्होंने बीमे का दावा किया था। दो जहाजों के गुम हो जाने के इस विशेष पहलू के बारे में कई मत व्यक्त किए जा रहे हैं जिनमें से एक जहाजों के डूबने की है। इस बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है कई अन्य मत भी हैं जो कहते हैं कि इनका तमिल टाइगर्स द्वारा अपहरण कर लिया गया है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम यह तो सरकार को बताना चाहिए कि वह इस बारे में क्या जानती है तथा हमें इस समस्या के सभी पहलुओं को देखना है। मैंने कल दि पैट्रिआट मे एक कल्पनापरम लेख पढ़ा था कि बंगाल की खाड़ी में एक बरमुडा

ट्राइएंगल की तरह की कुछ चीज हो सकती है जिसमें जहाज गुम हो जाते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह देशभक्तिपूर्ण व्याख्या है।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : मेरे विचार से समुद्री डाकुओं ने जहाज का अपहरण कर लिया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह किसने किया यह बताना सरकार का काम है। परन्तु सारे मामले को गड़बड़ाने के लिए कई बातें सामने लाई जाती हैं। जहां तक जहाज डूबने की बात का संबंध है कैप्टिन ने जहाज के मालिकों को एक संदेश भेजा था जिस पर समुचित ध्यान नहीं दिया गया। यह सब तो समझ में आता है पर यह समझ में नहीं आता कि क्या विलंब के कारण ऐसा हुआ। यदि जहाज डूबा है तो इतने दिनों की जांच के बाद भी जहाज का कोई भी हिस्सा क्यों नहीं मिला? हम यह सब अखबारों में पढ़ रहे हैं। हमें बताया गया है कि यदि जहाज डूबा होता तो उसका कुछ मलबा पानी पर जरूर तैरता मिलता।

दूसरा मत यह है कि इसे बेच दिया गया। तब प्रश्न यह उठता है कि चालक दल के सदस्यों का क्या हुआ। इस संबंध में हम सभी को चिन्ता है तथा इसी से हमने मानवीय पहलू का मुद्दा उठाया है? जहाज के चालक दल के इन अभागे 44 व्यक्तियों का क्या हुआ? उनके परिवारों का क्या होगा?

आठवें दशक के शुरू में इसी तरीके से हिन्द महासागर तथा अन्य समुद्रों में लगभग 44 जहाज बेचे जा रहे थे। परन्तु उस समय उनके चालक दल के सदस्य विस्मयजनक ढंग से सकुशल लौट आए। अब इस मामले में हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम तथा जब चालक दल के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है तब हम क्या यह सोचें कि जहाज के मालिक इतना क्रूर व्यवहार करते हैं कि चालक दल की जान खतरे में पड़ जाती हैं। इन सब पहलुओं की जांच की जानी चाहिए।

अब मंत्री महोदय ने समुद्री यात्रा योग्यता प्रमाणपत्र के बारे में कहा है, यह प्रमाणपत्र उन्हें जहाज को समुद्र में ले जाने के लिए दिया जाता है। अब यह संदेह उत्पन्न होता है कि सरकार में कुछ संबंधित अधिकारियों तथा इस प्राइवेट कम्पनी के बीच किसी प्रकार की सांठ गांठ के बिना ऐसी असावधानी तथा गलती नहीं हो सकती। यह हमारी समझ से बाहर की बात है। आपने कहा है कि समुद्री यात्रा योग्यता का प्रमाणपत्र चार अधिकारी दे सकते हैं जिनमें से एक डी० जी० है। आपने क्लासिफिकेशन सोसाइटी के बारे में भी कहा है। यह क्लासिफिकेशन सोसाइटी क्या है? क्या यह सरकारी संगठन है अथवा कोई प्राइवेट एजेंसी है। मुझे नहीं मालूम। क्या किसी संगठन विशेष से प्रमाणपत्र लेना मालिकों द्वारा जहाज समुद्र में ले जाने के लिए पर्याप्त है या चारों संगठनों से प्रमाणपत्र लेना पड़ता है? हमें नहीं मालूम। यहां पर हमें लगता है कि किसी प्रकार की सांठ-गांठ हुई है तथा मंत्री महोदय को इस मुद्दे को उठाकर उसके बारे में हमें बताना चाहिए कि वास्तविकता क्या है।

पहले ही काफी विलम्ब हो चुका है। अब सरकार ने एक महीने बाद जांच के लिए यह मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपा है। सभा में तथा सभा के बाहर इतना हंगामा मचने पर हमें यह बताया गया था कि अपराधिक पहलू की जांच के लिए मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है। क्या इस जांच में अधिकारियों से की गयी सांठ-गांठ पर भी ध्यान दिया

जाएगा ? यह भी मुझे नहीं मालूम । यदि ऐसा नहीं होता तो अलग से इस बात की विशेष किस्म की जांच करवानी पड़ेगी ।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता । अब मैं आखिरी मुद्दे पर आता हूं । ये गैर सरकारी नौवहन कम्पनियों सही ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं । ये बहुत अमानवीय तरीके से कार्य कर रही हैं जिसके बारे में अनेक व्यक्तियों ने कहा है । इसका ज्वलंत उदाहरण है मैनी कंपनी । उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । यह वस्तुतः आश्चर्य की बात है । ये कंपनियां कहती हैं कि वे घाटे में जा रही हैं । उनका कहना है कि व्यवसाय में मन्दी आ रही है तथा हो सकता है वे कंपनी न चला सकें । इस मामले में जबकि सरकार के पास एक बड़ा संगठन—भारतीय जहाजरानी निगम है क्या वह इस कम्पनी का प्रबंध अपने हाथ में लेगी तथा इसे सही तरीके से चलाएगी तथा देश का सारा नौवहन संचालन अपने हाथ में लेगे ?

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन सभी बातों का उत्तर दें तथा मैंने जो मुद्दे उठाये हैं, उनमें किसी का भी उत्तर देने से रह न जाये ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मेरे विचार से कोई नई बात नहीं कही गई है तथा अपने वक्तव्य तथा पिछले प्रश्नों के उत्तर में मैंने जो तथ्य बताए थे यदि आप कहें तो मैं उन्हें ही दोबारा दोहरा दूंगा...(**व्यवधान**)

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मालिक के सांठ-गांठ की बात एकदम आधारहीन है, इस बारे में इससे अधिक बेतुकी बात कही ही नहीं जा सकती । हमारे सामने जो तथ्य हैं उससे इसकी पुष्टि नहीं होती ।

इसका दायित्व निर्धारित किया गया है । या तो जहाज के कैप्टिन ने रेडियो संदेश द्वारा कोई सूचना भेजी है तथा वह संदेश स्वतः डी० जी० नौवहन को या मर्केन्टाइल मेरीन विभाग को दिया जाता है या फिर मालिकों के पास भेजा गया या कोई सामान्य संदेश है । मालिक का यह दायित्व था कि वह डी० जी० नौवहन तथा मर्केन्टाइल मेरीन विभाग को इसकी सूचना दे ।

मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि मालिकों द्वारा यह सूचना इन अधिकारियों के पास देर से भेजने के कारण ऐसा हुआ है । ऐसी कार्यवाही पहले नहीं हो सकी तथा इसमें 5 या 6 दिन का विलंब हुआ । यह मैंने अपने वक्तव्य में कहा था । सांठ-गांठ किए जाने की जो नयी बात माननीय सदस्य ने कही है वह बिल्कुल निराधार है तथा इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है ।

कानून के अन्तर्गत जो भी कदम उठाए जाने चाहिए थे नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा वह उठाए जा चुके हैं ।

एक सांविधिक जांच बैठा दी गयी है । अब प्रश्न यह उठता है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास एफ० आई० आर० दर्ज करवाए जाने में क्यों विलंब हो रहा है । यह सभी जानते हैं कि जब मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाती है तब विधि मंत्रालय से यह पूछना पड़ता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही जांच के बावजूद भी कोई कार्यवाही की जा सकती है तथा इसके बाद गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह इस मामले में मदद करे क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो का नौवहन मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है । सभी कदम उठाए जा चुके हैं । अब प्रश्न यह है कि हमने एफ० आई० आर० दर्ज करवा दी है । यह निष्कर्ष निकलता है कि कुछ व्यक्तियों के व्यवहार पर संदेह

है। अभी तक कुछ पता नहीं चला है। अब इस संदेश से यह लगता है कि इसमें कुछ गड़गड़ है।

श्री जी० श्री० स्वैल : संदेह तो व्यक्त किये गये थे।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मालिकों के व्यवहार के बारे पर कुछ गड़बड़ वाली बात है। मैंने भी अपने वक्तव्य में यही कहा था। इन संदेशों को देखने के बाद हमने तुरन्त केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास एफ० आई० आर० दर्ज करवाया तथा उनकी जांच चल रही है।

श्री जी० जी० स्वैल : क्या उन्हें मछलियां खा गईं ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मुझे नहीं मालूम। किसी ने भी खाया हो। यह भी एक थ्योरी है जो रोज अखबारों में आ रही है। यह भी एक थ्योरी है कि उन्हें मछलियां खा गईं। तमिलों ने जहाज का अपहरण कर लिया इस थ्योरी सहित ये सभी थ्योरियां आदमियों के दिमाग की उपज है जिसका कोई प्रमाण नहीं है। भारतीय समाचारपत्रों की रिपोर्ट के आधार पर श्रीलंका रेडियो ने कहा है कि ऐसी रिपोर्ट है कि तमिलों ने जहाज का अपहरण कर लिया है। इसलिए श्रीमन्, यह सभी थ्योरियां तथा लेख अखबारों में आ रहे हैं। इन सब तथ्यों तथा इसके मालिक के व्यवहार की जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो ही सही एजेंसी है। अब इसके बारे में हम कैसे क्या कर सकते हैं ? यह अपहरण वाली संभावना नहीं है क्योंकि अपहरण के हर मामले में अपहरण-कर्त्ताओं का सामान्य रवैया यह रहता है कि वायुयान या जहाज अपहरण करते ही वे इसके बारे में शेखीपूर्वक घोषणा करते हैं क्योंकि वह डर पैदा करना चाहते हैं, डर पैदा करने की मंशा सामान्यतः मौजूद रहती है। कुछ अखबारों तथा श्रीलंका रेडियो ने भी यही कहा है। परन्तु इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता तथा मेरे लिए भी अभी कुछ कहना उचित नहीं है। बस यही है कि प्रशासन तथा नौवहन व परिवहन मंत्रालय के दिमाग में एक संदेह पैदा कर दिया गया है कि मालिक का व्यवहार संदेहास्पद है तथा इसमें कुछ गड़बड़ प्रतीत होती है। इसलिए हमने यह कार्यवाही की।

अन्य प्रश्नों का उत्तर मेरे विचार से मैं दे चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है अब आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री इन्द्रजीत गुप्त, जो कि इस सभा के वरिष्ठ सदस्य भी हैं, की अवज्ञा नहीं कर सकता इसलिए मैं बैठ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप हर मामले में श्री इन्द्रजीत गुप्त की आज्ञा नहीं मानते हैं।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मेरे विचार से अब किसी नए प्रश्न का उत्तर देना बाकी नहीं है।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, दो मालवाहक जहाजों एम० वी० 'नित्य नानक' तथा एम० वी० 'नित्य राम' का अचानक गायब हो जाना इंडियन मैरीन मर्चेन्ट

विभाग के इतिहास में अप्रत्याशित घटना है। केवल दो जहाज ही गायब नहीं हुए हैं वरन 44 कीमती जानें भी चली गई है। अभी कनिष्क की दुखद खटना हुई है परन्तु उसमें यह तो स्पष्ट रूप से सभी का पता चल गया कि कनिष्क में सवार सभी यात्रियों की मृत्यु हो गई। इस मामले में आज तक यह भी नहीं पता चल सका है कि वे 44 व्यक्ति जिन्दा हैं या नहीं। मंत्री महोदय के वक्तव्य में यह नहीं बताया गया कि इस घटना के बारे में सरकार की क्या राय है।

नौवहन सूत्रों के अनुसार समुद्र में भारतीय मर्चेन्ट पोतों की 30 बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताएंगे कि क्या ऐसा कोई मामला हुआ है जब जहाज का मलबा न मिला हो या उसमें सवार व्यक्तियों का कुछ पता न चला हो। मुझे बताया गया है कि पिछली 30 बड़ी दुर्घटनाओं में कैराली का मामला ऐसा है जो कि वर्तमान रहस्य के समान है उसमें भी 1979 में अटलांटिक महासागर में जहाज गुम हो गया था। कैराली के मामले में मुझे नहीं मालूम यह सच है या नहीं—दुर्घटना का कारण चक्रवात बताया जाता है तथा उसमें संभावना है कि जहाज का मलबा समुद्र में काफी दूर फैंक दिया हो। मैं नहीं जानती वास्तव में क्या हुआ परन्तु उस दुर्घटना के बाद इस बात की सावधानी बरती जानी चाहिए कि ऐसे मामले दोबारा न हों।

वर्तमान मामले में दो जहाज बंगाल की खाड़ी में उस समय लापता हो गए जब समुद्री यात्रा के लिए मौसम बहुत ही अच्छा था। वह क्षेत्र जहां जहाज लापता हो गये उसके विषय में कहा जाता है कि यह उन व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है जिनके बीच विभिन्न कंपनियों अथवा विभिन्न राष्ट्रों के जहाज लगभग प्रतिदिन गुजरते हैं।

मैं सबसे पहले यह जानना चाहूंगी कि क्या सरकार ने कैराली दुर्घटना के पश्चात् इन्हें रोकने और इनके बचाव के लिए और साथ ही पता न चलने वाले जहाजों के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही के लिये पर्याप्त सावधानी बरती है।

श्रीमन्, माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि अधिकारियों को सूचित करने में विलंब के कारण कार्यवाही करने में विलम्ब हुआ। महोदय, मैं यह जानना चाहूंगी कि इस मामले में विभाग का आरंभ से ही अर्थात्, जब जहाज पानी में हैं संबंध क्यों नहीं है। क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे पानी में जहाजों की खोज-खबर रखी जा सके? उन्होंने इसकी ओर ध्यान क्यों नहीं दिया और यह भी नहीं देखा कि क्या हुआ था? उन्होंने मालिक के संदेश भेजे जाने तक प्रतीक्षा क्यों की?

महोदय, जब जहाज कोलंबो में था मालिक को दोषपूर्ण ट्रांसमीटर का पता था। उसे पुर्जों के अभाव के कारण ठीक नहीं किया जा सकता था जैसा कि मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि इस विषय में अधिकारियों को भी रिपोर्ट नहीं गयी। वस्तुतः यह आश्चर्यजनक बात है कि इस जहाज को इस दोष के होते हुए जाने की अनुमति कैसे दी गई। अधिकारीगण क्या कर रहे थे और उनसे किस बात की अपेक्षा थी? क्या अधिकारियों से यह अपेक्षा थी कि वे दुर्घटना होने के पश्चात् आये अथवा अधिकारियों के लिए यह जानने की कोई व्यवस्था है कि कुछ हो रहा है, कोई दोष ढूंढा जा रहा है और कुछ किया जाना चाहिए? मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा जैसे कि उन्होंने अब जहाजों की समुद्र गम्यता के संबंध में कहा है, कि क्या अधिकारियों द्वारा आवधिक जांच की जा रही है। मैं विशेष रूप से यह जानना चाहूंगी कि क्या समुद्री व्यापार विभाग के पास जांच के लिए पूर्ण व्यवस्था है या नहीं? क्या कर्मचारी संख्या में किसी प्रकार की कमी है? क्या विभाग में पर्याप्त अर्हता प्राप्त सर्वेक्षक हैं? क्योंकि इन सभी के अभाव में दुर्घटना-

धार की वृद्धि होगी। अतः यह व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं, इस प्रकार की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि मालिक के पास तीन और जहाज हैं और उन तीनों जहाजों को उनकी समुद्रगम्यता की जांच के लिए पत्तन पर लाया गया है। वास्तव में क्या देखा गया है? क्या इन तीन जहाजों में समुद्रगम्यता है? यदि इन तीन जहाजों में दोष पाए गए हों तो क्या सरकार यह मान लेगी कि लापता हुए दो जहाज भी दोषपूर्ण थे? इस आधार पर सरकार किसी प्रकार का नियंत्रण लागू करेगी और जहाज मालिक को दण्डित करेगी? श्रीमान, जहाज मिले नहीं हैं, और वस्तुतः मंत्री महोदय ने बताया है कि जांच चल रही है। मैं मंत्री महोदय से विशिष्ट रूप से जानना चाहूंगी कि क्या सरकार ने इस संबंध में यह देखने के लिए कोई कार्यवाही की है कि जहाज किसी दूसरे देश की सीमा में तो प्रवेश नहीं करते। हमें कई प्रकार की आशंकाएं हैं क्योंकि यही जहाज किसी और रूप में, किसी और नाम से आ सकते हैं और इस प्रकार धोखाधड़ी होगी। मैं जानना चाहूंगी कि क्या कोई कार्यवाही की गई है। निस्सन्देह, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि जांच में इसकी ओर ध्यान दिया जायेगा।

अन्त में मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या गहराई में जांच करने से वर्तमान समुद्र प्रथा में विद्यमान कमियों को उजागर किया जाएगा। महोदय, यह शीघ्र सूचना प्राप्त करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाये और आवश्यक सावधानी बरती जाये। यह अत्यन्त वांछनीय है। श्रीमान मुझे नहीं मालूम कि क्या इन अत्यन्त पुरानी व्यवस्थाओं को अद्यतन बनाया गया या नहीं।

यदि ऐसा किया गया है तो किस सीमा तक। हमें जांच छोड़नी नहीं चाहिए। मंत्री को खोये हुए जहाजों के कारणों तथा किए गए उपायों के संबंध में एक निश्चित वक्तव्य देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं और खोये हुए जहाजों तथा चवालीस मनुष्यों के मारे जाने पर अपनी चिंता व्यक्त करती हूं।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं उसी को दोहरा कर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। अतः मैं उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा जो पहले पूछे जा चुके हैं और उनके उत्तर दे दिये गये हैं।

एक प्रश्न उठाया गया है और यह लापता जहाजों के संबंध में है। पिछले पांच वर्षों के दौरान विश्व-भर में इस प्रकार की अठारह घटनाएं हुई। अतः यह कोई नई बात नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इन दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या क्या थी।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मेरे पास ब्यौरा है और आपको भी बताता हूं। एक जहाज में चालक दल के लगभग 44 सदस्य थे जिनका कोई पता नहीं है। दूसरे जहाज में चालक दल के 33 सदस्य थे जिनका कोई पता नहीं चला। एक और जहाज में चालक दल के 33 सदस्य थे जिनका कोई पता नहीं चला। इसी प्रकार यह संख्या 32, 26, 24, 28, 23 आदि है।

(व्यवधान)

अतः विश्व भर में पिछले पांच वर्षों में इस प्रकार की अठारह घटनाएं हुई और इन अठारह घटनाओं में केवल चार का कुछ मलबा प्राप्त हुआ लेकिन चालक दल का कोई व्यक्ति अथवा कोई अन्य वस्तु प्राप्त नहीं हुई। एक जहाज में थोड़ा मलबा प्राप्त हुआ। एक अन्य जहाज

में एक रक्षक-नौका भटक कर किनारे पर आ लगी। (व्यवधान) शेष चौदह जहाजों में इन पांच वर्षों के दौरान विश्व भर में चालक दल के किसी सदस्य का अथवा किसी भी चीज का कोई पता नहीं चला। यह स्थिति है। फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें इन सभी बातों की गहराई से जांच नहीं करनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा है कि कई सम्भाव्यताएं और सम्भावनाएं हो सकती हैं। इसी प्रकार की एक संभावना यह है कि जहाज के मालिक की अनुचित असावधानी (आपराधिक लापरवाही) है अथवा कोई धोखेबाजी हो सकती है अथवा और कोई बात हो सकती है।

श्री जी० जी० स्वैल : क्या आपने सुनामी के विषय में सुना है? इनके गायब हो जाने के लिए सुनामी जिम्मेदार हो सकता है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : सुनामी क्या होता है?

श्री जी० जी० स्वैल : सुनामी भूकंपी समुद्री तरंगों को कहते हैं।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : माननीय सदस्य केवल अनेक कहानियां और संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। हजारों संभावनाएं हो सकती हैं। मेरा विचार है कि यदि माननीय सदस्य उन संभावनाओं की एक प्रति मुझे भेज देंगे तो मैं उसे जांच कर रहे अधिकारियों और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दूंगा। वह इस मामले की जांच करने के लिए बेहतर व्यक्ति हैं।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : श्रीमान, मैंने मंत्री महोदय का वक्तव्य पढ़ लिया है और मुझे इसकी एक प्रति भी प्राप्त हो गयी है। जो कुछ हमने पत्रिकाओं में पढ़ा है और जो समाचार पत्रों में पहले ही आ चुका है उसके अतिरिक्त उनके वक्तव्य में कोई नई बात नहीं है। हां, उन्होंने इस बात को स्पष्ट करने के लिए काफी कष्ट उठाया कि क्या उपाय किए गए हैं और यह देखने के लिए क्या सुरक्षात्मक कदम उठाए गए हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न हों। ठीक, बहुत अच्छा। परन्तु आपका मालूम होना चाहिए कि मुझे और पूरे सदन को इस बात की चिन्ता है कि उन दो जहाजों और उस चालक दल का क्या हुआ जो इन दो जहाजों में जा रहे थे। माननीय मंत्री ने इस आधार पर विचार करने का प्रयत्न किया है कि ऐसा विश्व भर में हो रहा है, अतः यह ठीक है। हम जांच कराएंगे; ऐसा पहले भी हुआ है और यहां भी हुआ है और ऐसा फिर हो सकता है क्योंकि यह एक विश्वव्यापी स्थिति है। पिछले प्रधान मन्त्रियों में से एक ने कहा था कि भ्रष्टाचार विश्वव्यापी तथ्य है। क्या हम इस प्रकार की बात को इसलिए स्वीकार करने जा रहे हैं क्योंकि यह विश्वव्यापी है अथवा यह एक अन्तर्देशीय स्थिति है अथवा जो कुछ भी है? तब उन्होंने एक वायुयान के अपहरण किए जाने की थ्योरी प्रस्तुत की क्योंकि उन्होंने कहा कि सामान्यतः जब किसी वायुयान का अपहरण किया जाता है इससे एक सनसनी पैदा होती है और वह इसकी जानकारी विश्व भर में फैला देते हैं। हां, यदि इसके पीछे कोई राजनैतिक उद्देश्य, कोई लक्ष्य है। यदि लक्ष्य आर्थिक लाभ का होता है तो इसके संबंध में विश्व भर को जानकारी होनी चाहिए? क्योंकि आप भी जानते होंगे कि ऐसे कई मामले हुए हैं।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : इसे डकैती कहते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : संसद में इसे दल-बदल कहते हैं।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : लेकिन कार्य प्रणाली तो वही है। अतः माननीय मंत्री

को इस तथ्य का भी पता होना चाहिए कि इस प्रकार के मामले पहले भी हुए हैं जिनमें जहाज लेकर सिंगापुर और ताइवान में रद्दी के तौर पर बेचे गए हैं। उनका इसमें उन्नत कारोबार है। इसके अतिरिक्त वह बीमे की राशि का भी दावा करते हैं। इस पक्ष को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि मंत्रालय और किसी अन्य विभाग के बीच किसी प्रकार की सांठ-गांठ नहीं हो सकती क्योंकि उन्हें देर से सूचना प्राप्त हुई है और उन्होंने उस पर देर से कार्यवाही की। किन्तु ऐसा होने से पूर्व उन्हें समुद्र-गम्यता प्रमाणपत्र नहीं दिए जाने चाहिए थे। वह उस प्रसाण-पत्र को प्राप्त करने योग्य नहीं थे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? समुद्र-गम्यता प्रमाणपत्र जारी किए जाने से पूर्व, अधिकारियों को जहाज की स्थिति को जानना चाहिए। क्या हमें इस बात का सन्देह नहीं हो सकता है कि उन्होंने जहाजों के स्वामियों और सम्बद्ध व्यक्तियों, जो भी वे हों, से सांठ-गांठ की हो ? मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या जहाजों में रक्षक-नौकाएं होती हैं अथवा नहीं। दो जहाज दो विभिन्न स्थानों से चले और वे प्रत्यक्ष रूप गायब हो गये। हमारा विचार है कि वे एक ही स्थान पर सामान्य मौसम में लुप्त हो गए हैं। ऐसे भी मामले हुए हैं जब जहाजों को समुद्र में 70 फीट ऊंची लहरों तथा खराब मौसम का सामना करना पड़ा है। किन्तु रिपोर्ट में कहा गया है कि लहरें 6 या 7 फीट ऊंची थीं और ये जहाज खराब मौसम में भी नहीं फंसें अत: उनकी एक-दूसरे से टक्कर नहीं हो सकती थी आदि आदि। मुझे इसका पता नहीं है। मैंने निस्सन्देह बरमूडा त्रिकोण के संबंध में पढ़ा है। किन्तु यह एक मैनी त्रिकोण बनाने का प्रयास है। यह सारा आज-कल इस प्रकार दिखाई देता है।

श्रीमान, चालक दल के सदस्यों का क्या हुआ ? क्या वे भी जहाजों के साथ ही डूब गए ? ऐसी भी संभावना है कि किसी पास के बन्दरगाह पर, जहाज के चालक दल के साथ जहाज को चोरी कर लिया गया हो एवं वहां उन्होंने जहाज बेच कर बीमे की राशि का दावा करने का प्रयास किया हो। क्या आपने बीमा कंपनी को यह कहा है कि जांच पूरी होने से पहले बीमे की राशि न दी जाये। आज के समाचारपत्रों में यह खबर है कि ब्रिटेन में किसी बीमा कंपनी द्वारा 30 अथवा 35 लाख रु० का दावा स्वीकार कर लिया गया है। मुझे इसकी सही स्थिति की जानकारी नहीं है। आपने इस बीमा कंपनी को इसके लिए सूचित किया है अथवा नहीं कि इन जहाजों के मालिकों को जांच के पूरा होने तक कुछ नहीं दिया जाए। महोदय, इस सारे वृत्तांत में इस बात के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इसमें कुछ धोखाधड़ी, सन्देहपूर्ण स्थिति विद्यमान है। मुझे नहीं मालूम कि क्या है, किसलिए यह धोखाधड़ी है लेकिन इतना तो निश्चित है कि जितना कुछ स्पष्ट दिखता है, बात इससे कहीं अधिक है। आपका कहना यह है कि आपने यह मामला विधि मंत्रालय को और बाद में गृह मंत्रालय को भेजा है। मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं कि मंत्रिमंडल किस प्रकार से कार्य करता है। मंत्रिमंडल का सामूहिक दायित्व होता है। आप एक अथवा अन्य मंत्रालय पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। आप मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। आप स्वयं अपने अधिकारों के बल पर नौवहन और परिवहन मंत्री नहीं हैं। गृह मंत्री भी यहां मौजूद हैं। वह बता सकते हैं कि इस जहाज के गायब होने के पश्चात, इसके मालिक पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया तथा आज तक भी यह मालूम नहीं कि इसके चालकदल के 44 सदस्यों का क्या हुआ। उनके परिवारों को सन्देह है कि वह कभी वापिस भी आएंगे अथवा नहीं। इस जहाज के खोने के पश्चात इसके मालिकों द्वारा मद्रास में प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने में 5 दिन लगे। मुझे बताया गया है कि साधारणतया जहाजों का नौवहन महानिदेशक के साथ संपर्क नहीं रहता, उनका

बन्दरगाहों से संपर्क रहता है। मैं यह जानना चाहता हूं क्या आपके पास जहाजों से इस प्रकार का संपर्क रखने के लिए बन्दरगाहों पर सुविधाएं मौजूद हैं। अगर हैं, तो क्या पास के बन्दरगाहों से इन जहाजों का संपर्क था अथवा नहीं। इस बात से कि मद्रास में अधिकारियों को इसके गायब होने की सूचना देने में 5 दिन लगे, और वह भी एक चपरासी के हाथ पत्र भिजवा कर एवं कर्मी दल के परिवार के सदस्यों को बिल्कुल भी सूचित नहीं किया गया, कोई घोटाला नजर आता है। ऐसी हालत में, सबसे पहले इस जहाज के मालिकों एवं प्रमाणपत्र जारी करने आदि से संबद्ध लोगों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। अगर आपके पास इसकी शक्तियां भी नहीं थीं तो अन्य मंत्रालयों में तो आपके सहयोगी मौजूद थे ? इस संबंध में विधि मंत्री और गृह मंत्री का क्या कहना है ? गृह मंत्री यहां मौजूद हैं। अगर आप स्थिति स्पष्ट करने में समर्थ नहीं हैं तो उन्हें स्पष्ट करने दीजिए। दूसरे प्रमाणपत्र नौवहन महानिदेशक द्वारा नहीं दिये जाते, सर्वेक्षकों द्वारा दिए जाते हैं। क्या आपके पास सर्वेक्षण कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सर्वेक्षक मौजूद हैं ? जहाज के 'ड्राइ डाक' पर न पहुंचने पर भी, जबकि नियमानुसार यह अपेक्षित था, प्रमाण-पत्र किस प्रकार जारी किया गया ? यह जहाज 'ड्राइ डाक' पर 3 वर्ष से नहीं गया था। क्या इसके मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ?

मैं नहीं चाहता कि मंत्री महोदय खड़े होकर यह कहें कि उन्होंने सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया है और वह उन्हें दोहराना नहीं चाहते। मैंने कुछेक विशिष्ट प्रश्न पूछे हैं।

आपने कहा है कि कोई '3-एक्स' अथवा 'एस० ओ० एस०' संदेश प्राप्त नहीं हुआ; केवल साधारण-सा संदेश प्राप्त हुआ था। इससे यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। अगर कोई 'एस० ओ० एस०' अथवा '3-एक्स' संदेश प्राप्त हुआ होता तो आप समझते कि जहाज खतरे में है। इस प्रकार के किसी संदेश के बिना जहाज किस प्रकार से समुद्र में खोया समझा गया ? आपका कहना है कि जहाज के मालिक ने कैप्टेन को, जहाज में छेद होने के बावजूद भी, कलकत्ता जाने के लिए कहा था। इस सबका क्या अभिप्राय है ? इससे आप क्या समझते हैं ?

मैं, निश्चित रूप से, यह जानना चाहता हूं कि किस कारण से गृह मंत्रालय ने इन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया। दूसरे, क्या इस जहाज पर, रक्षक नौका और अन्य सुविधाएं, जो अन्य सामान्य जहाजों द्वारा यात्रा पर जाते समय रखनी जरूरी होती हैं, उपलब्ध थीं ? तीसरे, जहाज के 'ड्राई डाक' पर जाए बिना, प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? चौथे क्या आपने बीमा कंपनी को इस बात की सूचना दी है कि जांच पूरी होने तक दावे की राशि का भुगतान न किया जाये। पांचवें क्या आपने श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया आदि देशों से लापता कर्मीदल के सदस्यों का पता लगाने के लिए कोई सम्पर्क किया है ? यदि हां, तो क्या कर्मीदल के सदस्यों के वहां होने के बारे में आपको कोई जानकारी मिली है ?

'क्लासिफिकेशन सोसाइटी, जो प्रमाण-पत्र जारी करती है, की क्या स्थिति है। क्या आपने यह मामला उनके साथ उठाया है ? आपके प्रश्नों के उन्होंने क्या उत्तर दिए हैं ? मैं माननीय मंत्री जी से इन प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

जहां तक भविष्य में सुरक्षा की बात है, इस बारे में सभा में बाद में किसी समय चर्चा की जा सकती है और मंत्रालय, इस घटना के बाद, यह ध्यान रखेगा कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न होने पाएं और इसके लिए समुचित कदम उठाएगा। लेकिन, इस समय हम मुख्यतया

इस घटना विशेष के बारे में चिन्तित हैं—किन परिस्थितियों में यह घटना हुई और कर्मीदल के सदस्यों का क्या हुआ ? मैं चाहता हूं कि मेरे प्रश्नों का मंत्री महोदय स्पष्ट उत्तर दें।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : महोदय, मेरे सामने काफी मुश्किल काम है। जब कोई भी जांच चल रही होती है—मजिस्ट्रेट द्वारा जांच और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली जांच तो किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के लिए यह कहना कठिन होता है कि इसके क्या कारण हैं, इस घटना के बारे में उसकी क्या राय है और वास्तव में क्या हुआ। वास्तव में क्या हुआ, इस बात की जानकारी सरकार को नहीं है, क्या यह अपहरण का मामला है अथवा यह डूब गया.....

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : जिन लोगों पर आपको सन्देह है, उनको पकड़े बिना आपको कैसे मालूम होगा ? केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच तो बाद में होगी। इससे पूर्व आप उन्हें पकड़ सकते थे अथवा मुकदमा चला सकते थे और उनसे पूछताछ कर सकते थे।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं इसी बात पर आ रहा हूं। जहां तक इस पहलू का संबंध है जब तक जांच चल रही है, मेरे लिए समाचार पत्र अथवा उस सभा में कही गई बातों को मानना अथवा नहीं मानना संभव नहीं है। जहां तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली जांच का संबंध है, मैं इस बात से सहमत हूं कि यह संयुक्त दायित्व का मामला है। इसी बजट से जैसे ही इस मंत्रालय ने विधि मंत्रालय और गृह मंत्रालय से संपर्क किया, उन्होंने अपनी सहायता दी और अपने अधिकारी आदि उपलब्ध कराये एवं केन्द्रीय जांच ब्यूरो को उस मामले की सही तरह से जांच करने को कहा। जहां तक मुकदमे की बात है, यह बाद की स्थिति है। अब, इस स्तर पर, किसी को भी नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है और महोदय, इस प्रश्न की कि 'वास्तव में क्या हुआ' जांच की जा रही है। मुकदमा बाद की बात है तथा मामले की जांच होने के बाद ही यह हो सकता है। अगर केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस बारे में कोई निर्णय देता है कि किस प्रकार क्या हुआ तभी मुकदमा चलाया जा सकता है। मेरे ख्याल में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाने वाली जांच में, अन्य पुलिस जांच के समान सच्चाई को प्रकट करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए जाएंगे जिससे कि सच्चाई सामने आ सके और उसके पश्चात उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी जो इस मामले में दोषी होंगे।

अब बात आती है प्रमाण पत्र देने की। मैंने पहले भी यह बताया है कि चार तरह के प्रमाणपत्र जारी किए जाते हैं। दो प्रमाणपत्र नौवहन महानिदेशक जारी करते हैं और दो 'क्लासिफिकेशन सोसाइटी' जारी करती है।

अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त बहुत-सी क्लासिफिकेशन सोसाइटी हैं तथा वह सुरक्षा, रचना और लोड लाइन के बारे में प्रमाण पत्र जारी करती हैं। प्रत्येक जहाज किसी न किसी क्लासिफिकेशन सोसाइटी के साथ पंजीकृत होता है। इस विशेष मामले में क्लासिफिकेशन सोसाइटी का नाम ब्यूरो वेरिटाज था।

श्री जी० जी० स्वैल : नार्स्क वेरिटाज ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : ब्यूरो वेरिटाज।

श्री जी० जी० स्वैल : मैं एक राजदूत रह चुका हूं और मुझे मालूम है कि नार्स्क वेरिटाज प्रमाण पत्र देने वाली काफी सक्षम सोसाइटी है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : महोदय, मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है उसमें इसका नाम व्यूरो वेरिटाज दिया गया है। मैं माननीन सदस्य की जानकारी को चुनौती नहीं दे रहा हूं। यह शायद वेरिटाज न हो लेकिन यह सक्षम सोसाइटी है।

प्रो० मधु दंडवते : यह कूटनीतिक व्याख्या की जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मंत्री जी की कूटनीति है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : इस मामले में इस क्लासीफिकेशन सोसाइटी ने प्रमाण-पत्र जारी किया है। मैंने पहले ही कहा है कि रिकार्ड के अनुसार यह पाया गया कि इसमें अति ठीक बरती गई है। इस क्लासिफिकेशन सोसाइटी द्वारा, उस जहाज विशेष के निर्जल गोदी में जाने के समय को आगे बढ़ाकर नौवहन महानिदेशक अथवा मर्केंनटाइल मैरीन डिपार्टमेंट को सूचित किए बिना नौवहन की अनुमति देकर आधिकार से परे कार्य किया है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : क्या इसमें कोई विदेशी हाथ है ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं किस किसकी बात का खंडन करूं अथवा किस-किसकी बात स्वीकार·····

(व्यवधान)

महोदय, सभी कुछ सम्भव है। मैं यहां पर माननीय सदस्य का विरोध नहीं कर रहा। कुछ भी हो सकता है।

प्रो० मधु दंडवते : विपक्ष सहित।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जहां तक मेरी बात है, मुझे नहीं मालूम वास्तव में क्या हुआ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आपको यह तो मालूम ही है कि इसमें सत्ताधारी पक्ष का कोई हाथ नहीं है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : कम से कम इस बारे में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सत्ताधारी पक्ष के सदस्य इसमें अन्तर्गस्त नहीं हैं। अगर कोई होगा भी तो उस तरफ से होगा।

[उद्धरण]

"छेड़ खूबा से चली जाय असद"

[अनुवाद]

महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जहां तक इस सोसाइटी का संबंध है, यह अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्य कर रही है, यह वह कार्य कर रही है जो इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते; इसके द्वारा अपनी शक्तियों से अधिक शक्ति का प्रयोग किया गया है और इसके विषय में महानिदेशक, जहाजरानी को बिना सूचित किए उसने सूखा गोदी संबंधी अवधि बढ़ा ली है।

महोदय, अब अचला प्रश्न जो मेरे माननीय मित्र ने उठाया है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं।.....

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप बीमा कंपनियों को सूचित करेंगे।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : बीमा कंपनियों ने जहाजों का बीमा किया है और यह बीमा कंपनियों और मालिकों के बीच मामला है। लेकिन सामान्यतः यह बीमा कंपनियां वास्तविक तथ्य जाने बिना इतनी सुगमता से अनुदान नहीं देतीं।.....

(व्यवधान)

आज एक समाचार प्रकाशित हुआ है, जिसमें जहाज के मालिक ने वक्तव्य दिया है जिसमें कि बीमा कंपनियों द्वारा मुआवजा दिया गया है। मैं उस मालिक के वक्तव्य पर अधिक विश्वास नहीं कर सकता लेकिन इस तथ्य को जानते हुए कि कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ और यह जानते हुए कि इस मामले पर दूसरे सदन में और प्रेस में भी चर्चा हो चुकी है, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं यह मामला बीमा कंपनियों और वित्त मंत्रालय के साथ उठाऊंगा।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : क्या आपने चालक दल के सदस्यों की नियति के संबंध में किन्हीं अन्य देशों से संबंध स्थापित किया है।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : हमने अपने सभी पड़ोसी देशों अर्थात सिंगापुर, श्रीलंका, बंगलादेश और मालदीव में सभी पत्तनों को सतर्क कर दिया है। यह वक्तव्य चालक दल सदस्यों के बीमे से संबंधित है। चालक दल बीमा पूर्णतया एक भिन्न बात है। जहाजों का बीमा अलग है। जहाजों के लिए जितनी राशि का बीमा किया गया है वह मालिक की जेब में जायेगा। लेकिन चालक दल ने लिए जो बीमे की राशि है वह लापता चालक दल के सदस्य के नजदीकी संबंधियों को मिलेगी।

यह वक्तव्य चालक दल के बीमे से संबंधित है और जहाज के बीमे के संबंध में नहीं है। लेकिन मैं तथ्यों का पता लगा रहा हूं और मुझे आशा है कि यदि बीमा कंपनी ने जहाओं के लिए बीमे की राशि का मालिक को भुगतान नहीं किया है तो वह मामले में समुचित ध्यान दिए बिना और सम्बद्ध तथ्यों का पता लगाए बिना जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

मैं समझता हूं कि मैंने अपना कार्य कर लिया है और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इससे संतुष्ट होंगे। जहां तक चालक दल के सदस्यों के लापता हो जाने के संबंध में चिन्ता का प्रश्न है, मैं भी मनुष्य हूं, मैं भी माननीय सदस्यों जितना ही चिन्तित हूं।

2.55 म० प०

आवश्यक सेवा (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं० 9 पर चर्चा करेंगे। श्री एस० बी० चव्हाण।

---

*दिनांक 12-8-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग, 2 खण्ड 2 में प्रकाशित।

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : यद्यपि पुरःस्थापना स्तर पर किसी विधेयक का विरोध करना सामान्य बात नहीं हैं किन्तु यह इतना महत्वपूर्ण मामला है कि इस संबंध में हममें से अनेक लोग यह महसूस करते हैं कि इसका विरोध किया जाना चाहिए। यह विधेयक 1981 में अधिनियमित किया गया था और बाद में 23 सितम्बर को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। अपने वर्तमान रूप में अधिनियम में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यह केवल चार वर्षों के लिए लागू होगा। इस अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अन्तर्गत संसद की अनुमति लिए बिना अथवा बिना राष्ट्रपति की कार्रवाई से इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती हो। अब, अचानक हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि मंत्रिमंडल ने कुछ दिन पहले यह निर्णय किया है कि वे इस अधिनियम का कार्यकाल चार वर्षों के लिए बढ़ाना चाहते हैं। अब जब यह विधेयक लाया गया है तो हम देख रहे हैं कि इसे पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि यह सातवीं पंचवर्षीय योजना का एक न्यूनाधिक भाग है। योजना मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। सातवीं योजना के लिए अनेक कार्यों की योजना बनाई गई है और यह उनमें से एक दिखाई पड़ता है।

मैं समझता हूं उन्हें याद होगा कि जब सर्वप्रथम यह आवश्यक सेवा अधिनियम पारित किया गया था तो उन लोगों ने अर्थात् मेहनतकश वर्ग तथा मजदूर संघ आन्दोलन ने इसका घोर विरोध किया था। हम देश को आगे ले जाने के लिए उद्योगों के आधुनिकीकरण और नई खोजों, नई प्रौद्योगिकी और नए मार्गों को अपनाने के लिए 21वीं सदी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम यह सब एक ऐसे कानून की सहायता से कर सकते हैं जो पूर्णतः प्रतिगामी है, जो 21वीं सदी के अनुरूप नहीं बल्कि जिससे अपेक्षाकृत पुराने समय की बू आती है। यह पूर्वतः श्रम-विरोधी है, यह दमनात्मक और सभी प्रकार से निरंकुश कानून है। इस कानून से अत्याचार बढ़ेगा क्योंकि इसका उद्देश्य हड़तालों पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाना है। केवल यही ही नहीं, 'धीरे काम करो' को भी हड़ताल के बराबर समझा जा रहा है।

3.00 म० प०

इसका अर्थ यह हुआ यदि इस प्रकार की स्थिति का हर समय कार्मिक को सामना करना पड़ेगा तो किसी भी समय कोई भी हड़ताल, सूचना देने के बाद की जाने वाली कार्यवाही, बातचीत अथवा समझौते के बाद उनके द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए उस अधिनियम को लागू किया जा सकता है और उससे हड़ताल को अवैध करार देकर समाप्त किया जा सकता है, इसका अर्थ यह है कि नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच सामूहिक सौदेबाजी, उसकी पूरी भावना तथा बातचीत द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश आरम्भ से ही व्यर्थ और पूर्वाग्रही हो जायेगी

क्योंकि कोई भी नियोक्ता कोई भी समझौता नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि गतिरोध की स्थिति में सरकार हमेशा ही उस हड़ताल को अवैध घोषित करने के लिए तैयार होगी।

यदि कोई हड़ताल करता है तो इस अधिनियम के अन्तर्गत क्या उपबन्ध किया गया है? सरकार निर्णय करती है। यहां सरकार का अर्थ क्या है। जब इसे लागू किया जायेगा तो यह किसी भी राज्य सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है। केवल पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने हर बार सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि वे कर्मचारियों की हड़ताल को दबाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। इस अधिनियम के प्रावधानों में यह व्यवस्था है कि न केवल कर्मचारियों को ही हड़ताल में भाग लेने के कारण कारावास का दंड दिया जा सकता है उन्हें तुरन्त रोजगार से हटाया जा सकता है, अपितु मजदूर संघों के कर्मचारियों को भी, जिन्हें तथाकथित गैर-कानूनी हड़ताल के लिए उत्तरदायी माना जाएगा, सरकारी कार्यवाही द्वारा अपने पद से हटाए जा सकते हैं। अत: यह पूर्णतया क्रूर एवं मजदूर विरोधी कानून है। मैं वास्तव में यह कर रहा था, और अब मुझे यह पता चला है कि मेरा यह भ्रम था कि यह सरकार संभवत: इस अधिनियम को समाप्त हो जाने देने के लिए निर्णय लेगी क्योंकि यदि वे इस भ्रम में है कि डण्डे का डर कामगारों को किसी उचित कारण के लिए हड़ताल करने से रोक सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस अधिनियम की लम्बित अवधि में जो हुआ वह यह था कि अपने देश के इतिहास में सबसे लम्बी हड़ताल देखी। बम्बई टेक्सटाइल्स हड़ताल आवश्यक सेवा अधिनियम होते हुए भी 1½ वर्ष तक चली। 19 जनवरी, 1983 को आपने अखिल भारतीय स्तर पर आम हड़ताल देखी जिसमें देश के कम से कम 50 प्रतिशत संगठित कामगारों ने भाग लिया। कई दोषी करार दिए गए, कई बन्दी बनाए गए, बहुतों पर लाठी चार्ज किया गया क्योंकि उन्होंने हड़ताल की थी क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि वे किसी न्यायोचित कारण के लिए लड़ रहे हैं।

आवश्यक सेवा अधिनियम लागू होने के पश्चात् आयोजित राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन का अंटक के अतिरिक्त कभी केन्द्रीय मजदूर संघों ने, इस अधिनियम का विरोध करने के लिए बहिष्कार किया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि आवश्यक आपूर्तियों और आवश्यकताओं के लिए तथाकथित बन्दोबस्त आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई बनाए रखने की व्यवस्था पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में और अब पंजाब के संदर्भ में पारित आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप विरोधी अधिनियम में विशेष रूप से की गई है। इस अधिनियम में एक उपबन्ध में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की सप्लाई में बाधा डालने के लिए यदि कुछ किया जाता है तो उसके लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी और उसके लिए दो वर्ष का दंड दिया जा सकता है। आवश्यक सेवाओं और सप्लाई को बनाए रखने के नाम पर वे कितने अधिनियम, कितने उपबन्ध बनाना चाहते हैं यह मैं जानना चाहूंगा? यदि सरकार, योजना आयोग, श्रम मंत्रालय और अन्य की यदि यही धारण है कि वह इसी तरीके से स्थायी तौर पर कर्मचारियों के सिरों पर तलवार लटकाकर उनका सहयोग लेना चाहते है तो मेरे विचार से ऐसा करना हमारी संसदीय प्रजातंत्र भावना के बिल्कुल विरुद्ध है। आप सामूहिक सौदेबाजी, बातचीत और समझौता नहीं चाहते। श्रम मंत्री महोदय और उद्योग मंत्री महोदय के अनुसार आज 10,000 कारखाने बंद पड़े हुए है। हर व्यक्ति जानता है कि इन्हें कामगारों ने बंद नहीं किया है, इन्हें नियोक्ताओं ने बंद किया है। इसलिए कारखानों को बन्द कर उनमें तालाबन्दी के द्वारा नियोक्ता आवश्यक वस्तुओं और उत्पादन को रोके हुए हैं। आवश्यक सेवा अधिनियम का प्रयोग उनके

विरुद्ध नहीं किया जाता। इस अधिनियम का प्रयोग नियोक्ताओं के विरुद्ध कभी नहीं किया गया है; इसका प्रयोग केवल कामगारों के हड़ताल पर जाने के अधिकार को समाप्त करने के लिए किया जाता है यदि वह अपनी मांग किसी अन्य तरीके से पूरी नहीं कर सकता है। लेकिन यह सरकार की विशेषता है; मुझे यह देखकर आश्चर्य नहीं होता कि यह सरकार की वर्ग संबंधी विशेषता है। सरकार नियोक्ता समर्थक और श्रमिकविरोधी है। सारी बात का यही सार है। कहने को वे जो मर्जी कहें, वे कामगारों के लिए कितने भी मगरमच्छी आंसू बहाएं, किन्तु जब वे विपत्ति में होते हैं तो वे हमेशा नियोक्ताओं का ही साथ देते हैं। न्यूनतम मजदूरी एवं जीवन-स्तर उठाने के लिए कामगारों के संघर्ष के अधिकार का दमन करते हैं। संभवतः यह आने वाले कल का पूर्वाभास है। यह विधेयक अब अधिनियम की अवधि अन्य पांच वर्षों के लिए बढ़ाने के लिए पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। यह इस तथ्य का पूर्वाभास है कि वह मन ही मन में भली-भांति जानते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों के दौरान अत्यधिक मुद्रा स्फीति होगी और मूल्यों में वृद्धि होगी और कामगारों की वास्तविक आय में कमी होगी। आयात की जाने वाली इस तथाकथित नई प्रौद्योगिकी से, जिसे कई उद्योगों में प्रयुक्त किया जाएगा उद्योगों में कामगारों की छंटनी होगी, श्रमिकों को बदला जाएगा और बेरोजगारी बढ़ेगी, इसलिए उन्हें इस बात की आशंका है कि कामगार विरोध करेंगे। कामगार यह नहीं होने देंगे कि उनकी नौकरी छीन ली जाएं और उनकी आय कम-कर दी जाए और वे अपने संघ आन्दोलन को तेज करेंगे, मैं समझता हूं ऐसा करना गैर-कानूनी नहीं है। इनकी हमारे देश में हमारे संविधान के अन्तर्गत अनुमति है। मजदूर संघों को अपनी मांगों के लिए शान्तिपूर्ण आन्दोलन करने का पूरा अधिकार है। लेकिन आप इस अधिनियम द्वारा उन्हें दबाना चाहते हैं। और इसलिए मैं इसके पूरी तरह पक्ष में नहीं हूं क्योंकि यह चर्चित औद्योगिक स्वतन्त्रता की उन्मुक्त भावना के विरुद्ध है। इस विधेयक को वापिस ले लिया जाना चाहिए। यदि सरकार में तनिक भी विवेक की भावना है तो उन्हें इस विधेयक को लाने के संबंध में पुनः सोच लेना चाहिए यदि वह कामगारों का कोई सहयोग चाहते है तो उन्हें इस विधेयक को वापिस ले लेना चाहिए और कामगारों को सहयोग देना चाहिए।

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं आवश्यक सेवा (संशोधन) विधेयक, 1985 के पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों से अपनाई जा रही श्रम-विरोधी नीति का परिणाम है। जिसका समय मूल विधेयक पारित किया गया था उस समय अधिनियम को लागू करने के अनेक कारण दिये गये थे। उनमें से पहला कारण यह था कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सही रुख दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरा कारण यह था कि मजदूर संघों के क्षेत्र में गम्भीर घटनाओं के कारण आवश्यक सेवाओं को बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी। तीसरा कारण यह था कि मुद्रा स्फीति को रोकने तथा उत्पादन व्यवस्था को चालू रखने के लिए इसकी आवश्यकता थी। चौथा कारण यह था कि हड़तालों पर रोक लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई शक्ति उपलब्ध नहीं थी।

मूल अधिनियम पिछले चार वर्षों से लागू है और उपर्युक्त चारों कारण उस अधिनियम के पारित करते समय गये दिये थे। अब चार वर्षों तक लागू रहने के पश्चात भी अधिनियम का कोई प्रभाव पड़ता प्रतीत नहीं होता है। मैं हड़तालों के कारण मानव दिवसों की हुई हानि के संबंध में आंकड़े दे रहा हूं। वर्ष 1978 में 154 लाख मानव दिवसों की हानि हुई, 1979 में 358 लाख मानव दिवसों की हानि हुई। वर्ष 1980 में 120 लाख और 1981 में 212 लाख, वर्ष 1982

में 107 लाख, वर्ष 1983 में 123 लाख और 1984 में 159 लाख मानव दिवसों की हानि हुई। इससे यह पता लगता है कि इस विधेयक का हड़तालों के कारण मानव दिवसों से हुई हानि से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस विधेयक का उद्देश्य हड़तालों के कारण उत्पादन की हानि को रोकना था। वर्ष 1983 में हड़तालों के कारण 247.72 करोड़ रुपये के उत्पादन की हानि हुई। वर्ष 1984 में यह हानि घटकर 140.80 करोड़ रुपये हो गई। यह हानि इस कठोर अधिनियम के कारण कम नहीं हुई है बल्कि यह मजदूरों के सहयोग और प्रयासों के कारण कम हुई है। इसलिए मेरा यह विचार है कि इस विधेयक से निश्चय ही मजदूर और प्रबंधकों के मध्य अच्छे संबंध बनाये रखने में कोई सहायता नहीं मिलेगी।

वास्तव में इस विधेयक से सामूहिक सौदेबाजी समाप्त हो गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की यह घोषणा है कि हड़ताल करने और सामूहिक सौदाबाजी करने का अधिकार मजदूरों का मौलिक अधिकार है। अभी-अभी हमारे प्रधान मंत्री ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बैठक में एक भाषण दिया था और उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। अब आप इस प्रकार का एक कठोर विधेयक पुरःस्थापित कर रहे हैं जो निश्चित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की उस नीति के विपरीत होगा जिसकी कई बार घोषणा की गयी है। अतः मैं इस विधेयक के पुरःस्थापित करने का विरोध करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वर्ष 1981 में जब इस विधेयक को पारित किया गया था, मैं उस समय सदन में उपस्थित था और मुझे अभी भी वह वाद विवाद याद है जिसमें मंत्री महोदय ने यह कहा था कि यह अधिनियम अधिक दिनों के लिए नहीं है। यह केवल चार वर्षों के लिए है। उस समय अनेक सांसदों ने यह संदेह व्यक्त किया था कि हम इस विधेयक का इसके गुणावगुणों को देखते हुए विरोध करते हैं। हम इसको बिल्कुल ही पुरःस्थापित नहीं होने देना चाहते थे और तब हमने यह भी नहीं सोचा था कि चार वर्षों के पश्चात भी आप इस अधिनियम की अवधि आगे बढ़वायेंगे। हमने जो कुछ उस समय कहा था यह अब सच हो गया है। वास्तव में मूल अनुसूची के अनुसार अधिनियम को 22 सितम्बर, 1985 को ही समाप्त हो जाना चाहिए जिस समय संसद का सत्र नहीं होगा। और सम्भवतया जब हम अगले सत्र में आते तब हममें से अधिकांश सदस्य सत्र के पहले दिन ही अधिनियम के समाप्त होने की अवधि के संबंध में कहते लेकिन आज हम यह देखते हैं कि इस विधेयक विशेष को चुपचाप समाप्त हो जाने देने के स्थान पर सरकार इसे जारी रखना चाहती है। मैं पुनः सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यह केवल एक समर्थक उपलब्ध है जो सरकार को मजदूरों को दबाने की बर्बक शक्ति देता है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इन शक्तियों को ले तो लें लेकिन आपके पास इन शक्तियों के उपयोग करने के लिए शक्ति नहीं है। आपमें मजदूरों को कुचलने की शक्ति नहीं है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने ठीक ही कहा है कि आवश्यक सेवा अधिनियम के होते हुए भी बम्बई के कपड़ा मिलों में 1½ वर्ष तक मजदूरों की हड़ताल रही। मैं उस हड़ताल की गुणावगुणों के संबंध में कुछ कहना नहीं चाहता। उस अधिनियम के होते हुए भी कपड़ा मिलों में 1½ वर्ष से भी अधिक समय तक 2.5 लाख मजदूर हड़ताल पर रहे। क्या आप इन 2.5 लाख मजदूरों की हड़ताल पर रोक लगाने में सफल हुए ? विधेयक लाना और इसे अधिनियम में बदल लेना एक बात है और कार्यान्वित करने की शक्ति प्राप्त करना दूसरी बात है। इसलिए याद रखिए कि आप जिन शक्तियों को इस विधेयक के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, मजदूरी की शक्ति के कारण आपके पास उन्हें कुचलने

की शक्ति नहीं होगी और न आपके पास उन शक्तियों को उपयोग करने की शक्ति होगी।

जहां तक विधेयक के मूल उपबंधों का प्रश्न है इसे पांच वर्षों तक और बढ़ाया जायेगा। आपको यह आश्चर्य होगा कि इस विधेयक के अन्तर्गत न केवल हड़ताली मजदूर ही आते है बल्कि यदि कोई मजदूर संघ का नेता या संसद सदस्य भी हड़ताल का समर्थन देने के संबंध में कोई वक्तव्य जारी करता है तो उसे भी इसके अनुसार जेल के सीखचों के पीछे भेजा जा सकता है। यदि वे मामले को कानूनी रूप से पुष्ट करने के लिए कोई लेख लिखता है तो उसके लिए भी उसे जेल हो सकती है। अतः इस विधेयक और इस अधिनियम की अवधि पांच वर्ष और बढ़ाने के पीछे मूल भावना यह देखने की है कि इससे मजदूर वर्ग को दबाया जाता है या नहीं।

जिन लोकतांत्रिक देशों में आवश्यक सेवाओं को महत्व दिया जाता है और उन्हें बनाये रखे जाना होता है, वहां भी मजदूरों को दबाने के लिए इस प्रकार के उपाय स्वीकार नहीं किये जाते। उदाहरण के लिए इंग्लैंड को ही लीजिए। वहां कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं हैं जिनमें वे हड़ताल नहीं चाहते हैं। उस मामले में वहां उन्होंने पंच फैसले और वाद-विवाद के लिए एक विशेष तंत्र तैयार किया है जिससे उन औपचारिकताओं को पूरा किये बगैर शीघ्रता से मामलों को निपटाया जा सकता है जिनकी प्रत्येक उद्योग और अन्य सेवाओं के लिए आवश्यकता होती है। लेकिन उस प्रकार की यहां कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप उचित नोटिस देने के पश्चात भी हड़ताल पर जाने वाले मजदूरों के विरुद्ध प्रतिबंध लगाने का एकतरफा प्रयास कर रहे हैं। ठीक यही स्थिति है हम जिसके पूर्ण रूप से विरुद्ध हैं।

दुर्भाग्यवश, मेरा यह दुर्भाग्य रहा है कि लगभग सभी कठोर विधेयक जो इस सभा में पुरःस्थापित किये गये मैं सभा में उपस्थिति था। जिस समय आन्तरिक सुरक्षा विधेयक लाया गया मैं उपस्थिति था। जब आवश्यक सेवा विधेयक लाया गया मैं उपस्थित था जिस समय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लाया गया मैं उपस्थिति था। यहां तक कि जब पिछला आतंतवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक पारित किया गया, हमें यह बताया गया था कि स्थिति तनावपूर्ण है और उन्होंने इसकी कार्यान्वयन अवधि केवल दो वर्ष रखी है। सरकार को अन्य कानूनों से क्या करना है यह इस तथ्य से पता लगता है कि सरकार इसका समय पांच वर्ष और बढ़ा रही है। देश में ऐसी कौन सी घटना घटी है जिसको सरकार को पूरे कानून की अवधि पांच वर्ष बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। सरकार ने उद्देश्यों और कारणों के कथन में केवल यह कहा है कि चार वर्ष के कार्य काल में इस विशेष कानून बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ है। इससे सुरक्षा और स्थिरता आई है। मैंने बहुत से उदाहरण दिये हैं। सबसे अच्छा उदाहण कपड़ा मिलों की हड़ताल का है। इस कानून के होते हुए क्या आप कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल के मामले में इस कानून को वास्तव में कार्यान्वित किया जा सका जबकि 2.5 लाख मजदूरों ने हड़ताल की थी। यदि आप इस कानून को कार्यान्वित करते तो महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में उन 2.5 लाख हड़ताली मजदूरों को जेलों में रखने के लिए और जेलें बनानी पड़तीं। इसलिए मैं आपसे यह कहूंगा कि आप इस दमनात्मक चालों को छोड़कर एक तन्त्र और कार्यप्रणाली तैयार करने का प्रयास करें जिसके माध्यम से आवश्यक सेवा संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श किया जा सके और उन्हें शीघ्रता से निपटाया जा सके और उनके लिए इस किस्म के कानूनों की आवश्यकता न पड़े। इस प्रकार इसके पुरःस्थापित करने की स्थिति में ही हम इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं। यह कोई बड़ा विधेयक नहीं है, यह केवल दो पंक्तियों का विधेयक है। इसमें यह बताया गया है कि मूल विधेयक जैसा भी था

उसकी अवधि दो वर्ष बढ़ायी जानी चाहिए। चूंकि देश में संगठित मजदूर वर्ग पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, इसलिए मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं।

यदि आप हमारे विरोध के बावजूद भी इसे पारित करते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश में मजदूर वर्ग इस विधेयक को फाड़कर टुकड़े-टुकड़े कर देगा। आप अपने पूर्ण बहुमत होने के कारण इसे पारित कर सकते हैं लेकिन जहां तक मजदूर वर्ग का संबंध है, वे इसे रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आवश्यक सेवाओं को बनाये रखने के नाम पर सरकार हड़तालों पर परोक्ष रूप से एक स्थायी रोक लगाना चाहती है। जिस समय इस सभा में मूल्य विधेयक पारित किया गया था सभी विरोधी दलों ने इसका पुरजोर विरोध किया था। हमने इसका खण्डवार भी विरोध किया था। उसी अधिनियम की अब अवधि बढ़ायी जा रही है। यद्यपि उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि यह एक अस्थायी उपाय है और सरकार उस उपाय को स्थायी नहीं बनायेगी। अब वे ऐसा कर रहे हैं और हड़तालों पर अप्रत्यक्ष रूप से स्थायी रोक लगा रहे हैं। इसलिए हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल का अधिकार मजदूरों के मौलिक अधिकार हैं। सरकार ने मजदूरों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाया था यद्यपि सरकार ने उसे पारित करते समय यह आश्वासन दिया था कि नासा मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं पर लागू नहीं होगा।

अब एक आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम है। उसे भी मजदूर संघों के कार्यकर्ताओं में विरुद्ध लगाया जा सकता है। और उसका मजदूर वर्ग के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। सरकार के पास इन उपायों के होने के बावजूद भी वे आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के लिए अधिनियम की अवधि बढ़ाना चाहती है। देश में शत चार वर्षों तक इसके लागू होने के फलस्वरूप देश में जो 80,000 छोटी और बड़ी एककें थीं बंद हो गये हैं। क्यों? उन एककों के मजदूर हड़तालें नहीं कर रहे हैं। वे आंदोलन नहीं चला रहे हैं लेकिन मिल मालिकों ने अपने मिलों को कारखानों और एककों को बंद कर दिया है। सरकार ने उन मिल मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है और विशेष रूप से उन मालिकों के विरुद्ध जिन्होंने अपनी निधियों को अन्य कामों में लगा दिया है। और अपनी एककों को रुग्ण बना दिया है। और अन्त में उन्हें बन्द कर दिया है। सरकार ने उन मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है।

चूंकि यह एक कठोर विधान है। हम इस विधेयक को इसके पुरःस्थापित स्तर पर ही इसका पुरजोर विरोध करते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, हमें इस विधेयक के बारे में समाचार पत्रों से मालूम हुआ है और हमने तत्काल इस मामले को उठाया और हम इस मामले पर सभा में चर्चा करना चाहते थे, जिससे सरकार इस विधेयक विशेष को रख सके। लेकिन सरकार इस विधेयक को लेकर आई है। हम इस विधेयक को एक कठोर विधेयक समझते हैं जो लोकतंत्र विरोधी है, इस प्रकार के दमनकारी विधेयक से सहायता नहीं मिलती है। श्रीमन पंजाब का मामला सामने है। पंजाब में क्या हुआ है? केन्द्रीय सरकार अधिकतर प्रशासनिक उपायों पर निर्भर रही। वहां स्थिति बहुत खराब हो गई। जब सरकार को बुद्धि आई तब उसने बातचीत और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से समस्या सुलझाने का सहारा लिया। हम देख सकते हैं कि पंजाब में अन्य कारकों के साथ इससे भी समझौते करने के सम्बन्ध में सहायता मिली है।

यदि सरकार लोकतंत्र विरोधी रवैया अपनाने पर अड़ी रहती है और विपक्ष द्वारा बार-बार मांग के बावजूद वहां के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित नही करती तो यह वातावरण बिगड़ भी सकता है। हम सरकार से यह कहते आ रहे हैं कि उन्हें 14 आवश्यक वस्तुओं के व्यापार को हाथ में ले लेना चाहिए और उनकी कीमत निर्धारित करके उचित दर की दुकानों के माध्यम से उनका वितरण करना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन इस देश की जनता को आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने के नाम पर आप इस विधेयक को लेकर आये हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य हमारी जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करना है। आप किसको निशाना बनाने जा रहे हैं? उस मजदूर को जिन्होंने इस लोकतन्त्र विरोधी सरकार का उस समय समर्थन करने में कोई आनाकानी नहीं की जब इसे राष्ट्रीय अखण्डता की सुरक्षा की आवश्यकता थी, चाहे इसकी आवश्यकता पंजाब, असम या गुजरात में कहीं भी हुई। राष्ट्र के हित में मजदूर वर्ग ने ऐसे मामलों में सरकार का साथ दिया। हम सरकार को इसकी अनुमति नहीं देते कि वह सामूहिक सौदेबाजी की नीति को हवा में उड़ा दे ि सके लिए सरकार इस कठोर विधेयक को लेकर आई है। हमारा यही दृष्टिकोण है। आपको इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए जिससे इस देश के मजदूरों को हड़ताल करने के लिए विवश होना पड़े। उनको हड़ताल करने के लिए विवश क्यों किया जाता है। यदि आप इस बात को महसूस करें तो कोई समस्या नहीं होगी। यदि आप ठीक प्रकार से व्यवहार करें तो मजदूर वर्ग भी ठीक प्रकार से व्यवहार करेगा। यदि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे और यदि इस प्रकार के विधेयक लाये गये तो वे भी आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो लोग भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का इसके पुरःस्थापन स्तर पर ही विरोध करता हूं।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों का उत्तर विधेयक पर विचार करते सभय दिया जा सकता है। महोदय माननीय, सदस्यों को सन्तुष्ट करने के लिए मेरे पास पर्याप्त सामग्री है। यद्यपि मैं यह निश्चित रूप से जानता हूं कि मजदूर संघ गतिविधियों में भाग लेने वाले माननीय सदस्य विधेयक का भरसक विरोध करेंगे। इसीलिए मैं सभा में उपस्थित हुआ हूं।

सर्वप्रथम, मैं यह नहीं समझ सका हूं कि क्या इस विधेयक के प्रावधानों का सही गुण विवेचन हुआ है। 1981 में भी वही तर्क किये गये थे। उसके पश्चात मामला न्यायालय में ले जाया गया था। इस संबंध में एक न्यायालय निर्णय हुआ है। सामूहिक सौदेबाजी की बात मैं समझ सकता हूं, किन्तु क्या हड़ताल करना एक मौलिक अधिकार है?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : बेशक हड़ताल सामूहिक सौदेबाजी का माध्यम है।

श्री एस० बी० चह्वाण : बिल्कुल यही मामला न्यायालय में ले जाया गया था कि क्या यह मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के पक्ष निर्णय में कहा गया है कि विशेष रूप से जब आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का मामला हो और उत्पादन में रुकावट आ रही हो तो कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नकारते हुए हड़ताल पर जाना उनका मौलिक अधिकार है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किन्तु नियोक्ता का वह मौलिक अधिकार है कि वह फैक्टरी बन्द कर दे। उसके पास यह मौलिक अधिकार है कि यह फैक्ट्री को बन्द कर सकता है।

श्री एस० बी० चह्वाण : मैं वही कह रहा हूं जो उच्चतम न्यायालय ने कहा है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या आप उस निर्णय की व्याख्या कर सकते हैं कि हम उत्पादन में रुकावट डाले बिना कैसे हड़ताल कर सकते हैं ?

श्री एस० बी० चह्वाण : मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। लगता है कि दूसरे मुद्दे पर कुछ गलतफहमी हो गई है कि मजदूर संगठन के नेताओं द्वारा अब तक उपभोग किए जा रहे अधिकारों का पूर्ण बहिष्कार हो जाएगा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य श्री दण्डवते जी ने ठीक ही कहा है कि यह एक समर्थन प्रावधान है और औद्योगिक विवाद अधिनियम का विरोधी नहीं है। औद्योगिक विवाद अधिनियम केवल तभी लागू होता है जब हम देखते हैं कि स्थायी तन्त्र के होते हुए भी भिन्न-भिन्न पार्टियों के बीच किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो पा रहा है। अन्य कोई विकल्प नहीं है, आवश्यक वस्तुएं आम आदमी के लिए एक आवश्यकता है और यदि उनकी आपूर्ति में उस आदमी के लिए अवरोध पैदा होता है जिसके लिए हमने शपथ ली है कि हम आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे, यदि समाज के एक संगठित वर्ग द्वारा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जाए कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कठिन ही नहीं अपितु असम्भव हो जाती है तो केवल तभी इस विधेयक के उपबन्धों को लागू किया जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपके पास आरंभ से परस्पर समझौता करवाने का कोई तन्त्र नहीं होगा अथवा आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते या आप सरकार द्वारा गठित समझौते संबंधी किसी अन्य तन्त्र की सहायता नहीं ले सकते। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का संबंध है यह सही नहीं है कि उन पर यह उपबन्ध लागू नहीं होते। वास्तव में, सम्पूर्ण पद्धति लागू की जा रही है, हमने पूरी कोशिश की है और जिसे कमजोरी समझा जा रहा है और श्री मधु दण्डवते द्वारा शक्ति का अभाव कहा जा रहा है उसके विषय में मैं कहना चाहता हूं कि इस सारी प्रक्रिया में समय लगता है और सरकार कुछ मामलों में समझौता के लिए तैयार है किन्तु कुछ लोगों का रवैया विवेकपूर्ण नहीं है, फिर भी हमने अधिनियम के उपबन्धों को लागू नहीं किया। यदि माननीय सदस्य यह जानने के इच्छुक हैं तो मैं उदाहरण दे सकता हूं कि इस अधिनियम के उपबन्धों को कितनी बार लागू किया गया। मेरे पार 4 वर्ष से अधिक समय की जानकारी है और अत्यधिक मूलभूत और आवश्यक मामलों में केवल 30 बार इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू किया गया। (व्यवधान) केवल एक मिनट। मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। यदि आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो आप फिर पूछ सकते हैं।

असम और महाराष्ट्र, पूरे देश में भारतीय खाद्य निगम की सेवा, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में हमने उस अधिनियम के उपबन्धों को लागू किया है ? अत: मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि ऐसे ही अन्य राज्यों में भी हमने इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू किया है। इस अधिनियम के उपबन्धों का अन्य राज्यों में विस्तार करने के बारे में निर्णय लेने से पहले हमने सभी सम्बद्ध राज्य सरकारों और सभी संघ शासित राज्यों से परामर्श किया और मैं यह कहना चाहता हूं कि उनमें से अधिकांश राज्यों ने उन उपबन्धों को लागू करने की सिफारिश की थी केवल पश्चिम बंगाल ने हां अथवा नहीं, कुछ भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। उन्होंने यह नहीं बताया कि वे इसके पक्ष में हैं अथवा विरोध में। वे चुप्पी धारण किये रहे, उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने उसका उत्तर भी नहीं दिया। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बारे में मेरे पास जानकारी है और दोनों राज्य सरकारों ने अनुरोध किया है कि इस अधिनियम के उपबन्धों का उनके राज्यों में विस्तार किया जाना चाहिए

क्योंकि सभी इस बात को मानते हैं कि आवश्यक सेवाएं बनाई रखी जानी चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। जैसे कि अन्य सभी राज्य सरकारों ने इसके उपबन्धों का विस्तार करने के लिए अनुरोध किया है उसी प्रकार कुछ राज्य सरकारों ने भी, जहां कि संसद के विपक्षी दल सत्ता में हैं, अनुरोध किया है कि इस कानून के उपबन्धों को वहां लागू करना श्रेयस्कर होगा। कुल मिलाकर यह सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहा है। और यह उपबन्ध समाज की आवश्यक सेवाएं जारी रखने के लिए अथवा बनाए रखने के लिए जरूरी है। वस्तुतः भारत सरकार का मेहनतकश वर्ग अथवा सामूहिक सौदेबाजी सिद्धांत, जो पावन समझा जाता के विरुद्ध जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं इस विचार से पूर्णतः सहमत हूं। किन्तु मेरा विचार यह है कि मेहनतकश वर्ग भी इस बात को समझेगा कि उनके अधिकारों के लिए, निश्चित रूप से उन्हें आंदोलन करने अथवा सामूहिक सौदेबाजी द्वारा अपने अधिकारों के लिए लड़ने का पूरा अधिकार है और साथ ही जब आम आदमी को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति का प्रश्न होता है और यदि आपके कार्य से उसके जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो मेरे विचार से मेहनतकश वर्ग भी इसका विरोध नहीं करेगा। आदमी और मेहनतकश वर्ग के हितों के बीच कोई विवाद नहीं है। किन्तु यदि कुछ लोग आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में बाधा उत्पन्न करने के लिए उकसाने वाली परिस्थितियां पैदा करते हैं तो मैं समझता हूं कि उनके लिए ऐसा करना न्यायसंगत नहीं होगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं केवल यह आशा करता हूं कि कम से कम मेहनतकश वर्ग ने इस कानून के विस्तार की मांग नहीं की है।

श्री एच० बी० चह्वाण : क्या मैंने ऐसा कहा है? मैंने केवल यह तथ्य बताया है कि अधिकतर राज्य सरकारों ने इसके उपबंधों के विस्तार ने लिए कहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नियोक्ताओं ने विस्तार के लिए कहा है, इसीलिए आप इस अधिनियम की अवधि बढ़ा रहे हैं।

श्री एस० बी० चह्वाण : इस अधिनियम के उपबन्ध न केवल हड़ताल पर जाने वाले मेहनतकश वर्ग पर लागू होंगे बल्कि औद्योगिक एकक के कुछ मामलों द्वारा तालाबन्दी घोषित किये जाने के मामले में भी लागू होते हैं। दोनों ही मामलों में यह लागू होते हैं और इसीलिए ये उपबन्ध उस प्रकार की स्थितियों में लागू किये जा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य संभवतः श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि इस प्रकार के मामलों को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत एक उपबन्ध है। आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में एक उपबन्ध है। मेरा विचार है कि उन्हें यह बात याद रखनी होगी और हम भी यह बात कहते रहे हैं कि इन अधिनियमों के उपबन्धों का प्रयोग मजदूर संगठनों की वैध गतिविधियों के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। वस्तुतः इसीलिए, हमने बड़े स्पष्ट रूप से यह निर्देश दे दिए हैं कि उन अधिनियमों के उपबन्ध मजदूर संघ क्रियाकलापों के विरुद्ध लागू नहीं किये जाएंगे। यह आवश्यक सेवा बनाए रखने संबंधी अधिनियम विशेष तौर पर बहुसंख्यक समुदाय को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए बनाया गया है; और इसीलिए इस विधेयक में एक विशेष उपबन्ध करना पड़ा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कालाबाजारियों और जमाखोरों के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की है?

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : आवश्यक वस्तुओं के उत्पादकों के विषय में स्थिति क्या है ?

श्री एस० बी० चह्वाण : मेरे विचार से ये मुख्य विषय हैं। अन्य बातों के संबंध में जब सभा में विधेयक पर चर्चा की जायेगी। उस समय आप निश्चय ही अपने विचार सामने रख सकते हैं और मैं बहस का उत्तर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सी० माधव रेड्डी खड़े हुए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

प्रश्न यह है :—

"कि आवश्यक सेवा अधिनियम, 1981, में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.34 म० प०

इसके पश्चात श्री सी० माधव रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से उठकर बाहर चले गये।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमान, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.35 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) आजाद हिन्द फौज और भारतीय स्वतंत्रता लीग (इंडिया इंडिपेंडेंस लीग) के भूतपूर्व कर्मियों के लाभार्थ स्वतंत्रता सेनानी पेंशन नियमों में आवश्यक संशोधन करने की आवश्यकता

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इंडियन नेशनल आर्मी और इंडियन इण्डीपेंडेंट लीग में सम्मलित सैनिक एवं असैनिक कर्मियों को स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन प्राप्त होने में हो रही कठिनाइयों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन लोगों के लिए भी अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों की भांति छः माह तक बन्दी रहने का प्रमाण-पत्र अथवा सहबन्दी प्रमाण-पत्र देना होता है। इसमें कठिनाई यह है कि उक्त संस्थाओं में शामिल होने वाले भारत के विभिन्न भागों से आये थे और उन्हें अफसरों, सैनिकों और असैनिकों की अलग-अलग कैटेगरीज में रखकर विभिन्न कैम्पों/जेलों में रखा गया था। ऐसी स्थिति में सहबन्दी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना

बड़ा कठिन है। इन लोगों से संबंधित ऐसे रिकार्ड भी उपलब्ध नहीं हैं कि ये लोग कितने दिनों तक बन्दी रहे हैं। इण्डियन इण्डिपेंडेंट लीग के लोग बहुधा किसी कैम्प या जेल में बन्द नहीं रहे बल्कि वे अपने सिविलियन क्वार्टर्स में रहे और पुलिस द्वारा नजरबन्द रखे गये।

मिलिट्री वर्ग के लोग तो सैनिक हैड क्वार्टर के रिकार्ड के आधार पर कुछ हद तक पेंशन पाने में सफल हो लगे परन्तु असैनिक और सिविलियन लोग बहुत बड़ी संख्या में अभी पैंशन नहीं पा सके। उन लोगों का रिकार्ड उपलब्ध होने की संभावना नही है। यदि किसी प्रकार आई० एन० ए० तथा इण्डियन इण्डिपेंडेंड लीग में सम्मिलित होने का रिकार्ड उपबन्ध भी है तो उससे इन संगठनों में सम्मिलित होना तो प्रमाणित हो सकता है, परन्तु छः महीने बन्दी रहने का प्रमाण-पत्र मिलना बहुत कठिन है।

वास्तविकता यह है कि केन्द्रीय स्वतंत्रता संग्राम पेंशन नियमावली में पेंशन की अर्हता के लिए जेल, फरार, नजरबन्द, निर्वासित तथा आजीविका के साधनों की हानि आदि जो यातनाएं निश्चित की गई हैं, वे सभी यातनाएं प्रवासी भारतीयों ने आई० एन० ए० तथा इण्डिपेंडेंट लीग में सम्मिलित होने मात्र में उठाई हैं। इन्हीं तथ्यों से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नियमावली में इस वर्ग के लोगों में कोई प्रतिबन्ध न रखकर केवल प्रमाणित सदस्यता के आधार पर पेंशन देना निश्चित किया है।

इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस वर्ग के लोगों को पेंशन प्राप्त होने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने में केन्द्रीय स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन नियमावली में इस प्रकार संशोधन कर दिया जाये कि इन संगठनों में शामिल रहने के प्रमाणित होने पर ही इन लोगों को पेंशन प्राप्त हो जाये।

3.38 म० प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

(दो) उड़ीसा के बालासोर और मयूरभंज जिलों के सूखा प्रभावित किसानों को केन्द्रीय सहायता देना

श्री चिंतामणि जेना (बालासोर): श्रीमन् अभूतपूर्व सूखे के कारण उड़ीसा राज्य के बालासोर और मयूरभंज जिलों जिनके अन्तर्गत पांच विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र आते हैं, के 9 सामुदायिक विकास खण्डों के बहुत ही गम्भीर स्थिति पैदा हो रही है? इन क्षेत्रों में खरीफ में केवल धान की खेती ही की जाती है। इस क्षेत्र में अगस्त, 1985 के मध्य से ही वर्षा न होने के कारण धान की फसल लगभग सूख गयी है, यद्यपि किसानों ने इन 9 खण्डों में 4 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में धान की खेती की भी और फसल सूख जाने से लाखों किसान बहुत निराश हैं इनमें अधिकतर छोटे तथा सीमान्त किसान हैं। इन खण्डों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। कुछ स्थानों पर कुछ लिफ्ट सिंचाई पाइंट लगे हुए हैं। और वह भी कार्य नहीं कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि यहां के निर्धन तथा अभागे किसानों के पास प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम लि० के साथ किये गये करार के अनुसार पानी कर पेशगी जमा कराने के लिए साधन नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में से अधिकांश क्षेत्र लवणीय पट्टी में स्थित हैं इसलिये यहां

पेयजल की अत्यधिक कमी से कठिन समस्या पैदा हो गयी है। यहां मनुष्यों को ही पीने के लिए पानी नहीं मिलता है बल्कि मवेशियों को भी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि यहां के अधिकांश तालाबों, जल स्रोत और छोटी-छोटी सहायक नदियों का पानी सूख गया है। यदि अब भी यहां एक दो दिन में पर्याप्त वर्षा हो जाती है तो इससे कोई समस्या हल नहीं होगी क्योंकि कृषि कार्य और धान की फसल की रोपाई का समय प्रायः समाप्त हो गया है। इन क्षेत्र के किसी भी किसान ने अपनी फसल का बीमा नहीं कराया है। इसके कई कारण हैं जैसे अज्ञानता, निर्धनता और प्राधिकारियों द्वारा इसके लिए प्रयास की कमी आदि जिसके परिणामस्वरूप किसानों को भारी नुकसान हुआ है।

इन क्षेत्रों में विद्यमान इस प्रकार की अव्यवस्थित और दयनीय स्थिति में मैं कृषि मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह इस क्षेत्र के लाखों निर्धन किसानों को हर संभव सहायता देकर उनकी सहायता करें, खेती में दूसरी फसलें बोने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता और अनुदान और उनको सूखे के कारण जो भी नुकसान हुआ है। उसके लिए मुआवजा दें क्योंकि राज्य सरकार संसाधनों की कमी के कारण नुकसान के लिए उनको मुआवजा देने में असमर्थ है।

(तीन) सातवीं योजना के दौरान केरल के क्विलोन नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए प्रस्तावित उपमार्ग का काम पूरा करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री एस० कृष्ण कुमार (क्विलोन) : श्रीमान् केरल में क्विलोन नगर में राजमार्ग के लिए उपमार्ग के निर्माण करने की कार्यवाही वर्ष 1959 में शुरू की गई थी। चार विभिन्न संरेखणों पर विचार करने के पश्चात, वर्तमान संरेखण को मई, 1978 में भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से स्वीकृति दी गई थी। उपमार्ग उत्तर में शक्ति कुल सारा के पास कवराड में राष्ट्रीय राजमार्ग के 488/972 कि० मीटर से शुरू और दक्षिण किनारे पर थट्टमाला के पास 502/804 किलोमीटर पर समाप्त होता है। जिस भूमि से होकर उपमार्ग का संरेखणा किया गया है जहां यह अप्रवाही जल से आगे जाती है. उस भाग को छोड़कर वह भूमि निजी मालिकों की है। अतः उपमार्ग के निर्माण में भूमि अर्जन एक बड़ी समस्या है। वर्तमान भूमि मूल्य के अनुसार भूमि अर्जन का लगभग मूल्य 350 लाख रुपये होगा और इसकी निर्माण लागत भी लगभग 350 लाख रुपये होगी। इस प्रकार सम्पूर्ण परियोजना अनुमान लगभग 700 लाख रुपये होगा। भूमि अर्जन सम्बन्धी अनुमान भारत सरकार को भेज दिया गया है और वह नौवहन और परिवहन मंत्रालय के पास स्वीकृति के लिए लंबित पड़ा हुआ है। चूंकि अर्जन किये जाने वाली भूमि की लम्बाई 13 किलोमीटर से भी अधिक है, अतः इसके अर्जन करने के लिए अपेक्षित समय भी काफी लगेगा। अतः यदि भूमि अर्जन अनुमान के लिए स्वीकृति जल्दी दी जाती है तो अर्जन कार्य शुरू किया जा सकता है और उसे निधियों की उपलब्धता के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 1978 के प्रारम्भ में संरेखण की स्वीकृति दी गयी थी इसलिए भूस्वामियों को बड़ी कठिनाई में डाल दिया गया है। क्योंकि वे न तो भूमि का विकास कर सकते हैं और न वे इसको अर्जन कार्यवाही के लम्बे समय से लंबित पड़े रहने के कारण बेच सकते हैं। अतः भूमि अर्जन शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए और इसके लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए।

यह क्विलोन-केरल की जनता की दीर्घकालीन वांछित तथा लंबित पड़ी हुई परियोजना

है। यह निवेदन है कि परियोजना की शुरूआत 1985-86 में ही जानी चाहिए और सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसे एक प्राथमिक परियोजना मानकर पूरा किया जाना चाहिए।

(चार) उड़ीसा स्थित वीर सुरेन्द्र साई मेडीकल कालेज, बुरला को केन्द्रीय आयुर्विज्ञान अध्ययन और चिकित्सा संस्थान के रूप में विकसित करना

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : श्रीमान्, वीर सुरेन्द्र साई मेडीकल कालेज बुरला उड़ीसा के तीन चिकित्सा महाविद्यालयों में से एक है और यह पिछड़े हुए पश्चिम उड़ीसा में अपनी किस्म कर पहला महाविद्यालय है। इसके अतिरिक्त राज्य के पश्चिमी जिलों के लगभग 1 करोड़ व्यक्ति पड़ौसी राज्य मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अधिकांश व्यक्ति अपने उपचार के लिए इस चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अस्पताल पर निर्भर हैं। लेकिन हालांकि इस संस्थान ने 25 वर्ष पूरे करने के पश्चात इस वर्ष अपनी रजत जयन्ती मनायी है, यह खेद का विषय है कि इसे अभी तक एक स्वतःपूर्ण आधुनिक महाविद्यालय और अस्पताल नहीं बनाया गया है। संस्थान की विविध कठिनाइयां इस क्षेत्र की जनता के ठीक प्रकार से इलाज करने में आगे आ रही है। इस प्रकार उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को काफी सीमा तक झुठलाया जा रहा है।

इसके पिछले 25 वर्षों के कार्यकरण के अनुभव से इस क्षेत्र की जनता की अब यह भावना है कि जब तक इस संस्थान को स्वायत्तसारी नहीं बनाया जाता है। और वहां के कर्मचारियों को अच्छा वेतन रहने के लिए मकान, और अन्य अनुसंधान सुविधाएं और विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए आधुनिक प्रबंध नहीं किये जाते, तब तक इस महाविद्यालय को स्थापित करने के महान उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता है। जिस क्षेत्र में यह महाविद्यालय स्थित है और जहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिक है और इसकी संस्थागत कमियों का ध्यान रखते हुए, सरकार को अन्य क्षेत्रों की तरह ही इस संस्थान को एक केन्द्रीय चिकित्सा ज्ञान और उपचार संस्थान के रूप में विकसित करना चाहिए।

(पांच) आंध्र प्रदेश में काकिनाड़ा में एक उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाने की मांग

श्री गोपाल कृष्ण थोटा (काकिनाडा) : महोदय, काकिनाडा आन्ध्र प्रदेश में केवल एक ही कम शक्ति वाला ट्रासमीटर है जिसकी विकिरित शक्ति मात्र 100 वाट है। इतनी शक्ति का ट्रांसमीटर 15 कि० मीटर से अधिक क्षेत्र के लिये कार्य नहीं कर सकता।

इस ट्रांसमीटर को मुख्यतया काकिनाडा के आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों के लाभ के लिए लगाया गया था ताकि उन्हें राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से जुड़ने तथा उनके आस पास देश में ही नहीं बल्कि विश्व में होने वाली घटनाओं को जानने का अवसर मिल सके। परन्तु दुर्भाग्य से काकिनाडा में एक ट्रांसमीटर की स्थापना के बावजूद, इसकी शक्ति कम होने की वजह से उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि काकिनाड़ा में कम से कम एक किलोवाट क्षमता का एक उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाया जाए ताकि काकिनाडा के आस पास के सभी गांवों के लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके।

(छः) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अप्रकाशित भाषणों के प्रकाशन का कार्य भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् को सौंपने की आवश्यकता

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, हमें सूचना मिली है कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के अप्रकाशित भाषणों और लेखों को प्रकाशित करना अस्वीकार कर दिया है।

इन अस्वीकृत भाषणों और लेखों में 1933 में लन्दन में दिया गया और 1944 में टोक्यो विश्वविद्यालय में दिया गया भाषण शामिल है। लेख उनके भारत से बचकर निकलने के पश्चात् 1941 में काबुल में लिखा गया था।

नेताजी अनुसंधान ब्यूरो, जिसके कार्यकारी निदेशक नेताजी के एक भतीजे हैं, ने उपर्युक्त सामग्री 1983 में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् को भेजी थी ताकि इसके भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय डा० नीहार रंजन रे के कार्यकाल के दौरान स्वयं भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् द्वारा बनाई गई एक योजना के अनुसार नेताजी के कुछ दुर्लभ लेखों को प्रकाशित किया जा सके।

उसी वर्ष अप्रैल में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् ने ब्यूरो को उत्तर दिया कि उस सामग्री को प्रकाशित करना उसके लिए संभव नहीं है। ब्यूरो द्वारा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की इस धृष्टतापूर्ण अस्वीकृति का अनेक बार विरोध किया गया। परन्तु भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।

यह बहुत ही शोचनीय स्थिति है। नेताजी बोस स्वाधीनता आन्दोलन के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। अपने जीवन काल में उन्होंने जो लिखा और कहा वह सभी एक बहुमूल्य खजाना है। इस देश के लोगों को उस सामग्री को प्राप्त करने का पूरा-पूरा अधिकार है। इसलिए यह उचित है कि केन्द्रीय सरकार मामले को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के साथ उठाए तथा उनका प्रकाशन संभव बनाए।

(सात) सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कर्नाटक को केन्द्रीय सहायता।

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : सभापति महोदय, कर्नाटक राज्य के 19 जिलों में से 17 जिले सूखे से प्रभावित हैं। दक्षिण के दो ताल्लुकों कन्नड और कोडगु के सिवाय 142 ताल्लुकों के 17685 गांव सूखे से प्रभावित हुए हैं। उत्तर कन्नड के दो ताल्लुक भी इस कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं।

15 वर्षों से कम वर्षा होने के कारण कोलार और गुलबर्गा जिले अत्यधिक प्रभावित हुए हैं।

वहां पर पीने के पानी की सप्लाई और जन स्वास्थ्य साधनों, पूरक पोषक तत्वों, पशुओं की चिकित्सा और उनके लिए चारे की पूर्ति की व्यवस्था करने की शीघ्र आवश्यकता है।

मैं प्रधान मंत्री जी से जोरदार शब्दों में आग्रह करता हूं कि वे सम्बन्धित अधिकारियों को सूखे के प्रभाव का मौके पर मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन दल भेजने का निदेश दें तथा

आपातकालिक उपाय के रूप से तत्काल 50 करोड़ रुपये की अग्रिम सहायता राशि प्रदान करें।

(आठ) महाराष्ट्र में अहमदनगर स्थित अपर प्रावरा परियोजना के कार्य की गति तेज करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री बाला साहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : महोदय, मैं इस अवसर पर माननीय सिंचाई मन्त्री का ध्यान महाराष्ट्र के अहमद नगर जिले में स्थित अपर प्रावरा परियोजना में धीमी गति से कार्य करने के कारण उत्पन्न हुई समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक वृद्ध सिंचाई परियोजना है जिसे बहुत काल से एक सूखा से प्रभावित रहने वाले क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए वर्ष 1976 में हाथ में लिया गया था। इन सभी वर्षों के दौरान बजट प्राक्कलन की चार बार पुनरीक्षा की गई और हर बार बजट आबंटन को अत्यधिक बढ़ाना पड़ा।

प्रथम प्राक्कलन 7.5 करोड़ रुपये का किया गया था, दूसरा प्राक्कलन 14.5 करोड़ रुपये था, तीसरा 70 करोड़ रुपये था तथा वर्तमान चौथा प्राक्कलन 102 करोड़ रुपये का है। इतने पर भी परियोजना कहीं से भी पूरी होती नहीं दिखाई देती। इसके परिणामस्वरूप कृषकों और विशेष रूप से चीनी उद्योग की समस्याओं में वृद्धि हुई है। उनकी दुर्दशा को इस तथ्य के द्वारा भली प्रकार समझा जा सकता है कि पिछले 20 वर्षों में से वहां 17 वर्षों तक खाद्यान्न की पैदावार नहीं हुई—यह वह तथ्य है जिसकी योजना आयोग ने भी पुष्टि की है। उसके परिणामस्वरूप रावडी, श्रीरामपुर, कोपरगांव, संगनेर और अकोला ताल्लुकों के लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं।

प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार को सूखा राहत पर खर्च करना पड़ता है। टैंकरों द्वारा पीने के पानी की पूर्ति और अन्य राहत कार्यों पर भारी रकम खर्च की जाती है। गरीब लोगों को कोई काम नहीं मिलता। लोग निरन्तर गांवों से शहरों को जा रहे हैं। इस क्षेत्र के गरीब किसानों के लिए तब तक कोई आशा नजर नहीं आती जब तक कि सिंचाई परियोजना पूरी न हो जाए।

ग्रामवासियों ने परियोजना क्षेत्र के लिए स्वेच्छा से जमीन दान में दी, फिर भी वहां कोई तरक्की नहीं हुई। क्योंकि यह एक वृह सिंचाई परियोजना है, अतः केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य बन जाता है कि वह अब और देरी किए बगैर इस परियोजना को पूरा करे। इस परियोजना के बिना यह इलाका पनप नहीं सकता। अतः मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे परियोजना के कार्य को गति दें तथा सम्पूर्ण परियोजना को एक निश्चित समय-सीमा में पूरा कराएं।

(नौ) उत्तर बिहार को प्रतिवर्ष बाढ़ की विनाश लीला से बचाने के लिए स्थायी आधार पर निवारक उपाय करने की आवश्यकता

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : नियम 377 के अधीन मैं सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित मामले पर एक वक्तव्य देना चाहता हूं :—

जैसा कि हाल ही में बिहार के मुख्य मंत्री ने कहा है, उत्तरी बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़ों का प्रधान कारण यह है कि बहुत-सी नदियों का उद्गम स्थल नेपाल में है और उनके पानी

के प्रवाह को उत्तरी बिहार की ओर जाने से रोकने के लिए कोई बांध अथवा झील वहां नहीं है।

कुछ वर्ष पूर्व, केन्द्रीय सरकार की पहल पर, बाढ़ सुरक्षा पर एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी जिसने अन्य उपायों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि नेपाल में कमला, कंकल कोसी और बागमती नदियों पर जलाशय परियोजनाएं बनाई जाएं। इससे नेपाल और उत्तरी बिहार दोनों का ही बार-बार आने वाली बाढ़ की विनाश लीला से बचाव होगा।

कुछ समय पूर्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक ने नेपाल और उत्तरी बिहार दोनों में भू-क्षरण और बाढ़ की भयंकरता को रोकने के लिए नेपाल के हिमालय पर्वत क्षेत्र में वन-रोपण का सुझाव दिया था।

बिहार में गंगा की मुख्य सहायक नदियां सोगरा, मंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती और महानन्दा हैं। बिहार में गंगा का बहाव तेज है।

सामान्यतया यह मानसून के वक्त अधिक बाढ़ की स्थिति में होती है तथा सहायक नदियों के जल-निकास को रोक देती है। चूंकि गंगा और उत्तरी बिहार की उसकी सहायक नदियों का 85 प्रतिशत जलग्रहण क्षेत्र राज्य से बाहर है इसलिए राज्य के अन्दर किए गए बाढ़ नियंत्रण उपाय राज्य को पूर्ण सुरक्षा नहीं दे सकते। इसके लिए केन्द्रीय सरकार को पहल करनी चाहिए ताकि नदियों का अन्तर-राज्यीय नियमन हो और इन नदियों को इनके उद्गम स्थलों पर ही नियंत्रित करने के लिए नेपाल के साथ एक समझौता हो।

3.52 म० प०

बालक नियोजन (संशोधन) विधेयक

—जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 10—बालक नियोजन (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करते हैं।

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : सभापति महोदय, श्रम मंत्री जी द्वारा उपस्थापित बालक नियोजन (संशोधन) विधेयक, 1985 के अपने अधूरे भाषण के क्रम में मैंने जिक्र किया था कि बच्चों को प्रशस्ति में बड़े-बड़े कवियों ने अपनी लेखनी चलाई हैं। लांग फैलो ने कहा है :

"यू आर लविंग दैन ऑल बैलाड्स"
"तुम समस्त काव्यों से भी सुभग हो।"

सभापति महोदय, ऐसे ही मजदूर बालकों के संबंध में उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों का एक नमूना पेश करना चाहता हूं। 1983 में पलामू से दलालों के माध्यम से कुछ बालक मजदूर

मिर्जापुर भेजे गये। वे बच्चे जिन्हें आर्टिजन इन्डस्ट्री पैत्रिक एवं परम्परागत उद्योग के बारे में जानकारी रहती है और वे कालीन बनाने के काम में नियोजित थे। वहां पर नियोजकों ने उन्हें भर-पेट खाना नहीं दिया और उनसे जबरदस्ती काम लिया जाता था। कभी कोई गलती होने पर उनकी काफी पिटाई होती थी। इस प्रकार वे बन्धुवा मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। बन्धुवा मजदूर निवारण के लिए सरकार ने काफी काम किया और इस दिशा में काफी कदम भी उठाए गए हैं, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए। लेकिन बन्धुवा मजदूरों में बालक बन्धुवा मजदूरों का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि इसकी अलग कोटि बनाई जाए। इनके पुनर्वास की अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ ही मैं एक बात का और जिक्र करना चाहता हूं, इन बन्धुआ बाल मजदूरों में अधिकतर बन्धुवा मजदूरों के ही बच्चे होते हैं और हमारे सामने उनके पुनर्वास की जो योजना है, वह अब बिल्कुल अव्यवहारिक हो रही है। उनके लिए जो चार हजार रुपए की राशि रखी गई है, उसमें बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इन बन्धुआ मजदूरों को आस-पास के इलाके में उद्योग-धन्धे स्थापित करके उनको काम में लेना चाहिए, जिससे उनके अन्दर जागृति आ सके और अपने अधिकारों को प्राप्त करने का अवसर मिल सके, क्योंकि ये मजदूरों का जो वर्ग होता है वह इल्लिट्रेट होते हुए भी जागरूक होता है।

मैं एक बात यह भी, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन बालक मजदूरों को रखने के खिलाफ सरकार की ओर से बैन लगाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर बिल्कुल रोक लगे क्योंकि चाईल्ड लेबर अगर काम करता है, तो इससे हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य जो परिवार नियोजन अथवा परिवार कल्याण का है, उसकी क्षति होती है। गरीब लोग यह समझते हैं कि उनके जितने बच्चे होंगे, उनसे उतनी ही कमाई होगी और उनकी कमाई उनको सहारा देगी। आप यह देखते हैं कि ये बच्चे दूसरे रूप में बन्धुवा मजदूर बनाए जाते हैं। 200, 300 रुपये देकर बड़े-बड़े जमीदार उनको अपने यहां गाय और बैल चराने के लिए बंधक रख लेते हैं और इस तरह से बंधुवा मजदूरों की तरह वे काम करते हैं।

एक बात का जिक्र मैं और कर देना चाहता हूं। बालक मजदूरों के कल्याण के लिए गुरुपादस्वामी कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि जितने सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं, वे अपनी जिम्मेदारी समझें और कोशिश करें कि बालक जो नियोजित हैं, उन पर अच्छी निगरानी रखी जाए और उन्होंने एक और बात की अनुशंसा की थी कि जो न्यूनतम मजदूरी है, उसमें बढ़ोतरी की जाए। उनको सप्लीमैंट करने के लिए ऐसा किया जाए। मैं समझता हूं कि कमेटी की जो यह रिपोर्ट है, यह बिल्कुल उपहासात्मक है और यह हंसने लायक चीज है क्योंकि जो नार्मल मजदूरी है, वह मिलने में कितनी कठिनाई होती है, यह सब जानते हैं। यह जो न्यूनतम मजदूरी है, यह ही पूरी उनको नहीं मिल पाती है और उसके लिए उनको संघर्ष झेलना पड़ता है और दूसरी तरफ यह उम्मीद करना कि उसकी मजदूरी को सप्लीमेंट किया जाएगा, यह असंभव है। जमींदार जब उनकी मान्य न्यूनतम मजदूरी नहीं देते हैं, तो उनके बच्चों की मजदूरी को सप्लीमैंट किस प्रकार करेंगे। न्यूनतम मजदूरी देने में बड़े झगड़े होते हैं और जमींदार वर्ग बड़ी चालाकी से उन्हें नक्सेलाइट करार करवा देते हैं और स्वयं पुलिस के संरक्षण में चले जाते हैं। जब उनकी न्यूनतम मजदूरी का यह हाल है, तो बालकों की मजदूरी को सप्लीमेंट करने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है।

मैं आपके सामने एक सुझाव और रखना चाहता हूं। बालकों के रोजगार को बैन कर

देना चाहिए और उनके लिए ऐसे स्कूल हों, जो रोजगार पर आधारित स्कूल हों और रोजगार वेस्ड इंस्टीट्यूशन्स उनको ट्रेनिंग दी जाए और ट्रेनिंग के दरम्यान उन पर जो खर्च होता है, उसको सरकार वहन करे ताकि गरीबी की वजह से वह बंधुवा या दूसरी मजदूरी करने पर बाध्य न हों। उस पीरियड में वह कोई काम करता है, तो उसका स्टाइपेंड उसे मिले, जिससे माता-पिता को कम्पेसेशन मिल जाए।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो ट्रेड यूनियन तथा मजदूर आन्दोलन के लोग हैं, मैं श्रम मंत्री जी से से दरख्वास्त करूंगा, वे इस दिशा में क्रान्तिकारी कदम उठाएं प्रगतिशील कदम उठाएं, मैं उनसे कहूंगा कि जो ट्रेड यूनियन आन्दोलन के लोग हैं और जो फैक्टरी में काम कर रहे हैं, उनको बुला कर मीटिंग की जाए और उनको कांफीडेंस में लिया जाए और जहां पर ऐसे बालक काम कर रहे हैं उनके सम्बन्ध में निगरानी रखी जाए।

एक बात और कहना चाहता हूं। सारे हिन्दुस्तान के अन्दर बालक मजदूर किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इसका सर्वे होना चाहिए और सर्वे करके उनको पुनर्वासित करने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए ताकि यह जो एक बहुत बड़ा कलंक है, उससे हमें मुक्ति मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

श्रीमती प्रभावती गुप्ता (मोतीहारी) : सभापति महोदय, यह जो बालक नियोजन अधिनियम, 1938 में संशोधन करने वाला विधेयक है और जो विचारार्थ प्रस्तुत है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं और समर्थन करने के साथ-साथ मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं। हमारे श्रम मंत्री जो ने श्रमिक क्षेत्र में बहुत काम किया है और मुझे उम्मीद थी कि दंड के प्रावधान के साथ-साथ वे एक ऐसी कल्याणकारी योजना लाएंगे, जिससे वास्तव में बालक श्रमिकों का कल्याण हो सके लेकिन पूरा विधेयक देखने के बाद मुझे ताज्जुब हुआ कि इस विधेयक में केवल दंड का प्रावधान बढ़ाया है और तीन महीने से दो वर्ष कर दिया गया है और जो जुर्माना है, वह 500 रुपये से बढ़ा कर 2 हजार रुपये किया गया है। मैं ऐसा समझती हूं कि इससे बाल श्रमिकों की समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। जो श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश ने कहा है, उनके स्वर में स्वर मिला कर मैं कहना चाहूंगी कि हमारे राष्ट्र से बाल श्रम का पूरी तरह से उन्मूलन होना चाहिए हालांकि मैं जानती हूं कि बड़े-बड़े विकसित देशों में भी बाल श्रमिक हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा है कि बाल श्रम का निराकरण और उन्मूलन न तो व्यवहारिक है और न ही हो सकता है। किन्तु यह अवांछनीय है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि आप एक व्यापक बिल बाल श्रमिकों के लिए लाएं।

4.00 म० प०

[श्री एन० वेंकट रत्नम पीठासीन हुए]

सभापति महोदय, यह बात सही है कि बाल श्रमिक अभी भी जोखिम भरे कामों में लगे हुए हैं, खतरनाक कामों में लगे हुए हैं। हमारे यहां बिहार के लोहरडिग्गा और पलामू के बाल श्रमिक मिर्जापुर के कारपेट के कारखानों में लगे हुए हैं और वहां उनको गुलाम बना कर रखा गया, बन्धुआ मजदूर की तरह उनसे काम लिया गया। उनको भरपेट भोजन नहीं दिया गया। बड़ी मुश्किल से उनको वहां से छुटकारा दिलाया गया। बाल श्रमिकों की अनन्त कथा, अनन्त

कहानी है। उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता। उनके पास कपड़े नहीं हैं। वे नंगे हैं तो नंगे ही हैं, वे भूखे ही हैं। अभी यह हालत उनकी है।

मैं उनकी हालत को एक कविता में बयान करूंगी—

अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का जगना।
सुख का सपना हो जाना भीगी पलकों का लगना॥

हमारे देश के अन्दर आज कितनी विषमता है। एक तरफ बड़े-बड़े फाईव स्टार होटल हैं। सर्दी के दिनों में बड़े-बड़े लोगों के बच्चे मखमली रजाइयों में सोते हैं, गर्मी के दिनों में एयरकंडीशंड कमरों में रहते हैं, वे आराम करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, उनके पास पर्याप्त साधन हैं। दूसरी तरफ हमारे यहां गरीबों के बच्चे हैं। हमारे यहां बाल श्रमिक हैं। मैं इस बात को महसूस करती हूं कि हमें बाल श्रमिकों की समस्या का निराकरण करने के लिए देश से गरीबी का उन्मूलन करना होगा। हमारी स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ और देश बचाओ का नारा दिया था। उसके बाद 1980 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने देश को एक बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम दिया। हमें इस बात की उम्मीद है कि इस बीस सूत्री कार्यक्रम के जरिये से इस देश की गरीबी काफी हद तक दूर होगी।

लेकिन मैं अपने श्रम मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि इस बाल श्रमिक संशोधन विधेयक के द्वारा जो प्रावधान किये जा रहे हैं उनको लागू करने के लिए कौन-से उपाय होंगे, कौन उनको लागू करेंगे? इस विधेयक में मुझे कई खामियां दिखाई देती हैं। इस विधेयक के अन्दर यह नहीं बताया गया कि इसके अन्तर्गत क्या नियम होंगे और किस तरह से लोगों को दण्ड दिया जायेगा। जब मंत्री जी अपना जवाब दें तो ये आंकड़े भी प्रस्तुत करें कि 1938 में जो यह बालक नियोजन अधिनियम बना था उसके बाद से खतरनाक कामों में बच्चों को लगाने के लिए कितने नियोजकों को दण्ड दिया गया और कितने लोगों पर जुर्माना किया गया।

सभापति महोदय, आपको मालूम है कि चार राज्यों के श्रम मंत्रियों की समिति बनी थी। उस समिति ने विचार और अध्ययन करके बाल श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए कुछ सुझाव दिये थे। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार ने उन सुझावों पर क्या कार्यवाही की? क्या वे सुझाव लागू किये गये?

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक विशेषज्ञ भारत आये थे और उन्होंने यहां का दौरा करके बाल श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन किया था और अनेक योजनाएं दी थीं और अन्य काफी सुझाव दिये थे। मैं यह जानना चाहूंगी कि आई० एल० ओ० द्वारा प्रतिनियुक्त विशेषज्ञ ने बाल श्रमिकों की दुःखभरी गाथाओं को दूर करने के लिए जो सुझाव योजनाएं दी थीं उन पर कोई कार्य या कार्यवाही हुई या नहीं हुई?

सभापति महोदय, बाल श्रमिकों की समस्या गरीबी के साथ जुड़ी हुई है। इस समस्या का उन्मूलन तो नहीं हो सकता है लेकिन बहुत हद तक इसका निराकरण किया जा सकता है। हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या जनसंख्या की है। अगर हमारे देश में परिवार नियोजन हो जाए तो इस समस्या का भी निराकरण हो सकता है। हमारे परम सम्माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जब अमेरिका और विदेशों के दौरे पर गये तो उनसे वहां पत्रकारों ने पूछा कि

आपके देश की सबसे बड़ी कौन-सी समस्या है । तो उन्होंने कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या है, बढ़ती हुई आबादी है ।

सभापति महोदय, अगर हमें बाल श्रमिकों कों समस्या का समाधान करना है तो 6 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करें । यह बहुत अच्छा होगा, देश हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा । यह बहुत कल्याणकारी कदम होगा ।

सभापति महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि उसने बाल श्रमिकों के अभिभावकों को रोजगार देने के लिए 45 करोड़ रुपये की एक आकर्षक योजना प्रस्तुत की है । अगर सरकार इसको ठीक से लागू करे तो इसके द्वारा अभिभावकों को रोजगार हो सकता है और वे अपने बच्चों को पढ़ाई-लिखाई में लगा सकते हैं ।

सभापति महोदय, भाग्य की कैसी विडम्बना है कि जिन बच्चों के खेलने-कूदने के दिन होते हैं वे उस उम्र में होटलों में काम करते हैं, बकरियां चराते हैं भैंसें चराते हैं । इन बातों के निराकरण के लिए श्रम मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं, वे यह बताएं ।

एक मेरा सुझाव यह है कि जहां बाल श्रमिक काम करते है वहां उन श्रमिकों के लिए अच्छी तरह से खाने-पीने का इन्तजाम हो, उन्हें पोषक आहार दिया जाए । इसके साथ-साथ उनके काम के घंटे निर्धारित हों । निर्धारित समय से ज्यादा जो लोग बालकों से काम कराते हैं उनका अपराध जघन्य घोषित किया जाए और उन्हें पांच साल तक का दण्ड देने का प्रावधान किया जाए । उन बच्चों के लिए यह भी आवश्यक है कि उनके लिए मनोरंजन स्थल हों, जहां जाकर वे अपना मनोरंजन कर सकें और वहां जाकर वे अपनी पढ़ाई-लिखाई भी कर सकें ।

सभापति महोदय, एक जमाना था, वैदिक काल में गुरुकुल थे जहां अमीर और गरीबों के बच्चों की साथ-साथ पढ़ाई होती थी । कृष्ण और सुदामा की कहानी सब जानते हैं । लेकिन आज कितनी विषमता है, कितनी बड़ी खाई है । इस आर्थिक विषमता को पाटने के लिए हमारी सरकार ये बीस सूत्री कार्यक्रम हमारे सामने रखा है । यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है । जब तक हमारे समाज के ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा, सामाजिक, आर्थिक क्रांति नहीं होगी तब तक बाल श्रमिकों की अनन्त गाथाएं और कथाएं रहेंगी ।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए, आशा करती हूं कि माननीय मंत्री जी को जो मैंने सुझाव दिये हैं उनको वे जनकल्याण के हित में, बाल श्रमिकों के हित में लागू करेंगे ।

[अनुवाद]

*श्री सी० गंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : माननीय सभापति महोदय, यद्यपि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, तथापि मुझे इस बात का संदेह है कि क्या वास्तव में इससे बच्चों के हितों की रक्षा हो सकेगी । तेलुगु में एक कहावत है जिसका अर्थ है कि न तो नानी-मां खाने के लिए देती है और न ही लड़के को भिक्षा मांगने की अनुमति देती है । महोदय, सरकार द्वारा 15 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों द्वारा रात के समय कार्य किये जाने तथा उससे कम आयु के लड़कों द्वारा कार्य किये जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाये जाने का प्रयास है । इस विधेयक में उन मालिकों के खिलाफ

*तेलुगु में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।

दंड की व्यवस्था की गयी है जो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाते हैं। किन्तु उन लोगों के बारे में क्या व्यवस्था की गयी है, जो गांवों में रहते हैं। हम उन बच्चों को देखते हैं जो 15 वर्ष से कम आयु के हैं तथा हर प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं और अपने पिता के कार्य में उनकी मदद करते हैं। सरकार उनके लिए क्या करने जा रही है? दियासलाई उद्योग, मोमबत्तियां बनाना तथा बीड़ी उद्योग जैसे कुछ उद्योग काफी हद तक बाल श्रमिकों पर आश्रित हैं। इस समय जबकि मां बाप और बच्चों को अपने जीवन-यापन के लिए साथ-साथ काम करना पड़ रहा है, सरकार ने उनकी मुक्ति के लिए क्या किया है। अपना पेट भरने के लिए जो बच्चे काम करते हैं, उनके लिए सरकार ने अब तक क्या किया है? एक ओर तो सरकार उनके काम करने के अधिकार को छीन रही है और दूसरी ओर उन्हें शिक्षा प्रदान करने के कोई उपाय नहीं किये जा रहे हैं। एक के बाद दूसरा विधान बनाये जाने का क्या लाभ है जबकि इन्हें समुचित रूप से लागू नहीं किया जाता। सरकार एक भी अधिनियम को अभी तक सफलतापूर्वक लागू नहीं कर सकी है। उदाहरणार्थ, काफी समय पहले हमने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ की थी। किन्तु, क्या हम इसे सफलता पूर्वक क्रियान्वित कर पाये? हमने विधान बनाकर बाल-विवाह पर रोक लगायी है। क्या हम इसके क्रियान्वयन में सफल हो सके हैं? इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विगत में जितने भी विधान बनाये गये हैं, वे लागू न किये जाने के कारण बुरी तरह असफल रहे हैं। अब इस विधेयक का भी वही हश्र होने जा रहा है। महोदय, जब हम ट्रेनों में सफर करते हैं, तो हम बच्चों को डिब्बे की सफाई करते हुए देखते हैं। डिब्बे की सफाई करने के बाद वे कुछ पैसे मांगते हैं। इस प्रकार वे यात्रियों द्वारा दी गयी इस तुच्छ राशि से अपना पेट भरते हैं। हमारे बस स्टैंडों पर भी ऐसे दृश्य प्रायः देखे जा सकते हैं। इस विधेयक के माध्यम से बच्चों द्वारा काम किये जाने पर रोक लगाकर सरकार इन निर्धन बच्चों के लिए क्या करने का विचार कर रही है? इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद कोई भी मालिक दंडनीय प्रावधानों के कारण अपने कारोबार में बच्चों को रोजगार नहीं देना चाहेगा। जब इन अभागे बच्चों से रोजगार छीन लिया जायेगा तो उनके पास अपना पेट भरने के लिए चोर बनने के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं रह जायेगा, यह विधेयक उन असंख्य बच्चों के लिए अलाभकारी सिद्ध हो सकता है जो बीड़ी उद्योग, दियासलाई उद्योग आदि में लगे हुए हैं। इसलिए, इस अधिनियम को लागू करने से पूर्व इस प्रकार के सभी बच्चों पर ध्यान देने के लिए सरकार द्वारा एक कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। जब इन बच्चों को रोजगार से हटाया जाये, तो इन पर ध्यान देना जरूरी है। सरकार द्वारा ऐसे माता-पिता की आर्थिक स्थिति पर भी विचार किया जाना चाहिये जो अपनी जीविका के लिए अपने बच्चों पर निर्भर करते हैं तथा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करते हैं। महोदय, इस विधेयक में केवल काम करने वाले बच्चों के बारे में विचार किया गया है। इसमें उन बच्चों को शामिल नहीं किया गया है जो गांवों में अपने माता-पिता को उनके कार्य में मदद करते हैं। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि वे इस वर्ग के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं। इस विधेयक के अनुसार जो भी व्यक्ति बच्चों को रोजगार में लगायेगा उसके विरुद्ध विधेयक के दंडनीय प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। किन्तु, उन व्यक्तियों का क्या होगा, जो एक तरह से अपने बच्चों को व्यवसाय में लगाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने व्यवसाय में लगाते हैं। किस-किस को सरकार गिरफ्तार करने जा रही है? किस-किस को सरकार दंडित करेगी? सरकार ग्वालों अथवा गड़ेरियों के साथ किस प्रकार निपटने जा रही है जो अपने बच्चों को गायें अथवा भेड़े चराने के लिए भेजते हैं। बिहार की माननीया सदस्या ने, जिन्होंने मुझसे पहले अपने विचार व्यक्त किए हैं, विधेयक के इस पहलू पर बहुत कुछ कहा है। सरकार हमारे गांवों में रहने वाले इन माता-पिता के साथ कैसे निपटेगी जो

अपने व्यवसायों में अपने बच्चों को लगाते हैं। हमारा कृषक-समुदाय अपने बच्चों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। प्रातःकाल उठने के समय से ही इन बच्चों को कोई-न-कोई काम करते रहना पड़ता है। हमारा किसान अपने बच्चे को पशु को चराने के लिए बाहर ले जाने के लिए कह सकता है, कोई अपने बच्चे को खेतों की सिंचाई के लिए मोटर चलाने के लिए कह सकता है। इस प्रकार ये बच्चे अपने माता-पिता की सहायता करते हैं और उनके लिए बहुत उपयोगी हैं। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद सरकार 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम में लगाने वालों को दंडित कर सकती है। इसका कैनवास इतना विस्तृत नहीं है कि इसमें अपने व्यवसाय को चलाने के लिए अपने बच्चों की मदद लेने वाले माता-पिता को शामिल कर लिया जाये। वे इससे अछूते रह गये हैं। इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है? वे इस संबंध में क्या करने जा रही है? वह ऐसे माता-पिता के साथ क्या करने जा रही है? जब तक हमारे गांवों में वर्तमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं होता, मैं समझता हूं कि यह विधेयक भी एक असफल प्रयास साबित होगा।

इसलिए, हमारे गांववासियों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्नन लाये जाने के प्रयास किये जाने चाहिए। वर्तमान स्थितियों में परिवर्तन लाये जाने पर जोर दिया जाना चाहिए। तब तक आप चाहे जितने भी कानून बना लें, उससे समस्या का कोई हल नहीं होगा। वर्तमान परिस्थितियों में मुझे भय है महोदय, कि कानून का लागू किया जाना काफी कठिन होगा। हमारे गांव के लोग अपने बच्चों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए हम यह देख सकते हैं कि किस प्रकार माता-पिता बीड़ी बनाने में अपने बच्चों पर निर्भर करते हैं। बच्चे पत्ती को गोल करने में या इसे बांधने में या किसी अन्य प्रकार से सहायता करते हैं। अपने बच्चों की सहायता से माता-पिता अधिक बीड़ी बना लेते हैं और कुछ अधिक कमा लेते हैं क्या इस समय बच्चों के काम करने पर रोक लगाना उचित है जबकि जीवित रहने के लिए प्रत्येक सदस्य को आमदनी में सहयोग देना तथा उसे बढ़ाना जरूरी हो गया है। यह बिल्कुल सही है कि आपका मन्तव्य अच्छा है। किन्तु, इस विधान के लागू किये जाने के बारे में सरकार किस हद तक आशा कर सकती है? मै चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय अपने उत्तर में इस प्रश्न का भी उत्तर दें। ऐसे और बहुत से लघु उद्योग हैं जो मोमबत्तियां, दियासलाई इत्यादि बनाने उद्योगों की तरह हैं जहां अनेकों बच्चे रोजगार में हैं। वस्तुतः बच्चों के माता-पिता अथवा परिवार के बड़े-बुजुर्ग ही अपने बच्चों को अपने काम करने के स्थानों पर ले जाते हैं। आप किसी वर्कशाप में जाइये जहां कारों की मरम्मत की जाती है। आप वहां बच्चों को क्लीनर के रूप में काम करते हुए पायंगे। बच्चे अपनी प्रारंभिक आयु में ही कोई-न-कोई काम पकड़ लेते हैं ताकि 15 वर्ष के होने तक वे उस काम में निपुण हो जायें और अपने पैरों पर खड़े हो जायें। अब बच्चों को काम में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाकर सरकार मात्र किसी पेशे को सीखने पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है। जब उनके पास करने के लिए काम नहीं होगा, तो ये बच्चे बड़े होकर केवल चोर ही बनेंगे। इस प्रकार यह विधेयक अन्ततः अलाभप्रद ही सिद्ध होगा। इसलिए, सरकार को उन बच्चों का उद्धार करने के लिए एक सुनिश्चित और लाभदायक कार्यक्रम बनाना चाहिए जिन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ेगा। महोदय, सत्तारूढ़ दल के अनेक माननीय सदस्यों ने 20-सूत्री कार्यक्रम के बारे में बहुत कुछ कहा है। इन सभी 20-सूत्री कार्यक्रमों और 5-सूत्री कार्यक्रमों अथवा आप चाहे जिस नाम से उन्हें पुकारें, के द्वारा हमारे जन-साधारण की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को बदलने में सफलता नहीं मिल पायी है। जब तक

ये परिस्थितियां नहीं बदलतीं, देश की प्रगति संभव नहीं है। इस प्रकार के कानून केवल कागजों पर ही धरे रह जायेंगे। उस समय तक इन अधिनियमों को क्रियान्वित करना बहुत ही कठिन साबित होगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि बाल-विवाह पर रोक लगाने तथा मद्य-निषेध इत्यादि से संबंधित कानून विगत में किस प्रकार बुरी तरह से असफल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में मद्य-निषेध प्रारंभ किया गया था, किन्तु बाद में उसे लिया गया। हर कोई सत्ता में आने के बाद क्रियान्वयन संबंधी कठिनाइयों का अनुभव करने लग जाता है। अभी-अभी आवश्यक सेवा विधेयक लाया गया है। इस विधेयक के लाये जाने को उचित ठहराते हुए माननीय गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा आंध्र जैसे राज्य भी जहां विरोधी दलों का शासन है, इस अधिनियम के विस्तार के पक्ष में हैं। विरोधी दलों को इस अधिनियम के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए सदन से बहिर्गमन करना पड़ा था। कठिनाई तो तब उत्पन्न होगी, जब इसे क्रियान्वित किया जायेगा। इस प्रस्तावित अधिनियम को क्रियान्वित करने के लिए इस सरकार के पास कौन-से साधन तथा कौन-सी प्रशासनिक मशीनरी है। यह सही है कि सरकार ने मालिकों द्वारा 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम में लगाये जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किन्तु, ये बच्चे फिर यह बच्चे कहां जायेंगे। उनका भविष्य क्या है? हमारे रेलवे स्टेशनों तथा बस स्टैंडों पर ये भीख मांगने लग जायेंगे। या फिर वे जेबकतरे बन जायेंगे। इस प्रकार सरकार केवल इन अस्वास्थ्यकर एवं शोचनीय प्रवृतियों को प्रोत्साहित करने की ही कोशिश कर रही है। इसीलिए, मैं माननीय श्रम मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि इस अधिनियम को लागू करते समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखें। जिन बच्चों को रोजगार से हटाया जाये, उनकी सरकार द्वारा उचित रूप से देखभाल की जाये।

महोदय, सरकार 15-17 वर्षों के आयु-समूह के बच्चों के रात्रि के दौरान काम करने पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है। रात्रि में बच्चों के काम करने का प्रचलन उत्तरी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बहुत अधिक नहीं है किन्तु दक्षिणी राज्यों जैसे आंध्र में इसका प्रचलन अधिक है। हैदराबाद जैसे स्थानों में कोई भी व्यक्ति होटलों में काम करने वाले बच्चों को मध्य रात्रि तक सफाई, सेवा इत्यादि सभी प्रकार के कामों को करते हुए देख सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस अधिनियम को होटलों पर भी लागू किया जाये। मध्य रात्रि तक बच्चों को काम करने के लिए मजबूर करने वाले निष्ठुर होटल-मालिकों के साथ कड़ाई बरती जानी चाहिए।

महोदय, इस अधिनियम की सफलता अनेक सामाजिक पहलुओं पर निर्भर करती है। हमें सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्कूल खोलने होंगे। मेरा यह निवेदन है कि अधिक-से-अधिक संख्या में ऐसे स्कूल खोले जाने चाहिए जहां बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सके। इससे बच्चों को, जब वे बड़े होंगे, आत्मनिर्भर होने में मदद मिलेगी। इस विधेयक का उद्देश्य अच्छा है, किन्तु इसके क्रियान्वयन में अनेक बाधाएं हैं। सरकार को अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी सारी मशीनरी को तेज करना होगा। इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं कि अच्छे उद्देश्य को लेकर किया गया यह उपाय देश के लाखों अभागे बच्चों के लिए एक वरदान साबित होना चाहिए न कि अनिष्ट का कारण। मैं नहीं चाहता कि तेलुगु की वह कहावत चरितार्थ हो जिसका अर्थ यह है कि नानी-मां बच्चों को न तो खाने के लिए देती और न भीख मांगने की अनुमति ही देती है।

महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : सभापति महोदय, इस संशोधन के माध्यम से बालक नियोजन (संशोधन) अधिनियम, 1938 में कुछ परिवर्तन किये जा रहे हैं। महोदय, इसके माध्यम से दंड में वृद्धि की जा रही है ताकि इससे उन नियोक्ताओं पर निवारक प्रभाव पड़ेगा जो इस अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करेंगे। मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं क्योंकि इससे इस अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने वाले नियोक्ता हतोत्साहित होंगे। महोदय, मैं जानती हूं कि श्रम मंत्री इस समस्या के विषय में चिंतित हैं फिर भी मुझे संदेह है कि क्या उल्लंघनकारियों को कड़ा दंड दिया जाएगा, क्योंकि अभियोजन की संख्या कम है और उन मामलों में सरकारी इन्सपेक्टर कहते हैं कि वह किसी प्रकार की अभियोजन कार्यवाही आरम्भ करने के लिए तत्पर नहीं होते है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप बच्चा अपनी नौकरी खो बैठेगा। हम देखते हैं कि अभी हम ऐसी स्थिति में नहीं आए हैं जहां पर हम बाल श्रम पर रोक लगा सकते हैं। हम अपनी ओर से उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं। 1983 के एक नमूना सर्वेक्षण पर आधारित सरकारी आंकडों के अनुसार 15 वर्ष से कम आयु के 17.36 मिलियन बच्चे काम कर रहे थे। परन्तु सरकारी आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि भारत की कुल बाल संख्या का 2/5 भाग बच्चे ऐसी स्थितियों में जीवनयापन कर रहे हैं कि वे बस जिन्दा भर हैं। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में काम करने वाले बच्चों की संख्या लगभग 100 मिलियन होगी। इससे यह कहा जा सकता है कि बाल श्रमिक देश भर में फैले हुए हैं और देश के अनेक भागों में तो इनकी दशा अत्यन्त शोचनीय है।

महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहती हूं कि इन बच्चों के कार्य को व्यवसायिक वर्गीकरण के आधार पर अथवा उनकी कार्य स्थितियों का सुनियोजित एवं वस्तुपरक विश्लेषण करने वाले पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगी कि मंत्रालय को समाज कल्याण मंत्रालय तथा अन्य सम्बद्ध मंत्रालय के सहयोग से एक पृथक सेल स्थापित कर यह कार्य आरम्भ करना चाहिए। कुछ अनुसंधान कार्य किए गए हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि बच्चों की अधिकांश संख्या कृषि अथवा शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योगों अथवा कार्यशालाओं में, अर्ध-पारिवारिक उपक्रमों में हैं। वे ऐसी परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तथा उनके हित में नहीं हैं और वे कभी स्कूल नहीं जाते हैं और अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। कुछ विधानों में प्रायः कुछ व्यवसायों को शमिल नहीं किया जाता है। अतः हम जानते हैं कि बाल श्रम मूलतः विकास की एक समस्या है। बड़े परिवारों के लिए बाल श्रम एक प्रकार की आर्थिक मजबूरी है और साथ ही नियोक्ताओं को बच्चों के रूप में एक सस्ता, उत्पादक, आज्ञाकारी तथा कार्यकुशल श्रम बल में प्राप्त हो जाता है।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि भारत 1919 में स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ (आई० एल० ओ०) का एक संस्थापक सदस्य और बाल रोजगार के विरुद्ध करने के लिए आयोजित किये गये पहले सम्मेलन का एक हस्ताक्षरकर्ता था। उस समय से भारत ने 15 वर्ष की आयु से कम बच्चों को विभिन्न रोजगारों में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए आई० एल० ओ० के अनेक निर्णयों को अपनाने के लिए अनेक कानून बनाये हैं। सभी कानून विशिष्ट क्षेत्रों से सम्बद्ध हैं और उनमे से एक भी इतना व्यापक नहीं है जोकि उसके क्षेत्राधिकार में समस्त व्यवसायों को लाया जा सके। अतः बाल श्रम नियमित करने के लिए सांविधिक पुस्तक में ऐसा कोई सामान्य

कानून नहीं है अत: एक व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए और श्रम मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन से यह जानकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि इसमें यह उल्लेख किया गया है कि सितम्बर, 1983 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में बच्चे के रोजगार में आने की न्यूनतम आयु को बढ़ाने तथा बच्चों के रोजगार से संबंधित एक व्यापक विधेयक पर जांच करने के लिए एक दल के गठन का निर्माण किया गया था। मैं जानना चाहती हूं कि अन्तिम सिफारिशें—जिनके पास शीघ्र आने की आशा है—कब आएंगी। यह जितनी जल्दी हो सके आनी चाहिए। बच्चों के रोजगार करने पर प्रतिबन्ध तथा विनियमन से सम्बन्धित वर्तमान नियमों को एक व्यापक कानून के रूप में बनाया जाना चाहिये।

हमें यथार्थ को स्वीकार करना है। इस संबंध में सामरिक नीति क्या हो? निस्संदेह, हमारी नीति बाल श्रम समाप्त करने की होनी चाहिए। बाल श्रम समाप्त करने के लिए परिवारों की गरीबी दूर करनी चाहिए तथा उनका विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए हमारे पास 20-सूत्रीय कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य रोजगार कार्यक्रम हैं, परन्तु फिर भी हमें रोजगार में लगे बच्चों की आवश्यक्ताओं की ओर ध्यान देना है।

कार्यक्रमों की रूप-रेखा तैयार करने के लिए रोजगार में लगे बच्चो को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है (क) मजूरी कमाने वाले रोजगार में लगे बच्चे (ख) कारीगरों से परिबद्ध बच्चे. (ग) बिना वेतन ने घरेलू नौकर और (घ) काम करने तथा साथ ही स्कूल जाते बच्चे।

जब हम मजदूरी करने वाले बच्चों की बात करते हैं उस समय खतरनाक व्यवसायों की पहचान भी की जानी चाहिए। कानून लागू करने तथा प्रशासनिक परामर्श देकर नियोक्ताओं को काम करने वाले बच्चों के लिए बेहतर कार्य स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए कहा जाना चाहिए। किन्तु हम देखते हैं कि बच्चे ऐसे लघु उद्योगों के छोटे-छोटे व्यवसायों तथा घरेलू कार्यों मे लगे हैं जहां श्रम कानून लागू नहीं होते है। कभी-कभी श्रम प्रशासन का प्रभाव सीमित होता है अत: वस्तु-स्थिति जानने, प्रचार तथा राहत कार्य के लिए सामाजिक सेवाओ संबंधी अन्य प्रशासनों का सहयोग लिया जाना चाहिए।

कुछ मानदण्ड भी निर्धारित किए जाने चाहें। यदि बालक को रोजगार में लिया जाता है उसे थोडा बहुत प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। इस मानदण्ड को भी निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रत्येक विशिष्ट वर्ग की, जिसका मैंने यहां उल्लेख किया है, अपनी विशेष समस्याएं हैं जिनकी ओर व्यापक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

गुरूपदस्वामी समिति में विभिन्न सुझाव दिए हैं और हमारे माननीय सदस्यों ने भी कुछ बातों का सुझाव दिया है। मेरी भी इच्छा है कि सरकार कुछ विशेष आंकड़े तैयार करे। गुरूपदस्वामी समिति ने भी यह सुझाव दिया है।

सलाहकार मंडलों के संबंध में भी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है। किन्तु सलाहकार मंडलों में और अधिक महिला सदस्याओं को लिया जाना चाहिए।

सदस्यों ने विधान लागू करने के तंत्र को सशक्त बनाने के संबंध में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसे भी सशक्त बनाया जाना चाहिए।

बच्चों की आवश्यकताओं से संबंधित सामूहिक लोकेवाओं सुनिश्चित करने के लिए कोई

संस्थागत कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए। इसके लिए सरकार को मजदूर संघों के साथ बातचीत आरम्भ करनी चाहिए। इतना कुछ करने के अतिरिक्त शिक्षु अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने, और बच्चों के लिए अलग व्यावसायिक निदान ग्रह और रोजगार ब्यूरो स्थापित करने की भी आवश्यकता होगी।

इसके अतिरिक्त बच्चों के लिए एक आवास योजना भी अति आवश्यक है। जहां अधिक संख्या में बच्चे काम कर रहे हैं उन्हें आवास भी उपलब्ध किया जाना चाहिए और इस आवश्यकता की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैंने कहा है कि बच्चों को कार्य के दौरान कई प्रकार के खतरे झेलने पड़ते हैं और ऐसे कार्यों की पहचान करना भी आवश्यक है परन्तु अभी तक उनके कार्य को नियमित करने के संबंध में कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं यह कहना चाहती हूं कि प्रचार माध्यम को भी भूमिका निभानी है। हम जानते हैं कि इन सभी चीजों को उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त धनराशि चाहिए, किन्तु इस सम्बन्ध में समाज की भी भूमिका है। उन्हें इसकी ओर सचेत किया जाना चाहिए। बाल-श्रम की इस बुराई में वृद्ध सामाजिक चेतना लाने के लिए प्रचार माध्यमों द्वारा एक अर्थपूर्ण भूमिका निभाई जानी चाहिए। यद्यपि छुट-पुट प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी इस संबंध में कोई रचनात्मक योजना नहीं बनायी गई है।

हमारे यहां माचिस उद्योग है जिसमें बच्चे काम कर रहे हैं। खतरनाक रोजगार के संबंध में कुछ माननीय सदस्यों ने पहले ही विचार व्यक्त किए हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के कालीन उद्योग में जहां पहले ही 54 करोड़ रुपये दिये गये हैं, बच्चों को भोजन के लिए केवल 1 रु० 25 पैसे दिये जाते हैं और शेष रकम बाबू लोगों अथवा अन्य उच्च अधिकारियों के पास चली जाती है, बच्चों की इन सभी आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं इस गंभीर समस्या को सुलझाने पर बल दूंगी। हमारा एक कल्याणकारी राज्य है और हमें एक ऐसे समय-बद्ध कार्यक्रम बनाने पर विचार करना चाहिए जिसका लक्ष्य निर्धारित है। अर्थात् किसी विशेष अवधि के अन्दर-अन्दर ऐसे बच्चों में से कुछ प्रतिशत बच्चों की समस्या सुलझाई जानी चाहिए इस सीमा तक इसे यहीं तक सीमित रखा जाए किन्तु इस अवधि में हमें इस समस्या को किसी हद तक सुलझाने का प्रयास करना चाहिए; और कुछ प्रतिशत बच्चों की समस्या से निपटा जाना चाहिए और इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बात की ओर ध्यान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान (रोसेरा) : सभापति महोदय, श्रम मंत्री द्वारा प्रस्तुत बाल नियोजन (संशोधन) विधेयक का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बाल नियोजन (संशोधन) विधेयक के बदले अगर बाल श्रमिक मुक्ति विधेयक लाया जाता तो ठीक होता और उससे विशेष कल्याण बालकों के लिए हो सकता था, लेकिन इस बिल को देखने से यह आभास लग रहा है कि इससे बच्चों का कोई कल्याण होने वाला नहीं है।

मंत्री महोदय श्रमिक नेता रहे हैं, गरीबों और बालकों के प्रति उनका बहुत स्नेह रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि वह एक ऐसा विधेयक लायेंगे जिससे जो बच्चे दासता की जंजीरों में बंधे

हुए हैं, वास्तव में उनसे उनकी मुक्ति हो सके।

आज हम देखते हैं कि एक माता-पिता अपने बच्चों पर प्रतिमाह 1 हजार रुपये खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक माता-पिता अपनी गरीबी के चलते उदर की ज्वाला को शांत करने के लिए अपने बच्चों को दासता और गुलामी की जंजीर में बांध देते हैं। उनके बच्चे जोखिम भरे और कठिन कार्य के शिकार होते है और माता-ति के पास उनके दफनाने के लिये कफन भी नहीं रहता है। इस तरह की विषमता आज देश में है।

अभी हमारी माननीया सदस्य श्रीमती प्रभावती गुप्ता ने कहा कि यह गरीबी की उपज है। आपको बच्चों की दासता से मुक्ति का कारण खोजना इलाज चाहिए कि किस कारण बच्चे जोखिम के कार्य उठा रहे हैं। इन कारणों को आपको दूर करना चाहिए।

यह जो अमैंडमैंट आपलाये हैं, इससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं है जिन गरीबों के पास मुकदमा लड़ने के लिए पैसा नहीं, अपनी भूख शांत करने के लिए अन्न नहीं, उन्हें इससे क्या फायदा होगा। यह एक हास्यास्पद सी बात मालूम पड़ रही है। मैं आशा करता हूं कि आप बालकों की बाल मुक्ति चाहते है। हमारे नेहरू जी सभी बालकों के चाचा कहलाते थे, महात्मा गांधी ने कहा है कि ये राष्ट्र के बगीचे है। इस तरह से अगर बच्चे अच्छे नहीं होंगे तो हमारे देश का भविष्य भी अच्छा नहीं होगा। आज लाखों नहीं करोड़ों बच्चे आधे नंगे और भूखे हैं, उन्हें कार्य करने पर भरपेट भोजन नहीं मिलता।

हम देख रहे हैं कि 12 से 15 वर्ष के बच्चे रिक्शा चलाते हैं। कलकत्ता शहर में 15 वर्ष का बच्चा घोड़े की तरह गाड़ी खींचता है। इस तरह से वह बच्चे जानवरों का काम रह हैं। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए।

हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों के प्रति आपका नेह है। ऐक्ट बहुत बने हैं आर्थिक सामाजिक समानता के लिए, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं है। आपने बिडो मैरिज ऐक्ट, लैंड सीलिंग ऐक्ट पास किये हैं और उसी प्रकार इसमें भी अमैंडमेंट करने जा रहे हैं। यदि आप ऐक्ट बनाकर उसे सन्दूक में बंद कर देते हैं, धरातल पर इसका कोई उपयोग न रहे तो उसका क्या फायदा? इसी तरह आप अमैंडमैंट इसमें कर दें और उनका उपयोग न हो तो क्या फायदा?

आप गरीब बच्चों के लिए मुक्ति बिल लाइये और जो गरीब बच्चे हैं, जिनके माता-पिता पावर्टी लाइन से नीचे हैं, उनके लिए कोई उपयोगी कदम उठाइये। आप 5 वर्ष से लेकर 15 या 25 वर्ष तक के उन बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दें, जिसके माता-पिता पावर्टी लाइन से नीचे हैं, शिक्षा के बाद उसके नियोजन की, आवास की आप गारंटी दें ताकि जो अमानवीय काड आज आपके बच्चे कर रहे हैं, वह उनको और आगे न कर सकें।

आज आप होटलों में और खेतों आदि में जाकर देखें। वह वहां पर सुबह से शाम तक बड़े मजदूरों जितना काम करते हैं। ऐसा प्रहार आज हमारे जिन बच्चों पर हो रहा है, उनको आप रोकें। महोदय, एक मां का हृदय बहुत विशाल होता है :—

"देव पेट की भूख जहां है, वहां हृदय की भूख न देना,
जलने की जो बनी चकोरी, उसको चन्द्र विमुख न देना,
बेटा-बेटा है भी मां से छीन जाता है,
दो पैसे के लिए विदेश में मां का दिन गिन-गिन जाता है।"

लेकिन, एक मां जब गरीबी के सम्मुख खड़ी हो जाती है तो वह अपने बच्चों को दासता की जंजीर में बांध देती है। हमारे मंत्री जी मानवता के बहुत बड़े पुजारी हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा से गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है, इसलिए आप इन गरीब बच्चों के लिये जल्द ही कोई योजना बनायें। आपने बहुत बड़ी-बड़ी योजनायें बनायी हैं, लेकिन आप देखें कि बड़ी-बड़ी योजनाओं से किनको फायदा हुआ है ? जो पूंजीपति हैं, उन्हीं को लाभ पहुंचा है, बेचारे गरीबों को कुछ नहीं मिला है, इसलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप इस दिशा में जल्द से जल्द कारगर कदम उठायें ताकि हिन्दुस्तान के सभी बच्चे समान रूप से रहें और जो हमारे देश के कर्णधार और हमारा भविष्य हैं, उनका कल्याण और अच्छा भविष्य बने।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने जो बोलने के लिए समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : सभापति महोदय, मेरे सभी माननीय सहयोगियों ने हमारे देश में रोजगार कर रहे बच्चों की दुर्दशा का उल्लेख किया है। यह शर्म की बात है कि भारतीत श्रम संगठन की रिपोर्ट में हमारे लिए यह कहा गया कि भारत में माचिस बनाने वाले कारखानों और मेघालय की गैर-सरकारी खानों में काम करने वाले बच्चे विश्व में अत्यन्त अमानवीय स्थितियों में काम करने वाले बच्चों में आते हैं। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 7.65 करोड़ बच्चे अमानवीय स्थितियों में काम कर रहे हैं। महोदय, यह समस्या सर्व-विदित है। अतः हमें यह स्मरण रखना होगा कि स्थिति बड़ी गम्भीर एवं करुणापूर्ण है।

हाल ही में कालीन बुनकरों के प्रश्न का बार-बार उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने 1984 में एक समिति नियुक्त की थी। उसने इस क्षेत्र की एक रिपोर्ट तैयार की थी। इससे उन्हें पता चला कि इन बच्चों को गर्मी और सर्दी में खुली छत पर सोना पड़ता है और ऊपर ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा नहीं दिया जाता और उन्हें केवल रोटी का एक टुकड़ा और कुछ पानी भरी दाल दी जाती है और उसकी कीमत उनकी मजदूरी में से काट ली जाती है और उन्हें उनके पिता दादा आदि पूर्वजों द्वारा कोई 15 वर्ष पहले लिए लगभग 800 रुपये के बदले में बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती है।

इस प्रकार यह बच्चे कार्य कर रहे हैं। यह सब इस समिति ने देखा था। राजधानी में ही सामाजिक उपक्रम संस्थान की रिपोर्ट में बताया गया है कि राजधानी में लगभग तीन लाख बच्चे केवल 2 रु० मजदूरी के लिए प्रति दिन 12 से 14 घटे काम कर रहे हैं। मेरे राज्य में भी हम अक्सर देखते हैं कि होटलों, रेस्टोरेंट, बागानों में स्थिति बहुत गम्भीर है। सम्पूर्ण भारत में बागानों में बच्चों की मजदूरी 99 पैसे से 3.50 रु० प्रतिदिन तक है। वस्तुतः इस विषय पर विस्तार में कहने के लिए न तो समय है न ही कोई आवश्यकता है। लेकिन राष्ट्र के लिए यह अच्छा है कि हम कभी-कभी इस गरिमामयी सभा में कम से कम यह याद कर लेते हैं कि हमारे बच्चों की क्या दुर्दशा है।

मेरे अनेक मित्रों ने यह मुद्दा उठाया है कि बच्चों के बारे में एक व्यापक श्रम

कानून लाया जाए । मैं उसका समर्थन करती हूं । मेरे विचार से एक व्यापक श्रम कानून की आवश्यकता है किन्तु सम्भवत: इससे अधिक आवश्यकता है उसके कार्यान्वयन के लिए एक तन्त्र की व्यवस्था करना । वर्तमान कानूनों को कौन कार्यान्वित कर रहा है ? मुझे इन कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कोई तन्त्र नजर नहीं आता । वह कौन से नियोक्ता हैं जो यह बताते हैं कि बाल श्रमिक कार्य कर रहे हैं और ऐसे नियोक्ताओं को पकड़ने के लिए कौन जाता है ? इस संबंध में कभी कुछ नहीं किया गया । इसलिए, इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण पहलू कार्यान्वयन तन्त्र को मजबूत बनाना है । कानूनों को मजबूत करने के बजाय वास्तव में बाल श्रम के संबंध में नये सिरे से तन्त्र स्थापित करने की आवश्यकता है क्योंकि राज्यों में जो श्रम निदेशालय हैं यह अक्सर संगठित श्रमिकों के सम्बन्ध में व्यस्त रहते हैं । जब तक बाल श्रम के वर्तमान कानूनों एवं भविष्य में निर्मित होने वाले कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष तन्त्र की स्थापना नहीं की जाती तब तक बाल श्रमिकों के हित में कुछ भी नहीं किया जाएगा, यदि इस कार्यान्वयन तन्त्र का पूर्णत: सुधार नहीं किया जाता और इसे प्रभावी बनाने के लिए काफी संख्या में महिला कामगारों को लगाकर परिवर्तन नहीं किया जाता मुझे विश्वास है कि स्थिति के संबंध में कोई गंभीर परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अत: मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि कानूनों को कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में क्या करने जा रहे हैं और करेंगे कब व्यापक श्रम कानून कब तक बनाया जायेगा और उसे सदन में कब प्रस्तुत किया जाएगा ?

यदि मैं यह कह सकती कि हमें बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए तो मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होती । दुर्भाग्यवश, जिस आर्थिक सामाजिक स्थिति में हम रह रहे हैं । हम वस्तुत: ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि बलि श्रम पर प्रतिबंध लगा सकें क्योंकि गरीब परिवारों में भी सबसे अधिक गरीब लोगों के लिए इससे एक बड़ा धक्का लगेगा । यह स्थिति का विरोधाभास है । ऐसी स्थिति ने संसद, सरकार और समूचा राष्ट्र के लिए यह उचित होगा कि हम श्रम की अत्यधिक अमानवीय स्थिति को सुधारने के लिए अत्यधिक ध्यान दें । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि इस संबंध में उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा है ।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मैं एम्पलायमैंट आफ चील्डरेन्स अमैंडमैंट बिल का स्वागत करती हूं । संविधान में सभी बच्चों को श्रम से रोकने की व्यवस्था है और 1958 में भी इस प्रकार का एक कानून बनाया जा चुका है । परन्तु आज भी देश में बाल श्रमिकों की कमी नहीं है । एक सर्वेक्षण के अनुसार आज देश में 2 करोड़ बाल श्रमिक काम कर रहे हैं और इसी प्रकार की रफ्तार रही तो आने वाले समय में इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी । यह भी सही है कि बाल श्रमिकों की समस्या केवल इस देश में ही नहीं है, विश्व के कई अन्य स्थानों पर भी है और आई० एल० ओ० ने भी इसके लिए आगाह किया है कि 15 साल से कम उम्र वाले बच्चों को इन कामों पर न लगाया जाए । परन्तु हमारे देश में बाल श्रमिकों की यह समस्या भयंकर रूप में विद्यमान है और यह हमारी मानवता के ऊपर एक कलंक है । आपने इस संबंध में कानून में जो अमैंडमैंट रखे हैं, उसके संबंध में दो एक बातें मैं कहना चाहती हूं ।

पहली बात तो यह है कि मन्त्री महोदय ने जोखिम भरा व्यवसाय तो बताया है लेकिन

उनकी स्पष्ट रूप से परिभाषा नहीं की है। क्या हम उन कामों को जोखिम भरा नहीं कस सकते हैं जोकि गांवों में बच्चे करते हैं। आज देश के हर कोने में, हर राज्य में आपको बाल श्रमिक दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में माचिस उद्योग में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं क्या वह जोखिम-भरा व्यवसाय नहीं कहा जायेगा? इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश और कश्मीर में बच्चे कालीन-व्यवसाय में लगे हुए हैं, वहां पर वे 12-13 घंटे रोज काम करते हैं और यदि उनको नींद आने लगती है तो ठूंसा देकर काम कराया जाता है। क्या इसको हम जोखिम भरा व्यवसाय नहीं कह सकते हैं? इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में स्लेट बनाने के काम में बच्चे लगे हुए हैं। इसके अलावा आज सारे देश में जो होटल चल रहे हैं, उनमें बरतन मांजने का काम बच्चों के हिस्से में आया है। आप कहीं भी बाल श्रमिकों को होटलों में लगा हुआ देख सकते हैं क्या इस काम को जोखिम-भरा नहीं कह सकते हैं? इसी प्रकार से हर गांव में खेती के कामों में बच्चों का शोषण किया जाता है और बहुत कम, एक-दो रु० मजदूरी ही उनको दी जाती है। इस प्रकार से वहां पर उनका शोषण किया जाता है और इससे उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। इस प्रकार से छोटी आयु में काम करने से उनकी फिजिकल और मेन्टल ग्रोथ नहीं हो पाती है और इस तरह से वे देश के सफल नागरिक नहीं बन पाते है। बचपन में ही उनको बीमारियां लग जाती हैं। बीस वर्ष की आयु युवा-आयु होती है लेकिन इसी आयु में उनको बुढ़ापा आ जाता है। इस प्रकार बच्चों का शोषण होने से उनमें मृत्यु-दर भी बहुत बढ़ रही है।

उपरोक्त कामों के अलावा कई और भी ऐसे काम हैं जैसे कि भिक्षा-वृत्ति का काम है, इस काम में भी उनको लगाया जाता है। जबर्दस्ती बच्चों को पकड़ कर उनसे भिक्षावृत्ति करवाई जाती है तथा उनको अंग-भंग तक कर दिया जाता है। इन बातों को रोकने के लिए भी कानून में संरक्षण प्रदान करना चाहिए।

आपने कानून तो जरूर बनाया है लेकिन कानून का अर्थ तब तक कुछ नहीं होता है, जब तक कि उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए आपके पास विशेष मशीनरी न हो। मैं समझती हूं जो इस तरह के केसेज पकड़े जायेंगे उनके लिए आपके पास विशेष रूप से कोई व्यवस्थित तंत्र काम नहीं कर रहा है। आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह भी है कि बच्चे ये काम क्यों करते हैं। उनके माता-पिता यह समझते हैं कि बच्चे की इनकम उनकी पारिवारिक आय में एडीशन है। मैं मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगी और आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करना चाहूंगी कि आज वे नयी शिक्षा नीति से बारे में जो सोच रहे हैं उसमें वे "कमाओ और पढ़ो" की बात को भी सोचें। कई प्रान्तों में इस प्रकार के प्रयोग हुए भी हैं जहां पर बच्चे छोटे-मोटे काम धंधे सीखते हैं, उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे बच्चों को थोड़ी-बहुत इनकम हो जाती है ताकि वे अपनी किताबों व अन्य चीजों की आवश्यकतायें पूरी कर सकें। यह बहुत आवश्यक है कि हमारी जो शिक्षा नीति बने उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ-साथ "कमाओ और पढ़ो" इस प्रकार का प्रयोग भी होना चाहिए।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि केन्द्र और राज्यों में श्रमिक सलाहकार बोर्ड होने चाहिए। लेबर आफिसर जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, उसकी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह जगह-जगह जाकर निरीक्षण करे और कहीं पर यह पता चले कि बालक मजदूर काम कर रहे हैं या इस प्रकार की कोई शिकायत आती है, तो उसके ऊपर उसको एक्सन लेना चाहिए। होता यह है कि बाल-श्रमिक की ओर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खास तौर से भिक्षा-वृत्ति कराने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रस्तावित सजा का प्रावधान

बहुत ही कम है, इसको कम से कम बढ़ा कर पांच वर्ष किया जाना चाहिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक भिक्षावृत्ति में लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या कम नहीं हो सकती है। एक सुझाव यह भी है कि जो बालक कामों में लगे हुए हैं, जब आप उनको हटायेंगे तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी राज्य और केन्द्र की ओर से होनी चाहिए। जहां पर बच्चे होस्टल में रहकर व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकें। इसके लिए वहां पर ट्रेनिंग सैंटर होना चाहिए।

सभापति महोदय, चूंकि आपने घंटी बजाकर भाषण को समाप्त करने की ओर इशारा किया है, इसलिए मैं अपनी बात संक्षिप्त में ही करूंगी। केवल कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा। कानून से समाज की किसी बुराई को दूर नहीं किया जा सकता है। बाल-श्रमिक की समस्या एक सामाजिक समस्या है, इसके लिए हमें दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक यह समस्या हमारे यहां बनी रहेगी। इसलिए सामाजिक जागृति की आवश्यकता है।

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, यह कहना चाहती हूं कि बच्चे हमारे देश की बहुमूल्य धरोहर है। उस धरोहर की रक्षा करना एक कल्याणकारी राज्य और केन्द्र का परम और आवश्यक कर्त्तव्य है। उस दिशा में यह कानून पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता है। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, बाल मजदूर की समस्या हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है और यह गरीबी के साथ जुड़ी हुई है। इस समस्या के बारे में मुझसे पूर्व कई माननीय सदस्य कह चुके हैं, मैं भी उन्हीं की भावनाओं को दोहराना चाहता हूं।

महज कानून तो श्रम मंत्री जी के पास बहुत सारे हैं, मगर वे कानून कितने इफैक्टिवली इम्प्लीमैंट होते हैं और उनको लागू करने वाली मशीनरी कितनी कमेटेड है यह देखने की सबसे बड़ी बात है। देखने में यह आया है कि संसद कानून पास करती है, श्रम मंत्री जी के पास कानून है, मगर उनको लागू करने का काम जिन लोगों के पास है, राज्य सरकार और उनके बीच में अच्छा कोआर्डिनेशन न होने के कारण बहुधा कानून केवल परिभाषा तक ही सीमित रह जाते हैं। फैक्ट्री में काम करने वालों के सम्बन्ध में कानून ठीक से लागू नहीं किए जाते हैं। वहां सबसे ज्यादा इनोसैन्ट चाइल्ड लेबर का शोषण होता है। वे अपनी व्यथा को ठीक कह भी नहीं सकते हैं, जबकि उनको प्रोटैक्ट करने के लिए कानून बनाए गए हैं, तो वे अपनी आवाज कैसे उठा सकते हैं। वे तो बिल्कुल दीन-हीन की स्थिति में रहते हैं। इस बात को आपको देखना चाहिए और राज्य सरकारों से मिलकर इस कानून को लागू करने की दिशा में विचार करना चाहिए।

मैं कोई कानून विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत जी ने भी कहा है, कि जब तक सामाजिक जागृति पैदा नहीं होगी, तब तक इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। आई० एल० ओ० और डब्ल्यू० एस० ओ० ने बहुत ही गम्भीर रूप से इस समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हमारे देश में यह समस्या गरीबी के साथ जुड़ी हुई है, जब तक हमारे देश में गरीबी की समस्या का निदान नहीं हो सकता, तब तक यह समस्या दूर नहीं की जा सकती है। इसलिए हमको यह मान कर चलना चाहिए और मैं समझता हूं कि माननीय श्रम मंत्री केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और उनके पास बहुत सारे माध्यम हैं, जिन के जरिये

से उनको खबरें मिलती होंगी और वे सूचनाएं एकत्रित करते रहते होंगे कि कहां पर कानून को सारे हिन्दुस्तान में लागू करने की दिशा में कमजोरियां हैं। इनकी जानकारी उनको हमसे बेहतर हो सकती है और फिर उन्होंने तो इस क्षेत्र में बहुत काम किया है और उनकी सारी उपलब्धियां हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि वर्तमान कानून में सजा इत्यादि का प्रावधान इतना कम रखा गया है कि इसको और अधिक व्यापक बनाने की जरूरत है। जैसा कि और सदस्यों ने भी कहा है कि एक काम्प्रीहैंसिव बिल लेकर उनको पार्लियामैंट के सामने आना चाहिए जो विभिन्न एस्पेक्ट्स चाईल्ड लेबर के विषय में देखे और उसको लागू करने के विषय में विचार करे।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अनआर्गेनाइज्ड सेक्टर में कुछ लोग हैं जो दलाल के रूप में काम करते हैं और एम्पलायर और बच्चों के बीच में वे दलाल का काम करते हैं। वे किसी न किसी तरीके से मां-बाप को फुसलाकर बच्चों को एम्पलायर्स तक पहुंचा देते हैं और वे अच्छा-खासा हिस्सा बच्चों के वेतन का खा जाते हैं। उनकी समस्या को कैसे दूर किया जाए और दलालों के चंगुल से कैसे उनको मुक्त कराया जाए, इस विषय में सोचने की जरूरत है।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि साधारण श्रमिकों में लिए वर्किंग आवर्स कम हैं मगर बच्चों के लिए वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा हैं। एम्पलायर्स अपनी मनमानी करते हैं और बच्चे ठीक तरीक से प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हैं। वे आर्गेनाइज भी नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं माननीय श्रम मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वर्किंग आवर्स के विषय में और उनके बेजेज फिक्स करने के विषय में रीजनल लेविल पर कोई मशीनरी होनी चाहिए जो इन बातों को देखे।

साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि जो बच्चे काम पर लगे होते हैं, उनको शिक्षा-दीक्षा देने का काम भी होना चाहिए और इसकी ज़िम्मेदारी एम्पलायर्स पर कानूनन फिक्स कर दी जानी चाहिए। इस संबंध में हम कोई कनून नहीं बनाएंगे, तो मैं समझता हूं कि कोई एम्पलायर अपने आप सामने आकर यह नहीं कहेगा कि इस बच्चे को मैं दीक्षित करूंगा।

एक बात और कहना चाहता हूं कि 1978 में कानून में हमने इस प्रकार की रोक लगाई है कि बच्चे को किसी हैजारडस इंडस्ट्री में नहीं लगा सकते लेकिन फिर भी वे वहां पर काम करते हैं और उनको रिस्क रहता है और उनको नुकसान पहुंच सकता है और इससे उनका सारा कैरियर बरबाद हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे बच्चों के लिए, जो ऐसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहां उनको नुकसान पहुंच सकता है उनका अंग भंग हो सकता है, सोशल सेक्यूरिटी के विषय में कोई स्कीम होनी चाहिए और वह स्कीम होनी चाहिए जिसमें जीवन पर्यन्त उनके पालन पोषण का इन्तजाम हो सके। इस दिशा में आपको काम करना चाहिए।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री गोपाल कृष्ण थोटा (काकीनाड़ा) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। जहां यह माना जाता है कि वे इतनी कम उम्र में स्कूल जाकर पढ़ना लिखना सीखेंगे, वहीं देश में बहुत से बच्चे अपनी जीविका कमाने जाते हैं। इस कम उम्र में रोजगार से उनका मानसिक विकास समाप्त हो जाता है। जो बच्चे उन उद्योगों में काम कर रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकर हैं वहां वे अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। परन्तु यह उनकी मजबूरी है क्योंकि उन्हें

*तेलुगु में दिए गए भाषण के अंश का अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अपने लिए रोटी कमानी है। जो बच्चे इस चारदिवारी में काम करते हैं वे किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जित हमेशा के लिए वंचित रह जाते हैं इसलिए श्रीमन् मैं इस उपाय का स्वागत करता हूं जो इन अभागे बच्चों के लाभ के लिए है। स्वास्थ्य के लिए हानिकर उद्योगों में काम करने से रोक दिये जाने के बाद इन मासूम बच्चों को रोगों से बचाया जा सकता है। संचारी रोग मुख्यत: बच्चों के माध्यम से फैलते हैं इसलिए एक प्रकार से इस विधेयक द्वारा बच्चों को इस रोगों से बचाया जा सकता है।

श्रीमन्, इस विधेयक में कुछ कमियां भी हैं। देश में विद्यमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार का दायित्व है कि वह इन बच्चों के कल्याण के लिए कुछ कदम उठाये। यह खेद की बात है है कि यह सरकार समाज को विकास की ओर ले जाने के स्थान पर उल्टी दिशा में काम कर रही है। संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को एक-एक करके छीनना इसका एक उदाहरण है। महोदय, आधी जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है। परिवार का मुखिया जो कमाता है उससे पूरे परिवार को खाना नहीं मिल पाता। कुछ उद्योगों मुख्यत: माचिस बनाने वाले कारखानों में मुख्यत: बच्चों को लगाया जाता है। यदि बच्चों के काम करने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो सरकार का भी कुछ दायित्व बनता है। सरकार को बच्चों की शिक्षा के दौरान उन्हें छात्रवृत्ति देनी चाहिए। इससे माता-पिता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा तथा वह अपने बच्चों की पढ़ाई पर जोर देंगे। जनसंख्या पर नियन्त्रण रखना भी सरकार का दायित्व है। क्या यह तब तक असम्भव है जब तक कि माता-पिता यह सोचते रहेंगे कि चार या उससे अधिक बच्चे पैदा करने से उनकी आय बढ़ेगी। इसलिए सभी स्कूल जाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देकर सरकार गरीब माता पिता के इस रुख में परिवर्तन ला सकती है। इससे देश की गरीब जनता जनसंख्या नियंत्रित करने के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएगी।

श्रीमन्, देश में करोड़ों अनाथ बच्चे हैं। सरकार का दायित्व है कि वह अनाथ बच्चों की देखभाल करे। इस विधेयक में अनाथ बच्चों को रोजगार से निकाल दिये जाने के बाद उनके रख-रखाव का कोई प्रावधान नही है, फिर वे चोरियां करना शुरू कर देंगे। बाद में वे पक्के अपराधी बन जाएंगे। विधेयक में सजा का प्रावधान होने के कारण कोई भी नियोक्ता बच्चों को रोजगार नहीं देगा। इन बच्चों के पास पेट भरने के लिए चोरी करने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा।

महोदय, सब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों, भवनों तथा अध्यापकों आदि की आवश्यकता है। ये सुविधाएं बहुत कम हैं। इसलिए देश के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को बहुत प्रयत्न करने होंगे। इसके लिए सरकार को देश के हरेक गांव में स्कूल खोलने होंगे। स्कूल जाने वाले सभी बच्चों को खाना कपड़ा दिया जाना चाहिये। देश में अनाथालयों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि प्रत्येक अनाथ बच्चे की सही देखभाल हो सके। इस प्रकार वे देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं।

महोदय, मुझे बोलने का मौका दिए जाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एम० डेनिस (नागरकोइल) : महोदय, इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछेक बातें कहना चाहता हूं।

बाल श्रमिकों को काम पर लगाना हमारे देश की बुरी प्रथा है। इस समस्या की

विशदता का इसी बात से पता चलता है कि विश्व के बाल श्रमिकों का एक तिहाई हिस्सा भारत में हैं। संसार के अनुमानित 5 करोड़ 20 लाख बाल मजदूरों में से 1 करोड़ 70 लाख भारत में है। भारत में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां यह समस्या न हो एवं न ही ऐसा कोई उद्योग है जिसमें बाल श्रमिक न लगाए जाते हों। इसका प्रमुख कारण तो उन अभागे बच्चों की अत्यधिक गरीबी ही है और दूसरा कारण है शोषक वर्ग की मुनाफा कमाने की मंशा। हमारे देश में लगभग आधी जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे जी रही है। अत्यधिक गरीबी से उत्पन्न सामाजिक-आर्थिक मजबूरियां माता-पिता को मजबूरन अपने बच्चों को काम करने के लिए विवश कर देती है जिससे कि उनकी पारिवारिक आय बढ़ सके। वह उन्हें स्कूल भेजने के स्थान पर फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजना ज्यादा पसंद करते हैं।

विभिन्न व्यवसायों तथा उद्योगों के नियोक्ता भी बड़े मजदूरों को लगाने के स्थान पर बच्चों को ही लगाना पसन्द करते हैं। इसका एक कारण तो यह है कि उन्हें बड़े मजदूरों की अपेक्षा कम मजदूरी देनी पड़ती है और साथ ही उनसे श्रमिक-समस्याएं भी उत्पन्न नहीं होतीं। कालीन निर्माण जैसे कुछेक व्यवसायों में उन्हें बढ़िया कामगार के रूप में वरीयता दी जाती है। बच्चों में काम सीखने का रुझान होता है। ऐसे कार्यों, जिनमें किसी प्रकार की दक्षता अथवा कठोर शारीरिक श्रम की जरूरत नहीं होती, नियोक्ता बच्चों को रोजगार पर लगाना पसंद करते हैं। नियोजकों द्वारा इन बच्चों का बहुत ही घृणित ढंगों से शोषण किया जाता है। इससे काम कर रहे बालकों को स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। माचिस फैक्ट्रियों में बच्चों को आस-पास के गांवों से लारियों और गाड़ियों में भर कर ले जाया जाता है, उन्हें अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में काम करने को मजबूर किया जाता है एवं उन्हें खतरनाक विस्फोटकों के साथ काम करना पड़ता है। कठिन परिश्रम एवं कुपोषण के कारण उन्हें घातक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जब उन्हें बीमार एवं काम करने के उपयुक्त नहीं पाया जाता तो अस्थायी मजदूर होने के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसी प्रकार काजू फैक्ट्रियों में उनके हाथ खराब हो जाते हैं, खाल खराब हो जाती है। उन्हें बचाव के लिए न तो दस्ताने दिए जाते हैं एवं न ही पाउडर दिया जाता है जिससे उनकी खाल पर असर न हो। बच्चों को सुबह से शाम तक, 12 से 14 घंटे के लम्बे समय तक काम करना पड़ता है। चूंकि उनके माता-पिता उन्हें स्कूल भेजने के स्थान पर काम पर भेजना ज्यादा पसंद करते हैं इसलिए वे उन्हें वह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं।

जहां तक दुर्घटना की बात है, बच्चों को रोजगार के समय अथवा जब वह काम कर रहे होते हैं, उस समय दुर्घटना होने पर भी मुआवजा नहीं दिया जाता। उनके लिये कुशल कारीगर बनने का भी कोई अवसर नहीं होता।

इस संशोधन का क्षेत्र सीमित है। इसमें केवल दंड के परिणाम के बारे में बताया गया है। अपेक्षाकृत कड़ा दंड दिया जाएगा। इस अधिनियम का उल्लंघन तभी रुक सकता है, अगर दण्ड को कठोर बना दिया जाए। इस संशोधन के तहत यद्यपि पहले अपराध के लिए न्यूनतम तीन सास की जेल अनिवार्य की गई है, इसके बाद किए जाने वाले किसी अपराध के लिए, न्यायालय के विवेक पर छः माह के कारावास तक का प्रावधान है जिसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किये जाने चाहिए। लेकिन अगर यह अपराध बार-बार किया जाता है तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

यह 1938 के उस बालक नियोजन अधिनियम में संशोधन है जो संविधान के लागू होने

से पहले ही स्वीकार किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 34 और 39 के अनुसार 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिमपूर्ण धन्धों में लगाने की मनाही है। इस प्रकार, 1983 का बालक नियोजन अधिनियम निष्फल हो गया है। अतः, जरूरत इस बात की है कि इस पहलू के लिए संविधान के अनुच्छेद 24, 39 और 23 का विस्तार से अध्ययन किया जाए जिससे कि बालकों के नियोजन के बारे में व्यापक कानून बनाने के लिए जिन-जिन क्षेत्रों में बच्चे काम कर सकते हैं उन सभी को देखा जा सके। उपर्युक्त संवैधानिक प्रतिषेध के अलावा ऐसे अन्य बहुत से अधिनियम हैं, जो श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हैं। समय की कमी के कारण मैं यहां पर इन अधिनियमों का विस्तार से उल्लेख नहीं कर रहा हूं। ये कानून अयथार्थपरक और प्रभावहीन हो गए हैं एवं नाममात्र के कानून हैं। इनका स्पष्ट रूप से उल्लंघन हो रहा है। जब तक गरीबी की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, बच्चे दरिद्रता और शोषण के शिकार होते रहेंगे। इसी प्रकार जब तक सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक बाल-श्रमिकों पर लगा प्रतिबन्ध केवल कागजों तक ही सीमित रहेगा।

5.00 म० प०

अभिभावक अपने बच्चों का संरक्षण नहीं कर सकते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वे उनका भरण पोषण कर सकें। बच्चों का रोजगार पर लगाया जाना एकदम समाप्त करना सरकार के लिए बहुत कठिन है। इस प्रकार, इसके व्यावहारिक पहलू को देखना। होगा। अर्थात् अभिभावकों को आर्थिक प्रतिस्थापन उपलब्ध करा कर इस प्रतिषेध को प्रभावी रूप से लागू करना होगा अथवा अधिक यथार्थवादी व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा जिसके लिए उन्हें कानूनी संरक्षण अथवा मान्यता प्रदान करनी होगी जिससे कि कानूनी रूप से उनके हितों की रक्षा और संरक्षण उसी प्रकार से हो सकें। जैसा कि अन्य वयस्क श्रमिकों के मामले में होता है। उन्हें कुछ सांविधिक संरक्षण प्रदान करना होगा। अभी उन्हें काम करने वालों की गिनती में नहीं माना जाता। इसलिए बच्चों को संरक्षण प्रदान करने एवं कल्याणकारी उपाय के रूप में एक व्यापक विधान लाना होगा। लेकिन साथ ही, बाल-नियोजन प्रथा को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना होगा। बाल-नियोजन के बारे में व्यापक कानून बनाने के लिए जिसमें उनके रोजगार करने के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया हो, विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे बच्चों की संख्या के आंकड़े एकत्र करना जरूरी है। इसके लिए, देश में एक आयोग गठित किया जाना चाहिए जो बाल श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं की विस्तार से जांच करें। इस प्रकार के कानून का उद्देश्य नौकरी की सुरक्षा, काम के घंटों में कमी, उचित परिश्रमिक, दुर्घटना होने पर मुआवजा तथा शिक्षा चिकित्सा सुविधाएं और पोषक भोजन उपलब्ध कराने जैसे अन्य कल्याणकारी उपाए होने चाहिये।

इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए एक राष्ट्रीय बाल कल्याण उपकार निधि स्थापित की जाए। इसमें नियोजकों, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा राशि अंशदान के रूप में दी जानी चाहिये। वह राशि उनकी सुरक्षापाय, संरक्षण और भविष्य में रोजगार के लिए उपयोग में लायी जानी चाहिये।

एक अन्य योजना भी तैयार करनी होगी जिसके अनुसार बाल श्रमिक के रूप में किये गये कार्य की अवधि को प्रशिक्षु अवधि के रूप में माना जाए। इससे बाल श्रमिकों को मिलने वाले अन्य लाभों के अलावा नियोजक इनप्रशिक्षित श्रमिकों का चुनाव कर सकते हैं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : माननीय सभापति जी, मैं बाल नियोजन संशोधन विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और आदरणीय श्रम मंत्री जी को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसकी आवश्यकता महसूस की और इस विधेयक में संशोधन लेकर यहां पर आए हैं।

जैसा कि पूर्व-वक्ताओं ने यहां पर कहा है कि जो बाल श्रमिक हैं, वे गरीबी की उपज हैं और गरीबी के कारण ही लोग अपने बच्चों को काम करने के लिए भेजते हैं। मैंने देखा है हमारे यहां मध्य प्रदेश के अन्दर बीड़ी बनती है और जब बीड़ी बनाने से संबंधित ऐक्ट आया तो उस समय इस ऐक्ट को फेल करने के लिए कारखाने-दारों ने कारखानों में बीड़ी बनवाना बन्द करके ठेकेदारों के जरिए बीड़ी बनवाना शुरू कर दिया। जब कारखानों में बीड़ी बनवाते थे तो उस समय लेबर आकर काम करता था, लेकिन जब कारखानों में बीड़ी बनना बन्द हो गया और ठेकेदारों से काम करवाना शुरू हो गया तो वहां पर लेबरर और छोटे-छोटे बच्चे बीड़ी बनाने के काम में लग गए और उस ऐक्ट को फेल करने के लिए इस तरह से काम किया गया। जब इस तरह से काम किया जाएगा तो सरकार कोई ऐक्ट कैसे लागू कर सकती है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

जब तक हम समाज के अन्दर मानवीय संवेदनाओं को पैदा नहीं करेंगे, जब तक प्रचार माध्यम से जन-जागरण नहीं करेंगे, जब तक लोगों के दिलोदिमाग में इस बात को नहीं बैठाएंगे कि यदि किसी बच्चे से काम कराते हैं तो उससे काम कराकर हम उसके भविष्य को बरबाद कर रहे हैं, तब तक इस ऐक्ट को पूरी तरह से हम कार्यान्वित नहीं कर पाएंगे।

यह आदिकाल की समस्या है और संविधान की धारा 24 और 39 में इसका वर्णन किया गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं कराया जाए, लेकिन इतने सारे ऐक्ट आने के बाद यह समस्या बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों सरकार ने सर्वेक्षण किया और पौने दो करोड़ बच्चों को काम करते हुए पाया गया। कहां-कहां जाकर के आप उनकी रोकेंगे। इस तरह आपके जो लेबर इन्सपैक्टर्स है, वे पूरा काम नहीं करते। गांव में उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो उस कानून को नहीं समझते लेकिन कारखानेदार को रोकने की कोशिश नहीं करते। जब कोई मुकदमा कोर्ट में जाता है तो एज डिसाइड होती है। डॉक्टर पहले से ही कारखानेदार का डॉक्टर होता है। वह बता देता है कि 15 साल से ज्यादा उम्र है। जो ऐक्ट आप लाए हैं उसको किन लोगों के माध्यम से कार्यान्वित कराना चाहते हैं। ऐक्ट तो पास हो जायेगा लेकिन राज्यों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐक्ट बनने के बाद राज्य सरकारें रूल नहीं बना पातीं। जब रूल ही नहीं बनता तो क्रियान्वित कैसे करेंगे। हमारे श्रम मंत्री जी बहुत बड़े श्रमिक नेता हैं जिनको सब इन्स एण्ड आउट्स मालूम है। वह जानते हैं कि मिल मालिक या कारखानेदार कानून का किस ढंग से कार्यान्वयन न हो सके इसके लिए कार्य करता रहता है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस ऐक्ट के अन्दर ऐसी स्ट्रांग मशीनरी बनाएं जो बहुत तेजी के साथ ऐसे कारखानेदारों को जो बच्चों से काम कराते हैं, कड़ी से कड़ी सजा दे सके। मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस ऐक्ट में सजा का प्रावधान किया है। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं और वह यह है कि नॉन कागनीजेबल आफेन्स को अगर कागनीजेबल आफेन्स बना देते हैं तो ज्यादा कार्यान्वयन हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस ऐक्ट का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, एम्पलायमेंट आफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट, 1985 का मैं स्वागत करता हूं। माननीय श्रम मंत्री का ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस बिल के जरिए सजा तो बढ़ाई है लेकिन साथ-साथ इसमें एक गड़बड़ भी कर दी है। आपने प्रोविजो को देखा होगा। उसका मतलब यह है कि आपने सारे बने बनाए कानून को बेकार कर दिया। प्रोविजो में आपने कहा है :

[अनुवाद]

"परन्तु न्यायालय ऐसे किन्हीं पर्याप्त एवं विशेष कारणों से, जो निर्णय में लेखबद्ध किये जाएंगे, छह मास से कम की अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा"

[हिन्दी]

जब आपने इस प्रकार का प्रोविजो इसके साथ लगा दिया तो फिर सजा बढ़ाना नहीं बढ़ाना बिल्कुल बेकार हो गया। इस प्रोविजो को आपके अधिकारियों ने जोड़ दिया है। आपके अधिकारी पूंजीपतियों से मिले हुए हैं, उसी वजह से वह प्रोविजो जोड़ा गया है ताकि कोई भी बड़ा आदमी मजिस्ट्रेट से मिलकर छूट जाए। सोशल स्ट्रेट्स बढ़ाने के लिए आपके अधिकारी इस प्रकार का प्रोविजो जोड़ देते हैं। आपका लेबर डिपार्टमेंट आजकल क्या करता है, कौन सी एक्टीविटिज देखता है। कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई। आपका यह कानून पहले से ही चला आ रहा है। पुराने कानून में प्रावधान है कि अगर कोई सैक्शन 3-बी, 3-डी या 3-इ का उल्लंघन करेगा तो पांच सौ रुपए का जुर्माना होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके अधिकारियों ने कितने लोगों को सजा दी है। जब पहले वाले कानून के तहत एक भी आदमी को सजा नही मिली है जिसमें छह महीने की सजा या पांच सौ रुपए जुर्माना है, उसमें आपने दो हजार रुपया और जोड़ दिया है तथा एक प्रोविजो भी लगा दिया है जिसकी वजह से किसी भी आदमी को सजा नहीं मिलेगी बल्कि हरेक आदमी छूट जायेगा। इससे मजिस्ट्रेट को अधिकार हो गया कि वह किसी को भी छोड़ सकता है। वह लीनियंट व्यू देकर के राइजिंग आफ दी कोर्ट तक सजा देकर छोड़ सकता है। इस प्रकार का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि आप जैसा कानून लाये हैं जिसे आप कहते हैं कि हम स्ट्रिन्जैंट मैयर्स लाये हैं, उसने सब के ऊपर पानी फेर दिया है। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि आप इन अधिकारियों से सावधान रहिये। लेबर डिपार्टमैंट आपने मजदूरों और गरीबों के हित के लिए बनाया है और हमारी सरकार चाहती है कि मजदूरों और गरीब लोगों के हित में काम हो लेकिन आज मजदूरों के हित में काम नहीं हो रहे हैं। आप कहीं पर भी जाकर देख लीजिए—चाहे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर चले जाइये, स्टेट हैड-क्वार्टर पर चले जाइये अथवा प्रौविन्स हैड-क्वार्टर पर जाकर देख लीजिए, सब बड़े-बड़े पूंजीपतियों से मिले हुए हैं। आज तक उन्होंने इन बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। मैंने आज भी आपसे पूछा था कि कितना मजदूरों का पैसा ये बड़े-बड़े पूंजीपति लोग, प्रौविडैन्ट फण्ड का पैसा, ई० एस० आई० का पैसा या कम्पलसरी डिपौजिट का पैसा, खा गए हैं और उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की। आपने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की, किसी पूंजीपति को आपने सजा नहीं दी, किसी का चालान नहीं किया और किसी को जेल में नहीं बन्द किया। जब आपका लेबर डिपार्टमैंट इनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करता, आपका प्रौविडैन्ट फण्ड का 100 करोड़ रुपया ये बड़े-बड़े पूंजीपति लोग खा गए, हमारे

मजदूरों का बहुत-सा पैसा ये लोग खा गए, या इनकी जेबों में चला गया, ये लोग मजदूरों से तो पैसा काट लेते हैं लेकिन जमा नहीं करवाते लेकिन आपका डिपार्टमैंट बैठा-बैठा देखता रहता है और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। जब आपकी ऐसी अवस्था है तो फिर आप चाहे कितने ही कानून क्यों न बना दें, कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। वैसे मैं जानता हूं कि आपका लेबर डिपार्टमैंट से बहुत पुराना सम्बन्ध है, आपके दिल और दिमाग में मजदूरों के प्रति हमदर्दी है मगर आपका डिपार्टमैंट बहुत निष्क्रिय है और वह पूंजीपतियों के विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं करता। जब तक यह स्थिति बनी रहेगी तब तक किसी भी मजदूर का कोई हित होने वाला नहीं है।

इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कानून तो आपने बनाया मगर इसको इम्पलीमैंट करने वाली मशीनरी उसको किसी प्रकार से ठीक ढंग से लागू न करने दे तो उसका लाभ नहीं है। उसने कभी कोई कार्यवाही ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं की जो उसका उल्लंघन करते हैं। इसलिए मुझे भविष्य में भी शंका है कि आपका यह कानून किस तरीके से लागू हो पाएगा क्योंकि आपकी मशीनरी ही ऐसी है। इसलिए सबसे पहले आप इस मशीनरी को ठीक करने की व्यवस्था कीजिए।

उसके साथ-साथ आपने कहा कि चाइल्ड लेबर को आप बन्द करना चाहते हैं, लेकिन यह कभी बन्द होने वाली नहीं है क्योंकि हमारे देश की परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं, हमारा देश गरीब है, हमारे घरों में गरीबी घुसी हुई है और जब तक हम 20 प्वाइंट प्रोग्राम के जरिए गरीबी नहीं मिटायेंगे, वैसे हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी देश से गरीबी मिटाने के लिए कृतसंकल्प हैं, तभी यह चाइल्ड लेबर की समस्या हल हो सकती है। यदि हम गरीबी मिटाने में सफल नहीं होते हैं, तब तक यह समस्या बनी रहेगी, भले ही हम कितने ही कानून क्यों न बना लें। आपको ऐसी व्यवस्था करनी होगी, यह आपको देखना है कि किस तरीके से व्यवस्था करें कि चाइल्ड लेबर के कम से कम वर्किंग हावर्स तय कर दिए जाएं। होटलों में या दूसरे कई स्थानों पर हम देखते हैं कि बच्चों से, जो मुश्किल से 5-7 साल के होते हैं दिन भर में 14-14 या 15-15 घण्टे लगातार काम करवाया जाता है, उन्हें नींद आती है तो उन्हें सोने तक नहीं दिया जाना, उन्हें तरह-तरह की यातनाएं दी जाती हैं तथा कई अन्य प्रकार की कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। ऐसी हालत में जो व्यक्ति चाइल्ड लेबर की नियुक्ति करता है उसके लिए कम से कम वर्किंग हावर्स तो आपको निश्चित कर ही देने चाहिए ताकि पूंजीपति उनको परेशान न कर पायें, उनको किसी एक्सीडैंट का मुकाबला न करना पड़े।

इसके अलावा आपको एक व्यवस्था यह करनी होगी कि उनको मिनिमम वेज मिल सके। आज क्या होता है कि उनको बहुत कम वेजेज दी जाती है, बहुत थोड़ा पैसा दिया जाता है और जैसा यहां कई माननीय सदस्यों ने कहा, आप मजदूरों का 11 रुपया मिनिमम वेज देते हैं तो चाइल्ड लेबर के लिए कम से कम 7 रुपया मिनिमम वेज के तौर पर फिक्स कर दीजिए, मुकर्रर कर दीजिए ताकि इससे कम उनको पैसा न मिल सके। लोग चाइल्ड लेबर को इसलिए भी ज्यादा पसन्द करते हैं क्योंकि उनसे बड़ों की अपेक्षा ज्यादा काम लिया जा सकता है और पैसा भी कम देना पड़ता है। बच्चे बड़ों से ज्यादा काम करते हैं, इस बात को वे लोग अच्छी तरह जानते हैं। लोग उनसे घटिया से घटिया काम तक करवा लेते हैं। इसलिए मिनिमम वेज मुकर्रर की आज बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा उनकी वैल्फेयर, सीक्योरिटी, मेन्टेनैंस और जॉब-सीक्योरिटी

आदि के विषय में भी, यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके बदले क्या मुआवजा मिले, इन सब बातों की व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है। वैसे आप चाइल्ड लेबर को रोक तो नहीं पायेंगे, भले आप उसके लिए कितने ही कानून बना दें, लेकिन उनको ये सुविधायें यदि मिलने लग जाएं तो उनके स्तर में सुधार लाया जा सकता है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है।

दूसरे आप इस प्रकार की व्यवस्था भी कीजिए कि वे छुट्टी के घण्टों में पढ़ाई कर सकें और परीक्षा पास करके जीवन में आगे बढ़ सकें। इसकी भी बहुत आवश्यकता है। मैं माननीय श्रम मंत्री जी का ध्यान आकर्षिक करना चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में भी कोई न कोई कानून लाईये। जैसा सभी माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किया है कि केवल सजा बढ़ा देने से ही आपकी व्यवस्था ठीक नहीं हो जाएगी। आप एक काम्प्रीहैन्सिव बिल लाइये जिसमें उनकी सीक्योरिटी और अमैनिटीज सब कुछ शामिल हों और उस व्यवस्था को ऐसी मजबूत बनाइये जिस तरह से हमारी सरकार सबका भला करना चाहती है···वह भला भी हो और आप अपने डिपार्टमेंट को भी कहिए जिससे इस कानून का ठीक से इम्पलीमेंटेशन हो सके। आपका डिपार्टमेंट ही इस कानून को इम्प्लीमेंट करता है। यह कानून गरीबों की भलाई के लिए बनाया गया है, लेकिन आपका डिपार्टमेंट इस कानून को ठीक से इम्पलीमेंट नहीं करता है, जिससे गरीबों की भलाई की जगह पर पूंजीपतियों की ही मदद होती है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने डिपार्टमेंट को भी कसिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री कादम्बुर जनार्दनन (तिरुनेलवली) : सभापति महोदय, यद्यपि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं. हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि बाल-श्रम को देश से पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है। लगभग सभी माननीय सदस्य यह स्वीकार करते हैं कि हमारा देश एक दरिद्र देश है और चिरकालिक दरिद्रता बाल-श्रम का कारण है। इस प्रकार हमारे देश से बाल-श्रम को समाप्त करना असम्भव बात है।

किन्तु हमें बाल-श्रम को नियमित करना है और ऐसा करना संभव है। घरेलू उद्योग तथा लघु उद्योग में बाल-श्रम कानून और विधानों के माध्यम से विनियमित किया जाता होगा। संघटित क्षेत्र में बाल-श्रम का उन्मूलन किया जाना चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समिति प्रतिवेदन में भी इस बात का उल्लेख है कि बाल-श्रम केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नगर क्षेत्र से अधिक है। किन्तु बाल श्रम के माध्यम से शोषण चाहे नगरों में अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में हो कठोरता से समाप्त किया जाना चाहिए।

मुझे इस स्तर पर माननीय मंत्री से यह कहना है कि इस विधेयक से, चाहे बच्चों को लाभ होगा या नहीं, किन्तु इससे सम्बद्ध अधिकारियों को नियोक्ताओं को परेशान करने अथवा नियोक्ताओं से बख्शिश लेने में सहायता प्राप्त होगी। अतः इस विधेयक से वस्तुतः कोई लाभ होने वाला नहीं है। कृपा है भगवान की कम से कम बाल-श्रम में कोई मजदूर संघ नहीं है। जब हम बाल श्रम की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय राज्य मार्ग अथवा ग्रामीण राज्य मार्गों पर यात्रा करते हैं तो हम कड़ी धूप में बच्चों को काम करते हुए देखते हैं। किन्तु हमारे कितने राजनैतिकों और

कितने मन्त्रियों ने सम्बद्ध अभियंताओं अथवा अधिकारियों से पूछा है कि इन बच्चों को कड़ी धूप में तारकोल ढ़ोने के लिए नियुक्त क्यों किया गया है। हम यहां बातें कर रहे हैं किंतु अपने अन्तःकरण के अनुसार हम वही कह सकते हैं कि हमने बालकों के लिए कुछ किया है।

इक्कीसवीं शताब्दी का सामना करने के लिए हमें केवल दो और आम चुनावों का सामना करना है। अतः चार वर्ष की आयु से निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा आवश्यक है। यदि हम अब इस प्रकार की आधारशिला इस समय रखेंगे, तभी तो हम इस विधेयक को लाने का साहस कर सकते हैं। हमें कम से कम दोपहर को इन बच्चों को निशुल्क भोजन देना चाहिए। मैं अपने राज्य तमिलनाडु के बारे में डींगें नहीं हांक रहा हूं। गरीबी तभी दूर होगी जब हम भूखे पेटों को कुछ भोजन देंगे। अतः अध्ययन के दौरान चार से दस वर्ष की आयु के बच्चों को उनकी पढ़ाई के दौरान निःशुल्क मध्याह्न भोजन दिया जाना चाहिए। भारत का भविष्य बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से स्वतन्त्र बनाने में है और इस प्रकार हम 21वीं शताब्दी का सामना भी बेहतर ढंग से कर सकेंगे।

मैं फिर कहूंगा कि कम से कम भारत के चार महानगरों अर्थात् बंबई, मद्रास, नई दिल्ली और कलकत्ता में शिक्षा अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। कम हो कम यहां पूर्णरूप से बाल-श्रम का उन्मूलन किया जाना चाहिए। प्रतिवेदन से हमें यह पता चला है कि पैदा हुई नई शक्तियों के उदभव के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई नई शक्तियों के प्रभाव के अन्तर्गत आजीविका की खोज में ग्रामीण निर्धन लोगों का इन शहरों में आने का एक अटूट क्रम चला है। हमें नवीन रूप से बम्बई, मद्रास, नई दिल्ली और कलकत्ता के निर्माण के लिए कार्य करना चाहिए। इन चार महत्वपूर्ण नगरों का सबसे पहले नियन्त्रण होना चाहिए। बाल-श्रम को संघटित और असंघटित दोनों क्षेत्रों से समाप्त किया जाना चाहिए। तभी हम इस बात की शेखी बघार सकते हैं कि नए प्रधान मंत्री, गतिशील प्रधान मंत्री ने हमारे बच्चों के लिए कुछ कार्य किया है। इन शब्दों के साथ मै अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा० प्रभात कुमार मिश्रा (जंजगीर) : आदरणीय सभापति महोदय, बालक नियोजन (संशोधन) विधेयक का मैं समर्थन और अनुमोदन करता हूं। जैसा कि सदन के कई माननीय सदस्यों ने कहा, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके तहत जाने से मुझे दो बातों का विशेष रूप से आभास होता है।

आज हम देखते हैं कि जो बालक काम करते हैं, वह सभी गांव के एरिये से शहर में आकर काम करते हैं। इसके कारणों से पता लगता है कि ये वह बच्चे हैं जिनके माता-पिता गरीबी की रेखा से नीचे हैं और अपना भरण-पोषण अपने काम से नहीं कर सकते हैं। वे अपने बच्चों को शहरों में दलालों के माध्यम से या जैसे भी हो भेजते हैं।

दूसरा कारण हमारी शिक्षा की नीति है। गरीब लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन 2,4 क्लास पढ़ाने के बाद वह बच्चों की पढ़ाई का भार वहन नहीं कर सकते, इसलिये वह अपने बच्चों को शहरों में भेज देते हैं। आज मानवता पर यह बड़ा भारी भार है कि जो बच्चे आगे हमारे देश के नागरिक होंगे वह यहां अपनी रोजी-रोटी के लिये भटकते रहते हैं। न किसी को उनके स्वास्थ्य का ख्याल है और न उनकी एजूकेशन का ख्याल है।

कानून के द्वारा हम हर चीज को समाप्त नहीं कर सकते। कानून तो पहले भी बने हैं, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, लेकिन कानून के साथ-साथ अगर हम लोगों को एजूकेट करें और सोशल आर्गिनाइजेशन इस बात का प्रचार करें कि इस पर नियंत्रण होना चाहिये और कड़ाई से काम होना चाहिये तब जाकर हम इस कार्य को कर सकते हैं।

यह बात निश्चित है, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि बाल-श्रमिकों को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उनके सुधार के लिये उपाय तो कर सकते हैं। इस बारे में मैं सुझाव रखना चाहता हूं कि ऐसे बच्चों से एक निश्चित सीमा तक काम लिया जाये। इसका सर्वे होना चाहिये, उनके स्वास्थ्य का हर महीने परीक्षण होना चाहिये क्योंकि ये बच्चे पूरा भरण-पोषण न होने से कुपोषण के कारण दुर्बल नागरिक होते हैं और इससे देश पर भार पड़ता है। इस सर्वेक्षण के बाद एक ऐसे होस्टल का निर्माण किया जाये जहां सरकार की ओर से उन पर नियंत्रण रखा जाये और इसके खर्च का भार उन लोगों पर डाला जाये जो इन बच्चों से कार्य कराते हैं। उनके स्वास्थ्य का परीक्षण और उनकी एजूकेशन की चिन्ता सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिये

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हम गरीबी की रेखा से नीचे के तबके के लोगों को ऊपर उठाने का कार्य जरूर कर रहे हैं लेकिन उसमें बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देने का कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं श्रम मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 20-सूत्री कार्यक्रम में इस योजना को जरूर शामिल किया जाये, उसमें एक सूत्र और जोड़ा जाये कि बच्चों की देखभाल, विशेष कर गांव के बच्चों की देखभाल जो कि गरीबी की रेखा से नीचे हैं उन पर जरूर ध्यान दिया जाये। उनकी वास्तविक रूप से शिक्षा की व्यवस्था हो और उन्हें पढ़ने का मौका हो और इसका भार मां-बाप को वहन न करना पड़े। इस कानून के साथ-साथ शिक्षा और सोशल आर्गेनाइजेशन के द्वारा हम इस समस्या को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिये धन्यवाद।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं दो, तीन बातें ही इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है।

जब मंत्री जी ने इस बिल को इंट्रोड्यस किया तो उन्होंने कहा कि—

[अनुवाद]

"यह देखा गया है कि वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत उन मामलों में जहां मुकदमे दायर किये गये हैं और दोष-सिद्धि हुई है प्रायः दण्ड बहुत हल्का दिया गया है।

अतः हमने दण्ड में वृद्धि करने हेतु बालक नियोजन अधिनियम की धारा 4 में संशोधन करना आवश्यक समझा है ताकि इसका उन नियोक्ताओं पर बाधक प्रभाव पड़े जो इस अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करते हैं। हमें विश्वास है कि इससे नियोक्ता इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने में काफी हतोत्साह होंगे।"

[हिन्दी]

मैं एक व्यावहारिक बात कहूंगा। बिहार में प्रैजीडैंट रूल हुआ था। प्रैजीडैंट रूल के पहले वहां बड़ी घूसखोरी थी। जब प्रैजीडैंट रूल हुआ तो घूस मांगने वालों ने कहा कि अब हम पकड़े जायेंगे, हमें ज्यादा दिन के लिये जेल जाना पड़ेगा तो आप इस घूस का रेट बढ़ाइये। अब आपने

जो ऐक्ट बनाया है, अब तक एम्पलाई वर्कर को दो रुपये देता था, अब वह एक रुपया देगा। वह कहेंगे हम पकड़े जायेंगे, इतनी सजा होगी, यह भार आप अपने सिर पर लो। मंत्री महोदय मैं स्पष्ट और व्यावहारिक बात कह रहा हूं। उस ऐक्ट से फायदे की बजाय नुकसान होगा।

उस दिन हमारे वैस्ट बंगाल के भाई ने जो कुछ कहा उसको सुनकर मुझे तकलीफ हुई। वह बात कांग्रेस के कोई आदमी कभी नहीं कहता। उन्होंने सिंधिया साहब को कहा कि बिहारियों ने इनक्रोचमेंट किया है, इसलिए बिहारियों को हटाओ। तो बिहारियों को कहां भेजोगे आप उन्हें बे आफ बंगाल में डाल दीजिए या कहीं और डाल दीजिए। बिहार और बंगाल की कोई बात कांग्रेस की तरफ से नहीं कही गई। हमारी दोस्त ममता बनर्जी जो रायल बंगाल टाइग्रेस कहलायी जाती हैं, यह किसी एक और दूसरी स्टेट के बीच डिस्क्रिमिनेट नहीं करती हैं।

हमारे मंत्री महोदय ने जून में कहा था कि एक काम्प्रीहेंसिव बिल लायेंगे तो आप एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाइए। गुरुपद स्वामी की रिपोर्ट की चर्चा की गई है। उसकी रिकमेंडेशन के मेन प्वाईंट्स को इन-कारपोरेट कीजिए। चाइल्ड लेबर कोई नई चीज नहीं है। यह दुनिया में बहुत पुरानी चीज है। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो टेक्सटाइल मिल में चाइल्ड लेबर को इम्पलाई किया जाता था, वहीं से यह आन्दोलन हुआ, और ट्रेड यूनियन मूवमेंट दुनिया में आया। उनके बाद महसूस किया गया कि इस समस्या का ऐसा समाधान हो जो कि सारे समाज को मंजूर हो जिससे उन लोगों का भला हो सके। केवल कानून बना देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। मामला चाहे कांशी की कारपेट इण्डस्ट्री का हो, या शिवकाशी की मैच इण्डस्ट्री का हो। मुझे एक चीज याद आती है। यूरोप में एक देश में वलबा आ गया। राजा ने मंत्री से जानना चाहा कि लोग क्या चाहते हैं? मंत्री ने कहा यह डबलरोटी चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि लोगों से कहो कि डबलरोटी नहीं मिलती है तो केक खा लें। मंत्री महोदय यदि कहें कि हम कानून बनाते हैं तो उनसे बच्चों का पेट भरेगा तो यह ठीक नहीं है। उनके ऐसा कहने से कुछ होने वाला नहीं है।

महोदय, मैं आपको थोड़ी देर के लिए उत्तरी बिहार ले जाता हूं जहां आदमी एक-एक दाने को मोहताज होता है। वहां दिल्ली, बम्बई या कलकत्ता से कोई दलाल आता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें भी नौकरी दूंगा, तुम्हारे बच्चों को भी नौकरी दूंगा तो वह चला जाता है। बाद में वह बन्धुआ मजदूर बन जाता है। महोदय, यह चाइल्ड लेबर का प्राबलम नहीं है, यह बन्धुआ मजदूर का प्राबलम है। पेट की भूख कोई कानून नहीं मानती है। आप कितनी भी कानून बना देंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। आप इसका और कोई आल्टरनेटिव सोचिए, वोकेशन ट्रेनिंग दीजिए।

मैं श्रम मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछले 20-25 वर्षों में कितने मजदूरों के बच्चे मजदूरी नहीं करते हैं? आप चाइल्ड लेबर दूसरी जगह खोजते हैं। आप देखें कि कंट्रक्शन इंडस्ट्री सारी दिल्ली में है, उसमें सारी चाइल्ड लेबर इम्पलाई होती है।

चाइल्ड लेबर की समस्या के समाधान के लिए ऐसा कह देने से कि इतनी बड़ी सजा देंगे, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं कहूंगा कि आप इसका इकानमिक आल्टरनेटिव खोजें और ऐसा समाधान निकालें जो कि सबको मंजूर हो जिससे कि उन लोगों का सही अर्थ में भला हो सके।

5.25 म० प०

आधे घंटे की चर्चा

रुग्ण औद्योगिक कारखानों की संख्या में वृद्धि

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा में आधे घंटे की चर्चा आरम्भ होगी। श्री प्रिय रंजन दास मुंशी अपने विचार व्यक्त करेंगे।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि अन्ततः इस विषय पर चर्चा की अनुमति दे दी गई है। देश में रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की समस्या केवल कुछ इकाइयों और श्रमिक वर्ग से ही सम्बद्ध नहीं है। यह मुद्रा-स्फीति की दर में निश्चित रूप से वृद्धि में सहायक हो रही है और देश की अर्थ-व्यवस्था, वृद्धि दर, प्रतिव्यक्ति और मूल्य-सूची आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। सभापति महोदय, यदि मैं स्थिति का वर्णन करूं तो यह इतनी भयावह है कि सरकार के लिए कार्यवाही करने का बिल्कुल यही उचित समय है। मेरे प्रश्न के दिये गये उत्तर के अनुसार, जिसके आधार पर इस सदन में इस चर्चा की अनुमति दी गई है, आंकड़े इस प्रकार हैं कि जून, 1984 तक 80,000 से अधिक एकक रुग्ण थे, मुझे आशंका है कि इस समय तक इनकी संख्या 90,000 से भी अधिक हो गई होगी। रुग्ण एककों के अतिरिक्त इंजीनियरिंग, पटसन, कपड़े, रसायन संयंत्र तथा प्लास्टिक उद्योगों में से कुछ उद्योग बंद पड़े हैं इनमें सार्वजनिक पूंजी से 3.5 हजार करोड़ रुपये से अधिक लगी हुई है, इन रुग्ण और बंद एककों से लगभग 40 लाख लोग अपनी रोटी और आजीवन कमाते हैं। थोड़ी देर के लिए आप विचार कीजिए कि ऐसे व्यक्तियों की दुर्दशा और कष्ट किस प्रकार का होगा और अन्ततः देश की अर्थ-व्यवस्था, मुद्रा-स्फीति दर और वृद्धि दर पर इसका क्या प्रभाव होगा।

सभापति महोदय, उद्योग के बारे में वर्तमान वर्ष की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि वर्ष 1983-84 के दौरान लघु उद्योगों के उत्पादन का अनुमान 41,620 करोड़ रुपये के करीब था जिससे 84 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध था और इस क्षेत्र से 2350 करोड़ रुपए की आय का अनुमान किया गया जो देश के कुल निर्यात का 24 प्रतिशत है। निस्सन्देह, यह स्थिति बहुत अच्छी है। किन्तु यदि आप 92,000 रुग्ण उद्योगों और 3.5 हजार करोड़ रुपये धनराशि को देखें तो मैं निजी तौर पर यह अनुभव करता हूं कि इसने जो स्थिति का सुन्दर चित्रण किया है उसे आप प्रमाणित नहीं कर पायेंगे।

अब मैं कुछ विशेष मुद्दे बता रहा हूं। मैं अब मंत्री को आज अपना उत्तर देने से पूर्व यह मनवाने का प्रयत्न करूंगा कि किस प्रकार सरकार इस सदन में दिये गये आश्वासन पूरे नहीं कर रही है अथवा विभाग के अधिकारी सरकार के निदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार ने 23 जनवरी को एक तारांकित प्रश्न सं० 204 के उत्तर में कहा है कि रुग्ण एककों को पुनः चालू करने के लिए कई प्रकार के उपाय किये जाएंगे और इस संबंध में मैं निम्नलिखित उद्धृत करता हूं :—

"वित्तीय संस्थान तथा बैंक रुग्ण अथवा आरंभिक रुग्ण एककों के लिए नैदानिक जांच पर आधारित आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही आरंभ करेंगे। बढ़ती हुई रुग्णता के सम्बन्ध में वित्तीय संस्थान उन एककों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने पर विचार करेंगे जिनके बारे में वे पूरी तरह आश्वस्त हैं कि उन एककों को पुनः स्वस्थ बनाया जा सकता है।" इन रुग्ण उद्योगों की देखभाल कौन करेगा ? क्या आई० आर० बी० आई० करेगा ? क्या आपको मालूम है कि आई० आर०

बी० आई० ने पिछले छः महीनों से निर्णय लिया है कि वह उन्हें पूंजी देंगे किन्तु वह प्रबन्ध की जिम्मेवारी नहीं लेंगे जैसे वह पहले करते थे। पश्चिम बंगाल की इंडिया मशीनरी कंपनी के मामले में, जिन्होंने आई० आर० आर० बी० आई० द्वारा प्रबन्ध हाथ में लिए जाने के पश्चात् लाभ कमाया था अकस्मात् प्रबन्ध दायित्व की नीति को बदल दिया। अतः आप सदन में कुछ कहते हैं और प्रबन्धक अलग से कुछ और ही कर रहे हैं। अब मैं सभापटल पर एक महत्वपूर्ण सामग्री रखना* चाहता हूं। महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल में मेरे चुनाव-क्षेत्र हावड़ा में एक एकक कल्पना इंजीनियरिंग कंपपी जो रुग्ण हो चुका था और इसका प्रबन्ध आई० आर० सी० आई० द्वारा चलाया जाता था। आई० आर० सी० आई० ने एकक के चेयरमैन को प्रबन्ध सम्बन्धी नेतृत्व की विशेषताओं के लिए और उसके कर्मचारियों को सराहते हुए पुरस्कार के रूप में एक प्रमाण-पत्र दिया था और सुधार कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए चेयरमैन को प्रमाण-पत्र प्रदान दिया था और उसके 10 दिन बाद यह एकक रुग्ण हो गया था। अब, देखिए कि वे किस प्रकार काम करते हैं और किस प्रकार सरकार की नीति का पालन किया जाता है और ऊंचे लक्ष्य होते हुए भी किस प्रकार इसका उल्लंघन किया जा रहा है। आपने 23 जनवरी को वक्तव्य मे कहा है कि वह इस मामले के संबंध में केन्द्र सरकार को बतायेंगे। अब इस बात का निर्णय कौन करेगा कि एकक के पुनः चालू करने के लिए उसका राष्ट्रीयकरण किया जाय अथवा प्रशासन में प्रबन्ध में श्रमिक भागीदारी सहित और किसी उपाय का सुझाव दिया जाए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि प्रबन्ध में श्रमिक भागीदारी अथवा सरकार द्वारा प्रबन्ध अपने हाथ में लेने अथवा एकक के राष्ट्रीयकरण के संबंध में सरकार को स्थायी समिति से कितने प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं? इसके विपरीत मैं पश्चिम बंगाल प्रदेश का उल्लेख करूंगा जो रुग्ण एककों के मामले में सबसे अधिक प्रभावित राज्य है इसके लिए पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार जिम्मेवार है। मालनाडा समानीकरण नीति, जिसे बहुत पहले वापस लिया जाना चाहिए था अभी वापस नही ली गई है। क्या आप यह नहीं समझते कि इससे एककों की रुग्णता में वृद्धि होती है? कच्चे माल में सट्टेबाजी, ऊर्जा तथा विद्युत का अभाव और इनसे बढ़कर समन्वयन का अभाव मुख्य कारण हैं। मैं आपको एक ज्वलन्त उदाहरण देना चाहता हूं। मुझे खेद है कि मैं मन्त्री महोदय को दोष नहीं दे सकता। वह इस मामले में एक पोस्टमेन से अधिक नहीं हैं। इन मामलों को वित्त मंत्रालय द्वारा निपटाया जाता है, किन्तु दुर्भाग्यवश यह प्रश्न उद्योग मंत्रालय से पूछे गये हैं। अतः मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस मामले को वित्त मंत्री के साथ उठायें।

वर्ष 1981 में इस सदन में सरकार ने एक मार्गदर्शी सिद्धांत की घोषणा की गई थी कि वह किस प्रकार रुग्ण उद्योगों की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करेंगे। मार्गदर्शी सिद्धांत यह था कि इसका अनुमोदन लघु उद्योग विकास निगम द्वारा एक स्थायी समिति से कराया जाएगा। स्थायी समिति को मामलों की मंजूरी देनी थी। आपको यह सुनकर दुःख होगा कि 1981 से 1985 तक स्थायी समिति केवल कपड़ा उद्योग और इस्पात उद्योग के लिए कार्य करती रही और उसने पटसन, प्लास्टिक और इंजीनियरी उद्योग के लिए कार्य नहीं किया। जो भी आवश्यक सिफारिशें उन्होंने आज तक की हैं उनके बारे में न तो जनता को ही और न ही सदन को किसी प्रकार की जानकारी है। मैं यह पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं। यदि हमें यह मालूम होता कि स्थायी समिति

*बाद में अध्यक्ष द्वारा आवश्यक अनुमति न दिये जाने पर पत्र को सभा-पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

की क्या सिफारिशें हैं, हम भी इसमें अपना योगदान दे देते। हमें इस संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। संभवतः, उन्होंने कुछ एककों के राष्ट्रीयकरण की मंजूरी दी है।

मैं जानना चाहता हूं कि स्थायी समिति की स्थिति क्या है जोकि रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सिफारिशें करती है।

सरकार ने अपनी नीति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। मुझे वित्त मन्त्री महोदय का बजट भाषण और प्रधान मन्त्री द्वारा की गई रचनात्मक घोषणा याद है जिसमें कहा गया है कि खराब प्रबन्ध को खोटी मुद्रा की तरह बाहर फैंकने दिया जाएगा। रुग्ण एककों में 3500 करोड़ रुपया लगा हुआ है और आपकी नीति यह है कि खराब प्रबन्ध को खोटी मुद्रा की तरह बाहर फैंक दिया जाएगा, इस पर भी आप हस्तक्षेप नहीं करते फिर भी आप उत्पादन पर नियन्त्रण रखने के लिए किसी तकनीनी निदेशक अथवा वित्तीय निदेशक को नियुक्त नहीं करते। इन एककों को सामाजिक चेतावनी दी जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक एकक को एक करोड़ रुपए दे रहे हैं यदि आप यह देखते हैं कि यह ठीक से कार्य नहीं कर रहा है अथवा इसका उत्पादन लक्ष्य से भी कम है, उसे समय-समय पर चेतावनी क्यों नहीं देते इसके स्थान पर आप बिल्कुल अन्त में नोटिस देते हैं। मैंने अभी कल्पना इंजीनियरिंग एकक का उदाहरण दिया है। इसी तरह का मामला इण्डियन रबर का है जिसे अनधि सूचित किया गया है। आप कहते है कि यदि उनकी स्थिति अच्छी हो तो आप राष्ट्रीयकरण करने के लिए तैयार हैं। एक स्पष्ट उदाहरण इण्डियन मशीनरी कम्पनी का है। यह एक ऐसी कम्पनी है जिसने तोल सेतु मशीनों का निर्माण करके और उनके उत्पादन में निजी क्षेत्र की समस्त कंपनियों को पीछे छोड़ दिया था और लाभ भी अर्जित किया, परन्तु फिर भी इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। इसके लगातार कार्य करने और स्वयं को घाटे की अवस्था में पहुंचने दिया जा रहा है। अन्ततः इसके लिए कौन उत्तरदायी है? आप कुछ कहते हैं और आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं कुछ और ही कहती हैं, अतः मेरा यह कहना है कि उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में लेशमात्र भी समन्वय नहीं है।

28 मार्च को पश्चिम बंगाल की विधान सभा में सभी दलों ने सर्वसम्मति से कहा था कि चाहे ये उद्योग महाराष्ट्र में हों, उड़ीसा अथवा पश्चिम बंगाल में हों जिम्मेदारी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ही है। मैं इससे इन्कार नहीं करता कि राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी है। परन्तु इस मामले में सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं का धन लगा हुआ है और यदि राज्य और केन्द्र के मध्य समन्वय नहीं हैं तो आप यह आशा किस प्रकार करते हैं कि रुग्ण उद्योगों की स्थिति में सुधार होगा?

इस सत्र के आरम्भ में इस मामले पर मुझे एक पेपर मिला है क्योंकि इस सत्र में आप रुग्ण एककों को पुनर्जीवित करने के लिए एक कानून बनाने वाले हैं। कृपया आप उद्योगों का वर्गीकरण करें। आप पैसा इक्कट्ठा करते हैं और यह सारा पैसा वस्त्र उद्योग को दे देते हैं। यह बात न्याय-संगत नहीं होगी। आप वस्त्र, जूट, इंजीनियरिंग रसायन, प्लास्टिक उद्योगों आदि के लिए पैसा निर्धारित कर दें। वस्त्र उद्योग को बढ़ाने और उसकी हालत में सुधार लाने के प्रयोजन से 564 करोड़ रुपया इस उद्योग पर व्यय किया गया है जबकि सभी राज्यों को अन्य उद्योगों के लिए प्रोत्साहन राशि के रूप में आपने केवल 81 लाख रुपया दिया है। वर्तमान प्रतिवेदन में यह उल्लेख है कि 1983-84 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सीमांत धन योजना, रुग्ण एकक को पुनर्जीवित करने के अन्तर्गत 86 लाख रुपए की मंजूरी दी थी यह राशि एक राज्य सरकार के लिए नहीं बल्कि राज्य सरकारों के लिए थी। इसकी तुलना में महाराष्ट्र में केवल वस्त्र एककों

को ही 564 करोड़ रुपए दिए गये हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है। रुग्णता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सर्वप्रथम, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आपका मन्त्रालय वित्तमंत्रालय के साथ मिलकर संयुक्त रूप में स्थिति की समीक्षा करेगा और पश्चिमी बंगाल सहित राज्य सरकारों की सिफारिशों के अनुसार और यदि स्थायी समिति की कोई सिफारिश हो तो उसको भी ध्यान में रखते हुए रुग्ण एककों को पुनर्जीवित करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम अपनाएगा। दूसरे, क्या आप वित्त संस्थानों की सहायता से यह सुनिश्चित करने के लिए एक नीति तैयार करेंगे कि निजी स्वामियों अथवा एम० आर० टी० पी० गृहों अथवा अनिवासी भारतीयों की बड़ी परियोजनाओ के लिए लाइसेंसों की मंजूरी देते समय सम्बन्धित राज्यों में एक या दो रुग्ण एककों को भी उन लाइसेंसों में जोड़ना अनिवार्य होगा। आप उन्हें आयकर मे राहत दें तो मैं इसे कुछ नहीं मानूगा, उन्हें उत्पाद शुल्क राहत दे दी जाय ताकि सरकारी राजकोष पर बोझ कम हो सके। क्या ऐसी किसी नीति पर विचार किया जा सकता है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हू कि अनिवासी भारतीय अपने समस्त धन के साथ बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और यह धन स्विस बैंकों तथा जहां तहां है। आप उन्हें रुग्ण एककों को लेने के लिए मजबूर क्यों नहीं करते जिससे कि आप एक ओर से उन्हें राहत देकर रुग्ण एककों की समस्या से भी छुटकारा पा सकें, परन्तु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। कृपया इस पर विचार करें। तीसरे; रुग्ण एककों विशेषतः पश्चिम बंगाल राज्य के रुग्ण एककों को पुनः चलाने और पुनर्वित्त योजना के लिए एक विशेष निधि का सृजन किया जाय। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह एक ऐसा राज्य हैं जो कभी भारतीय उद्योग में अग्रणी था। आज यही राज्य सभी उद्योगों के लिए शवदाह जैसा बन गया है। 1969-70 के दौरान यहां हिंसा के दौर के कारण संकट की स्थिति थी अब वहां सत्ता का संकट है। मैं यहां राजनीति को लाना नहीं चाहता क्योंकि हम राजनीतिक तौर पर लड़ सकते हैं। परन्तु वह एक अलग मामला है। अन्ततः कामगारों और उन उपभोक्ताओं का, जो उत्पादों का उपभोग करते हैं क्या प्रारब्ध होगा।

हमने अभी लघु उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति के सम्बन्ध में किसी नीति के बारे में निर्णय नहीं लिया है। एक हों दिन में आप बिरला और गोयनका तथा छोटे-छोटे उद्यमियों को सहायता देते हैं। यदि बिरला और गोयनका समय पर अपनी बकाया राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो कोई चिन्ता नहीं होती। वे न्यायालय में जाकर अपील कर सकते हैं। परन्तु इस लघु एककों को, जब वे अपनी इकाइया स्थापित करते हैं, बिजली प्राप्त करने में 6-8 महीने तक इन्तजार करना होता है और अपने उत्पादों को बाजार में लाने में लगभग एक वर्ष का समय लगता है। आप वित्त मन्त्री के साथ इस मामले को क्यों नहीं उठाते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते है कि इसे एककों के उत्पाद बाजार में आने तक इनसे कोई ब्याज न लिया जाए अन्यथा ये एकक चल नहीं सकते हैं। इनके लिए काम करते रहना असंभव है। ये आधारभूत मुद्दे हैं और यदि आप इस पर गहराई से विचार करें तभी रुग्ण एककों को पुनर्जीवित करने की संभावना हो सकती है। मुझे डर है कि आपके मन्त्रालय ने जो नीति अपना रखी है वित्त मन्त्रालय वैसा नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त लीड बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों के बीच सदैव टकराव होता है। यदि यूनाइटिड बैंक आफ इण्डिया पैसा देने को सहमत होता है, आई० आर० बी० आई० इन्कार कर देता है। यदि आई० आर० बी० आई० परियोजना को मंजूरी देता है तो यू० बैंक आफ इण्डिया कोई सहायता नहीं देता। आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? क्या आप जानते हैं, कितने अधिक पैसो का नुकसान हुआ है। मानलो आई० आर० बी० आई० के आधुनिकीकरण और यूनाइटिड बैंक आफ इंडिया की

कार्यकरण पूंजी के साथ मेरी योजना 5 करोड़ रुपए की है। क्या आप जानते हैं कि इन सार्वजनिक क्षेत्रों के वित्तीय संस्थानों और बैंकों में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है? और आप आतंकवादियों और बड़े-बड़े उद्योगपतियों की बात करते हैं। वे क्या करते हैं? वे आपस में सांठगांठ करते है। सबसे बड़े आतंवादी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। मान लो मैं एक निजी पार्टी हूं और मेरी दृष्टि किसी अच्छे प्लान्ट पर है. मैं बैंक में अधिकारियों को इसके लिए 6 महीने के अन्दर कार्यकरण पूंजी नहीं देने के लिए प्रभावित करूंगा जबकि तथ्य यह है कि ये राशि स्वीकृत हो गई है। इतनी बड़ी नकद हानि हो जाएगी कि एक साल के भीतर इसकी प्रतिपूर्ति अथवा अर्जन नहीं हो सकता है। बंगाल में इस तरह की सैकड़ों इकाइयों के उदाहरण मैं दे सकता हूं जो बैंकों की इस नीति के कारण नष्ट हो जाती हैं। आपको इस पर बहुत गहराई से सोचना है। केवल कह देना ही काफी नहीं है। मैं आपसे निवेदन ही नहीं वरन याचना करता हूं कि वित्त मन्त्री के साथ इस पर गम्भीरता से बातचीत की जाए। हमारे प्रधान मंत्री इस संकट से लड़ने को कटिबद्ध हैं। आप इस पर कुछ समय देकर यह पता लगायें कि इनका उपयुक्त क्रियान्वयन कैसे हो। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में यदि ऐसा ही होता रहा तो वहां क्या परिणाम होंगे। पश्चिम बंगाल ज्वालामुखी के कगार पर बैठा है। यदि आप इस समय समस्या का समाधान नहीं करते तो एक समय आएगा कि कामगारों की ओर से ऐसा संकट पैदा हो जाएगा और यह संकट इतना तीव्र लेगा कि आपके नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। अब समय है कि आप हस्तक्षेप करें क्योंकि एक समयबद्ध कार्यक्रम समस्या को सुलझा सकता है। यदि हजारों की संख्या में नहीं तो कम से कम सैकड़ों एककों को तो समयबद्ध कार्यक्रम के द्वारा जीवित रखने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम बनायें। इस प्रकार से आप राज्य और अन्य विभिन्न एककों के साथ न्याय कर सकेंगे। मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सारा पैसा एक ही चूनिया उद्योग जैसे कपड़ा अथवा चीनी उद्योग पर लगाने की अनुमति नहीं दें। आपको उन सभी के प्रति उदार होना चाहिए जिन्होंने सबसे अधिक नुकसान उठाया है।

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दास मुंशी द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता समझता हूं। रुग्ण एककों की संख्या और उनके आंकड़े वास्तव मे चिन्ताजनक है और रुग्ण एककों की यह संख्या और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम 1982 और उसके बाद के वर्षों की तुलना वर्ष 1981 की आंकड़ों से करते है। इनमें तजी से वृद्धि मुख्यतः इसलिए हुई है क्योंकि स्टेट बैंक आफ इंडिया ने अपनी रुग्ण एककों की सूची में 'प्रोटेस्टिड रिकार्ल्ड एकाउन्ट्स' में लघु उद्योग एककों को शामिल किया है जो कि पहले भेजे गये आंकड़ों में शामिल नहीं किए गए थे। यद्यपि वास्तव में रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या में वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, एककों की रुग्णता जो ऋण प्रतिशतता और बकाया राशि के रूप में व्यक्त की जाती है पिछले तीन वर्षों से लगभग 8 प्रतिशत ही बनी हुई है। लेकिन जैसाकि मैंने पहले कहा है हमारा इस बारे में चिन्तित होने का कारण है और हमें जो भी अधिक से अधिक संभव हो करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि यह एकक भविष्य के व्यवहार्य बन सकें और वह पुनः चालू किए जा सकें।

महोदय, सरकार ने आर्थिक दृष्टि से सक्षम एककों के पुनर्जीवित करने और उनके पुनर्वास के लिए अक्तूबर, 1981 में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और वित्तीय संस्थानों के लिए नीति विषयक दिशा-निर्देश जारी किए थे। जहां तक नीति विषयक इन दिशा-निर्देशों संबंधी प्रमुख विशेषताओं का सम्बन्ध है मेरे विचार से उन्हें विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, आपने पहले ही दिशा-निर्देशों के उद्धरण दिए हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैं यह कहना चाहता हूं कि बैंकों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इन दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में बहुत सी एजेंसियां सम्मिलित हैं और सरकार इन पर निगरानी रखती है कि कैसे इन दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित किया जा रहा है। जहां कहीं से हमें शिकायतें प्राप्त होती है कि इनका पालन नहीं किया गया है तो यदि उनका संबंध वित्तीय संस्थानों से होता है तब हम मामले के संबंध में वित्त मंत्रालय से बात करते हैं। यदि उनका संबंध राज्य सरकार की एजेंसियों से होता है तब हम मामले के संबंध में राज्य सरकार से बात करते हैं, लेकिन इससे अनेक एजेंसियों सम्बद्ध रहती हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है कि क्या आप वित्त मंत्री महोदय के साथ बैठकर इन सभी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं?

मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ऐसा इन मंत्रालयों—वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों के कारण हुआ है और न केवल सरकार ने इन नीति विषयक को दिशा-निर्देश ही जारी किए हैं बल्कि विभिन्न अन्य उपाय भी किए गए हैं ताकि इन रुग्ण एककों को पुनः चलाया जा सके। उदाहरण के लिए, जैसा कि माननीय सदस्य ने वित्त मंत्री महोदय के बजट भाषण से उद्धृत किया है, अब रुग्ण उद्योगों ने अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए एक विशिष्ट प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है और यह वित्तीय संस्थानों की तरह होगा जो रुग्णता के अन्य कारणों का भी पता लगाएगा। इस बारे में, माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि क्या सरकार नए उद्यमियों के लिए यह अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी कि वे अपने नए उपक्रमों में रुग्ण एककों को भी मिलाएं। इस संबंध में पहले ही एक योजना है और सरकार ने रुग्ण एककों को पुनर्जीवित करने के लिए बिना प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के सहयोग देने के लिए कुछ छूट दी हैं। इनके लिए, सरकार ने 1977 में आयकर अधिनियम का उसमें धारा 70(क) जोड़ कर संशोधन किया था जिसके अन्तर्गत चालू एककों को उस स्थिति में लाभ दिए जा सकते हैं जब वह रुग्ण एककों को पुनर्जीवित करने के विचार से उन्हें अपने में सम्मिलित कर लेते हैं। कर लाभ चालू एकवों में सम्मिलित किये गये रुग्ण एककों की व्यापार हानियों तथा ह्रास मूल्य, जिसके लिए व्यवस्था नहीं की गई थी, को आगे लाने के रूप में होता है। 1 जनवरी, 1983 से लघु क्षेत्रों में रुग्ण एककों को उदार शर्तों पर अतिरिक्त धनराशि दी जाने की व्यवस्था करने सम्बन्धी एक योजना आरम्भ की गई थी ताकि उन्हें वे पुनर्जीवित करने संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों से आवश्यक निधियां प्राप्त कर सकें।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : 1983 या 1985 से?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं क्षमा चाहता हूं, मैं यह अभी बताने में समर्थ नहीं हूं लेकिन मैं इसे बाद में बता सकूंगा।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : अनिवार्यी निवेशों के लिए इसे अनिवार्य कर दीजिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : रुग्ण एककों को वित्त देने के लिए विशेष विधि के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि सरकार का उद्योगों में रुग्णता के लिए अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए एक निकास स्थापित करने का प्रस्ताव है।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : इसे समय-बद्ध कार्यक्रम के साथ रखा जाना चाहिए।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इस पहलू पर ध्यान दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि अपना कार्यक्रम बनाते समय यह नया निकाय इस सुझाव पर अवश्य ध्यान देगा कि यह समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। अन्यथा, ऐसा करने का कोई लाभ नहीं होगा।

एक बार फिर मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं, सरकार उनके द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत है और हम यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे कि कम-से-कम आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य एककों को बचाने और उन्हें पुनः चालू करने पर ध्यान दिया जा सके।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। एक प्रश्न था कि सरकार कह रही है कि सरकारी वित्तीय संस्थान भी जहां आवश्यक होगा प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेंगे। लेकिन आई० आर० बी० आई०, जो कि एक सरकारी वित्तीय संस्थान है, ने अपनी नीति बदल दी है। वे कहते है, "कि नहीं, हम प्रबन्ध अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। हम केवल आर्थिक सहायता दे रहे हैं।" इस संबंध में आपका क्या उत्तर है?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। यह नीति निर्देश दिया गया है। लेकिन आप यह बात समझेंगे कि रुग्ण एककों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए इन सभी रुग्ण एककों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना आई० आर० बी० आई० के लिए संभव नहीं होगा।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : सबका नहीं, लेकिन कुछ विशेष एककों का तो लिया ही जा सकता है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हम पीछे नहीं हट रहे हैं। कुछ मामलों में यदि यह देखने में आता है कि वित्तीय संस्थान अपने वायदों से हट रहे हैं तो हम संबंधित उन वित्तीय संस्थानों के साथ पुनः यह मामला उठाएंगे और कि मैंने बताया है कि इस संबंध में एक नया विशिष्ट प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है जो इस विषय पर ध्यान देगा।

सभापति महोदय : सूची में चार सदस्यों का नाम हैं? मैं समझता हूं श्री दास मुंशी काफी विस्तार में से अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। इसलिए, मैं अन्य माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे बहुत संक्षेप में और केवल प्रश्न ही पूछें।

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मुझे प्रसन्नता है कि इस विषय पर चर्चा की जा रही है जब पश्चिम बंगाल के सम्पूर्ण कर्मचारी वर्ग ने सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय किया है। इंटक सहित नौ केन्द्रीय मजदूर संघों ने इस सांकेतिक हड़ताल की घोषणा की है। अगले माह आज के दिन पश्चिम बंगाल में हड़ताल की जाएगी। सम्पूर्ण कर्मचारी वर्ग हड़ताल करेगा और श्री दास मुंशी ने जो कहा है, मंत्री महोदय ने उसे सुना है। इसलिए उद्योगों में रुग्णता की समस्या इस सभा में सभी सदस्यों के लिए चिन्ता का विषय है।

मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय के उत्तर में दिए गए आंकडे अन्तिम हैं। उनके अनुसार, 1981 में लघु उद्योगों में रुग्ण एककों की कुल संख्या 26,758 थी।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह कुल संख्या थी।

श्री अजय बिश्वास : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एकत्र किए गए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1982 में यह आंकड़े 60,173 और 1983 में 80,110 थे।

बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या 80,000 से अधिक होगी; मैं समझता हूं यह 95,000 से अधिक होगी। इसलिए आपको समस्या की गंभीरता को समझना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इसके क्या कारण हैं? 52 प्रतिशत एकक खराब प्रबन्ध और धनराशि को और कार्यों में लगाने के कारण रुग्ण हुए हैं; 23 प्रतिशत निरन्तर हानि होने के कारण रुग्ण हुए हैं; 14 प्रतिशत दोषपूर्ण प्रबन्ध के कारण रुग्ण हैं; 9 प्रतिशत बिजली की कटौती के कारण और केवल 2 प्रतिशत श्रमिकों के झगड़े के कारण रुग्ण हुए हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : स्थानीय सरकार वहां क्या कर रही है? क्या वह सोई हुई है?

श्री अजय बिश्वास : यह केन्द्रीय सरकार का कार्य है। इन संबंध में सभी सदस्य विशेषत: पश्चिम बंगाल के सदस्य इससे चिन्तित हैं।

आनन्द बाजार पत्रिका में निम्नलिखित बात कही गई है :

> "इंटक के सचिव श्री भिवानी पाल ने अपने वक्तव्य में कहा है कि संसदीय चुनावों से पहले विशेषत: पश्चिम बंगाल से कांग्रेस (आई) के संसद सदस्यों ने लोगों को विश्वास दिलाया था कि वह उनकी रुग्ण मिलों को पुनर्जीवित करने/खोलने की कोशिश करेंगे और वह प्रयत्न कर रहे हैं।"

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : उनकी सरकार रुग्ण सरकार पर आधारित है।

श्री अजय बिश्वास : मैं आपको बता रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में उद्योगों की रुग्णता के संबंध में कांग्रेस (आई) के संसद सदस्य भी चिन्तित हैं। वह मंत्री महोदय से मिले हैं और हम वामपंथी दल भी इसे करने की कोशिश करते हैं।

त्रिपुरा में, एक जूट मिल है। हमें बैंक का 1 करोड़ से अधिक वार्षिक ब्याज देना होता है। यह एक लघु कन्सर्न है और हम बैंकों से विशेषत: वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते हैं और वह 14 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 16 प्रतिशत तक ब्याज लगाते हैं, यदि बैंक और वित्तीय संस्थान ब्याज की इतनी ऊंची दर लेंगे तो रुग्ण उद्योग कैसे पुनर्जीवित होंगे? इसलिए, निश्चय ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों को रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने की भूमिका निभानी है। मुझे आशा है मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देंगे। मैं सरकार से इन रुग्ण एककों की पुनर्जीवित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए इनकी पुनरीक्षा करने का अनुरोध करता हूं। (ख) क्या भारतीय सरकार रुग्ण औद्योगिक एककों को चलाने के लिए आवश्यकता-आधारित कार्यकारी पूंजी उपलब्ध कराने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निदेश देगी? (ग) क्या केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को निदेश देगी कि वे रुग्ण एककों को वित्त उपलब्ध कराने में राज्य सरकार गारंटी पर बल नहीं दे क्योंकि इस बैंक के गठन का एक उद्देश्य रुग्ण एककों को वित्त प्रदान करना है।

6.00 म० प०

अन्तिम प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक बहुत ही गम्भीर मामले के बारे में है।

जब भी राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा रखा जाए तो हर मामले में इनकी प्रबन्ध ग्रहण पूर्व बैंक और वित्तीय संस्थान देनदारियां ब्याज सहित पूर्ण रूप से सुरक्षित की जानी चाहिए। बैंक, निजी मालिक को रुपया देते हैं और जब राज्य सरकार उसका राष्ट्रीयकरण करने जा रही हो वह भार भी राज्य सरकार ही वहन करती है। प्रबन्ध ग्रहण करने से पूर्व की देनदारियां एक बहुत ही गम्भीर समस्या है। मैं जानना चाहता हूं कि इन रुग्ण उद्योगों का प्रबन्ध ग्रहण करने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए क्या केन्द्र सरकार इस शर्त को छोड़ देगी।

ये मेरे विशिष्ट प्रश्न हैं और मैं उनका विशिष्ट उत्तर चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप अपने प्रश्नों की सूची मन्त्री महोदय को भेज दें। श्री हरीश रावत।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, स्माल और मीडियम स्केल इण्डस्ट्रीज की हालत आज बहुत चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश में भी अधिक स्माल और मीडियम स्केल इण्डस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि इस समय रुग्ण हैं और लाखों लोग जो उनमें काम पर लगे हुए हैं, वे किसी न किसी प्रकार से या तो पूर्ण रूप से या अर्ध रूप से बेरोजगार हो गए हैं। स्थिति और भी गम्भीर हो जाए उससे पहले ही सरकार को कदम उठाना चाहिए। मैं जिस एरिया से आता हूं वह स्पेशल इंसेन्टिव डिस्ट्रीक्ट है। उस डिस्ट्रीक्ट के अन्दर डिफरेंट इन्सेन्टिव्ज जो डिक्लेयर किए गए थे, उसके आधार पर लोगों ने उद्योग लगाए थे। वे सबके सब इस समय बन्द हो गए हैं या बन्द होने की स्थिति में हैं। होता यह है कि इण्डस्ट्री लगाने के लिए जब एण्टरप्रिन्योर को अनुरोध किया जाता है तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट कई इंसेन्टिव डिक्लेयर करती है। लेकिन उनमें से उन इन्सेन्टिव्ज को समय पर मुहैया कराना अलग-अलग राज्य सरकार की एजेंसिओं का काम है। वह अपना सोशल बर्डन नहीं मानती क्योंकि इंडस्ट्री लगाना वह समझती है कि इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट का दायित्व है। इण्डस्ट्री सरवाइव करे यह भी उनका दायित्व है। अधिकांश इण्डस्ट्रीज शुरू से इसलिए सिक हो जाती हैं क्योंकि इण्डस्ट्री लगाने का लाइसेंस आपने दिया तो उसको जमीन नहीं मिलती, रेवेन्यु डिपार्टमेंट कोआर्डिनेट नहीं करता। अगर जमीन मिल गई तो पावर कनैक्शन नहीं मिलता। बिजली डिपार्टमेंट उसको लटका देता है। बिजली मिल गई तो उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीच्युशन्स हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। उसमें उसकी कोई मदद नहीं करता। रॉ मैटीरियल और मार्किटिंग प्राबलम है। टैक्नीकल गाइडेंस की बात छोड़ देते हैं। उसके लिए कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, उसको मंत्री जी जानते हैं। मैं उसके विषय में कहकर सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता। मंत्री जी के मन में जो पीड़ा है, उसको मैं नहीं बढ़ाना चाहता। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आज तक विभिन्न राज्यों में आपने कितनी स्माल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को रिवाइव किया। यदि माननीय मंत्री जी फिर बताना चाहेंगे तो मेरी समझ में जितनी सिक इंडस्ट्रीज हैं उनमें एक परसेंट भी छोड़िए, जीरो प्वाइंट फाइव परसेंट भी रिवाइव नहीं कर पाए है। इतनी चिंताजनक स्थिति है। उसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं। इसके लिए क्या आपने राज्यवार जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, जिनको रिवाइव किया जा सकता है, उनके लिए कोई स्टडी करवाई है। अगर स्टडी करवाई है तो उसके आधार पर कोई नरसिंह प्रोग्राम बनायेंगे। उस प्रोग्राम को इफेक्टिवली और कोआर्डिनेटेड मैनर में लागू करने के लिए ताकि फाइनेंशियल इंटीच्युशन हैल्प करे तो क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री से बातचीत करेंगे। इसलिए, किस

प्रकार का कार्यक्रम तैयार करने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश चन्द्र (बाढ़) : मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक में उड़ीसा में लघु उद्योगों के 30 जून, 1984 को समाप्त अवधि तक के आंकड़े कब उपलब्ध हो सकेंगे। जैसा कि हम देखते हैं देश में रुग्ण उद्योगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। माननीय मंत्री द्वारा 6.8.85 को तारांकित प्रश्न सं० 208 के दिए गए उत्तर के अनुसार चाहे पिछली दो वर्षों से रुग्ण औद्योगिक एककों की वृद्धि की गति कम रही है, फिर भी जून 1984 तक देश में रुग्ण एककों की 83597 सं० देश के उद्योगों के लिए एक भारी समस्या है। क्या मैं किसी औद्योगिक एकक को बीमार उद्योग घोषित करने के मानदण्डों के विषय में जान सकता हूं और इन बीमार एककों को पुनः चालू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? बिहार में कुल कितने बीमार औद्योगिक एकक हैं और जनवरी 1985, तक उनमें से कितनों को पुनः चालू कर दिया गया था।

आयकर अधिनियम की धारा 72-क के अधीन अनुत्पादक कम्पनियों को स्वस्थ कंपनियों के साथ मिलाए जाने पर किये जाने वाले कर लाभ पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए इन कर लाभों में वृद्धि की जाये। क्या मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के रुग्ण एककों के लिए निर्धारित लेवी कोटा की मात्रा के बारे में जान सकता हूं। रुग्ण एककों का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से 'सरकार' को क्या सुझाव प्राप्त हुए हैं? कृपया बिहार पर विशेष ध्यान देते हुए राज्य-वार ब्यौरा प्रस्तुत करें।

बीमार औद्योगिक एककों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने के पश्चात उनके कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा आदि से सम्बन्धित क्या लाभ दिये जाते हैं। अन्त में, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह देश में बीमार औद्योगिक एककों की समस्या को हल करे ताकि उत्पादन बढ़ सके और उद्योगों, जो कि एक विकासशील देश की रीढ़ होते हैं, में उत्पादन को नुकसान न पहुंचे।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, कोई उद्योग रुग्ण न होने पाये इस विषय में स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज को क्या विशेष डायरैक्शन्स दिए जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं ताकि यह स्थिति ही पैदा न होने पाए कि उद्योग रुग्ण हो। यह बात ठीक है कि आजकल सिक इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं परन्तु भविष्य में स्थिति में सुधार लाने के लिए, ये सिक इंडस्ट्रीज और न बढ़ने पायें, इस विषय में सरकार क्या विशेष कदम उठा रही है। वैसे आपने गाइडलाइन्स दी हैं परन्तु ऐसा मालूम होता है कि उन गाइलाइन्स का पालन नहीं होने दिया जा रहा है, इस विषय में जो अधिकारी दोषी पाये जाते हैं, उनके विरुद्ध आप क्या स्टैप्स उठा रहे हैं।

दूसरा मेरा प्रश्न है कि जैसा आपने बताया कि आप शीघ्र ही न्यू स्पेसिफिक अथारिटी स्थापित करने जा रहे हैं, उस अथारिटी की क्या पावर्स होंगी, उसके पास क्या फण्ड्स है और वह किस प्रकार की अथारिटी होगी तथा सिक इंडस्ट्रीज को सुधारने में उसकी क्या भूमिका होगी,

क्या विशेष कदम यह उठायेगी, उस पर कृपया विस्तृत प्रकाश डालें।

तीसरा प्रश्न, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जहां रंगाई और छपाई की की कुछ इंडस्ट्रीज चल रही हैं वहां उनके कारण पोल्यूशन प्रौब्लम पैदा हो गई है। जब कहीं पोल्यूशन प्रौब्लम पैदा हो जाती है तो उसकी रोकथाम के लिए ट्रीटमैंट प्लांट्स की आवश्यकता होती है और लघु या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज उन ट्रीटमैंट प्लांट्स की व्यवस्था करने में असमर्थ होती है। वहां ट्रीटमैंट प्लाट्स स्थापित करने के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार अथवा वहां की राज्य सरकार या कोई दूसरी अथारिटी उनको मदद देने के लिए तैयार है। ताकि ट्रीटमैंट प्लाण्ट लगाएं जिससे पाल्यूशन की स्थिति पैदा न हो। और अगर ये ट्रीटमैंट प्लांट नहीं लगेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की स्थिति पैदा नहीं होगी, तो उसके कारण पाल्यूशन होगा और उससे आगे कोई भी इंडस्ट्री स्थापित नहीं होगी। जैसा कि कहा जा रहा है कि अगर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया तो किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करने से डिस्करेज किया जाएगा, यह ठीक है, डिस्करेज किया भी जाना चाहिए। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश के अन्दर जितनी भी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो पाल्यूशन पैदा करती हैं, उनमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए किस प्रकार आप व्यवस्था करने जा रहे हैं। अगर ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था नहीं होगी, तो पॉल्यूशन होगा और इंडस्ट्री रुग्ण होती जाएंगी। इसलिए इस बारे में आपकी क्या इंटेंशन है और आप क्या करने जा रहे हैं, इस बात पर भी थोड़ा प्रकाश डालिएगा।

चौथा मैं क्वैश्चन यह पुट-अप करना चाहता हूं कि रीहैबिलिटेशन, रिवाइबल और पोटेंश्यली वाएबल यूनिट के बारे में आपकी क्या प्रोग्रेस है और इस सम्बन्ध में आप क्या-क्या और किस प्रकार से प्रगति करना चाहते हैं, इस बारे में भी आप थोड़ा-सा प्रकाश डालें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे···(**व्यवधान**)।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, मैंने प्रश्न काल से पूर्व ही नोटिस दिया था।

सभापति महोदय : नहीं, अब मंत्री जी उत्तर देंगे·····

कुमारी ममता बनर्जी : क्यों नहीं, महोदय, इसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो मैंने उठाए हैं·····(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : नहीं, यहां आपका नाम नहीं है·····

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : इस पर विचार नहीं किया जा सकेगा क्योंकि सूचना सदन की बैठक प्रारम्भ होने के पश्चात प्राप्त हुई थी। मुझे खेद है कि मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।·····

(**व्यवधान**)

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने प्रश्न काल से पूर्व ही नोटिस दिया था, कृपया आप इसका पता लगाएं। मुझे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने हैं।

सभापति महोदय : नहीं, नहीं । मैंने कार्यालय का पृष्ठांकन पढ़ लिया है ।.....

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : मैं क्यों नहीं पूछ सकती महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र में 2,000 मजदूर मरणासन्न हैं । मुझे उनके विषय में कुछ कहने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर देने के पश्चात मैं विचार करूंगा ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सभापति महोदय कह रहे हैं कि मेरे उत्तर दे चुकने के बाद आप अपना प्रश्न उठा सकती हैं ।

महोदय, श्री अजय बिश्वास, श्री हरीश रावत, श्री प्रकाश चन्द्र और श्री बुद्धि चन्द्र जैन जी ने बीमार उद्योगों के विषय में जो चिन्ता व्यक्त की उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं । मैं कुमारी ममता बनर्जी की व्यथा को भी समझता हूं क्योंकि उदाहरणार्थ जो प्रश्न श्री अजय बिश्वास ने उठाएं हैं वे उस ज्ञापन का ही अंश थे जो पश्चिम बंगाल के विधान सभा सदस्यों और संसद सदस्यों ने मेरे वरिष्ठ साथी उद्योग मंत्री जी को दिया था.....

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप कुमारी ममता बनर्जी के प्रश्न को भी सुनने के लिए तैयार हैं ताकि आप उनके प्रश्न को भी अपने उत्तर में समाहित कर सकें ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जी हां, मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

सभापति महोदय : ठीक है, फिर आप अपना प्रश्न पूछिए ।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में अधिकांश उद्योग बन्द पड़े हैं । यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है । स्वयं मेरे चुनाव-क्षेत्र में ही एलायड प्रोडक्ट्स लिमिटेड में 1979-80 से तालाबन्दी चल रही है । इसके परिमाणस्वरूप लगभग 2000 मजदूरों के परिवार अब मरणासन्न स्थिति में हैं । पहले ही कुछ मजदूर मर चुके हैं और कुछ मृत्यु की ओर अग्रसर हैं । वे भुखमरी के रास्ते पर हैं । मैं जानना चाहूंगी कि क्या सरकार का इस स्थिति पर नियंत्रण करने का विचार है क्योंकि मैं पहले ही पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु से मिल चुकी हूं.....

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे खेद है, इसका यह तरीका नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : यदि आप उसे अनुमति देते हैं तो आपको अन्य सदस्यों को भी अनुमति देनी चाहिए ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह युक्तिसंगत नहीं है । अतः माननीय मंत्री महोदय अपना भाषण जारी रखें ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मूल प्रश्न तो वही हैं। प्रश्न यह है कि बड़ी संख्या में बीमार औद्योगिक एककों का प्रश्न उनमें काम कर रहे मजदूरों के रोजगार के दृष्टिकोण से ही चिन्ता का विषय नहीं है बल्कि कुछ अन्य दृष्टिकोणों से भी यह चिन्ता का विषय है।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं को हमने जो दिशानिर्देश जारी किये हैं उनका उद्देश्य यही है कि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि वे सभी एकक जो भविष्य में उत्पादक बन सकते हैं उन्हें पुन: स्वस्थ बनाया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा है कि हम वित्त मंत्रालय और वित्तीय संस्थाओं के साथ तालमेल बैठाकर इस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं तथा इसमें हम राज्य सरकारों से भी सहयोग ले रहे हैं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये राज्य सरकारें ही हैं जो मूल रूप से अपने-अपने राज्यों के औद्योगिकीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। इन सभी संस्थाओं के सहयोग से हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ हो तथा जितना सम्भव हो सके उतने रुग्ण एककों को पुन: स्वास्थ्य प्रदान कर सकें।

बैंकों द्वारा कार्यशत पूंजी उपलब्ध कराने तथा राज्य सरकारों से आई० आर० बी० आई० द्वारा गारंटी लेने के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि संबंधित एजेंसियों को स्वयं ही निर्णय लेने पड़ते हैं।

श्री अजय बिश्वास ने बैंक प्रत्याभूति की बात की है। यहां मैं कहना चाहूंगा कि आई० आर० बी० आई० केवल उन्हीं मामलों में राज्य सरकार की प्रत्याभूति मांगता है जिनमें राज्य सरकार आई० आर० बी० आई० से अनुत्पादक एककों का वित्त पोषण करने का आग्रह करती है। यह कार्य भी बहुत से अन्य कारणों पर विचार करने के पश्चात् उस अवस्था में किया जाता है जहां आई० आर० बी० आई० यह समझे कि कोई एकक विशेष भविष्य में भी उत्पादक नहीं बनेगी और राज्य सरकार आई० आर० बी० आई० से उन एककों की सहायता करने का आग्रह कर रही हो। ऐसे मामलों में आई० आर० बी० आई० राज्य सरकार की प्रत्याभूति के लिए जोर देती है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : विसंगति केवल उन्हीं मामलों में आयेगी जहां राज्य सरकार···

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मान लो कोई राज्य सरकार स्वयं ही व्यवहार्य नहीं है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : तब यह एक अलग प्रश्न है। आई० आर० बी० आई० एक वित्तीय संस्था है और उनके पास अपने विशेषज्ञ हैं।

(व्यवधान)

हमने इस मामले को न केवल वित्त मंत्रालय के साथ ही उठाया है बल्कि इस बातचीत के दौरान मैंने बहुत बार यह दोहराया है कि यह एक सतत प्रक्रिया है और हम स्थिति को अधिक से अधिक उदार बनाना चाहते हैं ताकि हम बीमार एककों की अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से सहायता करने की स्थिति में आ सकें।

मैं भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के विषय में भी दो शब्द कहना चाहूंगा। इसे बीमार

औद्योगिक एककों के पुनःस्थापन के प्रयोजन से भारत सरकार के अनुरोध पर कम्पनी अधिनियम, 1971 के अधीन स्थापित किया गया था। अपने अस्तित्व के 13 वर्षों की अवधि के दौरान आई० आर० सी० आई०, जिसका रुख बीमार औद्योगिक एककों की पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण के प्रयासों के विरुद्ध हो चला था, द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों पर काबू पाने के उद्देश्य से सरकार ने इसे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया। आई० आर० बी० आई० को प्रभावशाली शक्तियां प्रदान की गई जिनमें प्रबन्ध में परिवर्तन करना, उपक्रम को एक चालू संस्था के रूप में पट्टे पर देना अथवा उसका विक्रय तथा देनदारियों को कम करके पुनर्निर्माण की योजनाएं तैयार करने आदि की शक्तियां शामिल हैं।

आई० आर० बी० आई० द्वारा सहायता प्राप्त 245 कम्पनियों (जो बीमार एककों का 78 प्रतिशत हैं) में से 186 कंपनियां पुनर्जीवित हो चुकी हैं तथा 59 कंपनियां (जो 22 प्रतिशत है) घाटे में चल रही हैं।

बीमार एककों के प्रबन्ध की नीति जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप हैं। श्री दास मुंशी ने कहा है कि बहुत से मामलों में वे दिशानिर्देशों को नहीं मान रहे हैं। हम ऐसे मामलों की फिर से जांच कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जो कुछ कर सकते हैं वह हम करेंगे।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : तब ठीक है।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्री वृद्धि चन्द्र जैन जी ने खास तौर से जो नई पालिसी हम बनाने जा रहे हैं, उसके बारे में पूछा। इसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से बताऊं कि अपनी बजट स्पीच में माननीय वित्त मंत्री ने यह घोषणा की थी कि हम ऐसी संस्था बनायेंगे जो बीमार उद्योगों की ज्यादा बेहतर तरीके से खबरगिरी कर सके और उनको दुबारा स्वस्थ बनाया जा सके। इसके लिए प्रभावी ढंग से और क्या किया जा सके, ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

इस पर बहुत ही तत्परता से विचार किया जा रहा है। मुझे आशा है कि हम शीघ्र ही इस विधेयक के सदन में प्रस्तुत करेंगे।

श्रीमती फूलरेणु गुहा (कन्टई) : क्या इसे इसी सत्र में लाया जाएगा ?

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हो सकता है।

[अनुवाद]

मेरे विचार से औद्योगिक एककों का वित्त पोषण करने के लिए ब्याज दर के ढांचे से संबंधित प्रश्न, श्री हरीश रावत और श्री अजय बिश्वास ने उठाया था।

औद्योगिक एककों के वित्त पोषण के लिए ब्याज दर विभिन्न कारकों पर विचार करके तय की जाती है।

तकनीकी उद्यमियों द्वारा अथवा पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए

ब्याज की रियायती दर लगाई जाती है।

जहां तक बीमार एककों का संबंध है, आई० डी० बी० आई० लघु उद्योगों के पुनर्स्थापन के लिए राज्य वित्त निगमों के माध्यम से एक पुन: वित्त योजना चला रहा है। इस योजना के अधीन कर्ज मांगने वालों को 10 प्रतिशत की रियायती दर पर कर्ज की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

[हिन्दी]

माननीय सदस्य श्री प्रकाश ने उड़ीसा और बिहार के बारे में जानना चाहा था कि वहां पर कितनी इकाइयां ऐसी हैं ?

[अनुवाद]

प्रश्न यह था कि वहां पर बड़े उद्योगों और लघु उद्योगों के क्षेत्र में कितने बीमार एकक हैं। सम्भवतया उन्होंने मुझसे यही पूछा था। मैं नहीं जानता कि हमारे पास इसके अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध हैं। परन्तु 198 और जून, 1982 तक के आंकड़े मेरे पास हैं। यदि आप कुछ अन्य वर्षों के आंकड़े प्राप्त करना चाहते हैं तो वह मैं आपको दे दूंगा। मैं सूचना एकत्र करूंगा और उसे माननीय सदस्य को दे दूंगा।...(व्यवधान)...। 1982 में उड़ीसा में इनकी कुल संख्या 1438 थी। बड़े बीमार उद्योगों की संख्या तीन थी। बिहार में बीमार लघु उद्योगों की संख्या 2504 और बड़े बीमार एककों की संख्या 13 थी।

[हिन्दी]

माननीय हरीश रावत जी ने यह पूछा था कि कितने बीमार उद्योग ऐसे हैं कि जिनको रिवाइव किया जा चुका है? आई० आर० बी० से संबंधित आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं। लेकिन जो सूचना मेरे पास है उसके मुताबिक 1982 में 5099 बीमार उद्योग स्वस्थ हो गये और 1983 में 8763 उद्योग स्वस्थ हुए। जैसा मैंने पहले कहा बुनियादी बात वही है कि जो सभी माननीय सदस्यों द्वारा कही गई है। ममता बैनर्जी जी ने अपने क्षेत्र की इकाइयों के बारे में पूछा है। यह सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है लेकिन वह मैं उनको उपलब्ध करा दूंगा। बुनियादी बात यह है कि इस बीमारी के कारण जो परेशानी पैदा हो रही है जिससे रोजगार भी प्रभावित हो रहा है और हमारी राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था उससे प्रभावित होती है, इसके बारे में माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है।

[अनुवाद]

श्री अजय बिश्वास : अधिग्रहण पूर्व की देनदारियों के विषय में एक शर्त लगाई गई है।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस समस्या के प्रति न केवल चिन्तित है बल्कि हम पूरी कोशिश यह कर रहे हैं और हमने पूरा प्रयास यह किया है...

[अनुवाद]

श्री सत्य गोपाल मिश्र : बगैर कोई फल प्राप्त किए।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : रिजल्ट या परिणाम जो आए वह अभी मैंने आपको बताया है कि कितनी बीमार इकाइयां है जिनको स्वस्थ बनाया जा सका है। वेस्ट बंगाल के सम्बन्ध में जो बात कही गई, इस संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि इससे पहले मैं एक ऐसे शहर का प्रतिनिधित्व कर रहा था कि जिसमें बीमार औद्योगिक इकाइयां कई एक थीं, इसलिए मुझे ऐसी तकलीफ और परिस्थिति का पूरा एहसास है और मैं उनकी तकलीफ का एहसास कर सकता हूं जो माननीय सदस्य ने व्यक्त की है। हमारी पूरी कोशिश है कि केन्द्रीय सरकार ने जो गाइड लाइन्स और निर्देश जारी किये हैं, इन निर्देशों पर अमल किया जाये और वित्तीय संस्थाओं के सहयोग एवं राज्य सरकार के सहयोग से, केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से वह बीमार इकाइयां जो वायबल हो सकती हैं, स्वस्थ हो सकती हैं उनको जल्दी स्वस्थ किया जा सके, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब कल 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.28 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा, मंगलवार, 13 अगस्त, 1985/22 श्रावण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली-53